राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]   तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तीसवां दिवस   [संख्या : 16

मंगलवार;

23 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्षः श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की स्वीकृति

261. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्ष 2009-10 में कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जयपुर के कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले गये हैं? यदि हां, तो कहां कहां व नहीं तो क्यों? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के उक्त सभी विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल) : (1) राज्य में वर्ष 2009-10 में 144 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय तथा 82 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

(2) जिला जयपुर के 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय तथा 13 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार ने कितने वाणिज्य और विज्ञान संकाय के लिए बजट का आबंटन किया था और उसमें अब तक कितने खुल गये? माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, जयपुर जिले का इन्होंने विवरण दिया है, मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा का मांगा था, कि कौन-कौनसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं दी, क्या इसमें कोई राजनीतिक द्वेष है कि जहां माननीय मंत्रीजी और सरकार चाहेगी वहां खुल जाएंगे और जहां विधायक या जनता चाहेगी वहां नहीं खुलेंगे? तीसरी मेरी मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 ऐसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां विज्ञान और वाणिज्य के संकाय नहीं हैं और हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। कल शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने महाविद्यालयों की अच्छी बात उठाई थी, माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि महाविद्यालयें में हम संकाय लाएंगे। अभी तक स्कूलों में ही संकाय नहीं हैं तो महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज की क्या हालत होगी, यह जनता से छुपा हुआ नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 स्कूल ऐसे हैं जहां विज्ञान और वाणिज्य संकाय नहीं हैं। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि तीन राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय है मेरे विधान सभा क्षेत्र में, तीनों में ही नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, किशनगढ़-रेनवाल सांभर ओर फुलेरा तीन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, तीनों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय नहीं हैं। बच्चियां पढ़ती हैं, उनको मां-बाप अलाउ नहीं करते गर्ल्स स्कूल के अलावा कहीं जाने के लिए। दूर वे नहीं जा सकतीं 5-10 किलोमीटर, लड़के फिर भी दूर जा सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में सरकार इन तीनों बालिका माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलेगी, माननीय मंत्रीजी जवाब दें?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल 500 विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोले जाने का बजट में

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)
प्रावधान था। जहां तक फुलेरा विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, ये तीनों बालिका विद्यालय, तीनों में छात्राओं की संख्या भी ज्यादा है, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन तीनों में से एक और दो जिसमें ज्यादा छात्राओं की संख्या है उसमें दो आप लिखकर देंगे, इसी वित्तीय वर्ष में खोल दिया जाएगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष जी, इसमें वर्ष 2010-11 के बजट के लिए एक भी घोषणा नहीं की सरकार ने कि हम नये खोलेंगे। जो पुराने 500 हैं उनमें से तीन तो हमारे क्षेत्र का हक बनता है। एक एक विद्यालय की दूरी कम से कम 40 किलोमीटर दूर है, पूरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम तीन का तो आश्वासन दें मंत्रीजी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, तीन तो खोलें। जयपुर जिले में सरकार की नाक के नीचे है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैंने आश्वासन दे दिया। दो का आश्वासन दे दिया न।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सरकार की नाक के नीचे जयपुर जिले का यह हाल है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): दो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उन दो का आश्वासन दे दिया। दो का आश्वासन दे दिया।

श्री अध्यक्ष: चलिये, आपको आश्वासन दे दिया मंत्रीजी ने, धन्यवाद बोल दो।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ठीक है, धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपकी बजट घोषणाओं के अनुसार आपने बताया कि 500 विद्यालयों में इस प्रकार के सबजैक्ट खोलने की व्यवस्था हमने की ओर 144 उसके अगेंस्ट हमने खोले। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि 500 या 144 जो खोले हैं, इनमें से अध्यापकों की पूर्ति हमने इस वर्ष में कितनी कर दी? जो 144 आपने सैक्शन खोले हैं, चाहे कामर्स के चाहे साइंस के, उनके अगेंस्ट में आपने अध्यापकों की व्यवस्था कितनी कर दी? पूर्व में जो कुछ भी चल रहा है, लगभग 50 प्रतिशत सब्जैक्ट अध्यापक आज की तारीख में पूरे राजस्थान में नहीं हैं, फिर केवल दिखाने मात्र के लिए खोलेंगे या पूरे सब्जैक्ट टीचर देते हुए फैकल्टी खोलेंगे, यह बताएं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने स्वंय अपने उत्तर में कहा कि 500 विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलने की पिछले सत्र की घोषणा थी। आपने दोनों को मिलाकर 236 खोले हैं, यानि पूरा पिछला बजट का समय समाप्त हो गया, नम्बर एक, ऐसी आपने कमी क्यों रखी? दूसरा, आप जो ये फैकल्टी खोल रहे हैं, क्या इसके कोई मापदण्ड आपने निर्धारित किये या आप राजनीतिक आधार पर सिर्फ एक ही पार्टी के माननीय सदस्यों और उनके कहने पर ये खोल रहे हैं? क्या शिक्षा जैसे क्षेत्र में राजनीतिक चश्मे से पूरी चीज को देखना, इसको आप उचित मानते हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कुल 500 संकाय खोलने की बजट में घोषणा हुई जुलाई के अंत में। बीच सत्र के अन्दर इनको चालू करना मैं उचित नहीं मानता था, क्योंकि पहले से ही आप जानते हैं कि न विषय अध्यापक हैं न इसके लैक्चरर होने चाहिए वे हैं। लैक्चरर की भर्ती की प्रक्रिया विचाराधीन है। नये शिक्षा सत्र से चालू करने का मैंने आदेश दिया है, जब ये चालू होगे उस समय तक इनमें अध्यापक लगाने की व्यवस्था करने की कार्यवही की जाएगी। जहां तक तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा जैसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह बिलकुल गलत बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजस्थान के 200 विधान सभा क्षेत्रों में जहां ज्यादा उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर तीन नहीं तो दो, हर माननीय सदस्यों के दो-तीन, दो-तीन खोलने की व्यवस्था की जाएगी, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं, एक मिनट आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। यह समस्या आपके द्वारा नहीं मैं स्वयं जब शिक्षा मंत्री था तब से लेकर इसको राजस्थान का बच्चा भुगत रहा है। व्याख्याता आपका नया सलेक्शन होकर 50 प्रतिशत आता नहीं, प्रमोशन के आधार पर 50 प्रतिशत जाइन करते नहीं, मैं, मुख्य मंत्रीजी से, आपसे आग्रह करता हूं, राजस्थान के बच्चों के भविष्य के लिए एक इमरजेंसी रिक्रूटमेंट केवल सब्जैक्ट व्याख्याताओं के लिए आप निकाल दें। टीचर जो आज सर्विस में हैं, थर्ड ग्रेड में हैं या सैकण्ड ग्रेड में हैं, उनको आरपीएससी में एन्टर होने के लिए आप अलाउ कर दें तो आपकी इसकी पूर्ति हो जाएगी । जो समस्या पिछले 15 सालों से चल रही है, इसका कोई स्थाई निदान हो जाएगा। यदि आपका मन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हो, इमरजेंसी रिक्रूटमेंट विदिन टीचर, जो आज की तारीख में आपके यहां थर्ड ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं और वैल क्वालिफाइड लड़के हैं, अगर वे आरपीएससी क्लीयर कर जाते हैं तो आप उन्हें लगाकर इन पदों को भरेंगे तब तो स्थाई सलेक्शन होगा। नहीं तो आप और हम कितने भाषण दे दें और कितनी बार यह आश्वासन दे दें, समस्या का हल नहीं होगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, अनफार्चुनेटली जब हम लोग पांच साल सत्ता में थे तब भी स्थिति यह थी कि गांव के अन्दर लाख कोशिश करने के बावजूद उस वक्त भी हम लोग सब टीचर नहीं लगा पाये। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जब इनकी सरकार बन गई, बीजेपी की, तब भी पांच साल यही हालात बने रहे। आपने पूरी कोशिश की होगी। आपने भी स्कूल प्रमोट करने की घोषणा की, वह घोषणा पूरी हुई, अधूरी रही। पूरे तो टीचर नहीं लगे, यह शिकायत आज भी गांव वालों में बनी रहती है। सबसे अनफार्चुनेट बात है। शिक्षा चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी, मिडिल या सैकण्डरी, सब लोग चाहते हैं कि शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। सरकार ध्यान दे भी रही है। केन्द्र की यूपीए गवर्नमेंट ने भी सर्व शिक्षा अभियान को और बढ़ाया। पहले मिडिल तक था अब उसको सैकण्डरी तक ले आ रहे हैं। पूरा ध्यान सबका उसके ऊपर है, इसलिए हमने इस बार नई स्कूलें क्रमोन्नत करने का फैसला नहीं किया, यह जानते हुए कि जब तक पहले वाली स्कूलें हैं पहले वे क्रमोन्नत हों। हमारे माननीय मंत्रीजी ने ठीक कहा कि जुलाई में बजट पास हुआ 29 तारीख को और कम समय में, बीच में कोई साइंस या कामर्स का सब्जैक्ट खोलते या नये प्रमोट करते तो कोई फायदा नहीं था। अब हम चाहते हैं कि गाड़ी पटरी पर आए, इसलिए जो आपने सुझाव दिया उसको हम ध्यान में रखेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से सुनिश्चित करें कि गांवों में टीचर्स रहें। गांवों में स्कूलों में टीचर्स की वेकेंसी नहीं रहे। समानीकरण की जो योजना माननीय मंत्रीजी ने बनायी है, मैं समझता हूं कि उसको भी हम पूरा करना चाहेंगे आप सबके सहयोग से। बिना समानीकरण के यह सम्भव नहीं है। समानीकरण होते ही सारे लोग आकर बैठते हैं कि, साहब, हमें गांवों में मत भेजिएगा, शहर में रखिएगा, जो सम्भव नहीं होता। अगर इस पर तमाम लोग मिल कर सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि गांवों में स्कूल में टीचर्स सुनिश्चित रहने चाहिए, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सफीशिएंट। कृपया। समाप्त हुआ। कृपया आप विराजिये। बहुत स्पष्ट हो गया।

घड़साना-अनूपगढ़-रावला किसान आन्दोलन के दौरान पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर व्यय

262. **श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

घड़साना-अनूपगढ़-रावला में सितम्बर-अक्टूबर व दिसम्बर, 2009 में किसान आन्दोलन के दौरान कितनी पुलिस फोर्स जाप्ते के तौर पर भेजी गई तथा इस दौरान कितनी राशि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर व्यय की गई? बिन्दुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री शांति कुमार धारीवाल): घड़साना, अनूपगढ़, रावला में सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर, 2009 में किसान आन्दोलन के दौरान तैनात की गई पुलिस फोर्स जाप्ते का विवरण निम्नलिखित है:-

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	उप अधीक्षक पुलिस	पुलिस निरीक्षक	उप निरीक्षक/ सहायक उप निरीक्षक	हैड कांस्टेबल/ कांस्टेबल	महिला कांस्टेबल	आर.ए.सी.
12	50	83	414	1985	197	40 कम्पनी

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा घड़साना, अनूपगढ़ में जारी पड़ाव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देने के कारण माह दिसम्बर, 2009 में पुलिस बल तैनात नहीं किया गया था।

माह सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर, 2009 में पुलिस बल तैनातगी पर वेतन मद पर कुल 68,87,085/- रुपये व्यय हुए जिसका भुगतान उक्त आन्दोलन में न लगाये जाने के बावजूद भी राज्य सरकार को करना होता है। उक्त आन्दोलन में पुलिस बल तैनातगी पर यात्रा भत्ता व पी.ओ.एल. पर

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

18,32,675/- रुपये की राशि व्यय हुई जो कि उक्त आन्दोलन के कारण हुआ अतिरिक्त व्यय था।

उपरोक्त पुलिस जाप्ते की कार्य अवधि व व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और इतना ही पूछना चाहता हूं कि जब-जब पड़ाव और महा पड़ाव की संघर्ष समिति में घोषणा हुई, इन्होंने पुलिस जाप्ता भेजा। जैसे- 23.09.2009 को 3 रात पुलिस जाप्ता रहा। 30 अक्टूबर, 2009 को 2 दिन, रात को पुलिस जाप्ता रहा जिसमें पुलिस की संख्या 1378 के आस-पास थी। 4 नवम्बर, 2009 को 2 रात, लगभग 905 पुलिस की संख्या बनती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, घड़साना एक ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत के अन्दर 1378, चार-चार, छह-छह, सात-सात कम्पनी भेज देना, मैं समझता हूं कि इससे कानून-व्यवस्था की रक्षा नहीं होती, कानून-व्यवस्था ज्यादा बिगड़ने का अंदेशा रहता है। पूर्व में इसका अनुभव सरकार को घटनाओं को देखते हुए होना चाहिए। मैं इस प्रश्न के माध्यम से इतना ही आगाह करवाना चाहता हूं कि आपकी पुलिस रात को कहां -कहां ठहरती है, किस-किस जगह ठहरती है। कृपा करके, मंत्रीजी, मुझे आप यह बता दो कि किस जगह रात को ठहरती है? वह गड़बड़ इसलिए है कि ग्राम पंचायत के अन्दर 1300-1350 पुलिस रात को शराब के नशे में कच्ची कालोनियों के अन्दर घूमती रहती है घड़साना में। इसीलिए पहले आन्दोलन में भड़के थे और इसीलिए दुबारा भड़कने की स्थिति आप पैदा कर रहे हो। आपकी व्यवस्था क्या है वहां पुलिस को रखने की, उस इलाके के आस-पास, आप मुझे यह बता दीजिए? नहीं तो अगर यूं ही पुलिस भेजोगे तो पानी तो बाद में लेंगे, कहीं न कहीं पुलिस और पब्लिक भड़क जाएगी, भिड़ जाएगी और यह आन्दोलन पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि इतनी पुलिस भेजते हो, इनकी व्यवस्था क्या है? इनकी खाने-पीने की व्यवस्था क्या है? रात को कहां रहते हैं ये सारे लोग? मुझे इतना ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे उत्तर दिलवा दो और आगे मैं फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री पेमाराम (धोद): वे ठहाराते नहीं हैं न इसीलिए पूछा है हमने।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009 में किसान संघर्ष समिति, रावला-घड़साना द्वारा सिंचाई के पानी को लेकर आन्दोलन शुरू किया गया। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट हमारे पास थी उसके अनुसार यह लगता था कि यह आन्दोलन धीरे-धीरे हिंसक रूप लेगा। किसान संघर्ष समिति के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार का आम जनता में सम्बोधन और जन-सम्पर्क किया जा रहा था उससे भी यह लगता था कि राज्य सरकार के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है, तो हो सकता है कि 2004 की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। 2004 में पानी के मामले को लेकर जो हादसा हुआ, जिसमें गोलियां चलीं, पांच आदमी मर गये, इन सब बातों को देखते हुए सरकार क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठती? इसलिए पुलिस की व्यवस्था करना आवश्यक था। अब सवाल आपका यह रह गया कि, साहब, पुलिस कहां ठहरती है, पुलिस क्या करती है, कहां घूमती है, मेरा ख्याल है, इससे आपको कोई ताल्लुक तो है नहीं। आप चाहो तो सेवा कर लिया करो उनकी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ताल्लुक है, माननीय अध्यक्ष महोदय। पुलिस कच्ची बस्तियों में, वहां लोगों के घरों में रहती है और दंगा-फसाद होता है वहां। आप व्यवस्था नहीं करते। आप मुझे यह बताओ कि वहां जगह कौनसी है जहां पुलिस ठहराते हो? कोई सर्किट हाउस है क्या घड़साना में, जहां ठहराते हो? कोई रैस्ट हाउस है क्या घड़साना में, जहां पर ठहराते हो? पुलिस चौकी है घड़साना के अन्दर केवल मात्र।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पुलिस के पास ठहरने का अपना खुद का इन्तजाम होता है। उनके कैम्प्स होते हैं, उनके टैंट होते हैं, वगैरह-वगैरह होते हैं। उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, एग्रीमेंट किसने किया है? एग्रीमेंट तो आप ही लोगों ने किया था। विथड्रा किसने किया आपका आन्दोलन? विथड्रा भी आप ही लोगों ने लिखकर दिया बाकायदा कि हम विथड्रा करते हैं। कोई विवाद तो बाद में पैदा हुआ नहीं। किसी प्रकार का विवाद, वहां पर भेजी हुई फोर्स के द्वारा और आपके बीच में किसी प्रकार की नाइत्तफ़ाक़ी हो गयी हो, किसी प्रकार की कोई फौजदारी हो गयी हो, कोई झगड़ा हो गया हो, कोई केस रजिस्टर हो गया हो तो आप मुझे बताएं। तसल्ली से आपका फैसला हुआ है उनके साथ। एस.डी.ओ. को बीच में डालकर। आपके सारे के सारे संघर्ष समिति के जितने भी थे, पवन दुग्गल साहब थे, कामरेड लेखा सिंह थे, कामरेड कड़वासरा और तारासिंहजी वगैरह-वगैरह सब लोग थे आप लोग वहां पर, आप ही लोगों ने एग्रीमेंट किया।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)
एग्रीमेंट करके तीसरे-चौथे पानी के बाबत जो कुछ भी मांग थी आपकी, उसको राज्य सरकार ने मंजूर किया किसानों के हित को देखते हुए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न को यही अन्त करता हूं। मेरा यह निवेदन है सरकार को, पारदर्शी सरकार को गम्भीर निवेदन है, मैं यह तकलीफ इसलिए जाहिर करता हूं कि दुबारा फिर पानी की वहां ऐसी स्थिति बनेगी। पानी नहीं दिया गया था इस वजह से हालात अब ऐसे है। ये पुलिस जिस प्रकार से भेजते हैं, पुलिस की व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है, दुरूस्त नहीं है। मैं हाउस में आज आगाह करता हूं, पुलिस किसान से नहीं भिड़ेगी, पुलिस किसी और विवाद को लेकर, गलत काम को लेकर भिड़ेगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप पुलिस भेजते हो तो पुलिस की व्यवस्था वहां ठीक होनी चाहिए। आप देखो तो सही, वहां कितनी पुलिस कहां ठहरेगी, क्या व्यवस्था रहेगी। पुलिस भेजने के बजाए तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पानी दे दो, पुलिस की जरूरत ही नहीं उस इलाके में। बार-बार क्यों खर्चा करते हो आप इतना? क्यों वेस्ट करते हो आप लोग, सरकार इतना पैसा? पानी दो समस्या का समाधान हो जाएगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

उम्मेद अस्पताल, जोधपुर के ब्लड बैंक की दोषपूर्ण व्यवस्था से पीड़ित बच्चे

263. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के उम्मेद अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से खून चढ़ाने से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे एच.आई.वी. की चपेट में आ गये थे? यदि हां, तो कितने बच्चे? सरकार की जानकारी में यह मामला कब एवं कैसे आया और सरकार द्वारा मामले की जानकारी में आने के बाद क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मामले की जांच के लिए कोई समिति गठित की गई? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ब्लड बैंकों में रक्त जांच की किसी विशिष्ट प्रक्रिया को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)): (1) जोधपुर के उम्मेद अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से खून चढ़ाने से कोई भी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे एच.आई.वी. की चपेट में नहीं आये। इस बारे में डी.एन.ए. अख़बार में समाचार प्रकाशित होने पर तुरन्त जांच हेतु कमेटी गठित की गई। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उम्मेद अस्पताल के ब्लड बैंक में एन.ए.सी.ओ. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी सुविधाएं एवं मानव संसाधन उपलब्ध हैं। सभी आवश्यक 5 जांचें एन.ए.सी.ओ. (NACO) गाइड लाइन्स के अनुसार सम्पादित की जा रही हैं। ये सभी जांचें निगेटिव आने पर ही ब्लड चढ़ाया जाता है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निदेशक, एड्स की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के निष्कर्ष की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर है।

(3) राजकीय चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंकों में पूर्व से ही NACO द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार रक्त जांच की जा रही है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे पूछा कि जोधपुर के उम्मेद अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से खून चढ़ाने से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे एच आई वी की चपेट में आ गये थे? यदि हां, तो कितने बच्चे? सरकार की जानकारी में यह मामला कब एवं कैसे आया और सरकार द्वारा मामले की जानकारी में आने के बाद क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मुझे उत्तर दिया है, वह सरासर गलत उत्तर दिया है। अगर सरकार इस तरीके से उत्तर देवे, इन्होंने फिर 125 पेज का मेरे पास पुलिन्दा ऐसे ही भेजा है क्या? 125 पेज का है।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो देना ही पड़ेगा न।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं-नहीं, सारा जवाब ही गलत दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: छोटा देते तो आप संतुष्ट नहीं होते।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बात सुनो, बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है। आप इस बात को सीरियसली लो, मजाक में मत लो।

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री क्या है? माननीय सदस्य, आपका पूरक प्रश्न क्या है? आप सीधा पूरक प्रश्न पर आ जाओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पर आ रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न अबोध बच्चों को एड्स संक्रमण से संबंधित था। एड्स रोग ऐसा है जो जान लेकर आदमी के साथ ही मिटता है। एड्स की ऐसी बीमारी है।

श्री अध्यक्ष: एड्स को छोड़ो, पूरक प्रश्न क्या है आपका? हां, पूरक प्रश्न पूछो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, बोल रही हूं न मैं, परन्तु मुझे जो जवाब दिया गया है, वह पूरी तरह से गलत है। राजस्थान के ब्लड बैंक में एड्स, थैलेसीमिया रोगी की जांच के लिये जो तकनीक उपलब्ध है, वह नाको (NACO) के मापदण्ड के अनुसार नहीं है। राज्य के ब्लड बैंक में जो तकनीक उपलब्ध है, उसका नाम है एलीसा, जो कि विडोपेरेमोटिव एड्स एवं थैलेसीमिया रोगों के वायरस से फूलप्रूफ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चौथा मेरा है, इसलिये नाको में मार्क किया है कि इसके अलावा एन ए टी और पी एल सी तकनीक फूलप्रूफ है, जो कि राज्य के और किसी ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी राजस्थान में एक मात्र एड्स सेंटर उम्मेद अस्पताल में 6 हजार से अधिक एड्स रोगी रजिस्टर हैं। एम डी एम अस्पताल में रोज एक नया मरीज एड्स का आता रहता है। (व्यवधान) नहीं, मेरी बात मुझको ही करने दो।

श्री अध्यक्ष: आपस में नहीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं-नहीं, आप पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष: आपका पूरक प्रश्न क्या है, माननीय सदस्य?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं पूरक प्रश्न बता रही हूं। ऐसे में हम एड्स जैसे गम्भीर रोगों से कैसे लड़ पाएंगे? मेरे पूरक प्रश्न में मंत्री महोदय बताएं, क्या यह सही है कि राज्य के सभी ब्लड बैंकों में अभी भी उक्त रोगों की जांच के लिये एलीसा तकनीक काम में ली जाती है? क्या यह सही है कि एलीसा तकनीक विडोपेरेमोटिव में रोगों की रिपोर्ट सही नहीं देते हैं? क्या यह भी सही है कि आधुनिक एन ए टी एस पी एल सी जांच मशीन विडोपेरेमोटिव में भी फूलप्रूफ मानी जाती है? सरकार यह जवाब दे..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, कितने पूरक प्रश्न पूछे हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, मैं वही तो पूछ रही हूं, साहब। वही पूछ रही हूं, दूसरा कौनसा पूछ रही हूं? यह उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, तब उत्तर दिलाऊं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सरकार यह जवाब दे कि उक्त घटना के 15 महीने बाद भी अब तक सरकार ने राज्य के ब्लड बैंकों में उक्त जांच मशीन को क्यों नहीं उपलब्ध करवाया? मेरा प्रश्न यह है कि इतना...

श्री अध्यक्ष: क्यों नहीं उपलब्ध करवाई, विराजें, मंत्रीजी से जवाब दिलाता हूं। (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न, विराजें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इनके साथ ही जवाब आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, जोधपुर का मामला है। विराजो आप।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारी आदरणीय सूर्यकान्ता जी व्यास ने जो रिपोर्ट का विवरण मांगा था, डी एन ए अख़बार की रिपोर्ट का रेफरेंस है, उसकी जब हमने जांच करवाई तो उसकी यह पूरी रिपोर्ट आई है।

श्री अध्यक्ष: इनको दे दी न? यह रिपोर्ट इनको दे दी कि नहीं?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमने 15 सैट्स दे दिये।

श्री अध्यक्ष: इनको दे दी न?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह इतना सारा पुलिन्दा है और इसकी भी मैंने पूरी जानकारी की है। यह चाहेंगे तो मेरे पास भी सारा तैयार है, सारा बनाया हुआ है। एक-एक बात इनको बता दूंगी।

श्री अध्यक्ष: विराजो-विराजो, जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी आपका जवाब दे रहे हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसके 15 सैट्स हमने विधान सभा सैक्रेटेरियट को उपलब्ध करा दिये थे। एक सैट लाइब्रेरी में दे दिया था। वह इसलिये दिया था कि अगर किसी को रेफरेंस के लिये ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य को यह सैट उपलब्ध कराया है कि नहीं आपने?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने 15 सैट विधान सभा सैक्रेटेरियट में उपलब्ध करा दिये, उन्होंने इनको उपलब्ध करवा दिया होगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं हो तो दे देना।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसकी सिनोप्सिसस ..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: नहीं है तो पढ़वा दो, साहब।

एक माननीय सदस्य: पढ़ा हुआ मान लिया।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसकी सिनोरिसस है, वह भी मैंने उपलब्ध करा दी। उस सिनोप्सिस में हवाला दिया गया है कि एस एन मेडिकल कालेज, जोधपुर में 12 जनवरी, 2009 को "... on 12 Jan., 2009 72 serum samples brought by Thalassaemia Society were tested for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C in ICTC as per NACO guidelines. On testing five samples were found positive for HIV, 2 for Hepatitis B and 28 for Hepatitis C." मगर कमेटी का जो कनक्लूजन है, मैं ब्रीफली आपकी इजाजत से पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, यह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो मूल प्रश्न का उत्तर दे दीजिये, इन्होंने जो पूछा है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, वह एक लाइन का है, खाली एक लाइन का जवाब है। वह कनक्लूजन है, सर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें आप।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): पूरी जानकारी माननीय सदस्य को देनी पड़ती है। 125 पेज की जगह 250 पेज भी हों तो पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि पूरक प्रश्न का सवाल है इसमें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): "According to blood bank record, blood units were provided for transfusion after five mandatory tests which were non-reactive as per the NACO

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान) (दुरू मियां)

guidelines.” अब सर, नाको की गाइडलाइन्स के अनुसार, नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गनाइजेशन की जो गाइडलाइन्स हैं ..(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, ऐसे तो मुझे भैरोंसिंह जी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, फिर भी मुझे हिन्दी में कहें तो मुझे अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। ऐसे तो मुझे सर्टिफिकेट दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा यह भी दिया है, यह अंग्रेजी में दिया है, क्या मालूम थोड़ा ट्रांसलेशन करके कोई बात समझी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके अनुभव को देखते हुए इन्होंने अंग्रेजी में दिया होगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को ईजी नहीं लेवें, यह वास्तव में बहुत इम्पोर्टेन्ट है और बच्चों का सवाल है। बच्चों को एड्स कैसे हो गया? इसका मतलब उन्होंने कोई गलत खून चढ़ा दिया है। मैं इस बात की बहुत भुगतभोगी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, आज से 25 साल पहले मेरी लड़की को इसी उम्मेद अस्पताल में एडमिट कराया था। डिलीवरी हुई उसमें ब्लड चढ़ाया गया, पीलिया का ब्लड चढ़ा दिया था। मुझे साल भर तक जयपुर हास्पिटल में रहना पड़ा। आज मैं एस आर मेहता की एहसानमंद हूं कि उन्होंने मेरी बच्ची को बचाया था। ब्लड चढ़ाते वक्त ये लोग सोचते नहीं है, कौनसा ब्लड है, क्या है। ऐसी कोई मशीन नहीं है, आज सदन के नेता बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी, एक ऐसी मशीन जोधपुर में लगाई जाए।

श्री अध्यक्ष: हां, तो असली बात पर आओ न आप। असली बात पर आओ। कृपया शांति रखें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): देखिये, साहब, आप बोलते हो तो मैं बीच में नहीं बोलती हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप तो बोलो। हां, बोलो आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप मेरी उम्र का ख्याल रखिये, कम से कम इतना तो ध्यान रखो। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है।

श्री अध्यक्ष: आप सीधा बोलो इधर देखकर। माननीय सदस्या, इधर देखकर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप कहते हैं, थारी-म्हारी करनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपकी बात मानूं, आप इंगलिश में बोलो, हिन्दी में बोलो, आपने जितनी तैयारी की है न, मैंने भी कम तैयारी नहीं की है। आप चाहोगे तो मैं भी एक-एक बात का उत्तर देऊंगी। मगर मेरी मुद्दे की बात है, एक मारवाड़ी में कहावत है,-'सौ बात की एक बात।'

श्री अध्यक्ष: अब मारवाड़ी में मंत्रीजी के पल्ले नहीं पड़ेगी, आप हिन्दी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ी में क्यों नहीं? बाहर लिखा है राजस्थान विधान सभा और अपन यहां मारवाड़ी में नहीं बोलते हैं तो अपनी गलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिगम्बर सिंहजी इसको ज्यादा जानते हैं, मगर मैं भी डाक्टर के घर से हूं, मैं भी ज्यादा नहीं जानती हूं। जितना जानूं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप चाहते क्या हो, उस पर आओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता महोदय से आश्वासन चाहूंगी, मैं आश्वासन ही नहीं चाहूंगी, मैं यह चाहूंगी कि इस बात को वे पूरा करें। यह भी देखें कि ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें। आगे काम की बात तो होने दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय मंत्री महोदय, आप यह बता दें...

श्री अध्यक्ष: विराजें आप। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। वह जबाव दे रहे हैं पूरक प्रश्न का।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हम उतने ही चिन्तित एच आई वी एड्स, हेपेटाइटिस और इस चीज से हैं, जितनी कि आप हैं। हमारा हरदम यही प्रयास रहता है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं हों। मैं आपको यह और बता देना चाहता हूं, यह जरूरी नहीं है कि यह इन्फैक्शन खाली ब्लड चढ़ाने से ही हो। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। सिरिंजेज भी इसके कारण हैं, और भी हैं। डाक्टर साहब भी जानते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): और कोई कारण नहीं है, अध्यक्ष महोदय, उसी से ही है। इनके उत्तर में ही सारा दिया हुआ है। आप कहें तो पूरा एक-एक पढ़ दूं, सारा दिया हुआ है इसमें।

श्री अध्यक्ष: वह तो अंग्रेजी में है न।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): डाक्टर्स की कमेटी बनी है, उन्होंने सारा किया है। यहां तक कि कमेटी की रिपोर्ट भी गयी है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जहां तक व्यवस्था का ताल्लुक है, पूरे हिन्दुस्तान के द्वारा नाको की गाइडलाइन और उनका जो प्रोसीजर है, वह एडाप्ट किया जाता है। वही प्रोसीजर राजस्थान में भी एडाप्ट हो रहे हैं। वही किट भिजवाते हैं और वही इक्विपमेंट भिजवाते हैं। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, मैंने लिस्ट दे रखी है इक्विपमेंट की, किट्स की जरूरत है, वह पूरी तरह से उम्मेद अस्पताल में उपलब्ध है और यूज़ हो रही है।

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा जबाव नहीं आया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, वह एलिजा टैक्निक उपलब्ध है जिससे... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मेरे को जबाव दिलवाइये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): प्रश्न संख्या 264.

श्री अध्यक्ष: कला एवं संस्कृति मंत्री। विराजें। काफी विस्तार से चर्चा हो गयी। कृपया आप विराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मशीनें कब तक लग जाएंगी?

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। सदन में अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है। आपकी बात मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में आ गयी। अंकित नहीं हो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): xxx

हनुमानगढ़ जिले में आर्कोलोजिकल काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

264. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा जिला हनुमानगढ़ में पुरातात्विक सम्पदाओं के संरक्षण एवं शोध कार्य के लिए आर्कोलोजिकल काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 2.46 करोड़ की राशि मंजूर की गयी थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि आपसी तालमेल के अभाव में उक्त भवन निर्माण कार्य बन्द है तथा स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होने से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने मंजूर राशि वापिस केन्द्र सरकार को भेज दी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त संग्रहालय के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य में देरी के लिए कौन-कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (श्रीमती बीना काक) (महिला एवं बाल विकास मंत्री) के स्थान पर : (1) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के लिए 2.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिनांक 12.11.2003 को दी गयी थी। हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ के लिए 52.00 लाख रुपये की राशि तथा श्रीगंगानगर जिले में बरोड़ हेतु 52.00 लाख रुपये व रंगमहल के लिए 90.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(2) उक्त निर्माण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण रुका हुआ है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राशि केन्दीय लोक निर्माण विभाग को सीधे ही उपलब्ध करायी गयी थी। यह राशि अभी तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्यटन मंत्रालय को वापस नहीं भेजी गई है।

(3) प्रकरण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के विकास में पर्यटन का बहुत बड़ा महत्व है और राज्य सरकारें समय-समय पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाती हैं, क्योंकि एक तो इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और दूसरा रोजगार भी। परन्तु भारतीय

(श्री अभिषेक मटोरिया)

पुरातत्व विभाग और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के आपसी तालमेल के अभाव की वजह से, एक कहावत कही जाती है, धन की कमी विकास कार्य में रोड़ा बनी, यह मामला उससे जुदा है, उससे विपरीत है। मैं आपके माध्यम से बड़े स्पष्ट शब्दों में माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि हडप्पाकालीन सभ्यता के केन्द्र रहे कालीबंगा और तीन अन्य स्थानों पर आर्कोलोजिकल काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु ढाई करोड़ रुपये की राशि जो कई साल पहले स्वीकृत की गई थी, वह अभी तक लगी क्यों नहीं? नम्बर दो, क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या सी पी डब्ल्यू डी द्वारा बिना भूमि की उपलब्धता के पर्यटन मंत्रालय को एस्टीमेट भेजे गये? अगर बिना भूमि के भेजे गये तो वे क्यों भेजे गये? अगर भूमि को ध्यान में रखकर भेजे गये

तो वह भूमि छह सालों से कहां गयी? तीसरा, क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पर्यटन और पुरातत्व विभाग को राजस्थान सरकार को भूमि के लिए पत्र लिखा? यदि नहीं लिखा तो क्या पर्यटन मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सी पी डब्ल्यू डी को दुबारा यह पत्र लिखा कि आप भूमि के लिए पत्र लिखें? नम्बर चार, पुरातात्विक सम्पदाओं के संरक्षण व शोध कार्यो के अध्ययन से जुडी सामग्रियों को सहेज कर रखने के लिए इन चार काम्प्लेक्स निर्माणों में, एक का उत्तर मेरे पास है जिसमें यह लिखा गया है कि भूमि की उपलब्धता न होने की वजह से निर्माण कार्य नहीं हो पाया, बाकी अन्य तीन स्थानों पर निर्माण कार्य की क्या प्रगति है? इन तीनों प्रश्नों का जबाव मंत्रीजी दें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य को इस महत्वपूर्ण प्रश्न को इस सदन में उठाने के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि यह सिविलाइजेशन भारत में इस प्रकार की अपने आप में एक ही मिसाल है। मोहनजोदड़ो और हडप्पा तो पाकिस्तान में चले गये और यही एकमात्र सिविलाइजेशन राजस्थान में है। इसको विकसित करने की आवश्यकता थी, इसी को ध्यान में रखकर नवम्बर, 2003 में भारत सरकार ने इस पूरे बैल्ट को डवलप करने के लिए 796 लाख रुपये सैंक्शन किये थे। इसी भावना से किये थे कि यह पूरी सिविलाइजेशन जो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के अन्दर थी, उसको विकसित किया जाए। इसकी कार्य एजेंसी सी पी डब्ल्यू डी

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

और आर्कोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया के माध्यम से यह कार्य होना था। नवम्बर, 2003 के अन्दर ये कार्य स्वीकृत किये गये। अब दोनों कार्य एजेंसी के बीच में तालमेल का अभाव जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, रहा है। जहां तक पर्यटन विभाग, राजस्थान का सवाल है, उन्होंने इसके अन्दर पहल की। मैं समझता हूं कि अभी भी माननीय सदस्य ने जब प्रश्न किया तो पुनः हमारे विभाग के सचिवजी ने इस प्रश्न के आने के बाद लिखा है। अभी पैसा भी लैप्स नहीं हुआ है, इसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए।

मुख्य मंत्रीजी भी सदन में मौजूद हैं, यह जो सिविलाइजेशन है, उसके बारे में सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स होने के बाद भी हमारी जनसंख्या के 99 प्रतिशत लोग इस स्थान के बारे में जानते ही नहीं हैं। मैंने आज ही हनुमानगढ़ कलक्टर से जानकारी ली कि पर्यटन की दृष्टि से इसको कितने लोग देखने के लिए आते हैं। मुझे आश्चर्य है कि लोगबाग हनुमानगढ़ आकर चले जाते हैं, जब वह साइड में आता है तो रुककर जरूर इसको देख लेते हैं। वहां पर एक स्थान आर्कोलोजिकल विभाग द्वारा बनाया हुआ है। निश्चित रूप से पैसा जो उपलब्ध है उसको यूटिलाइन करने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्रीजी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी सरकार को भी इसके अन्दर और पहल करनी चाहिए, यह अपने आप में एक ही साइट है। सदन की जानकारी में मैं लाना चाहूंगा कि इसको पहली बार नूगीटिओ डेस्टोरी नाम के एक इटालियन ने, जो इण्डोलोजिस्ट था, उस जमाने में, 1887 और 90 में वह सिबलाइजेशन के ऊपर कार्य कर रहा था, एक्सीडेंटली यह साइट उसने डिस्कवर की थी, और यह उस बात का परिणाम है। सरस्वती नदी के किनारे यह सभ्यता थी, उस क्षेत्र में खेती होती थी और यह अपने आप में एक मिसाल है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोग भी नहीं जानते, निश्चित रूप से इसको विकसित करना चाहिए। जो पैसा भारत सरकार ने दिया है उसके बारे में भी पहल करनी चाहिए। राजस्थान सरकार को भी इसके अन्दर पहल करने की आवश्यकता है ताकि इस स्थान को विकसित किया जा सके।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार, कलक्टर और सदन के नेता का ध्यान जो इन्होंने आकर्षित कराया, मैं इस बात के लिए इनकी सराहना करता हूं। लेकिन वास्तविकता क्या है? मेरे प्रश्न का जबाव हकीकत में यही है कि बिना भूमि अवाप्त किये एस्टीमेट

(श्री अभिषेक मटोरिया)

बनाकर भेज दिये गये। नम्बर दो, सी पी डब्ल्यू डी ने कभी भी पर्यटन विभाग को लिखा ही नहीं। छह साल में पर्यटन विभाग और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने जमीन मांगी ही नहीं कि हमें भूमि की आवश्यकता है।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, कालीबंगा की जमीन मेरे क्षेत्र में है, मैं बता रहा हूं कि जमीन दे दी जाएगी। कोई मांगेगा और बताएगा तो जमीन मिल जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैंने तीसरा प्रश्न पूछा था उसमें उत्तर यही है, चारों निर्माण कार्य में पीलीबंगा से माननीय विधायक हमारे बुजुर्ग विधायक हैं, हमारे सीनियर हैं, मेरे पड़ोसी विधायक हैं, इन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि भूमि दे दी जाएगी, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। परन्तु जो अन्य तीन स्थान हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर भी भूमि की कमी है या नहीं है? क्योंकि वहां के भी पैसे लैप्स हो चुके। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, मंत्रीजी, इस एक बात को आप दिखवा लें, आपने उत्तर में लिखा है कि ये पैसे लैप्स नहीं हुए, यह राशि केन्द्र सरकार को वापस नहीं गयी। उसके विपरीत आपके विभाग के एच.एम. आर्य, सहायक निदेशक, राजस्थान पर्यटन विभाग, बीकानेर ने यह स्टेटमेंट दिया है 16.10.09 को, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने मंजूर हुई राशि वापस भिजवाने की जानकारी मिली है और इसके लिए पूर्ण राशि मंगाने की कवायद शुरू की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सच्चाई क्या है, कृपया मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें? आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष: एक आखिरी प्रश्न राधेश्यामजी भी पूछ लें, उसके बाद आप जवाब दे देना।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है लेकिन इसमें गंगानगर का जिक्र आपने नहीं किया। कालीबंगा का पिछले दस-पन्द्रह वर्ष से यह विधान सभा में मामला उठा, पैसा भी भारत सरकार से आया और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इसको जानते हैं कि बीना काकजी ने इसी सदन में घोषणा की थी और पिछली बार भी यह बात आयी थी। गंगानगर के अन्दर पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाउस है, वहां आज चार बीघा

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

जमीन पड़ी है, किसी काम नहीं आती। आपस में इन दोनों विभाग के अन्दर आदान-प्रदान होकर यह तय हो गया था कि यह जगह अलाट कर दी जाएगी और इस जगह पर उसको विकसित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। अगर वो जगह नहीं हो तो वाटर वर्क्स, गंगानगर का शिलान्यास किया था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं? प्रश्न क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): प्रश्न है न जी, पैसा आता है और चला जाता है, जमीन पड़ी है, आप कह रहे हैं जमीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजो। हां, जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं आपका, आपका जवाब तो सुनिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जमीन है, बातचीत हो गयी और यह 15 साल से पैसा वापस जा रहा है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया, भारत सरकार ने पूरा इंटीग्रेटेड डवलपमेंट आफ ट्यूरिज्म सर्किट फ्राम आडी ढाबरी हरियाणा टू ढोला-वीरा गुजरात, उसके तहत एक सर्किट डवलप किया था। उसमें कुल 7 करोड़ 96 लाख रुपये इन्होंने स्वीकृत किये थे, उसमें राजस्थान के अन्दर हनुमानगढ़ में और गंगानगर दोनों जगह वो काम करवाना था। मगर वास्तव में जो पैसा आया या भारत सरकार ने सैंक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बीकानेर को जो पैसा दिया वो केवल 26 लाख रुपये ही दिये थे। जितनी राशि उन्होंने दी थी पहली किश्त में ...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 60 लाख रुपये की घोषणा इसी हाउस में, प्रोसिडिंग उठा कर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य, जवाब आ जाने दीजिए। आप सुन लीजिए। जवाब सुनें पूरा।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जहां तक जमीन उपलब्ध कराने की बात है, वो जमीन तो इनको उपलब्ध करा दी गयी है। जिला कलक्टर ने 25 बीघा जमीन उसमें उपलब्ध करा दी है, मगर जमीन उपलब्ध कराने के बाद में निर्माण तो जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और ए.एस.आई. है उसके माध्यम से ही करना है। इसलिए जब

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

आपका प्रश्न आया, तत्काल सैक्रेटरी, टूरिज्म ने उनको लिखा है कि इस पैसे को यूटिलाइज करें। आपकी भावना से पूरे सदन को मैं अवगत करा चुका हूं कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पैसे को यूटिलाइज करने की जरूरत है। और नवम्बर, 2003 के अन्दर यह निकल गया, पांच साल बीच में निकल गये, अब वापस सरकार आयी है, सरकार कांग्रेस की आयी बी.जे.पी. की रहे, वो महत्वपूर्ण नहीं है, यह एक साइट हिन्दुस्तान में केवल राजस्थान में है, उसको विकसित करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बेहतर होता कि यह प्रश्न इस सदन में उठने के बजाय पार्लियामेंट में उठता क्योंकि उससे सम्बन्धित है कि पैसा वहां से आया।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पैसा आपने दे दिया और जगह आपके पास है, इतने बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया, कम से कम यह बताएं कि कब कार्य शुरू करेंगे? (व्यवधान) इतनी बात भी बता दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है, मंत्रीजी जवाब दें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अब बोलो, जवाब ही नहीं आया, फिर प्रश्न का फायदा क्या हुआ, जी? जो प्रश्न लगा ...(व्यवधान) अधूरा रह गया।

श्री अध्यक्ष: विराजें, कृपया विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जब जगह है, जमीन आपके पास मौजूद है ..

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें, माननीय सदस्य। कृपया आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): फिर वो पैसा ढाई करोड़ रुपया वापस क्यों जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): xxx

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, पहले प्रश्न तो पुकारने दो।

श्री अध्यक्ष: आपने पुकार लिया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रश्न संख्या 265, अब उत्तर दो आप।

एस.एम.एस. स्टेडियम, जयपुर के परिसर में नियम विरुद्ध आवंटित सरस पार्लर

265. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): एवं **श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली'** (हनुमानगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एस.एम.एस. स्टेडियम, जयपुर में जनपथ की ओर एक हिस्से को सरस पार्लर संचालन के लिए एक निजी व्यक्ति को आबंटित किया गया है? यदि हां, तो आबंटन किस नियम के अन्तर्गत किस व्यक्ति या संस्था को किस स्तर पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नियम विरुद्ध आबंटन को निरस्त करने के निर्देश मंत्री स्तर पर किये गये ? यदि हां, तो निर्देशों की पालना नहीं किये जाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.एम.एस. स्टेडियम के खेल गतिविधियों से इतर किसी भी उपयोग पर वर्ष 2001 से रोक लगा रखी है? यदि हां, तो न्यायालय के आदेश की पालना में क्या कार्यवाही की गई?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): (1) जी नहीं। सरकार द्वारा एस.एम.एस. स्टेडियम में जनपथ की ओर एक हिस्से को सरस पार्लर संचालन के लिए किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आबंटन नहीं किया गया है।

(2) पालना हो चुकी है।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(3) एस.एम.एस. स्टेडियम के खेल गतिविधियों एवं उससे सहबद्ध क्रियाकलापों (Sports purposes and activities) के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2001 में पारित आदेशों की पालना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। आपने दोनों खण्डों में एक-दूसरे के विपरीत उत्तर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ इतना ही जानना चाहा था कि सरकार द्वारा एस.एम.एस. स्टेडियम में जनपथ की ओर एक हिस्से को सरस पार्लर संचालन के लिए एक निजी व्यक्ति को आबंटित किया गया है? कह रहे हैं, जी नहीं।

और दूसरा मैंने इसी पर प्रश्न पूछा- क्या यह सही है कि नियम विरुद्ध आबंटन को निरस्त करने के निर्देश मंत्री स्तर पर किये गये?

श्री अध्यक्ष: आप इधर मुंह करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो कह रहे हैं- पालना हो गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल के खण्ड एक में कहते हैं, जी नहीं, आबंटित ही नहीं किया। और दूसरे में जब मैंने कहा कि नियम विरुद्ध आबंटन को निरस्त कर दिया, तो कहते हैं-पालना हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि 7 अक्टूबर को बिना सार्वजनिक रूप से आवेदन मांगे श्रीमती अजंता देवी को एस.एम.एस. स्टेडियम में सरस पार्लर आबंटित किया गया? क्या यह भी सही है कि इस सरस पार्लर के आबंटन की जानकारी जब आपको मिली, आपने प्रमुख शासन सचिव, खेल, जो राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनको पत्र लिख कर यह कहा कि यह आबंटन निरस्त करें। क्योंकि आपने अपने खुद खण्ड तीन में कह दिया है कि 2001 में उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार आप इसमें खेल गतिविधियों के अलावा दूसरी गतिविधियां नहीं कर सकते। तो क्या यह सही है कि आपके पत्र को आप ही के प्रमुख शासन सचिव ने कूड़े के ढेर में डाल दिया? और क्या यह भी सही है कि उसके पश्चात् जिनको यह पार्लर आबंटित हुआ था, श्रीमती अजंता देवी, यह सिविल कोर्ट में चली गयीं और सिविल कोर्ट से इन्होंने स्टे ले लिया?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मानीनीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय या तो तैयार होकर आएं, यह खुद दिग्भ्रमित हैं। पहले खण्ड में कहते हैं, जी नहीं और दूसरे में कहते हैं कि अवैध आबंटन को निरस्त कर दिया, पालना हो चुकी है।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पूरी तरह से तैयारी करके आये हैं। ऐसा नहीं है। जिस तरह से माननीय सदस्य ने अपनी बात को यहां पर बताने का किया कि सरकार ने एस.एम.एस. स्टेडियम जयपुर के एक हिस्से को सरस पार्लर संचालन के लिए निजी व्यक्ति को देने का काम किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नहीं किया है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा सरस पार्लर का आबंटन किया गया। आबंटन नहीं किया वरन् एन.ओ.सी. जारी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एन.ओ.सी. जारी करने के तदुपरान्त बात यह आयी कि किस तरह से कमीबेशी यहां पर किसी परिवेश में हुई। मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मालूम हुआ कि कुछ कमीबेशी किसी स्थिति में हुई, जब पहले सूचना हमें मिली न्यूज पेपर के माध्यम से 06.11.2009 को, तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह निर्देशित किया कि यह क्या कमीबेशी का मामला है। निर्देश की पालना में हमने तत्काल उस स्थिति को देखने का काम किया, एन.ओ.सी. को देखने का काम किया और देखने के तदुपरान्त उसमें हमने कार्यवाही की। कार्यवाही करते ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वहां की स्थिति यह है कि आज उस जमीन को स्टेडियम के कब्जे में ले लिया गया है। 24.02.2010 को हमने स्टेडियम के कब्जे में लिया है। अभी की स्थिति भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेडियम परिसर में जिस स्थान पर सरस पार्लर के संचालन हेतु एन.ओ.सी. जारी की गयी थी, वर्तमान में वह स्थान परिसर के कब्जे में है एवं कोई व्यक्ति या संस्थान के काबिज नहीं है यह, माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने एन.ओ.सी. जारी करने की बात की, क्या एन.ओ.सी. राजस्थान उच्च न्यायालय के 2001 के आदेश के बावजूद भी जारी की जा सकती है? क्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एन.ओ.सी. जारी करने से पहले पत्रावली आपके स्तर पर नहीं आयी? यह सही नहीं है कि इस सारी अनियमितता के लिये जो व्यक्ति दोषी है, उसके विरुद्ध आप कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यह बताइये?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की स्थिति की जानकारी आई, बता दिया गया है कि एन.ओ.सी. जारी करने की परिस्थिति में नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अनियमितता तो की है न?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): डीड का मामला हुआ था और डीड आफ द गिफ्ट, 17 अप्रैल, 1960 को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार की, उसको देखा और उसके बाद में हमने एक प्रक्रिया कर ली और प्रक्रिया करके हमने कब्जे में लेने का काम कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने प्रक्रिया कर ली होगी, यह पाइण्टेड सवाल है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, जवाब तो सुनिये, जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मेरा पाइण्टेड सवाल है, एन.ओ.सी. जारी करने में गड़बड़ी, अनियमितता हुई या नहीं, सिर्फ इतनी-सी बात है? कहां गिफ्ट की बात है, कहां और चीज की बात है?

श्री अध्यक्ष: बस, इतना-सा ही पूछना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इतनी-सी ही बात है।

श्री अध्यक्ष: इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, नहीं पूछूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: इतना-सा ही बता दीजिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैं इतना ही बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब इस कमीबेशी का, जब डेयरी बूथ के लिये संचालन का मामला यहां पर आया, वह पार्लर की स्थिति में आ गया तभी हमने स्टैप लेने का काम कर दिया था। ज्योंही मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया, उसके उपरान्त हमने तत्काल कार्यवाही की। पजेशन हमने ले लिया। और एक, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि विभागीय स्तर पर भी जांच चल रही है, इस स्थिति में और

(श्री मांगीलाल गरासिया)

जांच की स्थिति को देखकर जो भी कार्यवाही करनी है, निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: हां, एक सैकिण्ड।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है, मेरा जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: दे तो दिया मंत्रीजी ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा पाइण्टेड सवाल था, एन.ओ.सी. देने वाले अधिकारी की गलती है या नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कहा न कि यह देखकर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, यह जवाब कहां आया?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जांच के सम्बन्ध में ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर जांच चल रही है, मंत्री महोदय ने कहा है, अगर यह जांच चल रही है तो पहली बात तो यह मामला डी.बी. स्टार में आया, एक अख़बार, "भास्कर" में, उसके बाद सरकार चेती। आप जाकर खुद देख लें, बिलकुल बगल में ही एक पूरा सरस पार्लर बना, भवन बना है, माननीय अध्यक्ष महोदय। इस तरह से जवाब सदन में देकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार का मामला है, और इस भ्रष्टाचार की अगर जांच हो रही है तो प्रमुख शासन सचिव जिनके निर्देश पर यह कार्यवाही हुई, माननीय मंत्री महोदय को अंधेरे में रखकर, उनको अब भी उसी पद पर रखा हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है उसमें अधिकारियों को बचाने के लिये आप क्या काम कर रहे हैं? किस तरह के अधिकारियों से जांच करवा रहे हो? अगर आप विभागीय अधिकारियों से जांच करा रहे हो तो प्रमुख शासन सचिव को हटाया तब जांच करा रहे हो या उसके रहते हुए जांच करा रहे हो, यह बताइये आप?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी तक बिलकुल गोलमोल अपना जवाब दिया है। कमीबेशी देखी, हमने उसको एन.ओ.सी को यह कर दिया, वह कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिन पाइण्टेड सवाल है, इन्होंने एन.ओ.सी. जारी की, एन.ओ.सी. जारी करने में अनियमितता जिस अधिकारी ने की, क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी? यह मंत्री महोदय सीधे-सीधे क्यों नहीं बात करते? यह बिलकुल अलाटमेंट हो चुका था, अध्यक्ष महोदय, पार्लर वहां शुरू होने वाला था। यह मेरी समझ में नहीं आया, मंत्री महोदय की नालेज में यह बात थी या नहीं थी? ऐसे अंधेरे में रखकर मंत्री महोदय को, इतना बड़ा काम हो जाता है तो मैं समझता हूं...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। मंत्री महोदय, प्रकरण में सक्षम अधिकारी से जांच करवा कर आप एक महीने में कार्यवाही करें।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): ठीक है, सर।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): प्रमुख शासन सचिव, अजित गोयल...। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न थोड़ा-सा हटकर है।

श्री अध्यक्ष: जब सक्षम अधिकारी कहा है, जांच कराकर एक महीने में कार्यवाही कर देंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, जांच तो हो रखी है। कण्डक्ट बिजनस रुल्स में, अध्यक्ष महोदय, किया नहीं जा सकता यह।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मंत्री महोदय को अगर बिजनस रूल्स का ध्यान नहीं है, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते।

सोजत विधान सभा के सरदार समंद बांध के पेटाकाश्त काश्तकारों को खातेदारी

266. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती संजना आगरी)

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत के सरदार समंद बांध में खातेदारी और गैर खातेदारी काश्तकार कितने हैं एवं इनके नाम कितने वर्षों से खातेदारी दर्ज है? राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत गत 10 वर्षों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पेटा काश्त की खातेदारी भूमि को नियमित करने के नियम क्या हैं? राजस्थान भू-राजस्व अनिधियम की धारा 91 के तहत कितने वर्ष कृषक काश्त करता है तो खातेदारी उसके नाम से होती है? क्या सरकार गत 25-30 वर्षों से धारा 91 के तहत जुर्माना जमा कराते आ रहे उन किसानों को खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र सोजत के सरदार समंद बांध में ग्राम सरदार समंद के 25 खातेदार व 6 गैर खातेदार मिसल बंदोबस्त संवत 2033 से दर्ज हैं। गैर खातेदार 22.07.89 से दर्ज हैं। गत 10 वर्षों में कोई खातेदारी/गैर खातेदारी ग्राम सरदार समंद में नहीं दी गई है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (तालाब, तल भूमियों का कृषि हेतु आबंटन) नियम, 1961 में पेटा काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। नियम 9(2) के अनुसार भूमि गैर खातेदारी आधार पर अस्थाई तौर पर आबंटित की जाती है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपने इसका आंसर ही गलत दिया है कि सरदार समंद के 25 खातेदार और 6 गैर खातेदार। क्या आपने सही इसकी उचित कार्यवाही करवाई है या अपनी मर्जी से ही आपने जवाब लिखा है? आज के अन्दर वहां पर 25-30 जो गैर खातेदार हैं, जो पिछले 10-15 वर्षों से वहां पर स्थाई तौर से बैठे हैं, क्या उनको अपना हक नहीं मिलना चाहिए? काश्तकारों के साथ यह शोषण हो रहा है। अगर काश्तकारों को अपना हक नहीं मिलेगा तो वे कहां जाएंगे? दूसरे के अन्दर आपने बताया है कि भू-राजस्व (तालाब, तल भूमियों का कृषि हेतु आबंटन) नियम, 1961 में पेटा काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। तो क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान बनाना चाहती है या आपने ऐसा कोई नियम बनाया है जिसमें गैर खातेदार काश्तकारों को अपना हक मिले, उनको मालिकाना हक मिलकर उनको अपना उचित लाभ मिले?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसमें खातेदारों का सवाल है, उनके लिये तो कुछ कहना नहीं है, वे खातेदार हैं। परन्तु जो गैर खातेदार हैं उनको जो इस भू-राजस्व (तालाब, तल भूमियों का कृषि हेतु आबंटन) के नियम 9(2) के अनुसार अस्थाई आबंटन किया गया है, यह अस्थाई आबंटन की अवधि बढ़ा दी जाती है। इनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते क्योंकि अब्दुल रहमान के केस में राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिये हैं कि पेटा काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। इसलिये हाई-कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सरकार इनको खातेदारी अधिकार नहीं दे पा रही है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय मंत्रीजी, इस बारे में कोर्ट के अन्दर आपने अपील की है क्या, जिससे इन गैर खातेदारों को अपना उचित लाभ मिले? 40 जो खातेदार हैं, पेटा काश्तकार, उन काश्तकारों को तो अपना हक दे दिया गया है। क्या ये काश्तकार उन लोगों की श्रेणी में नहीं आते जो वहां पर 20-25 सालों से बैठे हैं? इनको इनका अधिकार कब मिलेगा? क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि इन काश्तकारों को भी अपना लाभ मिले।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया कि हाई-कोर्ट के निर्णय, अब्दुल रहमान के निर्णय के कारण राज्य सरकार उनको खातेदारी अधिकार नहीं दे सकती है। इसलिये हमारी यह मजबूरी है, मैंने स्पष्ट कर दिया। यहां तक कि अब्दुल रहमान के केस में हाई-कोर्ट ने यह निर्णय दिया, निर्देश किया कि 1947 की स्थिति थी, वापस उसी स्थिति में लाया जाए। लेकिन फिर भी ये गैर खातेदार हैं, गैर खातेदारी की हैसियत से वहां अभी तक काश्त कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनकी अवधि बढ़ाकर इनको कम से कम वहां कृषि से वंचित नहीं किया जाए। यह हमारा प्रयास है। खुद हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की कठिनाई काश्तकारों को नहीं हो क्योंकि वे बरसों से बैठे हैं, काश्त कर रहे हैं। पर हाई-कोर्ट के निर्णय के सामने हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाई-कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह तो यही पूछ रहे हैं कि हाई-कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप अपील करेंगे क्या? यह सवाल पूछ रहे हैं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अपील के लिये ही पूछ रहे हैं, मंत्री महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह बहुत पुराना मामला है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): मंत्री महोदय, इसके लिये सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील की है क्या? पुराने मामले जो आप बता रहे हैं, उनकी आज दिन तक अपील नहीं हुई, अब इसको आप कब तक पूरा कर लेंगे?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं, हाई-कोर्ट के निर्णय के जवाब में गवर्नमेंट ने लिखकर दे दिया कि हम हाई-कोर्ट के निर्णय की पालना कर देंगे, इसलिये सरकार इसमें अपील में नहीं गई है। और अब अपील में जा नहीं सकती है। जब कोर्ट में यह लिखकर दे दिया कि हम निर्णय की पालना करेंगे।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): तो क्या अब आप विचार रखते हैं अपील करवाने का? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मंत्री महोदय जो यह निर्णय की बात कह रहे हैं, ऐसे क्या राजस्थान में सभी मामलों पर लागू है, एक बात? (व्यवधान) दूसरी बात, जिनको अब्दुल रहमान के फैसले से पहले खातेदारी दे दी गई, क्या सरकार की मंशा उनको वापस निरस्त करने की है?

श्री अध्यक्ष: क्या आप कुछ पूछ रहे हैं?

(समय : 12.00 बजे)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय मंत्री महोदय जी, आप मुझे यह बताएं कि इसके बारे में आप अपील कब तक कर लेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? माननीय मंत्री महोदय जी, हमें आप टाइम से तो अवगत करा दें।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। कृपया विराजें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय मंत्री महोदय जी को जवाब तो देने दीजिए, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, कृपया विराजें।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

गिरिजा प्रसाद कोइराला, श्री, पूर्व प्रधान मंत्री, नेपाल के निधन पर

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का जन्म 20 फरवरी, 1925 को बिहार के सहरसा में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज से शिक्षा प्राप्त की।

श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का राजनीतिक सफर छह दशक से भी लम्बा रहा। आप वर्ष 1991 में लोकतांत्रिक रूप से चुने गये नेपाल के पहले प्रधान मंत्री बने। इसके पश्चात आप वर्ष 1998, 2000 और 2006 में भी नेपाल के प्रधान मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान आपने नेपाल में शिक्षा, पत्रकारिता तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए उदारवादी नीतियां लागू कीं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से श्री कोइराला ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये। 28 मई, 2008 को नेपाली संविधान सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा नेपाल में राजशाही का अंत कर गणतंत्र लागू किया गया। नेपाल में अंतरिम संविधान लागू होने के पश्चात् आप जनवरी, 2007 से मई, 2008 तक नेपाल की अंतरिम सरकार में भी प्रधान मंत्री रहे। आपने 23 जुलाई, 2008 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपने नेपाल में शांति स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारतीय मूल के नेपाली प्रधान मंत्री ने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। मजदूरों के हितों के लिए संघर्षरत रहे श्री कोइराला ने वर्ष 1948 में नेपाल मजदूर कांग्रेस की स्थापना कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आप वर्ष 1952 में मोरांग जिले की नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राजनीतिक सुधारों के लिए निरन्तर प्रयासरत रहे श्री कोइराला को वर्ष 1967 में नेपाल से निर्वासित कर दिया गया तथा वर्ष 1979 में पुनः नेपाल आगमन के पश्चात् आपने देश में बहुदलीय प्रणाली की स्थापना के लिए आन्दोलन किया।

श्री कोइराला ऐसे जन नेता और राजनेता रहे जिन्होंने अपने ज्ञान और कौशल से नेपाल की राजनीति को नई दिशा दी। आपके अनुभवों पर आधारित पुस्तक 'सिम्पल कन्विक्शन-माई स्ट्रगल फार पीस एण्ड डैमोक्रेसी' प्रकाशित हुई है।

श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का दिनांक 20 मार्च, 2010 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री कोइराला को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना

(श्री अध्यक्ष)

करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक सन्तप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, पहले व्यवस्था देने दीजिए। कृपया बैठें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्रीमती अनिता भदेल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर में पर्वतीय समाज की महिला के साथ बलात्कार कर हत्या कर दिये जाने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री बाबूसिंह राठौड़ एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के अतिथि/अंशकालीन शिक्षकों को चड्ढा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार मानदेय नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम में विभिन्न समितियों का गठन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री बाबूलाल खराड़ी एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर में ठेका प्रथा के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को कम मजदूरी देने से उत्पन्न स्थिति एवं इनको नियमित नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

5. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में सीकर, भरतपुर एवं अलवर में पृथक्-पृथक् विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर अध्यादेश जारी करने के उपरान्त भी उनकी स्थापना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से जवाई बांध से पाली तक पाइप लाइन बिछ जाने के कारण जवाई नहर बन्द हो जाने और गंदे नाले में तब्दील हो जाने से उसमें प्रति दिन व्यक्तियों के गिरने एवं मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से जिला पाली में अकाल की मार झेल रहे ऋणधारी किसानों से कृषि ऋण की बकाया की वसूली में सम्पत्ति कुर्की व नीलामी की कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा जारी एम एड डिग्री को अमान्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से राजस्थान पथ परिवहन निगम में मृतक राज्य कर्मचारियों की महिला आश्रितों को प्रशिक्षण या टंकण परीक्षा में छूट होने से उनके रुके हुए स्थाईकरण व वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

10. श्री हरिसिंह रावत एवं 21 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में प्राइवेट बसों पर टैक्स 25000 रुपये से बढ़ाकर 35000 कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती रोहिणी कुमारी एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से करौली जिला अस्पताल में खसरे के अवधिपार टीके लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से बाहर पैरीफेरी एरिया में आकर बाघ द्वारा ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर देने से उसकी हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

13. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से पिछले कई दिनों से प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किए जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिसिंह रावत, श्रीमती रोहिणी कुमारी, श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर एवं श्री कालीचरण सराफ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री नवल किशोर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम जस्टाना में निर्मित टंकी को भरने के लिए जल स्रोत की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

2. श्री रामलाल मेघवाल, सदस्य की ओर से जालौर में बढ़ते यातायात की समस्या का समाधान करने हेतु बाइपास एवं रेल्वे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

3. श्री अशोक पींचा, सदस्य की ओर से अनुदानित आयुर्वेदिक कालेजों के कार्मिकों को राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

4. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम जीणी, धिधवा अगुवा, हरिपुरा, भगीना व धरड़ के जोहड़ों में किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में।

5. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर के कपड़ा उद्योग के कई प्रोसेस हाउस प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री छोटू सिंह भाटी, सदस्य की ओर से राजकीय एम एल सांवल महिला महाविद्यालय, जैसलमेर में विज्ञान संकाय स्ववित्त पोषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से पशु आधारित ग्रामीण कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित मावा पर वैट लगा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में किसानों को दिये जा रहे कृषि कनेक्शनों में घोर अनियमितता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से तहसील तिजारा के औद्योगिक क्षेत्र खुसकेड़ा स्थित पेरामाउण्ट केबल्स इण्डस्ट्री में 25 जनवरी, 2010 से चल रही श्रमिक हड़ताल के सम्बन्ध में।

10. डा. दिगम्बर सिंह, सदस्य की ओर से डीग महल एवं वहां के सौन्दर्यकरण के लिए बजट का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में चारा डिपो खोलने के सम्बन्ध में।

12. श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर के गत वर्ष के अकाल पीड़ित कृषकों को दी गई मुआवजा राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हरिसिंह रावत।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। श्रीगंगानगर में दिनांक 23.3.2010 को ...

श्री अध्यक्ष: आपको इजाजत दी है क्या मैंने? यों ही चालू हो गये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पाइंट आफ इन्फार्मेशन है, जी, जरूरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष: पहले तो आप पाइंट आफ आर्डर बोल गये।

सूचना

श्रीगंगानगर में बच्चों की हत्या की घटनाएं

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जरूरी सूचना है। श्रीगंगानगर में दिनांक 23.3.2010 को धर्मवीर की चाकू गोद कर अज्ञात चार-पांच युवकों द्वारा हत्या बी एस एफ और आजाद सिनेमा के बीच रास्ते में की गई है। इसी तरह चार-पांच दिन पहले चार पांच आदमियों ने सुखाड़िया सर्किल पर बच्चे को

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

रोक कर उसको गोद कर मार दिया और आज वह हास्पिटल में जिन्दगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। यह इन्फार्मेशन है, मंत्री जी इस पर ....

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आल इण्डिया परमिट की प्राइवेट बसों पर टैक्स में वृद्धि

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 50-स्थगन के माध्यम से मैं राज्य में आल इंडिया परमिट की बसें चल रही हैं उनका टैक्स 25 हजार से 35 हजार जो राज्य सरकार ने किया है, उसके बारे में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज के इस आधुनिक युग में यातायात हमारे लिये एक सुगम साधन है। उस साधन को चलाने के लिये सरकार ने आल इंडिया परमिट जारी किये और उन परमिट के अन्तर्गत पूरे राजस्थान से, राजस्थान के आस-पास सभी राज्यों में बसें जयपुर एवं अन्य जिलों से संचालित होती हैं। इस बजट में हमारी सरकार ने 25 हजार से 35 हजार जो टैक्स किया है, वह न्यायसंगत नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस टैक्स को कम किया जाए। अन्य राज्यों को देखा जाए तो ऐसे कई स्टेट हैं जहां टैक्स कम कर दिया गया है, लेकिन हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहां पर 40 परसेंट टैक्स बढ़ा दिया जो कि न्यायोचित नहीं है। आज जो ये बसें चल संचालित हो रही हैं, उन बसों में कोई धन्ना सेठ नहीं जाता। उन बसों में निम्न क्लास के लोग जाते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो नौकरियां करते हैं। चाहे दिल्ली ले लो, चाहे गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, सभी बसें रात को संचालित होती हैं और उन बसों में भेड़ों की तरह लोग भर कर जाते हैं। राजस्थान में इतनी बसें नहीं हैं कि इतनी सवारियों को वहन कर सकें, इसलिये मेरा निवेदन है कि उन बसों का टैक्स 35 हजार की जगह 25 हजार का फिफ्टी परसेंट 12 हजार कर दें तो मैं सोचता हूं कि शायद वे वहन कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तालिका बताऊं कि पड़ोसी राज्यों की क्या स्थिति है। राजस्थान में 25 हजार से 35 हजार करके टैक्स बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में 12 हजार से कम कर 4400 कर दिया। दिल्ली में यह टैक्स नहीं है। हरियाणा में 37 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट कम करके 19 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट कर दिया। उत्तरांचल में 17,500 रुपये प्रति तीन माह,

(श्री हरिसिंह रावत)

गुजरात में 500 रुपये प्रति सीट प्रति माह। तो, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऐसा क्यों ? मेरा निवेदन है कि इस टैक्स को कम किया जाए ताकि गरीब तबके के जो लोग सफर करते हैं, उनको रियायत हो।

अध्यक्ष महोदय, यह जो टैक्स राइडर लगा हुआ है इस हैड पर कम करेंगे तो मैं सोचता हूं, इसमें काफी सहूलियत हो जाएगा। इन्होंने जो नीति बनायी है टैक्स राइडर को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रति माह करने की नीति पक्षपात नीति नजर आती है, क्योंकि 95 परसेंट वाहन तो आल इंडिया परमिट से कवर्ड हैं। उनके चेसिस की कीमत लगभग 10 लाख रुपये प्रति चेसिस है उसके कारण से 42 परसेंट की दर से टैक्स प्रति वर्ष 4 लाख 20 हजार रुपये हो जाता है जिसकी गणना करने पर टैक्स प्रति माह 35 हजार रुपये बनता है। इन बसों को राइडर का लाभ नहीं मिला है। जबकि पूंजीपतियों द्वारा काम ली जा रही जो विदेशी कम्पनीज की बनी गाड़ियां हैं जैसे वोल्वो और दूसरी गाड़ियां, इन गाड़ियों की कीमत प्रति गाड़ी कम से कम 80 लाख है। 80 लाख कीमत वालों को तो यह 35 हजार का टैक्स चल जाएगा, लेकिन 10 लाख वाली जो गाड़ियां चलती हैं, वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनका टैक्स लगभग 20 लाख होता है जिसकी गणना करने पर प्रति माह टैक्स की दर 1.77 लाख रुपये होती है। वास्तव में राइडर का लाभ केवल उन वाहन स्वामियों को ही हुआ है जो ऊपर के स्तर तक सैटिंग कर टैक्स बढ़ोतरी से बच गये हैं। उन्हें ही प्रति माह 35 हजार रुपये टैक्स देना पड़ेगा। वास्तव में टैक्स में लगे राइडर का लाभ तो उन पूंजीपतियों को होगा जिनकी 80 लाख, 1 करोड़ की बसें हैं-मर्सडीज टाइप की जो बसें चली हैं, वोल्वो चली हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कम से कम ढाई हजार बसें संचालित होती हैं, वे कल के दिन बन्द हो जाएं तो कम से कम 1 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा। गरीब तबके के लोग जो इधर-उधर जाते हैं अपने पेट-पालन के लिये, उनको भी आने-जाने में दुविधा हो जाएगी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको तत्काल कम किया जाए।

बाडी वाहन के ऊपर भी वैट जो पहले 4 परसेंट था, 14 परसेंट कर दिया, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिये मेरा निवेदन है मुख्य मंत्री जी से कि इसका टैक्स वापस 25 हजार से कम करके 12 हजार तक कर दें तो शायद वे सर्वाइव कर पाएंगे और सभी को इसका फायदा मिलेगा। इसी के साथ जय भारत। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती रोहिणी कुमारी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि..

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। महत्वपूर्ण है..(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्रीमती रोहिणी कुमारी।

करौली जिला अस्पताल में अवधि-पार खसरा टीके

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली जिला अस्पताल में बच्चों को लगाये गये अवधि-पार खसरा के टीकों के बारे में बताना चाहती हूं। डाक्टर्स की लापरवाही से अवधि-पार टीके बच्चों को लगाये जा रहे हैं और इसमें पी एम एच ओ, सी एम एच ओ और गॉयनिक सभी इनवाल्व हैं। एक जागरूक नवयुवक के बच्चे को जब टीका लगने वाला था तो उसने इंजेक्शन देखा उस पर अवधि-पार की डेट डली हुई थी। करौली शहर में 200 बच्चों को ये टीके लगाये जा चुके हैं। 200 बच्चों को ये टीके लगाये जा चुके हैं, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। सभी लोग इसको रफा दफा करना चाह रहे हैं। यह मासूम बच्चों की जान का सवाल है। इसके आफ्टर इफैक्टस भी क्या होंगे, वह हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। और कलक्टर साहब वहां आये, खुद मौजूद थे, उन्होंने भी अवधि-पार इंजेक्शन को जब्त कर लिया है। उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो मैं पूछना चाहूंगी, इसमें मंत्रीजी क्या कर रहे हैं और कहां तक जनता ऐसा अन्याय झेलेगी ? मासूम बच्चों का सवाल है यह।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं भी इसके साथ ही बात कर रहा हूं I was a signatory to this. इसमें मैंने भी हस्ताक्षर दिये हैं। मैं भी साथ में था..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो तो भी साथ अलाउ..(व्यवधान) तो नहीं किया जाता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मुझे अलाउ नहीं कर.. (व्यवधान) रेलेवेंट बात है...

श्री भरोसीलाल (राज्य मंत्री, सम्पदा एवं मोटर गैराज): अध्यक्ष महोदय, एक्सपायरी डेट के टीके लग रहे हैं, मंत्रीजी सुन नहीं रहे हैं। इसको मंत्रीजी सुन नहीं रहे हैं, करौली में एक्सपायरी डेट के टीके लग रहे हैं। सी एम एच ओ और उनके कारण बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है कलक्टर की मौजूदगी में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी बात क्या होगी, राज्य के एक केबिनेट मंत्री इस सदन के अन्दर अपने दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वह उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और एक्सपायरी टीके लग रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, भरोसी लालजी, आपको।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक रेसपांसिबिलिटी की बात है।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनके कहने के बाद बचा क्या है ? कोई चीज बची है? आज राज्य के केबिनेट मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगाए सदन में कि वह उनकी सुनते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब..

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, यह साधारण बात नहीं है। मंत्रीजी से इतना ही जानना चाहता हूं... सुन तो लो..

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूं कि 20.3.2010 को जो न्यूज थी दैनिक भास्कर की, कलक्टर और पी एम ओ, करौली के द्वारा एक ए एन एम श्रीमती सुमेरी बाई और एम पी डब्ल्यू श्री मानसिंह को निलम्बित कर दिया गया। उसके बाद जाइंट डायरेक्टर, जोन भरतपुर को 20.3.2010 को जांच के लिये, रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया विराजें अपनी-अपनी सीटों पर।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां मंत्रीजी मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और आप बात कर रहे हो...

श्री अध्यक्ष: कालीचरण जी, आपका नम्बर बाद में है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह इश्यू क्यों हुआ। मंत्री महोदय, इश्यू हुआ इस चीज को तो आप कैच करो।

श्री अध्यक्ष: कालीचरण जी, आपका नम्बर बाद में है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह अवधि-पार दवाई इश्यू ही क्यों हुई ? टीकाकरण नहीं किया..(व्यवधान) जहां से इश्यू हुआ है उस चीज को आप रोकें। आगे यह इश्यू नहीं होगा, इसकी तो कम से कम व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर, अध्यक्ष महोदय, उनकी व्यथा तो दूर कराओ। कितने उदास मन से बैठे हैं मंत्रीजी। आरोप तो लगा दिया।

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं। मंत्रीजी..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या किया है, बताओ, क्या किया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): खड़े होकर बता दो, क्या किया है। बताओ, क्या किया आपने? बता दो। खड़े होकर बोलो।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री भरोसीलाल (राज्य मंत्री, सम्पदा एवं मोटर गैराज): कार्यवाही के लिये कहा है। कार्यवाही के लिये कहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजें आप।

रणथम्भौर नेशनल पार्क में बाघ द्वारा मनुष्य का शिकार

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों एक और बहुत दुःखद घटना हुई। हमारे प्रदेश में रणथम्भौर नेशनल पार्क की पैरीफेरी में सरकार के ऊपर धब्बा लगा। आज के नेशनल पेपर टाइम्स आफ

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

इंडिया के अन्दर आप देखिये, हैड लाइन है, फ्रंट पेज की हैड लाइन "Tiger kills man in tourist hotspot." यह जो हादसा हुआ, यह गांव एदना श्यामपुर और रणथम्भौर नेशनल पार्क की पैरीफैरी में हुआ। कोर एरिया में यह नहीं हुआ। एक हादसे से दूसरा हादसा हो रहा है, लेकिन सरकार अपनी कोई भी सीरियसनैस इस पर नहीं बता रही है। 1991 में सरिस्का के अन्दर बाघ ने आदमी को मारा था। उसके इतने वर्ष बाद, 19 साल बाद यह दूसरी घटना है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने टास्क फोर्स जब बनायी थी राजस्थान में, इसके बाद पहली बार 2 बाघ पैरीफेरी एरिया में आकर मारे गये। बाघों और मानव का यह जो कनफ्लिक्ट है, they both can not co-exist. यह बात सरकार समझ नहीं पा रही है। इश्यू यह है कि यह क्यों हो रहा है। यह कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बाघ जो सैंक्चुरी के बाहर आ रहे हैं, वे अपने सर्वाइवल के लिए आ रहे हैं। वे अपना पेट भरने के लिए आ रहे हैं। गांव वालों के जेवर या कोई चीज चोरी करने नहीं आ रहे हैं। यह समस्या क्यों पैदा हो रही है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया ने जब यह घोषित कर दिया और सरकार को लिख दिया कि 30 और 35 से ज्यादा टाइगर रणथम्भौर के अन्दर नहीं रह सकते हैं, इनकी पापुलेशन 40 हो गयी तो टाइगर्स अब स्ट्रे-आउट होने लग गये हैं। रीलोकेशन प्लान बनाया गया प्रधान मंत्रीजी के द्वारा, टाइगर्स के पास कोरीडोर नहीं बचे हैं एक सैंक्चुरी से दूसरी सैंक्चुरी में जाने के लिए। टाइगर बाउंड्री अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है कि यह पैरीफेरी एरिया है या यह मेन कोरीडोर एरिया है।

अध्यक्ष महोदय, अब एक्सट्रीम होने लग गया है। यह जो हादसा हुआ दो दिन पहले, मालिक के सामने उसके जानवर को खाने लगा। जो आदमी मारा गया, टाइगर ने उसके सामने उसके गधे को खा लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हैं यातायात मंत्रीजी?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मैं कह रहा हूं, वैलकम बैक टू होम, बीना काक जी के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि इसके कारण क्या हैं। इसका कारण यह है कि सरकार का फोकस रोंग है। सरकार गलत रास्ते पर है। सरकार की नान सीरियनेस है और इसमें वेस्टेड इन्ट्रैस्ट है। रीलोकेशन का प्लान जिस पर स्वयं प्रधान मंत्रीजी ने ठप्पा

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

लगाया था, एक साल से कोई रीलोकेशन नहीं हुई। सरकार यह कह रही है कि जो टाइगर स्ट्रे-आउट हो गये हैं, उनको ट्रेंकुलाइज किया जाए। वह एक बहुत असम्भव टास्क है क्योंकि एक बार सैंक्चुरी से बाहर निकल जाता है टाइगर तो दूसरे इलाके में इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको ट्रेंकुलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला तो क्या है कि जो इनका फोकस है वह बिलकुल गलत है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि यह जो ट्रांस लोकेशन का कार्यक्रम है, इसको क्यों रोका गया? जब पन्ना के अन्दर बांधोगढ़ से टाइगर्स ले आये हैं, सरिस्का के अन्दर हम सक्सेसफुली ले आये हैं, तो इसको क्यों रोका गया?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, अभी जो हादसा हुआ था 15 दिन पहले, उसकी एक जांच कमेटी मुख्य मंत्रीजी ने बनायी और कहा कि तीन दिन के अन्दर जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी। 15 दिन हो गये, इसकी रिपोर्ट नहीं आयी है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, आप सदन को बताएं कि जो तीन दिन में रिपोर्ट आनी थी, यह क्यों छुपायी गयी है। यह क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? उसके क्या कारण हैं? कमेटी भी आपने बनायी उसके अन्दर आपके डिवीजनल कमिश्नर, कलक्टर वे तो वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ समझते ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो ट्रांस लोकेशन रोका गया, सरकार द्वारा यह बात भी बात छिपाकर रखी गयी कि केन्द्र सरकार ने चिटठी लिखी कि ट्रांस लोकेशन रोका जाए, पहले टाइगर्स का डीएनए कराया जाए। डीएनए रिपोर्ट लायी जाए। रणथम्भौर में जो टाइगर्स थे 1980 में वही तो 10 से बढ़कर आज 41 हुए हैं, डीएनए क्या रिपोर्ट करेगी? आखिर में, मैं मंत्रीजी से पूछूंगा कि आपकी सीरियसनैस क्या है इसके अन्दर? आपकी जो टास्क फोर्स है, आपने कमेटी की मीटिंग की कि नहीं की? आपने नहीं की है मीटिंग। अध्यक्ष महोदय, यह जाहिर करता है कि आपकी कोई सीरियसनैस नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसके अन्दर एक ट्यूरिज्म लाबी है जो बहुत हावी है। वे नहीं चाहते है कि रणथम्भौर में जो ओवर पापुलेटेड टाइगर्स हैं उनको सरिस्का के अन्दर ट्रांसफर किया जाए क्योंकि इससे साइटिंग कमजोर होगी, नम्बर एक। नम्बर दो, अगर सरिस्का पापुलर हो गया तो रणथम्भौर की दुकान फीकी पड़ जाएगी। इश्यू बेसिकली यह है। तो मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आप इसको सीरियसली लीजिये। आप इस इश्यू को मुख्य मंत्रीजी के साथ जाकर प्रधान मंत्रीजी से बात करिये क्योंकि प्रधान मंत्रीजी के पास यह

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

डिपार्टमेंट था वन डिपार्टमेंट और एनवायरमेंट तो यह मामला सीरियसली चल रहा था। आप कृपया टाइगर्स जहां 400 स्क्वायर किलोमीटर में ओवर पापुलेटेड हैं, बनिस्पत 800 स्कवायर किलोमीटर के जहां पर बिलकुल कम हैं, आप इनका जल्दी मूवमेंट कराएं। आप स्ट्रे हुए टाइगर्स के पीछे अपना टाइम मत गंवाएं। जहां समस्या है वहां होता जाएगा क्योंकि जैसे पेपर के अन्दर था, Holding of re-location proves costly for tigers. Now halting of re-location is proving costly for human beings also. ये मौतें होती रहेंगी और लोगों को टाइगर खाएगा, लोग टाइगर को मारेंगे और ये हादसे होते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हैलीकाप्टर हमने बुक कर दिया है, हैलीकॉप्टर तो कई प्राइवेट कंपनियो के पास है। आप मंत्रीजी उस दिन बोले कि ट्रेंकुलाइज करना मुश्किल है, बहुत असम्भव है। शेरों की 60-60 फोटो तो आप खींच लेते हैं। घंटों तक बैठा रहता है, ट्रेंकुलाइजर गन लगाना कोई मुश्किल नहीं है। जो समस्या है उसके समाधान के लिए या तो आप समझ नहीं रहे हैं या यह जो ट्यूरिज्म लाबी है यह आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मंत्रीजी, आपकी हिम्मत नहीं है इसको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि इनके बड़े-बड़े कांट्रेक्ट दिल्ली के अन्दर हैं। टाइगर को बचाइये इस वन्य जीव को बचाइये। बस यही दु:ख की बात है कि The tiger has no vote. जो भी इसके ऊपर करना है, आप जल्दी करिये। आरोप आपके ऊपर लगते जाएंगे। आपने जो इनक्वायरी की थी, अध्यक्ष महोदय, इनक्वायरी जो हुई है, तीन दिन का समय जो मुख्य मंत्रीजी ने कहा, आप कृपया वह रिपोर्ट बनाकर उसकी जांच कराएं। धन्यवाद।

सूचना

आबू रोड में दूषित जलापूर्ति से बीमारी का प्रकोप

श्री जगसीराम (रेवदर): अध्यक्ष महादय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन, आबू रोड में दूषित जलापूर्ति से 5 दर्जन लोग बीमार हो गये हैं, आसपास के गांवों के लोग भी बीमार हो गये। वहां पर कल और रात में दो बालकों की मृत्यु हो गयी।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): मंत्रीजी, कुछ तो बोलिये इसके ऊपर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): तीन बार यह चर्चा हो चुकी है सदन के अन्दर, कुछ तो बताएं आप क्या कर रहे हैं, How are you trying to save the tigers?

श्री जगसीराम (रेवदर): सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी नहीं कह रहे हैं, विराजिये। श्री कालीचरण सराफ।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): रिपोर्ट मुख्य मंत्रीजी को सौंप दी है, तीन दिन में आ गयी है, मुख्य मंत्रीजी खुद ही करेंगे। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): रिपोर्ट में क्या पाया गया ... (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मुख्य मंत्रीजी को तीन दिन का जो टाइम दिया था, उसकी सभी रिपोर्टें दे दी गयी हैं, खुद मुख्य मंत्री जी ही बताएंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रामलाल जी, इनके चार-पांच शेर घर में ही छुड़वा दो, हरदम शेरों में लगे रहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री जगसीराम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष: आपने सूचना दे दी, समाप्त हुई बात। पाइंट आफ इन्फार्मेशन इतना ही होता है, माननीय सदस्य। आपने सूचना दे दी, सरकार के सामने वह बात चली गयी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा आंदोलन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पिछले कई दिनों से प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से प्रदेश के सारे खिलाड़ी अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो राजस्थान के प्रतिष्ठित 9 खिलाड़ी थे- अर्जुन अवार्डी दीनाराम जो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, बालीबाल के खिलाड़ी रामावतार सिंह जाखड़, कबड्डी के हीराचंद कटारिया, एथलेटिक्स के रामनिवास चौधरी, बास्केटबाल के पंकज मलिक, वालीबाल के सुशील कुमार, एथलेटिक्स के राजवीर सिंह, ओमवीर सिंह और हरिसिंह, इन 9 खिलाड़ियों ने सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही इससे दुःखी

(श्री कालीचरण सराफ)

होकर हमारे प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप पुरस्कार कल राज्य क्रीड़ा परिषद में जाकर वहां के अध्यक्ष को वापस सौंप दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरे से भी खिलाड़ी मिले थे, उनकी जो मांगें हैं, मैं उनके बारे में सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। उनकी पहली मांग है कि राज्य में खेल नीति लागू की जाए। आज देश के अधिकांश प्रदशों में चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यू.पी. हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो और साउथ के सारे स्टेटों में स्पोर्टस पालिसी बनी हुई है। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो एक स्पोर्टस पालिसी बने, इसके लिए अध्ययन किया गया था और लगभग फाइनल स्टेज पर स्पोर्टस पालिसी थी। परन्तु दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और वह पालिसी यूं की यूं धरी रह गई। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से प्रदेश में खेलों को महत्व मिले, खेलों का वातावरण बने, खेलों का विकास हो, इसके लिए एक स्पोर्टस पॉलिसी सरकार को जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005 में प्रदेश में स्पोर्टस एक्ट लागू किया गया था, उस समय तीन स्टेट्स में यह स्पोर्टस एक्ट लागू हुआ था- यू पी में लागू हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। यह बात सही है कि स्पोर्टस एक्ट जो हमारी सरकार थी, वसुन्धराजी की सरकार थी उसने एक एक्ट लागू किया था। यह एक्ट लागू होने के बाद उसकी विसंगतियों को देखते हुए, उसके दुष्परिणामों को देखते हुए आज हिमाचल प्रदेश ने यह एक्ट वापस ले लिया, यू पी की गवर्नमेंट ने इस एक्ट को वापस ले लिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस एक्ट के लागू होने के बाद में इसमें जो सज़ा का प्रावधान है उससे कई खेल प्रेमी खेलों से दूर होते जा रहे हैं कि कौन लफड़े में फंसे, कहीं न कहीं फंस न जाएं। इससे लिटिगेशन बढ़ गये, कोर्ट में कई केसेज चल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्पोर्टस एक्ट को वापस लिया जाए और इसकी जगह खिलाड़ियों से बातचीत करके जो व्यावहारिक स्पोर्टस एक्ट हो, वह लागू किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से उनकी तीसरी मांग है, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, वालीबाल संघों के साथ जो एम ओ यू किए गए हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि वहां फाइव स्टार होटल बन गये, वहां पर रेस्टोरेंट्स बन गये, अब वहां पर शादियां हो रही हैं, बारातें आ रही हैं, किट्टी पार्टियां चल रही हैं, बर्थ-डे पार्टियां चल रही हैं। जयपुर महाराजा ने यह जगह खेलों की गतिविधियों के लिए दी

(श्री कालीचरण सराफ)

थी, वहां पर आज फाइव स्टार होटल चले, रेस्ट्रां चले, वहां पर शादियां हों, विवाह हों, यह किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार से कि खेल संघों से इस प्रकार के जो एम ओ यू हुए हैं, उनको निश्चित रूप से निरस्त किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी मांग है कि इसकी राशि बढ़ाई जाए। आज केन्द्रीय सरकार अर्जुन पुरस्कार देती है, उसमें 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार जो भीम अवार्ड देती है, उसमें डेढ़ लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार शिवाजी अवार्ड देती है उसमें एक लाख रुपए खिलाड़ियों को देते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में लक्ष्मण अवार्ड दिया जाता है उसमें एक लाख रुपए दिए जाते हैं। और हमारे यहां पर महाराणा प्रताप का इतना बड़ा नाम और हम खिलाड़ियों को देते हैं केवल दस हजार रुपए। तो इनकी मांग जायज है कि कम से कम उनको एक लाख रुपए अवार्ड के रूप में मिलने चाहिए।

इसी प्रकार से खिलाड़ियों को जो टी ए, डी ए दिया जाता है वह खेल संघों के माध्यम से दिया जाता है और खेल संघ खिलाड़ियों को वह टी ए, डी ए देते ही नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई खेल प्रतियोगिता हो तो सरकार अपने खेल परिषद के अधिकारियों को वहां भेजे और डाइरेक्ट उनको टी ए, डी ए दे तो इससे खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

इसी प्रकार से उनकी कई मांगें हैं, मैं तो यह कहूंगा कि खिलाड़ियों को सरकार बुलाए, उनसे बातचीत करे और उनकी समस्याओं का समाधान करके प्रदेश में खेलों का वातावरण बने, खेलों का विकास हो, इसके लिए प्रयास करे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री नवल किशोर।

बामनवास ग्राम जस्टाना में जल स्रोत की व्यवस्था

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम जस्टाना में विभाग द्वारा पेयजल के समाधान के लिए टंकी

(श्री नवल किशोर मीणा)

बनाई गई थी। लाखों रुपए की लागत से निर्मित उक्त टंकी का निर्माण हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं किन्तु विभाग की उदासीनता के कारण उक्त टंकी से आज दिनांक तक पेयजल सप्लाई नहीं की गई। जिससे क्षेत्र की आम जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार ग्राम जस्टाना में निर्मित टंकी को अविलम्ब भरने के लिए जल स्रोतों की व्यवस्था करे और जनता को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल मेघवाल।

(अनुपस्थित)।

श्री अशोक पींचा।

अनुदानित आयुर्वेदिक कालेज कार्मिकों का राजकीय सेवा में समायोजन

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को शिक्षा विभाग की तरह निजी अनुदानित एकमात्र आयुर्वेद संस्थान श्री भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती के शिक्षकों, मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों का समायोजन राजकीय सेवा में करना चाहिए। संविधान के मूल अधिकारों के अनुसार इनको भी समान अवसर देना हर प्रकार से न्यायोचित है।

राजस्थान के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर व जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय के आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय में शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की न्यूनता के कारण पिछले दो सत्रों से छात्रों का प्रवेश नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में एकमात्र अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के समायोजन से दोनों राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों का प्रवेश प्रारम्भ हो सकेगा जो जनहित का एवं लोक महत्व का कार्य है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एकमात्र अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है जबकि राजकीय महाविद्यालयों में 60 वर्ष कर दी गई है। इस प्रकार राजकीय सेवा में समायोजन से स्वतः ही अनुदानित संस्था के कर्मचारियों को न्याय मिल जाएगा।

(श्री अशोक पींचा)

इस सम्बन्ध में बजट सत्र में ही माननीय वित्त मंत्रीजी उचित निर्णय लेवें। यही मेरा विनम्र आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

सूरजगढ़ के कतिपय ग्रामों के जोहड़ क्षेत्र में अतिक्रमण

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को हरित राजस्थान बनाने का सपना हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का है, लेकिन पूर्व में जो हरित था उसको नष्ट किया जा रहा है। एक-एक बड़ा किसान 20-20 बीघा जमीन में अवैध रूप से जुताई कर रहा है और 10 बीघा में मकान बना रखे हैं। किसानों के घरों के पास जो जोहड़ बंजर छोड़ गये थे, उन पर आज चन्द लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। गरीब लोग बोल भी नहीं सकते। लोगों की अवैध जोत से गरीब जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। जो भी नीतिगत फैसला होता है उसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इस समय प्रदेश में भू-माफिया पर लगाम कसने की जरूरत है। बड़े अतिक्रमियों को ठीक करने की जरूरत है। जैसे हमारे पास के गांव जीणी में राधेश्याम जांगिड़ पुत्र रामेश्वर जांगिड़ व धरडू में रामसिंह पुत्र मातुराम व मालाराम पुत्र मातुराम द्वारा 10 बीघा पर जोत कर रखी है, मकान बना रखे हैं। मेरा निवेदन है कि उक्त कार्यों पर तत्काल विधान सभा के द्वारा आदेश देने की कृपा करें ताकि इस प्रकार के भू-माफियाओं और अतिक्रमियों से जमीन खाली करवाई जा सके। राजस्थान की गरीब जनता को राहत मिले और भू-माफियाओं के मुंह पर चपत लगे। यह हमारी सरकार की उपलब्धि होगी।

अत: निवेदन है कि तत्काल ये आदेश विधान सभा से जारी करवाएं ताकि हमारी विधान सभा की छवि उज्जवल हो।

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग की प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा सीज की गयी मशीनों को पुन: चलाने की अनुमति

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)
नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा शहर पूरे भारत वर्ष में कपड़े की सूटिंग उद्योग के मामले में पहले स्थान पर है। यह भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कुछ माह पहले प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने कपड़ा उद्योग के कई प्रोसेस हाउस बंद करवा दिए थे। कारण कि उनसे जो गंदा पानी बाहर छोड़ा जाता था उसमें जहरीले रसायन नदियों, नालों के माध्यम से आसपास के कुओं के पानी में घुल जाते थे। जनता ने आंदोलन किया और प्रोसेस हाउस बंद करवा दिये इससे भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग ठप्प पड़ गया। उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के बीच आपस में बैठकर गंदे पानी को बाहर नहीं छोड़ने की पाबंदी हुई और जीरो डिस्चार्ज के आधार पर प्रोसेस हाउस पुनः चालू करवाये गये, लेकिन इन प्रोसेस हाउस में सीज की गई लगभग 200 मशीनें आज तक शुरू नहीं हो पाई हैं। इन मशीनों के सीज होने के कारण कपड़े की क्वालिटी बहुत डाउन जा रही है, इस कारण से पूरे देश में प्रतिष्ठा प्राप्त और उद्यमियों की कड़ी मेहनत से फलीभूत यह कपड़ा उद्योग संकट में है। लो क्वालिटी के कारण इस उद्योग की स्थानीय प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। यहां से कपड़ा निर्यात भी किया जाता है।

अतः विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो प्रोसेस हाउस जीरो डिस्चार्ज के लेवल पर हों, उनकी सीज की गई मशीनों को पुनः चलाने की अनुमति तुरन्त प्रभाव से जारी की जाए जिससे कपड़े की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग की प्रतिष्ठा बनी रहे और निर्यात किए जाने वाले कपड़े की गुणवत्ता बनी रहे।

जैसलमेर के राजकीय महिला महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं। मान्यवर, राजकीय एम एल सांवल महिला महाविद्यालय, जैसलमेर में स्ववित्त पोषित योजना के तहत प्रारम्भ किया गया है। जैसलमेर महिला महाविद्यालय में विज्ञान संकाय भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपये खर्च किये गये, उपकरणों हेतु 10 लाख रुपये व्यय किये गये, 7 लाख रुपये लेबोरेटरी विस्तार हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 70 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। स्ववित्त पोषित योजना में एक भी प्रवेश नहीं हुआ है। आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, लोग अपने खर्चे से बच्चियों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जयपुर, अजमेर,

(श्री छोटू सिंह भाटी)

कोटा, उदयपुर के समान योजनाएं सीमावर्ती गरीब पिछड़े क्षेत्र हेतु व्यावहारिक नहीं हैं। अतः राज्य सरकार स्वयं के खर्चे से विज्ञान पढ़ाए, ऐसी हमारी मांग है।

मान्यवर, जैसलमेर की छात्राओं ने सीए परीक्षा में गत दो वर्षों में प्रथम और 14वां स्थान पूरे भारतवर्ष में प्राप्त किया है, लेकिन महिला महाविद्यालय में कामर्स संकाय नहीं होने से छात्राओं को बॉयज कालेज जाना पड़ रहा है। अतः महिला महाविद्यालय में कामर्स संकाय खोला जाना चाहिए।

मान्यवर, इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में मरू क्षेत्र के विकास हेतु मरू विकास बोर्ड (Desert Development Board) का गठन करने की मैं मांग करता हूं जिससे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनूं, पाली जैसे जिलों का सर्वांगीण विकास हो सके।

इसी आशा के साथ, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता सिंह।

मावे पर से वैट का निरसन

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत ग्रामीण किसानों के कुटीर उद्योग मावा के विषय में कहना चाहती हूं। महोदय, राजस्थान प्रांत एक कृषि एवं पशुपालकों का प्रदेश है। यही एक ऐसा प्रदेश है जहां वर्षा कम या नहीं के बराबर होती है। जो प्रदेश सदैव अकालों की मार झेल रहा हो उस प्रदेश के नागरिक स्वयं और उनका पशुधन कैसे जीवित रहता है, विचारणीय बिन्दु है। इस अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों ने पशुधन को सर्वोपरि रखा और उसी से अपना भरणपोषण किया। ऊंट व बकरी की जट (बालों) की रस्सियां बनाई। उनसे बारीक धागे भी बनाये। दरियां व अन्य सामग्री का निर्माण कर मेलों में उनकी बिक्री की व उससे अपना तथा पशुओं का भरण-पोषण किया। गोधन इस क्षेत्र का प्रमुख पशुपालन सदियों से रहा है। इसी गोधन के बूते पर हजारों परिवार पले। गाय का दूध निकाल कर खालिस घी तैयार कर बाजारों तक पशुपालक पहुंचाते थे। उस घी से जो रकम मिलती उसी से पशुओं के चारे, पशु आहार का प्रबंध हो जाया करता था। घी पर गाज गिरी डालडा कम्पनी के घी

(श्रीमती अनीता सिंह)

की और बाद में कई ब्रांड के वनस्पति घी बाजार में आ गये। किसानों की बदकिस्मती ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और दुग्ध की डेयरियों ने हजारों-लाखों लीटर घी सस्ती दरों पर बाजार में उपलब्ध करा दिया। डेयरियों का कच्चा घी और बटर आयल, पाम आयल इत्यादि के नाम से आने वाले घी के सामने किसान का घी पिट गया। किसान का महंगा घी अब कौन खरीदे, किसान के सामने समस्या आ खड़ी हुई। दूध का क्या करें? गांवों से, शहर से बीकानेर तक दूध कैसे ले जाया जावे? फिर भयंकर गर्मी में 4-6 घंटों में दूध स्वतः ही खराब हो जाता है। दूध/घी के दाम नहीं मिलते हैं। बच्चों का लालन-पालन दुष्कर हो गया। लोग पशुओं को छोड़कर नजदीकी शहरों में चले गये। गांव उजड़ने लग गये। जहां-तहां भूख प्यास से गायें मरने लग गईं। कई कसाइयों की नजर भी आवारा गायों, बैलों और बछड़ों पर पड़ गयी। अनेक धर्मात्माओं ने गायों पर तरस खाकर गौशाला की वृद्धि की। गौशालाओं की गायों को बचाने में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित की। गांवों व ढाणियों का सारा दूध अलग-अलग स्थानों पर किसानों ने एकत्र किया। मजदूरों को लगाया तथा दूध को उबाल कर उसका मावा (खोया) बनाया। दूध 4-6 घंटे में खराब हो जाता था, मावे की अवधि 18-20 घंटे तक की हो गई। गांवों और ढाणियों से मावा बनाकर ऊंट-गाडों से जहां तक बसें आतीं, वहां तक पहुंचाया जाने लगा। बसों से मावा शहर में पहुंचता। शहर में बैठे उनके साथी उस मावे को बेचकर पैसे वसूल कर आढ़त काटकर शेष पैसे मावा भेजने वाले को भेज देते। यह व्यवसाय बीकानेर के बाद पूरे प्रदेश में फैल गया।

इस प्रकार मावा मुख्य रूप से किसान, गौपालक व मजदूरों द्वारा तैयार किया जाकर उन्हीं में से शहरों में बैठे आढ़तियों के माध्यम से बेचा जाता है। यह एक पशु आधारित ग्रामीण कुटीर उद्योग है। इस कुटीर उद्योग पर अब तक किसी भी सरकार ने कभी भी कोई बिक्री कर नहीं लगाया था और उसे बिक्री कर की परिधि से सदैव ही बाहर रखा।

मावा कोई लघु, माध्यम या वृहत् उद्योग नहीं है किन्तु वर्तमान किसान, पशुपालक एवं मजदूर हितैषी सरकार द्वारा इस पर भी वैट (VAT) लगा दिया गया है। यदि सरकार ने अपना रुख न बदल कर मावे से वैट नहीं हटाया तो किसान/मजदूर दुःखी होकर पशु छोड़ने पर बाध्य हो जाएंगे। ऐसे में सरकार को पशुपालकों का साथ देते हुए मावे से वैट (VAT) हटाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

रामगंज मण्डी में कृषि विद्युत कनेक्शनों में अनियमितताएं

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में किसानों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में वर्तमान में किसानों को दिये जा रहे कृषि कनेक्शनों में घोर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, जब हम एसी में बैठकर आराम कर रहे होते हैं तब ऐसी भीषण गर्मी में किसान हमारे लिए अन्न तैयार कर रहा होता है। जब हम भरी सर्दी में रज़ाई में दुबके सो रहे होते हैं, तब किसान रात के अंधेरे में फसल को पानी पिला रहा होता है। ऐसे अन्नदाता के साथ घोर अन्याय बिजली विभाग द्वारा किया जा रहा है। इतने समय बाद किसानों को बिजली कनेक्शन दिये जाते हैं, उसमें भी लगातार अनियमितता।

कल कम से कम 15 किसानों का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि बिजली विभाग 1500 रुपये एक पोल लगवाने (गढ़वाने) के ले रहा है। डिमाण्ड नोटिस जमा कराने के बाद भी अगर उनसे पैसा लिया जाता है तो यह बिजली विभाग का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और तो और, एंगल व स्क्रू भी किसानों से बाजार से मंगवाये जा रहे हैं। एक तो पानी के अभाव में अनेकों किसानों की फसल नष्ट हो गई, दूसरी ओर इतना बड़ा अन्याय किसानों के साथ, क्यों? यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि तुरन्त प्रभाव से ऐसे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि किसानों के साथ न्याय हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेतसिंह यादव।

खुशकेड़ा (तिजारा) स्थित कारखाने में श्रमिक प्रबंधन विवाद

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र खुसकेड़ा तहसील तिजारा में स्थित पैरामाउण्ट केबल्स इण्डस्ट्री में 25 जनवरी, 2010 से चल रही श्रमिक हड़ताल के संबंध में निवेदन है कि पैरामाउण्ट केबल्स इण्डस्ट्री के कर्मचारियों ने आठ माह पूर्व अपनी यूनियन बनाई व अपनी समस्याओं को लिपिबद्ध कर यूनियन के पदाधिकारियों के माध्यम से फैक्ट्री मैनेजमेंट को अपनी मांगों पर विचार करने एवं उनको पूरा करने हेतु आग्रह किया।

(श्री रामहेत सिंह)

महोदय, फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने वर्कर्स की मांग को पूरा करने की बजाय यूनियन तोड़ने का प्रयास किया एवं बाहर से बुलाकर आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों से यूनियन के पदाधिकारियों को धमकाया। 20 जनवरी, 2010 को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री श्री मुकेश कुमार पर फैक्ट्री के मैनेजमेंट के द्वारा किराये पर गुण्डे बुलाकर जानलेवा हमला करवाया गया जिससे मुकेश कुमार के हाथ-पैर (दोनों पैर) में छह फ्रैक्चर आये। बेहोशी की हालत में उनको धारूहेड़ा (हरियाणा) में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनेजमेंट ने हरियाणा पुलिस से मिलकर एफआईआर दर्ज नहीं हो, इसका प्रयास किया, परन्तु जन-आक्रोश तथा घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तथा जन-आक्रोश के कारण दो मुल्जिम भी गिरफ्तार किये। मुल्जिमों ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि इस घटना को अंजाम फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा रचे गये षड्यंत्र के तहत दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री दिगम्बर सिंह।

डीग के महलों एवं सड़कों के सौन्दर्यीकरण हेतु बजट का प्रावधान

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डीग के महलों एवं वहां की सड़कों के सौन्दर्यीकरण हेतु बजट का प्रावधान रखे जाने हेतु विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि डीग कस्बे में डीग महल और प्राचीन धरोहरों को देखने के उद्देश्य से प्रति वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। वे डीग के महलों की नक्काशी एवं कारीगरी की प्रशंसा तो करते हैं लेकिन दुबारा आने के बारे में उनसे पूछने पर वो बताते हैं कि यहां की सड़कों की इतनी बुरी हालत होने के कारण दुबारा आने की कोई भी आदमी हिम्मत नहीं कर सकता।

इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है कि डीग के महलों का मेंटिनेंस बजट के अभाव के कारण काफी वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है जिसके कारण से पर्यटकों के आने की संख्या में दिनोंदिन कमी आती जा रही है।

मेरा पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन है कि वर्ष 2010-11 में ही डीग महल एवं वहां के सौन्दर्यीकरण के लिए बजट का प्रावधान करें ताकि इस विश्व-विख्यात धरोहर को और सुन्दर बनाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मानसिंह।

(अनुपस्थित) श्रीमती संजना आगरी।

सोजत विधान सभा क्षेत्र में चारा डिपो की स्थापना

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सोजत विधान सभा क्षेत्र में चारा डिपो खोलने के सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में वर्तमान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पशुओं के चारे-पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों के भी हाल बुरे हैं, चारे-पानी के अभाव में पशु मर रहे हैं। सरकार इस अकाल की घड़ी में पर्याप्त चारे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई है, यह बड़ी चिन्तनीय बात है। सरकार ने अकाल की इस भयंकर स्थिति में राजस्थान के पशुपालकों के पशुधन को जीवित रखने के लिए चारे व पानी का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। क्या मंत्रीजी यह नहीं जानते हैं कि इस भयंकर अकाल में पशुधन को कैसे जीवित रखा जाएगा? यह बड़ा ही चिन्ता का विषय है। यदि काश्तकारों का यह पशुधन ही जीवित नहीं रहेगा तो भविष्य में पशुओं के मात्र फोटो देखने को मिलेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 ग्राम पंचायतों में से मात्र 10 ग्राम पंचायतों में ही चारा डिपो खुले हैं और उनमें भी अनुदान समय पर नहीं मिलने के कारण चारा डिपो बन्द हो गये हैं।

अतः मंत्रीजी से मेरा सुझाव है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकार अपने स्तर पर स्वयं चारा खरीदकर रियायती दर पर उपलब्ध कराए। गांवों में तालाब व बावड़िया आदि का पानी सूख गया है, चारे के साथ-साथ मूक पशुओं के लिए पीने के पानी की भी अलग से व्यवस्था कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 23 मार्च, 2010 को शून्यकाल में बोलने हेतु 16 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्रीमती अनिता भदेल, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत स्वीकृत राशि से होने वाले विकास कार्यों के पूर्ण नहीं होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री अर्जुन लाल, बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के 3500 की आबादी वाले राजस्व ग्राम व पंचायत मुख्यालय जैतीवास के डामर सड़क से जुड़ा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख, भारी गंदगी से बंद पड़ी जवाई नहर से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकर सिंह रावत, ब्यावर में अमृत कौर अस्पताल में 16 डाक्टरों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्रीमती अनिता भदेल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अजमेर क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के अधूरे कार्य

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-08 में तत्कालीन सांसद माननीय रासासिंह जी के अथक प्रयासों से अजमेर शहर को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत राशि प्राप्त हुई और कार्य स्वीकृत हुए। 2007 में जो काम स्वीकृत हुए वो काम कब स्वीकृत हुए, कब उनको पूरा होना था और कितनी राशि स्वीकृत हुई? उसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार के द्वारा और बाकी की राशि राज्य सरकार एवं स्थानीय नगर निकायों द्वारा उसमें शामिल करनी थी ताकि विकास कार्यों को पूर्ण किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत दो सब मिशन बनाये गये। एक के अन्दर अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस का काम स्वीकृत हुआ उसमें अजमेर, पुष्कर में बीसलपुर वाटर सप्लाई के काम स्वीकृत हुए। वो 188 करोड़ 73 लाख रुपये के स्वीकृत थे। अजमेर-पुष्कर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और डिस्ट्रिब्यूशन हेतु 166 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत हुए। अरबन रिन्युअल आफ दरगाह एरिया, अजमेर में 38 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत हुए। सीवरेज प्रोजेक्ट, अजमेर और पुष्कर के लिए 112 करोड़ रुपये हुए। इसी प्रकार से गन्दे पानी की निकासी के लिए अजमेर और पुष्कर के लिए 61 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। लो-फ्लोर बसों की खरीद के लिए भी 7 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। इसी प्रकार से गरीब लोगों को आवास की सुविधा मिले और वहां पर जो सरकार की सर्विस है वो हम पूरी कर सकें इसलिए बेसिक सर्विस टू अरबन पुअर, अजमेर-पुष्कर के लिए 107 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जो राशि स्वीकृत हुई उस राशि के तहत अलग-अलग एजेन्सियों को कार्य सौंपा गया। कुछ काम पीएचईडी के माध्यम से, कुछ यूआईटी, पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से, कुछ नगर निगम और अजमेर विद्युत वितरण निगम के माध्यम से कराये जाने थे। लेकिन कामों की धीमी चाल होने के कारण से और समय पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण से केन्द्र सरकार को यू.सी. नहीं भेजने के कारण बाकी की जो राशि जारी होनी थी उसमें एक से डेढ़ साल का विलम्ब हुआ। जितने भी आवास गरीब लोगों के लिए बने, चाहे वो पहाड़गंज में बने हों, चाहे कल्याणीपुरा में बने हों, चाहे लोहार्गल में बने हों, आधे-अधूरे काम बनकर तैयार हो गये। आधी राशि, कभी हमको पीडब्ल्यूडी से 3-4 करोड़ रुपये की लाइबिलिटी आ गई और उन्होंने बीच में ही काम बन्द कर दिया कि जब तक हमको राशि नहीं मिलेगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि जो तिथि इसके लिए तय की गई है, जिस तिथि को ये काम पूरे होने थे- अजमेर-बीसलपुर प्रोजेक्ट फेज-सैकण्ड 188

(समय : 13.00 बजे)

करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट 10 जून, 2006 को स्वीकृत हुआ। मई, 2010 में इसको पूर्ण होना है। इसी प्रकार से बीसलपुर फेज-सैकण्ड, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एण्ड ट्रांसमिशन का वर्क जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आने वाली गर्मियों के लिए, 166 करोड़ रुपये का काम, यह 2007 में ही स्वीकृत हो गया था और दिसम्बर, 2010 में इसको पूर्ण होना था। लेकिन अभी तक भी राज्य सरकार की ओर से न तो निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, न यह तय किया जा रहा है कि ये काम कब शुरू होंगे, कब पूरे होंगे। मैसूर पैटर्न के नाम पर इन कामों की जो पूर्व में ही निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, उनको निरस्त कर दिया गया। अब पूरे दो साल होने को आये लगभग, लेकिन इन कामों की निविदा अभी तक आमंत्रित नहीं की जा रही है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है आपके माध्यम से कि आने वाली गर्मियों में पेयजल की किल्लत लोगों को भुगतनी होगी। वह ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी सप्लाई के लिए कोई साधन हमारे पास नहीं है। टैंकर्स को हम वहां नहीं पहुंचा सकते, ऐसे पहाड़ी वाले क्षेत्र में। उन क्षेत्रों के लिए 166 करोड़ रुपये की इस राशि को शीघ्रातिशीघ्र काम में लें और इसके तहत कार्य करवाएं ताकि समय पर हम लोगों को उस पैसे का लाभ दे सकें।

इसी के तहत, माननीय अध्यक्ष महोदय, दरगाह एरिया के रिन्युअल की बात कही गई है, 38 करोड़ रुपये दरगाह एरिया के रिन्युअल के लिए

(श्रीमती अनिता भदेल)
स्वीकृत हैं। उसके तहत भी दरगाह क्षेत्र में केबल को अण्डरग्राउण्ड करने का काम था, सड़क के विकास का काम था, कायर विश्राम स्थली, उस सड़क के निर्माण की बात थी, पिछले दो साल से यह काम भी बार-बार पैंडिंग होता जा रहा है। पिछले बजट सत्र में भी इसकी घोषणा हुई थी और इस बजट सत्र में भी एक करोड़ रुपये का प्रोविजन कायर विश्राम स्थली के निर्माण हेतु रखा गया है। एक करोड़ रुपये तो पूर्व में ही केन्द्र सरकार से स्वीकृत हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके तहत यदि हम काम करा देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले जो दूसरे जायरीन हैं, जो दूसरे शहरों से अजमेर में आते हैं, उनको बहुत सुविधा मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी बात खतम कर लूं। मैंने इसी विषय पर छह बार पर्ची लगाई है, आज किस्मत से खुली है तो आप मुझे बोलने दीजिये प्लीज।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बेसिक सर्विस वाला प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के तहत किलाणीपुरा, पहाड़गंज और लोहार्गल, इन तीनों क्षेत्रों में आवास के साथ-साथ सड़क, नाली, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, लाइनें और साथ में पार्क और कम्युनिटी हाल के निर्माण की बात कही गई थी। लेकिन अभी आवासों का निर्माण ही पूरा नहीं हो रहा है जबकि 2010 में जो पहाड़गंज वाली साइड है, उसको पूर्ण कर लेना चाहिए था। लेकिन यह भी पूर्ण नहीं हुआ तो बाकी के काम कब तक पूर्ण होंगे, एक तो आप यह सुनिश्चित कर लें। दूसरा, इसी स्कीम के तहत कुछ एस.सी. एस.टी. एरिया के हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, उन स्कूलों के भवन निर्माण, उनकी चारदीवारी और उनमें अन्य संसाधन जुटाने की बात कही गई थी। इसके अतिरिक्त गरीब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काम्प्लैक्स की सुविधा मिल सकेगी, इस हेतु भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। तो, माननीय अध्यक्षजी, मैं चाहूंगी कि इसके तहत भी...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं समाप्त कर रही हूं। इसके तहत जितने भी काम स्वीकृत हैं, जो सरकारी मशीनरी है उसको क्रियाशील करके, बार-बार उसका आग्रह करके किसी भी तरह से उससे काम लेकर यह जो राशि स्वीकृत है, उसका पूर्ण काम कराया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा की कुछ प्रमुख सड़कों का नवीनीकरण

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्षजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में एक ऐसा गांव है जो पंचायत मुख्यालय भी है जेतीवास, जिसकी 2001 की जनगणना के अनुसार...

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं इनकी पर्ची का जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर तो कोई जरूरी नहीं है।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जवाब तैयार है मेरे पास।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): 2001 की जनगणना के अनुसार उस गांव की आबादी करीब 3500 है... (व्यवधान) आप पहले जवाब दे रहे हैं तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं बोलना क्या?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: फिर खतम करो अपनी बात को। आगे चलें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ...और वह आज भी बी.टी. रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरकार की नीति है कि 250 और 500 की आबादी के ऊपर के जो भी गांव हैं, ढाणियां हैं, हेबीटेशन्स हैं, वे डामर सड़क से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह गांव अभी तक बी.टी. रोड से मोहताज है।

(समय : 13.06 बजे)

(श्री ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

मेरा निवेदन है, जब विभाग से पूछा गया तो यह बताया गया कि आज से 15-20 साल पहले इस गांव को बी.टी. रोड से जोड़ दिया गया था लेकिन करीब 10 साल पहले बाढ़ से बीच में जो पांच किलोमीटर की लैंथ का पार्ट है वह बह गया और वह 10 साल से अभी तक वापस बी.टी. रोड से जुड़ा नहीं है। जब उनसे पूछते हैं तो यह बताते हैं कि यह कोई ग्राम सड़क नहीं है। विशेष बात यह है कि यह एम.डी.आर. रोड है जो दो जिला मुख्यालयों को मिलाने वाली मुख्य सड़क है। वह आज इस हालत में है कि उस पर कोई आवागमन का साधन न आ न जा सकता है। उस पर बार-बार नवीनीकरण के

(श्री अर्जुन लाल)

लिए कहते हैं तो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र होता तो हम आर.एम.ई.पी. से, आर.आई.डी.एफ. से, नाबार्ड से इसका नवीनीकरण करा सकते थे लेकिन यह एम.डी.आर. रोड है, इस पर सी.आर.एफ. का पैसा ही लग सकता है। अब पता नहीं, इस पर सी.आर.एफ. का पैसा कब लगेगा, 10 साल तो हो गये। और... (व्यवधान) एम.डी.आर. का लगता है लेकिन वह पता नहीं, कब तक लगेगा, 10 साल तो हो गये। मेरा यह निवेदन है कि कोई विशेष पैकेज के तहत इस सड़क का वापस डामरीकरण करके उस गांव को जोड़ा जाए अन्यथा उस गांव में कुंवारों की संख्या बढ़ जाएगी।

इसके साथ-साथ पी.डब्ल्यू.डी. मैन्युअल में निर्धारित कर रखा है रिन्युअल साइकिल पीरियड कि ग्रामीण सड़क के 10 से 12 साल निर्माण के बाद उस पर वापस रिन्युअल नहीं होगा। इसमें भी चेंज होना चाहिए क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. मैन्युअल में 1956 के अन्दर यह तय किया गया था, उस समय ट्रैफिक इंटेंसिटी बहुत कम थी, उस ट्रैफिक इंटेंसिटी को देखते हुए यह सोचा गया था कि 10 से 12 साल तक तो यह सड़क चलेगी। लेकिन वर्तमान में हर गांव, ढाणी में ट्रैफिक इंटेंसिटी बढ़ी है। कोई सड़क बनी है तो उसके ऊपर ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। पी.एम.जी.एस.वाई. में पूरे राजस्थान में सड़कों का जबरदस्त जाल बिछाने के कारण ट्रैफिक ग्रोथ बढ़ गई है। तो इसमें संशोधन करके 10-12 साल की बजाय 6-7 साल का रिन्युअल साइकिल पीरियड कर दिया जाए तो राजस्थान में जो सड़कें बनी हैं, समय-समय पर उनकी मरम्मत हो जाएगी। नहीं तो 10-12 साल के बाद उनका अस्तित्व ही खतम हो जाएगा और पता चलेगा कि यह गांव वापस अनकनैक्ट का अनकनैक्ट ही रह गया है।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 15 साल पहले 4-5 सड़कें बनी थीं, आज उनकी स्थिति भी यही है जो पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के स्टैंडिंग आर्डर हैं। सम्पर्क सड़क सिंधुनगर, सम्पर्क सड़क सिंधीपुरा, सम्पर्क सड़क मालावास, खारिया मीठापुर से डिंगवाडिया, इन सड़कों को बने हुए करीब 10 से 12 साल हो गये हैं लेकिन इन पर वापस मरम्मत नहीं हुई। इनका रिन्युअल साइकिल पीरियड 10 से 12 साल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक इनका वापस नवीनीकरण नहीं हो सका है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन सड़कों को इसी वर्ष में नवीनीकरण के माध्यम से दुरस्त किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

जवाई नहर के खुले रहने से होने वाली दुर्घटनाएं

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापतिजी, मेरे पाली शहर की एक बड़ी समस्या, उसकी गम्भीरता इस बात से जाहिर होती है कि भास्कर ने लगभग पूरा पृष्ठ छापा है, पूरा पृष्ठ, और आधा पृष्ठ पत्रिका ने छापा है, उसके बावजूद भी सरकार गम्भीर नहीं है। जवाई बांध से पहले पाली और जोधपुर तक पानी पहुंचाने के लिए जवाई नहर बनी थी, पहले यह नहर वरदान थी क्योंकि इससे हमको पानी मिलता था, जीवन मिलता था। डेढ़ साल पहले जब जवाई बांध से लेकर पाली और रोहिट तक पाइप लाइन बिछ गई और इस नहर का उपयोग बंद हो गया, तब से यह नहर पाली वालों के लिए अभिशाप बन गई है। यह खुली नहर अब गंदगी के ढेर में या गंदे पानी के नाले में तब्दील हो गई। तीन दिन पहले एक 33 वर्षीय युवक इसमें गिर गया और गिरने से उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी मौत चोट लगने से नहीं हुई, नहर में जो गंदा पानी कलेक्ट था, गिरने से वह पानी उसके पेट में चला गया और उससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। चार महीने पहले एक मासूम गिर गया उसकी भी मौत गंदा पानी पेट में चले जाने के कारण हो गई। पशु पता नहीं कितने मर गये। भास्कर तो साफ लिखता है कि मौत का नाला बन गई नहर, मौत का नाला। नकारा जवाई नहर ले रही इन्सानी जान। अब तक कई मवेशियों को निगल गई खुली पड़ी नहर। खुली नहर ने ली युवक की जान । और राजस्थान पत्रिका लिख रहा है, मौत की खाई बनती नहर। हादसे को निमंत्रण दे रही शहर में खुली पड़ी जवाई नहर। यह नहर इन्सानी जानें, पशुओं की जानें ले रही है। साथ में गंदगी के कारण जो मच्छर इसमें पनप रहे हैं, उससे आसपास की बस्तियों के लोगों का जीना दुश्वार हो गया, इतने सारे मच्छर हैं। बांगड़ अस्पताल जो हमारा जिला अस्पताल है, वह भी इस नहर के बिलकुल पास है, काटेज उसके बिलकुल पास है। काटेज में अगर कोई घूम ले तो इतने सारे मच्छर कि कोई ठीक आदमी भी आए तो वह भी बीमार हो जाए, यह हालत हो गई। माननीय सभापति महोदय, अख़बार वाले तो इतने दुःखी हो गये इस मुद्दे को उठा-उठा कर, कि उन्होंने हमारे ऊपर भी अंगुलि खड़ी कर दी। उसने लिख दिया, नाले में नहीं गिरते नेता। वह छाप दिया उसने कि नाले में नहीं गिरते नेता, अगर कोई एकाध नेता गिर जाता तो शायर सरकार की आंख खुल जाती और शहरी क्षेत्र में जो यह नहर खुली पड़ी है उसको बंद करने के लिए सरकार कोई न कोई कार्यवाही करती। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, पाली की जनता

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इससे बहुत दुःखी है, यह तो पेपर के माध्यम से आपको खुद स्पष्ट हो गया होगा। कोई लम्बा-चौड़ा खर्चा इसमें आने वाला नहीं है, शहरी क्षेत्र में कोई एकाध किलोमीटर नहर होगी जो खुली पड़ी है, जो आबादी के बीच से गुजरती है, मेहरबानी करके उसको ढकवा दो आप। आप चाहो कोई आमदनी करना इससे, ढकवा कर इसके ऊपर दुकानें बनवा दो। आपकी सरकार को भी उससे अच्छी आमदनी हो जाएगी, मार्केट बन जाएगा पूरा का पूरा, इतनी बड़ी नहर का आजू-बाजू का क्षेत्र है। जलदाय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, विषय की गम्भीरता को जलदाय मंत्रीजी मान रहे होंगे, मेरा आग्रह रहेगा। क्योंकि मैं जब पाली जाऊंगा तो जनता मुझसे जवाब पूछेगी, माननीय मंत्रीजी कम से कम यह बता दें आज सदन में कि कब तक इस नहर को वह ढकवा देंगे।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो परेशानी पाली शहर की इस गंदी नहर के संबंध में बताई, यह सही है कि अस्पताल चौराहे से लगभग दो-तीन किलोमीटर की दूरी पर गुजर रही जवाई नहर में घरेलू कचरा डालते हैं और कई लोगों ने उसके अन्दर अपनी नालियां लगा दी हैं। रंगाई-छपाई का भी काम जो अवैध है, उसका भी गंदा पानी इसमें जाता है। नगर परिषद के पास जो डिवाटरिंग के पम्प्स हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं कि इसकी जल्दी सफाई कराएंगे। इस पर कोई निर्णय होगा कि इस नहर को रखना है जोधपुर के लिए या यह जो जमीन हमारे पास है इसका क्या उपयोग करना है, उसका हम विचार करके कोई न कोई समाधान करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ढकवाने की बात भी, माननीय मंत्रीजी, बता दें आप। नहर बंद नहीं करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कई जगह शहर में नहर ढकी हुई है, जब कई जगह ढकी हुई है तो आप बाकी जो बचा हुआ इलाका है, वहां भी ढकवा दें मेहरबानी करके। पूरे शहर में खुली नहीं है, कई जगह ढकी हुई है तो वहां भी ढकवा दें आप।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपका यह पर्ची के माध्यम से आने के बाद भी जिला कलक्टर, पाली को निर्देश दिये जा रहे हैं कि उपरोक्त जो यह नहर है जहां-जहां, वह इसको प्राथमिकता के तौर पर सफाई करेंगे।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको पाली शहर की जनता की ओर से, मेरी ओर से।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, ब्यावर में अमृत कौर अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहां चार जिलों के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं और हाइवे से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक्सीडेंट के भी दुनिया भर के केस वहां पर आते हैं। पाली जिला, राजसमंद जिला, भीलवाड़ा जिला और अजमेर जिला, चारों के मध्य होने के कारण वहां पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन दुर्भाग्य है, साल भर में मैंने मंत्री महोदय को कई बार निवेदन कर दिया, एक भी डाक्टर की पोस्ट वहां पर नहीं लगाई, 16 पद वहां पर खाली पड़े हैं। मरीज इलाज के लिए वहां परेशान होते हैं। ब्यावर के अन्दर पत्थर पीसने की फैक्ट्रियां और श्री सीमेंट पास में लगी हुई है, अम्बुजा सीमेंट है, इस प्रकार डस्ट की और प्रदूषण से नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, उससे वहां पर इलाज कराने के लिए मरीज बहुत परेशान होते हैं। लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। मेरा आग्रह है कि किसी पार्टी विशेष के हिसाब से इसे नहीं देखा जाना चाहिए, एक मानवता की सेवा के रूप में आपको वहां पर डाक्टरों के पद लगाने चाहिए।

साथ में वहां के जो हालात बने हैं, वे बहुत खतरनाक हैं, अभी शराब की घटना हुई थी, बारह आदमियों की जानें चली गईं। वहां पर अगर डाक्टर टाइम से मिल जाते तो शायद बारह आदमियों की मौत नहीं होती। अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज की कमी के कारण वे मरीज मरे हैं। अस्पताल में डाक्टर होना बहुत जरूरी है।

मेरा ऐसा भी निवेदन है कि जो दवाइयां डाक्टर लिखते हैं, डाक्टर बिना कमीशन की दवाइयों को लिखते ही नहीं हैं। यह मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान का मैटर है। ऐसा ही नहीं कि हर क्षेत्र में ऐसा होता होगा लेकिन वहां पर ऐसा हो रहा है, बिना कमीशन की दवाइयां डाक्टर लिखते ही नहीं हैं। दवा बनाने वाली कम्पनी आठ रुपये की दवा बनाकर या गोली हो वह बना कर बाजार में बेचती है, उसकी कीमत मरीज के पास में जाते-जाते 550 रुपये हो जाती है। कल हमने वहां मेडिकल की उसमें देखा था आप चाहेंगे तो इसका

(श्री शंकर सिंह)

पूरा रिकार्ड मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

बीपीएल परिवारों को मुफ्त में दवा देने की जो अभी सरकार ने घोषणा की है, उस संबंध में मेरा निवेदन है कि आप बीपीएल परिवार वालों के लिए जो दवा खरीदते हैं वह आप एमआरपी रेट से खरीदते हैं। सरकार एमआरपी रेट से ही खरीदती है। बनाने वाली कम्पनी है आप उससे डाइरेक्ट लेंगे तो मेरे खयाल से सभी मरीजों को आप दवा मुफ्त में दोगे तो भी उतना ही बजट खर्च होगा, बल्कि उससे कम बजट खर्च होगा। मेरा आग्रह है कि इसमें दवाइयां आप डाइरेक्ट कम्पनी से लें, निश्चित तौर पर बहुत गम्भीर मामला है, पूरे राज्य में सभी के लिए दवा मुफ्त में मिल सकती है। रेट में इतना अंतर है। आठ रूपये की चीज पांच सौ पचास रुपये में खरीदते हैं तो बीच वाले पैसे कहां जाते हैं? इस सब भ्रष्टाचार को, डाक्टरों के कमीशन को बंद करने के लिए और मरीज को सस्ती दामों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए अगर सरकार चाहे तो निश्चित तौर पर साढ़े पांच सौ रुपये की चीज 18 रुपए के अन्दर खरीद कर सरकार उनको मुफ्त में दे सकती है। एक जबरदस्त वाहवाही लूटने का भी सरकार को एक मौका मिलेगा कि सब लोगों को दवा मुफ्त में दी है हमने। बजट के ऊपर आपको किसी प्रकार फर्क नहीं पड़ेगा, बजट उलटा कम खर्च होगा। यह आप इसमें बढ़ाकर देखें, इसमें भ्रष्टाचार के ऊपर भी रोक लगेगी। विशेषकर ब्यावर के लिए मैंने यह बात बताई थी।

डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में डाक्टर रुकते ही नहीं हैं, क्योंकि वहां ज्यादा कमाई जाती है घर पर। उसके ऊपर भी रोक लगेगी और डाक्टर निश्चित तौर पर अस्पताल में भी तैयार मिलेगा और प्राइवेट प्रैक्टिस कोई नहीं करवाएगा। जब वहां का कमीशन हट जाएगा दवाइयों के ऊपर तो निश्चित तौर पर वह डाक्टर भी तैयार मिलेगा और सरकार को भी जिस जगह पर जितने डाक्टर चाहिए, वे सारे तैयार मिलेंगे। आज डॉक्टर हैं लेकिन वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं इसलिए सरकार को डाक्टर नहीं मिल रहे हैं। अभी तनख्वाह भी आपने 8 हजार से बढ़ाकर 15-16 हजार रुपए कर दी है, लेकिन फिर भी सरकार को डाक्टर नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर नहीं मिलने का एकमात्र कारण एक ही है। अस्पताल सुचारु रूप से तब चल सकते हैं। आप दवा को एमआरपी रेट से नहीं खरीद कर फैक्टरी से डायरेक्ट खरीदेंगे तो सरकार सभी मरीजों को मुफ्त में दवा देगी और निश्चित

(श्री शंकर सिंह)

रूप से यह सरकार का एक बहुत अच्छा कदम होगा। माननीय मंत्री महोदय मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, फैक्ट्री की रेट से दवा निकलती है वह बाजार में मरीजों को आते-आते 8 रुपए की जगह 500 रुपए की होती जाती है। यह बहुत शर्म की बात है, इसके ऊपर अपने को सोचना चाहिए। आपको राजस्थान की सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दायित्व दिया है, सब का भविष्य पांच साल के लिए आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका कर्तव्य बनता है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस दवा को मुफ्त में चालू कराने के लिए आप घोषणा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी बात को सुना उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय मंत्री महोदय अगर दो शब्द कह देते तो अच्छा लगता।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): डिमाण्ड पर बताएंगे। माननीय सभापति महोदय, गए विधान सभा चुनाव के समय और उसके बाद के लोक सभा चुनाव के बीच कभी राहुलजी गांधी का जयपुर में पर्दापण हुआ..

श्री सभापति: आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सारी, माफी चाहता हूं।

श्री सभापति: मैं पढ़ देता हूं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विश्वस्तरीय जयपुर का निर्माण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सभापति महोदय, हां, मैं पढ़ देता हूं, कर दूंगा ध्यानाकर्षण। मैं नियमों के नियम-131 के तहत जयपुर को विश्वस्तरीय बनाने के संदर्भ में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री शांति कुमार धारीवाल आनरेबल।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कल अपनी बात हो गयी थी कि आप ऐसा नहीं करेंगे, अब आप फिर करने लग गए हो?

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कौन करने आएगा? मेरे कुतर चलेगी तो मैं ही कुतरुंगा और कौन कुतरेगा? कोई दूसरा थोड़े ही आएगा कुतरने?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राव साहब को रिक्वैस्ट कर देंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): राव साहब तो दवाई दे देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: कल नहीं, आज ही कही थी 23 तारीख को ही। आज ही कहा था।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में जिस तरीके से आपने सब कुछ लिखा है, निश्चित तौर पर उससे आपकी भावना प्रकट होती है। मैं तो खैर इस प्रदेश का रहने वाला हूं, जयपुर का रहने वाला नहीं हूं, इस प्रदेश की एक सिटी का रहने वाला हूं, लेकिन चूंकि आप ओरिजिनली जयपुर के नागरिक हैं, जयपुर में पैदा हुए हैं, जयपुर में ही रहते हैं इसलिए आपका लगाव मुझसे कहीं ज्यादा इस शहर के लिए होगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने लिखा है और जो सुझाव आपने दिये हैं, वे वाकई स्वागत योग्य हैं। लेकिन लिखते-लिखते आपने कई इसमें समस्याएं जोड़ दीं, मिसाल के तौर पर वर्ल्ड क्लास सिटी जयपुर को बनाया जाए, यह एक अलग इश्यू है। जयपुर का मास्टर प्लान किस तरीके का बने, यह एक अलग इश्यू है। आपने उन दोनों को इसमें जोड़ दिया। मेरा ख्याल है जोड़ने के साथ-साथ ही आपने मास्टर प्लान पर ज्यादा जोर दिया बनिस्बत कि वर्ल्ड क्लास सिटी का क्या स्वरूप हो। इसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आपने लिखा इसमें, केवल नौकरशाहों के भरोसे छोड़ दिया जाए-अवधारणा की संरचना और उसके क्रियान्वयन के काम को। इससे समग्रता में विकसित नहीं हो पाएगा, नौकरशाही स्वयं भ्रमित है, मैं यह मानकर चलता हूं। इस तरीके का सोच आपका है, मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन यह आपकी बात को स्वीकार करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि विशुद्ध चर्चा होनी चाहिए, तर्कसंगत चर्चा होनी चाहिए कि यह अवधारण जो बन चुकी है वह किस तरीके से दूर हो और यह काम सुनिश्चित हो सके और

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

वर्ल्ड क्लास सिटी जयपुर को हम किस प्रकार से सबके सहयोग से बना पाएं। मेरा निवेदन है, निश्चित तौर पर जो आपने बात कही, वह बिलकुल सत्य है। किसी के दिमाग में नहीं था कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए। राहुल गांधी जी आये, आकर उन्होंने एक स्टेटमेंट यह दिया कि जयपुर जैसे शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाना चाहिए। उससे हमें डायरेक्शन मिला। मैं यह मानकर चलता हूं कि हमें ही नहीं मिला, हम कांग्रेस मैन को ही नहीं मिला बल्कि जिन-जिन लोगों ने भी उनका स्टेटमेंट पढ़ा, उन सब ने उनकी भावना को वैलकम किया। जिसमें आप भी थे और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता थे। किसी भी नेता ने, प्रतिपक्ष के नेता ने या और अन्य किसी भी विरोधी दल के नेताओं ने इस बात को नकारा नहीं कि यह सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह जाए। कहीं ऐसा नहीं हो, जैसे गरीबी हटाओ का नारा लगा, वह नारा बनकर रह गया। तो किसी ने भी इस बात का एतराज नहीं किया कि यह सिटी वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बन सकती। जिसने भी देखा उसने यही देखकर किया कि सरकार जो कुछ काम करेगी, इस सिटी को वाकई वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए अपने प्रयत्न करेगी। 22.10.09 को एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई और उस टास्क फोर्स कमेटी का जो गठन किया गया उसी के द्वारा विजन डाक्युमेंट और एक्शन प्लान की जिम्मेदारी आवास विकास लिमिटेड को दी गई। मैं उन बातों पर आना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड क्लास सिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या-क्या प्रयास आज तक किए गए हैं। आवास विकास लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और इस हेतु एक निजी कंसल्टेंसी फर्म फीडबैक बैंचेज की सेवाएं भी ली गईं। टास्क फोर्स कमेटी की अभी तीन बैठकें हो चुकी हैं, 21 नवम्बर को हो चुकी, 5 दिसम्बर को हो चुकी और 19 दिसम्बर को हो चुकी। 19 दिसम्बर की बैठक में जयपुर के सारे प्रमुख-प्रमुख टाउन प्लानर, वास्तुविद, आर्कीटैक्ट्स, बिल्डर्स, ट्रेड एण्ड कामर्स और इण्डस्ट्रीज के लोग, खास तौर पर फोर्टी के लोग, और संबंधित विशेषज्ञ जो इस विषय को समझते थे और इस विषय पर अपनी जानकारी देना चाहते थे या इस विषय पर अपनी राय देना चाहते थे, उन सबकी राय लेकर एक सेमिनार आयोजित की गई। प्रथम ड्राफ्ट जो कुछ बन पाया, 15.2.10 को इसका पहला ड्राफ्ट बना। इसी के क्रम में आगे जाकर 13.3.10 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सलाहकार फर्म फीडबैक बैंचेज द्वारा जयपुर विजन-2030 का इन्टरिम प्रोजेक्शन प्रस्तुत किया गया। बैठक में कोर कमेटी का गठन किया गया। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

बनाना एक तरह से कंटीन्युअस प्रोसेस है। यह नहीं है कि कोई आज बैठक कर ली और बैठक करके फैसला कर लिया, सब कुछ कर लिया, यह कंटीन्युअस प्रोसेस है। विचार आते रहेंगे, विचार क्रियान्वित होते रहेंगे। कुछ रिजैक्ट् होंगे, कुछ असैप्ट होंगे। कुछ पर काम होगा, कुछ पर काम होते-होते बंद होगा। यह सब कुछ चलता रहेगा। जयपुर शहर किस वक्त बना था, आप राजपाल सिंह जी से पूछना चाहता हूं? और कहना भी चाहता हूं उनको, कि यह जयपुर शहर कोई एक रोज में महाराजा जय सिंह नहीं बना पाये थे, उनको भी सालों लग गये थे जयपुर बनाने में । जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तो आपको याद है, कितने साल लग गये थे? हम जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं यह कोई खेल नहीं है बच्चों का कि फटाफट बन जाएगा। जो कुछ नयी चीज इस जयपुर में लाएंगे, वो वर्ल्ड क्लास लाएंगे, यह हमारा एक इरादा है। जो कुछ मौजूद है अगर उसको भी वर्ल्ड क्लास बना सकेंगे तो उसको भी बनाने का प्रयत्न करेंगे। मैं आगे भी आ रहा हूं।

वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए कई काम चिन्हित किये गये हैं और इसका प्रारूप जो 2025 का मास्टर प्लान आने वाला है, उसमें भी कुछ न कुछ दिया गया है। आपने मास्टर प्लान के लिए एतराज उठाया, पत्र भी लिखा आपने जेडीए को। जेडीए ने आपको वापस पत्र लिखा जिसमें आपने कई प्रकार के आब्जेक्शंस उठाये। कई अच्छे आब्जेक्शंस भी थे, उनका जवाब भी दिया है, कि यह अंग्रेजी में है, हिन्दी में होना चाहिए, जनता ज्यादातर हिन्दी जानती है, उसको भी किया जा रहा है। पैमाने पर नहीं है, यह नहीं मालूम पड़ता कि भू उपयोग क्या है। आपका एक यह भी सुझाव था कि नये जयपुर के क्षेत्र में भूमि का उपयोग किस प्रकार का हो, कहां-कहां हो, तो इसमें विचार चल रहा है। 105 स्क्वायर किलोमीटर पर बनाने का इरादा था लेकिन 105 स्क्वायर किलोमीटर पर नया जयपुर नहीं बन सकता। हिन्दुस्तान की जितनी भी नयी सिटीज बनी हैं, आप किसी को भी ले लें-गुड़गांव को ले लें, आप मोहाली को ले लें, आप गांधीनगर को ले लें, ये कोई भी बत्तीस-तैंतीस स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा नहीं बन पाये। इसका 105 इसलिए छांटा कि उस 105 में खाली जगह हमको कौन सी मिल जाए और कनैक्टिविटी किससे बढ़िया से बढ़िया हो सके जिससे हम सांगानेर के दरवाजे से अगर घुसें और सात-आठ किलोमीटर में अगर हम किसी नये जयपुर में पहुंच सकते हैं तो फिर मानसरोवर क्यों जाएं। यह हमारी सोच थी, उसी पर हमारा सब कुछ काम चल रहा है। मैं यह

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

समझ कर चलता हूं कि कुछ ही महीनों में यह बात साफ हो जाएगी कि अगर नया जयपुर बनना है तो किस जगह बनना है और किस तरह बनना है, उसकी कितनी दूरी चारदीवारी से रह पाएगी।

इसी तरीके से रिंग रोड की बात आपने कही कि रिंग रोड मास्टर प्लान में नहीं बतायी गयी। मास्टर प्लान में रिंग रोड बतायी गयी है लेकिन साउथ की रिंग रोड बतायी गयी है जिसका कि एक्वीजिशन हो चुका है। नार्थ का एलाइनमेंट भी फाइनल नहीं हुआ। नार्थ का एलाइनमेंट फाइनल कर रहा है आपके एनएच। एनएच इसका भी कर रहा है लेकिन करीब-करीब इसका एलाइनमेंट एक तरफ से काफी कुछ स्वीकृत हो चुका है और एनएच का काम भी काफी कुछ बढ़ चुका है। कंसल्टेंट भी हो गये, ये भी हो गया, वो भी हो गया तो इन सब चीजों का जवाब दिया गया है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका शौक है और शौक होने की वजह से, जो आदमी अत्यधिक शौक इसमें लेगा वो ही आकर कुछ न कुछ आपत्तियां प्रस्तुत करेगा, वो ही आकर कुछ न कुछ सुझाव देगा, वो ही आकर इसमें इतना इंट्रैस्ट लेगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से होना चाहिए, क्या-क्या सुझाव हैं। तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं मैं कि इसमें शौक लीजियेगा, जो कुछ सुझाव हैं आपके, वक्त पर दीजियेगा। अभी जयपुर का जो नया मास्टर प्लान है 2025 का, वह बनने वाला है, उसकी तीन बार हम तारीखें बढ़ा चुके हैं। ड्राफ्ट पेश किया है अभी जनता के सामने, जो भी आब्जेक्शंस आते हैं उनको इनकारपोरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शर्त यह होती है कि जो आब्जेक्शंस करता है वो पर्सनली आए और आकर डिस्कस करे एसटीपी से, एटीपी से, डीटीपी से, चीफ एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर, प्लानिंग से। अगर सम्भव हो तो उसको इनकारपोरेट करने का प्रयत्न करते हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नये प्रोजेक्ट्स हम लाना चाहते हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं-चाहे बाइस गोदाम का फ्लाई ओवर हो, चाहे अंडर पास हो, आपके जेपी फाटक हो, चाहे टौंक रोड के ऊपर फ्लाई ओवर हो, दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड हो, खासा कोठी का नया फ्लाई ओवर आपने बनाया, आपने इधर से इधर बना दिया, बनना चाहिए था इधर से इधर, खैर यह बाद में डिसाइड करेंगे। आपसे बात कर लेंगे। आरओबी कंवेंशन सेंटर...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मंत्री महोदय, ताली बजा रहे हैं इमलीवाला फाटक भी बना देना।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसको एग्जामिन करवाया है, लेकिन वो सम्भव नहीं हो पाएगा। इतनी ज्यादा वहां पर बसावट है उस वजह से सम्भव नहीं हो पाएगा। कालीचरण जी ने दो सुझाव दिये थे, एक महेश नगर का और एक कल्याण नगर का तो कल्याण नगर का है वो फिजीबल बैठता है तो टैक्निकली, इसलिए...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आजाद साहब कहते हैं कि ताली बजा रहे हैं, हमको भी कुछ देना। तो ताली बजाने वाले को जो मिलता है, नेग मिल जाएगा।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): साहब, ताली नहीं मेज बजा रहा हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): स्नो पार्क बनाने का विचार है ठीक इसी तरीके से शांति पथ टनल रेस कोर्स, न्यू सुओ मोटो प्रोजेक्ट्स, मिसिंग लिंक इन जयपुर, वाइडनिंग आफ शांति पथ, भवानीसिंह रोड, रिंग रोड, गोल मार्केट, मैट्रो रेल, मोनो रेल, रोप-वे, फिल्म सिटी, कार पार्किंग के कई प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास होने वाला था लेकिन माननीय चन्दनमलजी बैद साहब की डैथ की वजह से वो उस रोज नहीं हो पाया। रामनिवास बाग़ की नयी पार्किंग, जय क्लब की स्ट्रिप, सोडाला पुलिस स्टेशन की शिफ्टिंग, एनीमल हस्बेंडरी आफिस में पार्किंग, ब्यूटिफिकेशन आफ द स्टेच्यू सर्किल। स्टेच्यू सर्किल और रामनिवास बाग़ का दुबारा से ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट लेने का है। हैरिटेज एंड रिवाइटेलाइजेशन आफ न्यू जयपुर और रिएलोकेशन प्लान आफ द स्लम्स, सैक्टर रोड्स जगतपुरा टू खो नागोरियान, जयपुर, कोटा, जोधपुर पीआईयू और दहमीकलां का यह आठ सौ बीघा का गोल्फ कोर्स, रेस कोर्स वगैरह-वगैरह। टोल बूथ आन अजमेर रोड टू बी शिफ्टेड न्यू जयपुर, शांति वन वर्क, खासा कोठी फ्लाई ओवर, कलेक्ट्रेट सर्किल, थीम पार्क, ज्योति फूले सर्किल इसका भी शिफ्टिंग, बीआरटीएस, रिवाइज्ड डीपीआर, शूटिंग रेंज, घाट की गूणी टनल, ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाई ओवर और गुर्जर की थड़ी का फ्लाई ओवर, इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इनमें से एक भी प्रोजेक्ट जो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया जाएगा, वो किसी भी हालत में वर्ल्ड क्लास से कम स्टैण्डर्ड का नहीं होगा।

आखिर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसके साथ-साथ, देखिये, वर्ल्ड क्लास सिटी है, to describe cities which control disproportionate amount of global business, तीन कंटेंट्स हैं। तीन कंटेंट्स में एक तो इकोनोमिक

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

करैक्टरस्टिक्स है, दूसरा एक पोलिटिकल करैक्टरस्टिक है और तीसरा कल्चरल करैक्टरस्टिक है और चौथा एक और है इंफ्रास्ट्रक्चर करैक्टरस्टिक। इकोनोमिक करैक्टरस्टिक में अगर वर्ल्ड क्लास सिटी हम जयपुर को बनाना चाहते हैं तो कारपोरेट हैडक्वार्टर्स आफ द मल्टीनेशनल कारपोरेशंस जरूर आने चाहिए। ठीक इसी तरीके से पोलिटिकल करेक्टरस्टिक्स में ला रहे हैं तो पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल इवेंट्स एंड द वर्ल्ड अफेयर्स होना चाहिए। कल्चरल करैक्रस्टिक्स लाते हैं तो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जिनमें म्यूजियम हो, कॉरीडोर हो वगैरह-वगैरह। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों तो उसमें यूनिवर्सिटीज हों, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, अटेंडेंस हो। ठीक इसी तरीके से साइट्स फोर पिलग्रिम्स एंड वर्ल्ड रिलीजंस, वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इन्फ्रास्ट्रक्चर में देख लें आप तो एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, एडवांस्ड कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, हैल्थ फैसेलिटीज में हास्पिटल्स हों, मेडिकल लेबोरेटरीज हों और हास्पिटल्स भी ए ग्रेड के हों। प्रोमीनेंट स्काई लाइन हो, ऊंचे-ऊंचे मकान हों। इस तरीके से ये सब कुछ चीजें इसके अन्दर लिस्टेड हैं, मैं यह मान कर चलता हूं कि जब कभी भी सेमिनार हमारे द्वारा आयोजित होगी, मैं निश्चित तौर पर आपको निमंत्रण दूंगा। आपके सुझाव, अमूल्य सुझाव उसमें इनकारपोरेट करने की कोशिश करेंगे। मैं पुन: आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि इतना शौक लेकर यह एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल वर्ल्ड क्लास सिटी के नाम का आज आपने उठाया और सदन को पूरी जानकारी दिलवाने की कोशिश की है हमारे मार्फत, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: Hon’ble Minister did not look even once towards the Chair. एक बार भी आपने आसन की तरफ नहीं देखा, आप सारा टाइम तिवाड़ी साहब से बात करते रहे।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं माफी चाहता हूं, वैसे तो आसन खुद आकर्षित है और खास तौर पर जब आप बैठते हैं तो मुझे तो इतनी खुशी होती है आपको इस कुर्सी पर बैठा देख कर लेकिन...

श्री सभापति: That was the reason, I thought ...

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लेकिन क्या पता क्या हुआ मुझे कि आज उनका चेहरा ज्यादा प्रफुल्लित नजर आया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, दरअसल जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी है लेकिन उसे पूरी दुनिया के अन्दर पिंक सिटी के रूप में जानते हैं। लोग कहते हैं, हिन्दुस्तान का पेरिस है। जयसिंह जी ने इसे शिल्प शास्त्र के आधार पर बनाया, वास्तु शास्त्र के आधार पर बनाया। 1947 की आजादी के बाद में जब हमको यह जयपुर मिला था, आजाद हिन्दुस्तान को डेढ़ लाख की आबादी का जयपुर मिला था-100 प्रतिशत जयपुर के बाशिंदों को पानी, जयपुर के लोगों ने एक बहुत बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल, यूनिवर्सिटी के लिये जमीन, महाराजा कालेज जैसी बिल्डिंग, एसएमएस स्टेडियम, चौगान स्टेडियम। आज आप वर्ल्ड क्लास सिटी की बात तो कर रहे हैं लेकिन जयपुर शहर की 30 लाख आबादी में से 40 प्रतिशत लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो सरकारी पानी पीते होंगे। आज 30 लाख की आबादी के बाद भी जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के बराबर का चिकित्सालय बनाकर जनता को नहीं दे पाये। सवाई मानसिंह और चौगान स्टेडियम के बराबर का स्टेडियम हम जनता को समर्पित नहीं कर पाये। राजस्थान यूनिवर्सिटी और महाराजा कालेज जैसी बिल्डिंग ही नहीं बना पाये, कालेज तो बहुत दूर की बात है। और आज हम कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास सिटी। हम फ्लाई ओवर से वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं, हम आरओबी से वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। यह आरओबी से और फ्लाई ओवर से वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बना करती। आज जयपुर एक डाइंग सिटी में तबदील हो रहा है, प्यासा जयपुर। हमारे जितने भी पानी के आउटलैट थे-रामगढ़ हमारा बंद हो गया, कूकस गया, रावल जी का बंधा गया, छापरवाड़ा गया, ताला गया। बीसलपुर का पानी हम जयपुर में ले आये लेकिन आप अभी तक लोगों के मकानों के दरवाजे तक नहीं पहुंचा पाये। अभी तो हम 50 साल में यही तय नहीं कर पाये कि जयपुर का जो विकास हम करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ होरिजेंटल होनी चाहिये या वर्टिकल होनी चाहिये। रोज जेडीए ने इतने गांव लिये, इतने राजस्व गांव जेडीए में शामिल, मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर शहर को इतना विशाल बनाने के बाद इन्फ्रास्ट्रैक्चर डवलप करने की कोस्ट आपकी जेब में है क्या? अगर गलती से आपने कर्जा लेकर इन्फ्रास्ट्रैक्चर डवलप कर भी दिया तो इन्फ्रास्ट्रैक्चर को सस्टेन करने की ताकत है क्या? आप कहेंगे ताकत नहीं है। आपने वर्ल्ड क्लास सिटी का मुहावरा सुन लिया। आपने कोई न कोई बना दिया, आपने टास्क फोर्स बना दी, विजन 2030 का डाक्यूमेंट डवलप कर लिया। आपने कहा कि ताजमहल एक दिन में नहीं बना,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ताजमहल का नक्शा तो पहले बन गया होगा। जयपुर एक दिन में नहीं बना, जयपुर का नक्शा तो बन गया होगा। आपने कहा कि मैंने ज्यादा आपत्तियां मास्टर प्लान पर की हैं, आप मास्टर प्लान तो अभी तक सही नहीं बना पाये, वर्ल्ड क्लास सिटी क्या बनाएंगे। पुराना मास्टर प्लान जो आपने बनाया था उसमें लैंड यूज अकेले 10 साल में ढाई हजार बार बदले गये हैं। हर हफ़्ते में दो बार लैंड यूज का बदलाव किया गया। आज आप 3-4 महीनों से एक-एक महीना बढा रहे हैं, आप तीन-चार महीनों में जयपुर की जनता को हिन्दी में छपा हुआ मास्टर प्लान तो नहीं दे पाये जिस पर आप आब्जेक्शन मांग रहे हैं। आपने इंटरनेट पर छोड़ दिया, आपने अंग्रेजी में छोड़ दिया। धारीवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां विधान सभा में कितने लोग इंटरनेट सावी हैं? हमको तो 50-50 हजार रुपये दे रहे हैं न कम्प्यूटर खरीदने के लिये, हम लोग कितने इंटरनेट सावी है? हम में से कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं? और अंग्रेजी भी कौनसी, जयपुर के मास्टर प्लान की टोपोग्राफी। कभी अमानीशाह का नाला 300 फीट होता है, कभी नाला गायब हो जाता है। आप अभी तक अपने मास्टर प्लान में यही तय नहीं कर पाये कि एक पर्टीकुलर जगह का लैंड यूज क्या है। आपका एक पन्ना कुछ और बताता है, दूसरा पन्ना कुछ और बताता है। जब हम मास्टर प्लान ही तय नहीं कर पाये, 2025 तक कैसा जयपुर बनाना चाहते हैं मास्टर प्लान के हिसाब से, कौनसी जगह कहां है, जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं।

मैट्रो का रोज छप रहा है। हमने बड़ी जल्दी में कह दिया कि मैट्रो लाएंगे। अभी बड़ी जल्दी से काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान डवलप किया है, वह कहता है कि साढ़े 16 हजार करोड़ रुपये चाहिये। बीआरटीएस भी आ जाएगा, मोनो भी आ जाएगी, मैट्रो भी आ जाएगी। साढ़े 16 हजार करोड़ में से 10 हजार करोड कर्जा होगा। साढे 7 हजार की मैट्रो में आपका साढ़े 4 हजार करोड़ का कर्जा होगा। धारीवाल साहब, अगर आपके काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू कर दें तो जयपुर की 30 लाख की आबादी के प्रति व्यक्ति पर साढ़े तीन लाख से ज्यादा का कर्जा माथे पर ठोक देंगे आप। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी तो आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे लेकिन मैट्रो के नाम पर, मोनो के नाम पर और बीआरटीएस के नाम पर जयपुर की जनता को कर्जदार जरूर बना देंगे। दिल्ली में मैट्रो चल रही है, किराया आया 8 रुपये प्रति 2

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

किलो मीटर। 11 रुपये में तो आटो मेरे घर आ जाएगा, साहब। दिल्ली की मैट्रो के लिये हमें जापान से कर्जा मिला है एक दशमलव कुछ इंटरेस्ट पर। मैं कहता हूं उतने ही इंटरेस्ट पर हमको कर्जा मिल जाएगा, तो भी आपके इस काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान को पूरा करने के बाद में हमें 600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की किश्त देनी पड़ेगी। यह 600 करोड किसके माथे पर जाएगा? जयपुर में पृथ्वीराज नगर की समस्या का निपटारा हम कर नहीं पाये-लोग पानी के लिये तरस रहे हैं, सड़क के लिये तरस रहे हैं, सीवरेज के लिये तरस रहे हैं, लट्टू के लिये तरस रहे हैं। 20-20 साल से जेडीए का डंडा, पुलिस का डंडा उसकी छाती पर खड़ा है। उस समस्या का निदान हम कर नहीं पाये, उस गरीब को हम सड़क दे नहीं पाये, लाइट दे नहीं पाये, पानी दे नहीं पाये। लाठी के अलावा हमने उसको कुछ नहीं दिया और हम वर्ल्ड क्लास सिटी में मैट्रो लाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैट्रो के साढ़े 7 हजार करोड़ की बजाय ये जो सड़कें छोटी-छोटी हैं, उनकी आस-पास की जगह को एक्वायर कर लें और बाजार भाव से पैसा देंगे तो उसके लिये जनता तैयार है और मैट्रो के पैसे से आधे पैसे से ज्यादा में काम हो जाएगा, जयपुर निश्चित रूप से चौड़ी सडकों वाला विश्वस्तरीय शहर अपने आप ही बन जाएगा। इसमें चिंता नहीं की हमने। हम बड़े-बड़े कंसैप्ट ला रहे हैं, उनसे आकर्षित हो रहे हैं। हमने एक सेमिनार की उसमें जनता की तो कोई भागीदारी ही नहीं, जन प्रतिनिधि की कोई भागीदारी नहीं। आप कहेंगे, एक्सपर्ट का ही काम है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, आप स्पेसिफिक सवाल पूछिये। आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सभापति महोदय, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब तक आप इस मल्टी डाइमेशंस नोशन को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, यही ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं मैं विश्वस्तरीय जयपुर बनाने के लिये कि विश्वस्तरीय होता क्या है। आईआईटी के बिना जयपुर, आईआईटी जाएगा जोधपुर में, विश्वस्तरीय बनेगा जयपुर। आईआईएम जाएगा अहमदाबाद में, विश्वस्तरीय बनेगा जयपुर। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जाएगी अजमेर में, विश्वस्तरीय बनेगा जयपुर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएगी कहीं और, विश्वस्तरीय बनेगा जयपुर। सभापति महोदय, दुर्भाग्य से, मैं कहना चाहता हूं, यह विश्वस्तरीय नाम तो हमारे समझ में आ गया लेकिन विश्वस्तरीय की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अवधारणा क्या है, इसके डाइमेंशंस कौनसे हैं, इन डाइमेंशंस को कोआर्डिनेट करने का क्या प्लान है, उसके रिसोर्स, मोबिलाइज कैसे करेंगे जनता के माथे पर डाले बिना, उसे कर्जदार बनाये बिना, इस कंटीन्युअस प्रोसेस में जनता का कैसे पार्टिसिपेशन करके उसको यूटिलाइज कर लेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, यह अभी तक सरकार के समझ में नहीं आया, मैं यही ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। जयपुर की वाटर बाडीज को खत्म कर के, जयपुर को प्यासा मार कर, जयपुर जब डाइंग सिटी में तब्दील हो जाएगा उसकी चिंता किये बिना हम मैट्रो की चिंता करें, बीआरटीएस की चिंता करें जो वायबल नहीं है, टैक्निकली वायबल नहीं है। मैट्रो का फड़का वोई पहली बार नहीं आया है, 1992 में 'राइज' ने जयपुर में मैट्रो के लिये सर्वे किया था। राइज ने कैलकुलेट किया था कि जयपुर की जनता इस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकती। जिस कॉस्ट को वह बियर नहीं कर सकता, आज एजुकेशन के लिये क्या जयपुर से बाहर जाएंगे? वर्ल्ड क्लास सिटी जयपुर बना देंगे आप, इन्टरनेशनल कारपोरेट् का हब बना देंगे, मैं पढने आईआईएम जयपुर से अहमदाबाद जाऊंगा? आप इसको बड़ा इकोनोमिकल पोलिटिकल सेंटर बना दें कि पोलिटिकल डाइमेंशंस हैं, इकोनोमिकल डाइमेंशंस हैं, कारपोरेट डाइमेंशंस हैं, ये जितने इम्पोर्टेंट डाइमेंशंस हैं, आपके ये इम्पोर्टेंट डाइमेंशंस इस हैरिटेज सिटी को, इस कल्चरल सिटी को, इस शिल्प शास्त्र की सिटी को बर्बाद कर देंगे, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। पूरे कंसेप्ट के ऊपर जनता का पार्टिसिपेशन लिये बिना, इसके कौनसे आयाम हैं, उस ताजमहल का नक्शा तो तैयार कर लीजिए जनता से पूछ कर। शाहजहां से पूछे बिना उसकी महबूबा का ताजमहल का नक्शा तैयार करने वाले आप कौन होते हैं? आप जयपुर की जनता से पूछना नहीं चाहते, जयपुर के प्रतिनिधियों से पूछना नहीं चाहते, जयपुर की समस्या का समाधान आप करना नहीं चाहते और वर्ल्ड क्लास सिटी के नाम पर आप जयपुर को कर्जदार बनाना चाहते हैं सिर्फ नौकरशाहों के भरोसे। सारे एक्सपर्ट आपके नौकरशाह हैं। आपका आर्किटेक्ट नौकरशाह है, आपका विजन डाक्यूमेंट तैयार करने वाला नौकरशाह है, इन सबके सहारे आप जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी में तबदील करना चाहते हैं तो वर्ल्ड क्लास में तबदील नहीं होगा, साहब, यह जयपुर विकृत शहरों में तबदील होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिये । मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे नोशन के बारे में पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ पहले तस्वीर को क्लीयर करें।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पृथ्वीराज नगर का क्या नियमन कर रहे हैं? कोर्ट रोज पूछ रहा है, आपकी मंशा क्या है। मामला कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट की मंशा का मालूम नहीं होता है। जनता 20 साल से तरस रही है। पृथ्वीराज नगर की समस्या का समाधान कर दें, हाई कोर्ट को बता दें तो जनता आपको ज्यादा दुआ देगी। आप कह रहे हो न कि तालियां बजा रहे हैं, बीजेपी वालों ने विरोध नहीं किया। बीजेपी वाले तो विरोध करते नहीं, आप करते रहे लेकिन जयपुर की जनता विश्वस्तरीय बनाने की खोखली बातें सुन कर ताली नहीं बजाएगी। पृथ्वीराज नगर का नियमन आपने किया नहीं और नया जयपुर का फड़का आपने डाल दिया।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कौन-कौन से डाइमेंशंस को कैसे-कैसे इनकारपोरेट करेंगे आप और बिना जयपुर को कर्जदार बनाये हुए इसको विश्वस्तरीय शहर कैसे बना देंगे, कर्जे में बना देंगे क्या, धारीवाल साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, इस ध्यानाकर्षण में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूं ।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं भी इसमें कुछ कहना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा भी इसमें नाम है। सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि यह एक नारा है और इस नारे को हम साकार करना चाहते हैं। इन्होंने खुद यह कहा कि गरीबी हटाओ के नारे के जैसे यह नारा नहीं रह जाए, यह इनकी भावना है। मैं भी चाहता हूं कि आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं, लेकिन वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने से पहले आप जयपुर की सफाई व्यवस्था तो देख लें। इस जयपुर की वर्ल्ड क्लास सिटी को देखने के लिये सारे विश्व के ट्यूरिस्ट यहां आते हैं, जब वे यहां आते हैं तो सामने गाय दिखती है, नीचे उसका गोबर दिखता है। ऊपर देखता है तो बंदर दिखता है। उसके बाद अगर कहीं और दिखते हैं तो कुत्ते और बैल दिखते हैं। आपने हैरिटेज वाक कर रखा है, उस हैरिटेज वाक की क्या हालत है, उस हैरिटेज

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

वाक में आप जाकर देखिये। आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, फ्लाई ओवर और जाने क्या-क्या बना रहे हैं, यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि कहां-कहां फ्लाई ओवर बनेंगे, आपने नया क्या किया? आप हैरिटेज वाक में चलकर देखिये मेरे साथ, अजयाबघर के रास्ते में जहां हैरिटेज वाक घोषित किया है, आपकी सरकार ने उस हैरिटेज वाक की हालत ऐसी कर रखी है कि शर्म आती है। वह भी एक नारा है हैरिटेज वाक, नारा है हैरिटेज वाक। हैरिटेज सिटी नारा बनकर रह गया, उसी तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी भी आपका नारा बनकर रहेगा यदि आपने जन प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया, यदि आपने सही ढंग से काम नहीं किया । आप कच्ची बस्ती को देखिये, जयपुर शहर को आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने जा रहे हैं। चलिये जरा कच्ची बस्ती में, क्या हालत है वहां? वहां पानी नहीं है, वहां बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, वहां टायलेट्स नहीं हैं। किस प्रकार से आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात स्पेसिफिकली करिये, भाषण से थोड़ा परहेज करिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सफाई व्यवस्था हो, रोजाना कचरा उठे, बिजली की व्यवस्था सही ढंग से हो, कच्ची बस्ती के लोगों को सही ढंग से पानी मिले। वर्ल्ड क्लास सिटी का मतलब यह है कि 24 घंटे पानी दीजिए। जो आपने कहा था, 24 घंटे पानी देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बोलने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): विश्वास में नहीं लिया, विश्वास में लीजिए कम से कम। (व्यवधान) गायों के लिए क्या कहते हैं? गायों के मूत्र को रामदेव जी अमृत मानकर कर रहे हैं और ये गायों के गोबर को भगवान नहीं मान रहे हैं। हम तो गायों के दास हैं, गाय हमारी माता है और यह बताओ, गायों के लिए क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): गाय के लिए गौशाला बनाइये, डेरियों को बाहर स्थानान्तरण कीजिए। शहर के अन्दर जो डेरियां हैं उनको बाहर स्थानान्तरण कीजिए। पशुधन को बाहर स्थानान्तरण कीजिए। बंदरों को पकड़िये। कचरे को ढंग से उठाइये। कचरा डिपो को ठीक ढंग से साफ कीजिए। (व्यवधान) सारा शहर को गंदगी में कर रखा है, आप वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा विजन डाक्यूमेंट आपकी फर्म ने दिया है उसमें ...(व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): सभापति महोदय, गौमूत्र से नफरत आती है, गोबर से इनको नफरत आती है, गाय पालना नहीं चाहते। गऊ हिन्दुस्तान की परम्परा है। हिन्दु धर्म है गौ पालने का, और गौ, गोबर से यह नफरत करते हैं। यह गऊ नहीं पालना चाहते, यह कुत्ता पालना चाहते हैं। (व्यवधान) कुत्तों का यह प्लेन में घुमा लाना चाहते हैं ...(व्यवधान) गौमूत्र से, गोबर से यह लोग नफरत करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है, आवारा पशु जो शहर में घूम रहे हैं उनको पकड़िये, उनकी व्यवस्था कीजिए। सफाई कीजिए, गंदी गलियों को साफ कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है, गायों को गौशाला में स्थान दीजिए, गौशालाओं को अनुदान दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि विजन डाक्यूमेंट आपने प्रकाशित किया है उसमें 24 घंटे जयपुर शहर में पानी देने की व्यवस्था की है, जयपुर शहर में पानी की व्यवस्था 24 घंटे...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप घोषणा कीजिए, 24 घंटे पानी देंगे जयपुर शहर को, यह वर्ल्ड क्लास सिटी तब ही बनेगी। जयपुर का जो मास्टर प्लान बनाया है... (व्यवधान)

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...(व्यवधान) घर में गौमाता की पूजा न हो...(व्यवधान) गऊ घर में नहीं रखते (व्यवधान) गोमाता सिर्फ गौशाला के भरोसे रहेगी, यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आनरेबल मिनिस्टर बोलेंगे। (व्यवधान) चर्चा समाप्त।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति: मंत्रीजी खड़े हो गये, बैठिये आप।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, हम दोनों ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान) हमें भी दो-दो मिनट दिये जाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरो पर है, कृपया विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मेरे को दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आसन पैरो पर है, कृपया विराजिये। आदरणीय मंत्रीजी। (व्यवधान) कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान) Please occupy your seat. You already have had a chance. You have spoken enough. Please, be seated. This is my request.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): I am not talking of my time. I am saying, this is a Calling Attention Motion not just mine alone. This Calling Attention Motion has been signed by Shri Mohan Lal ji Gupta, Shri Ashok ji Parnami and Shri Matoria. They have a valid right to present their case before the House, before the hon'ble minister replies.

श्री सभापति: That's right. I have given opportunity to all of you. And you are no one to educate for that. If they wish to have …

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): They are demanding. Our interest is common. This is a common cause.

श्री सभापति: You please sit down.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): This is not arbitration, this is a joint cause. It is a joint cause.

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): वर्ल्ड क्लास जयपुर सिटी बनाने का सपना आदरणीय राहुल गांधी जी ने देखा, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार कृत संकल्प है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाउंगा क्योंकि मेरे पूर्व सदस्यों ने आपको सारी जानकारी दे दी है। अभी मंत्री महोदय अपनी बात कह रहे थे कि वर्ल्ड क्लास जयपुर सिटी बनाने के लिए उन्होंने क्या-क्या कार्य अपने हाथ में लिये हैं, मैं बड़े गौर के साथ सुन रहा था, फ्लाई ओवर ब्रिज बनेंगे, आरओबी बनेंगे, टनल्स बनेंगे, अच्छे पार्क बनेंगे। मैं मंत्री महोदय को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मास्टर प्लान आप बना रहे हैं उसके लिए हमारे सदस्य ने आपको बताया, परन्तु जब तक जयपुर शहर स्वच्छ नहीं रहेगा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा कि जब तक जयपुर स्वच्छ

(श्री अशोक परनामी)

नहीं रहेगा, हम यह वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना नहीं देख सकते। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार के दौरान जयपुर शहर का एक मास्टर ड्रेनेज प्लान बना था। अभी तक जयपुर शहर का मास्टर ड्रेनेज प्लान नहीं बना हुआ था, हमारी सरकार ने प्रयास करके इस मास्टर ड्रेनेज प्लान को बनाया। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन के तहत इसको बनाया गया, इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई, 567 करोड़ रूपये का यह प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके अन्तर्गत पूरे जयपुर शहर का मास्टर ड्रेनेज का सिस्टम था। आज एसएमएस रोड पर बारिश आ जाए तो तीन-तीन, चार-चार फुट पानी भर जाता है, खासा कोठी पर पानी भर जाता है, जयपुर के मोतीडूंगरी रोड़ पर पानी भर जाता है। जयपुर शहर में चार बड़े-बड़े नाले है- सी-स्कीम का नाला, नागतलाई का नाला, जलमहल का नाला, और जिसको द्रव्य नदी कहते हैं उसको भी अमानीशाह के नाले में परिवर्तित कर दिया गया, उन चारों नालों का विकास मास्टर प्लान में था।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): दोनों महापौर बोल रहे हैं। (व्यवधान) 15 बरस तक जयपुर नगर निगम में ये महापौर दोनों रहे हैं, उसकी हालत क्या है? (व्यवधान) खुद बखान कर रहे हैं। इसके बावजूद....

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): व्यवस्था दीजिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): यह बात यहां पर कह रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 24 घंटे जयपुर शहर को पानी दीजिए, तब वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा। 24 घंटे पानी दीजिए। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): आपने क्या किया ?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर शहर को पानी दीजिए, 24 घंटे पानी दीजिए। सफाई रखिये, तब जाकर वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा, नारों से वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): आपने तो यह किया, चार रुपये टन में जो कचरा उठता था वह 480 रुपये टन उठाया। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मेरी मांग है कि 24 घंटे जयपुर शहर को पानी देने की घोषणा करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात चल रही है..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुःख है, जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा रहा है, जोधपुर को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए, कोटा को बनाया जाए, गांव से आने वाले व्यक्ति का क्या होगा, हमारा तो कुछ भी समाधान नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं, जोधपुर को बना रहे हैं, कोटा को बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम गांव के आदमी है, कहां जाएंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जोधपुर को बना रहे हैं, कोटा को बना रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। चर्चा समाप्त ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गांव से आते हैं, गांव के आदमी, गांव का जिक्र भी नहीं है। (व्यवधान) हमारा सदन गांव का सदन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गांव का जिक्र तक नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, चर्चा समाप्त। आनरेबल मिनिस्टर। (व्यवधान) चर्चा समाप्त। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त। (व्यवधान) मैंने पहले ही कह दिया, माननीय मंत्रीजी खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गांव का जिक्र भी नहीं करें ...(व्यवधान) 24 घंटे पानी की मांग करते हैं, गांव का क्या होगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आपकी भावनाओं का आदर करता है सदन।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गांव का जिक्र भी नहीं करते। (व्यवधान) गांव का जिक्र भी नहीं करते। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गांव का क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी भावना का सदन आदर करता है, बैठिये। (व्यवधान) कृपया विराजिये, आसन पैरों पर है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): इन द इन्टरेस्ट आफ जयपुर बात कर रहे हैं।

(: 14.00 बजे)

श्री सभापति: कृपया विराजिये, आसन पैरों पर है। मुझे आपका नाम नहीं लेना पड़े, इसलिये आपसे बार-बार कह रहा हूं, कृपया विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, जयपुर के भले के लिये बात कर रहे हैं। मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये। ये उनकी भावनाएं थीं, आप विराजिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, मेरा भी उसमें नाम है। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): पूरी बात तो कहने दीजिए आप।

श्री सभापति: कृपया विराजिये, आसन पैरों पर है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मेरा नम्बर भी तो था, सभापतिजी, मैं भी नगरपालिका का चेयरमैन रहा, मेरे भी छोटे-मोटे सुझाव ले लीजिये।

श्री सभापति: कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापतिजी, बड़े-बड़े मेयरों के बीच में छोटे-छोटे सदस्यों के भी सुझाव ले लीजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, चारदीवारी के अन्दर...

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, अंकित नहीं हो रहा है। आनरेबल मिनिस्टर आलरेडी खड़े हो गये, आप सदन का आदर करिये, सबका आदर करिये। कार्यवाही चलने दीजिये। (व्यवधान) विराजिये। मैंने काफी टाइम दिया लेकिन आपने व्यवधान कर दिया। (व्यवधान) चर्चा समाप्त।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): Hon'ble Chairman, Sir, I am on a point of order. I want to submit before the Hon'ble Chairman that this is a Calling Attention Motion, not a regular debate. Those people who moved for the attention of the government and the hon'ble Minister, they do have a very legitimate right to present their case before the House. But I am very sorry to say that in this instant case, no reply has been given by the Minister. Everybody, I mean, there are people who need to speak, they do have a legitimate right to speak and the Chair need to protect them. Instead of protecting, trying to hamper their rights.

At the same time, I want to submit that this is a Calling Attention Motion and I will have a right to ask questions to the Minister concerned even after his reply. So, therefore, I request you to permit those people who are party to this motion, who want to participate in this Calling Attention Motion, like Shri Abhishek Matoria and Shri Ashok Parnami.

श्री सभापति: I also value your feelings and ideas which you have expressed. I have already given a reply. What you have uttered, it is also the same thing. As far as your other colleagues are concerned, who are part of this, they have had ample opportunity to speak. But in between it so happened that a lot of time was spent. That's why I requested the hon'ble Minister to stand now. And after that if you still have some questions, you will be allowed to ask them.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): My submission is …

श्री सभापति: Please be seated now. I request you.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): My submission is very simple.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन, सभापति महोदय, आपकी और राजपाल सिंहजी की जो अंग्रेजी में डिबेट हुई है, वह जरुर वर्ल्ड क्लास है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): घनश्यामजी, कुछ तो हुआ वर्ल्ड क्लास।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): यह तो हो रहा है कि वर्ल्ड क्लास में राजपालजी रहते हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कहीं तो आप लोगों के मुंह से वर्ल्ड क्लास का शब्द निकला। सभापति महोदय, आपने शंका जाहिर की थी कि नया ड्राफ्ट मास्टर प्लान जो है वह हिन्दी में नहीं निकला। यह 29 मार्च, आने वाली है, 29 मार्च को हिन्दी में पब्लिश हो जाएगा। आपने एक दूसरी शंका जाहिर की सी.एम.पी. के लिये कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के लिये, यह एक लांग टर्म प्लान है। इसका जो एक्सपेंडीचर है, जो कुछ भी इसका खर्चा होगा वह अकेले स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा, इसमें प्राइवेट पार्टीज का भी होगा, सेण्ट्रल गवर्नमेंट का भी होगा। पूरी लायबिलिटी इसमें राज्य सरकार की नहीं हुआ करती है कभी भी, इस बात को ध्यान में रखियेगा। तीसरी बात आपने कही थी सी.एम.पी. पर, अभी सी.एम.पी. पर वैसे कोई खास पूरा निर्णय भी नहीं हुआ है, क्योंकि सी.एम.पी. बनाकर हमने सेण्ट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। सेण्ट्रल गवर्नमेंट देखेगी, क्या हुआ, क्या नहीं होगा। आखिर में इसका क्या स्वरूप रह पाएगा, कितना मंजूर होता है, कितना मंजूर नहीं होता है, यह एक आगे की बात है।

मैं एक जयपुर की आबादी के लिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस देश के किसी भी शहर की इतनी तेजी से आबादी नहीं बढ़ रही है जितनी कि जयपुर की बढ़ रही है। आज 32-33 लाख की जयपुर की आबादी है और हम यह सोचकर चलते हैं कि 2030 के आसपास इसकी पापुलेशन कम से कम 75 लाख हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखियेगा। इस 75 लाख की पापुलेशन का अगर आज से हम इंतजाम नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? लोग-बाग़ हमें किस प्रकार, किस तरीके से दोषी करार देंगे, यह सोचने की बात है। मैं आपको यह निवेदन कर चुका हूं कि 2031 में यह 75 लाख के करीब हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रेन्थन करना अति आवश्यक है। इसलिये मैट्रो की बात हो चाहे मोनो रेल की बात हो, चाहे बी.आर.टी.एस. की बात हो, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यह सब कुछ किया है। आपको ध्यान है, अहमदाबाद की पापुलेशन सिर्फ 30 लाख की है, इसके बावजूद भी वे मैट्रो ले जा रहे हैं। कोच्चि की पापुलेशन 30 लाख से भी कम है लेकिन फिर भी वे मैट्रो ले जा रहे हैं। कोच्चि देख लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिएगा, जहां-जहां पर जिन-जिन लोगों ने इस बात के लिये पहले से सोच लिया और पहले प्लान बना लिया, निश्चित तौर पर वहां के लोग कितने आगे जाकर सुखदायी होंगे, वह देखने वाली बात है।

पानी के बाबत आपने चिन्ता जाहिर की, निश्चित तौर पर जयपुर छोड़िये, पूरा देश और पूरा संसार पानी के लिये चिन्तित है। बीसलपुर की

(श्री शांति कुमार धारीवाल)
योजना ले आये, हजारों करोड़ रुपया उसमें खर्च किया। फिर भी बारिश नहीं आ पाई, यह एक अलग बात है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी जयपुर को पानी पिलाने के लिये न कभी रही और न कभी रहेगी।

तीसरी आपने कर्जे की बात की। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कोई एक कारखाना इस हिन्दुस्तान में लगा हुआ नहीं, बल्कि वर्ल्ड के किसी भी सिटी में लगा हुआ बता दें जो बगैर कर्ज के कारखाना खड़ा हो गया हो। जब कभी भी कोई प्लान बनेगा, निश्चित तौर पर कर्ज लिया जाएगा और कर्ज लिया जाएगा तो कर्ज चुकाने की क्षमता होगी, तभी कर्ज लिया जाएगा। चाहे वह मैट्रो के लिये लें, चाहे किसी भी स्कीम के लिये लें, कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं है। परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये अगर कोई सरकार कर्ज लेती है तो मैं यह समझता हूं कि कहीं कोई गलत नहीं करती है। आपने यह बताया कि आई.आई.एम, चला गया, आई.आई.टी. चली गई, सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी चली गई। यह भी चला गया, वह भी चला गया, तो क्या वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगा। क्या आई.आई.एम से वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगी? खड़गपुर जैसे रिमोट प्लेस में जो कि वैस्ट बंगाल में है, आई.आई.टी. आज नहीं, सन 54-55 से चली आ रही है। रुड़की, वहां पर आई.आई.टी. चल रही है तो क्या वह वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है? राहुल गांधी ने सोच कर वर्ल्ड क्लास सिटी का शब्द अपने मुंह से निकाला था। वह इसलिये निकाला था कि यह हैरिटेज सिटी भी है, यह खूबसूरत सिटी भी है। यह वैल प्लाण्ड है। इसकी जो टाउन प्लानिंग है, वह वण्डरफुल टाउन प्लानिंग है, उस जमाने की वण्डरफुल टाउन प्लानिंग है। तभी उन्होंने यह सोचकर कहा था कि इस सिटी को वर्ल्ड सिटी बनाया जा सकता है। और उसी लाइन पर हम चलने के लिये अग्रसर हैं। पृथ्वीराज नगर के लिये आपने कहा। इस सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। याद है आपको, पृथ्वीराज नगर की लैण्ड एक्वायर किसने की थी? उस वक्त आपकी सरकार ने की थी और कब तक उलझा कर रखा उसको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वापस ले लूंगा, आप मुझे बता देना बाद में। जब मैं यील्ड कर लूं तब बता देना आप। पृथ्वीराज नगर का एक्वीजिशन आपके वक्त में हुआ, सन 88 से लेकर उस योजना को 2002 तक उलझाये रखा गया। 2002 में कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

इसका फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य से मामला चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया, कोग्नीजेंस ले लिया और कोग्नीजेंस लेकर आज तक उलझा दिया। आज भी हमें जवाब पेश करना है और हमारा जवाब करीब-करीब तैयार है। निश्चित तौर पर इसी तरीके का जवाब तैयार है कि हम आम आदमी को राहत देना चाहते हैं। तो मेरा आपसे यह निवेदन है, यही निवेदन है आपसे...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सफाई के लिये बताएं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सफाई के लिये सुनना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हां।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप विराजो, एक मिनट सुना देता हूं आपको।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सुनाओ।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको ध्यान है, सौ रुपये टन पर जो कचरा उठता था, आपके वक्त में 450 रुपये टन में कचरा उठा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): 480 रुपये में।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 480 रुपये टन में कचरा उठा है। आप मुझसे पूछना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अभी सफाई तो कराओ जयपुर शहर की। गन्दगी तो साफ करो। पैसे का सवाल कहां है? कितने टन में उठ रहा है, कितने में नहीं, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जयपुर की गन्दगी की सफाई करो। (व्यवधान) जयपुर की गन्दी गलियों को साफ करो, जयपुर का कचरा उठवाओ।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जिस तरीके से आप और परनामी साहब यहां के मेयर रहे... (व्यवधान) कृपया सुन लो आप।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर का कचरा उठाओ। नहीं, मैं और परनामी साहब ...(व्यवधान) आप चला रहे हैं जिम्मेदारी आपके ऊपर है अब तो। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी तो सुन लो, कचरे के बारे में जिस तरीके से आप और परनामी साहब के समय कचरा उठाते थे... (व्यवधान) वैसी गंदगी कभी नहीं हुई होगी, कभी नहीं हुई होगी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): गंदी गलियां साफ करवाइये। जयपुर शहर में सफाई नहीं हो रही है। पूरे शहर में गंदगी हो रही है। यह क्या कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहता हूं, अब नगर निगम में मेयर आपका है, सरकार आपकी है, अब भी सफाई आप कराओ। मुझे बता देना कि कितने रुपये पर टन से आप कचरा उठाएंगे। यह मालूम हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था, मंत्री महोदय ने उसमें कोई जवाब नहीं दिया। जो जयपुर शहर का मास्टर ड्रेनेज प्लान बना था 567 करोड़ रुपये का, जवाहर लाल नेहरू अरबन मिशन के तहत, उस बारे में आपने कुछ नहीं बोला। उसके बारे में भी कोई विचार रखते आप। क्या आप उसको करना नहीं चाहते? माननीय सभापति महोदय, चारदीवारी के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कोई जवाब नहीं देते तो फिर कोई मतलब नहीं है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप किसकी इजाजत से बोल रहे हैं?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत से बोल रहा हूं मैं तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, मैंने आपको इजाजत दे दी? मंत्री महोदय ने ... (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैंने तो इतनी ही बात बोल दी, माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, चर्चा समाप्त हो गयी। अब माननीय सदस्य, अगर पूछना चाहते हैं तो मैं बोलता नहीं, इन्हें बोलना है। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): तो अब बोल लें। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, अब बोल लें?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिलवाया।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कोई आश्वासन नहीं दिया। कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम सफाई करवाएंगे, गंदगी को साफ करेंगे, पार्किंग व्यवस्था ठीक करेंगे, पानी की व्यवस्था को ठीक करेंगे। छोटे-छोटे काम तो किये नहीं और वर्ल्ड क्लास सिटी ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): बी.जे.पी. की सरकार थी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, चर्चा समाप्त। श्री नन्दलाल मीणा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलेंगे। श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): चलो, साहब, नन्दलालजी मीणा को बोलने दो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): नन्दलालजी मीणा नहीं हैं, साहब।

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। आनरेबल मिनिस्टर आफ इण्डस्ट्रीज श्री राजेन्द्र पारीक।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत

(श्री राजेन्द्र पारीक)

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमराराम।

याचिका का उपस्थापन

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

दांतारामगढ़ की सड़कों का रिनोवेशन

(1) दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की डामर सड़कों का रिनोवेशन एवं सुदृढ़ीकरण करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, एवं

दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय

(2) दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़

देचु (शेरगढ़) में गौण मण्डी यार्ड की स्थापना

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जोधपुर (अनाज) मण्डी क्षेत्र देचु में गौण मण्डी यार्ड की स्थापना एवं निर्माण बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से नगरपालिका एवं उपखण्ड देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल बैरवा।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

(श्री बाबूलाल बैरवा)

जैसलमेर के ग्राम तम्डेराय रोड फांटा से पोलजी तक सड़क निर्माण

(1) जिला जैसलमेर के ग्राम तम्डेराय रोड फांटा से ग्राम पोलजी की डेयरी के मध्य 2 किलोमीटर सड़क बनाने बाबत छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, एवं

जैसलमेर-बाड़मेर रोड के 11 किलोमीटर से चुनाराम भील की ढाणी तक 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण

(2) जैसलमेर-बाड़मेर रोड के 11 किलोमीटर से चुनाराम भील की ढाणी तक 2 किलोमीटर रोड बनाने बाबत् छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा को जिला बनाने की मांग

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जोधपुर सम्भाग में बालोतरा को जिला घोषित कर क्षेत्रीय जनता को राहत प्रदान करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011, अनुदान की मांगों पर विचार।

सूचना

पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों का धरना

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। आप विराजें।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के आठ पशु चिकिल्सा महाविद्यालयों के सैकड़ों छात्र आज राजस्थान विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान के अन्दर पशु चिकित्सक के बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन रिक्त पदों को भरने की मांग है। जिस तरीके से मेडिकल कालेज के छात्रों को, होम्योपैथिक छात्रों को, आयुर्वेद के छात्रों को स्टाइपण्ड मिलता है, उसके अनुरूप इन पशु चिकित्सा छात्रों को भी स्टाइपण्ड मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, उनको स्टाइपण्ड मिलता है 600 रुपये और पी.जी. करने वाले को मिलता है 900 रुपये, मेडिकल कालेज के स्टाइपण्ड को 3500 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने बोला पाइंट आफ इन्फार्मेशन। इसमें सूचना देने का आपको अधिकार दिया गया है, आप भाषण नहीं दें कृपया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनें। हां-हां, सूचना दे रहा हूं मैं। आज सरकार के बाहर दस्तक देकर बैठ रहे हैं, कृषि मंत्रीजी नहीं मिल रहे हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी नहीं मिल रहे हैं। कृषि मंत्रीजी गांव में जाकर आश्वासन देते हैं कि हम 600 पशु चिकित्सकों को भरेंगे। मैं यहां पर मांग करना चाहता हूं कि उन पशु चिकित्सा छात्रों के स्टाइपण्ड को बढ़ाया जाए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर आपको ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उनका स्टाइपण्ड मेडिकल, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा के अनुसार किया जाए।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित मत करिये। श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37-कृषि की प्रस्तुति

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,96,57,66,000/- (दस अरब छियानवे करोड़ सतावन लाख छियासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2011 को

(श्री हरजीराम बुरड़क)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,02,70,71,000/- (तीन अरब दो करोड़ सत्तर लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-4 देखें)

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल सैनी।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या-37 और मांग संख्या-39 पर आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोलने का मौका दिया।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): बड़ी मुश्किल से।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का बजट 2009-2010 एक साल पहले पेश किया, उस बजट के अवलोकन से इतनी निराशा हुई कि 2008-2009 में 1630 करोड़ रुपये का जो बजट था उसको बढ़ा कर 1977 करोड़ किया गया यानी मात्र 21 प्रतिशत वृद्धि करने की बात कही गयी है। माननीय सभापति महोदय, बजट के बिन्दुओं पर काफी चर्चा हो चुकी है, मैं आज आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही वह मर जाता है। माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे कारण यह है कि पूरे देश की जो ड्राई लैण्ड है, 317 लाख हैक्टेयर भू-भाग पूरे देश का है, उसमें राजस्थान का ड्राई लैण्ड का हिस्सा 61 प्रतिशत है और देश का 40 प्रतिशत हिस्सा, शुष्क और अर्द्ध-शुष्क राजस्थान में है। इन विषम परिस्थितियों के बाद भी हमारा राज्य कभी वर्षा की मार झेलता है, कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि। उसके बाद भी, माननीय सभापति महोदय, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, सत्तारूढ़ दल बिलकुल गैर-जिम्मेदार है। वित्तीय मांग के समय आज यहां जो स्थिति है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निन्दा करता हूं और आसन से भी आग्रह करता हूं कि निन्दा करे। तीनों बैंच खाली हैं। दो आदमी सामने बैठे हुए हैं, क्या है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह? कृषि पर बहस हो रही है और कृषि के बारे में इनका कोई लगाव नहीं, सुनना नहीं चाहते यह। सारी की सारी बैंच खाली करके मजाक बना दी सदन की। बुलाइये आप उन सबको। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): किसान विरोधी सरकार है यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, माननीय सभापति महोदय, यह इस पर व्यवस्था चाहता हूं, सारी बैंच खाली पड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी आप कृपया थोड़ी देर इन्तजार करें।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, ये कृषि विरोधी हैं इसलिए यहां मौजूद नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखिये, आप कुछ कहिये, ऐसे नहीं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सैनी साहब के मौलिक विचार सुनने को सब यहीं है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): व्यवस्था दो, माननीय सभापति महोदय। हमें व्यवस्था देते हो वैसे ही इस पर व्यवस्था दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, मैं सरकारी मुख्य सचेतक से निवेदन करूंगा कि उप नेता ने परम्परा के हिसाब से जो बात कही है, उसका भविष्य में ख्याल रखा जाए, यह उचित होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): भविष्य में क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो अभी रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यहां मत बैठाओ और ...(व्यवधान) कर दो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यहीं हैं। सब यहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया बोलिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जैसे आपने पांच साल परफारमेंस रखी थी उससे ज्यादा अच्छी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, राजस्थान के परिदृश्य को हम देखते हैं तो राजस्थान का किसान पूरे देश के किसान से अलग आन, बान और शान रखता है। यदि हम महाराष्ट्र से तुलना करें, आन्ध्र प्रदेश से तुलना करें तो वहां से भी ज्यादा राजस्थान का किसान एक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है और उसी का परिणाम है कि आज कई जिन्सों में- जीरा, धनिया, मेहंदी, मेथी, सरसों और यहां तक कि ग्वार में पूरे देश में राजस्थान प्रथम नम्बर पर आता है। लेकिन, सभापति महोदय, समय बदला, परिस्थितियां बदलीं। मैं आलोचना पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं सकारात्मक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं। किसान, कृषि और गांव के प्रति मेरे जेहन में भी एक चिन्ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार के ठोस उपास किये जाने चाहिये। खाद्यान्न और दलहन पैदा करना ही कृषि का उद्देश्य नहीं है। कृषि के बहुत सारे विषय हैं जिनमें एग्रीकल्चर है, होर्टीकल्चर है। होर्टीकल्चर में फ्लोरीकल्चर है, ओलेरीकल्चर है, इसके अलावा एक्वाकल्चर है। इसके अलावा यदि हम देखें तो प्लास्टिकल्चर है, टिश्यू कल्चर है, हर्बीकल्चर है, एनीमल हसबेंडरी है, पोलट्री है, पिग्री है, डक्री है और बी-कीपिंग है। माननीय सभापति महोदय, इन सारे कामों पर, जिस प्रकार से बजट में इन्होंने घोषणा की है, एक भी विषय को प्राथमिकता से नहीं लिया गया है। सभापति महोदय, इन सारे विषयों को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिये और मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, सरकार का विजन यह होना चाहिये... (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, जवाब में बोल देना। सरकार का विजन यह होना चाहिये कि कृषि आय में वृद्धि कैसे की जाए। पानी का कुशल प्रबन्धन किस प्रकार किया जाए, इस पर चिन्ता होनी चाहिये। विपणन श्रृंखला, मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे हो, इस पर विचार किया जाना चाहिये। प्रोसेसिंग, वैल्यू एडीशन, ग्रेडिंग ओर पैकिंग की व्यवस्था, ये चार तत्व कृषि के विजन में थे, इन पर सरकार को विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, उत्पादकता और गुणवत्ता की यदि हम बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि को हम देखते हैं तो गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन का औसत 2619 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। यह आप लोगों की सरकार के वक्त में राजस्थान में 2639 किलोग्राम था और जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार के वक्त में 2920 किलोग्राम प्रोडक्शन पर हैक्टेयर हो गया, यानि उत्पादकता वृद्धि के ठोस उपाय हम लोगों ने किये। जौ के उत्पादन में 3938 किलो था,

(श्री प्रभुलाल सैनी)
हमारे वक्त में 2440 किलो हुआ। इसी प्रकार सरसों में 1117 किलो पर हैक्टेयर प्रोडक्शन था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 1182 हैक्टेयर किया। इसी प्रकार मूंगफली 1287 किलो पर हैक्टेयर जो प्रोडक्शन था, उसको बढ़ाकर हमने 1341 किलो राजस्थान में किया। इस प्रकार राजस्थान में उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार के लिये यूपीए की सरकार ने हमारी सरकार के वक्त में किये गये कामों पर एक करोड़ रुपये का नकद इनाम दिया और रजत पदक से सम्मानित किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कृषि और पशुपालन के नवाचार के क्षेत्र में सरकार को काम करने चाहिये। जैसे अभी घोषणा की है मुख्य मंत्रीजी ने राजीव गांधी कृषि एवं पशुपालन मिशन की, पांच ऐसे मिशनों का गठन हुआ है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। सभापति महोदय, किसी मिशन के बना देने से या किसी मिशन में बड़े-बड़े अक्षरों को या लम्बी फौज को जोड़ देने से मैं समझता हूं राजस्थान का, राजस्थान के किसान का और पशुपालन का कोई भला नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी सरकार के वक्त में हम लोगों ने राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष डा. एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। उसमें सिक्स थीमेटिक ग्रुप्स हम लोगों ने बनाये थे, उन थीमेटिक ग्रुप में हम लोगों ने 5-6 बिन्दुओं को जोड़ा था- साइल हैल्थ अनाउंसमेंट, वाटर मैनेजमेंट, टैक्नोलोजी एण्ड इनपुट मैनेजमेंट, वैल्यू एडीशन एण्ड एग्रो प्रोसेसिंग मार्केटिंग सपोर्ट, क्रेडिट एण्ड इंश्योरेंस एण्ड एनीमल हसबेंडरी एण्ड फाडर। सभापति महोदय, यदि हम इस मिशन को देखते हैं तो इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम लोगों ने नहीं किया हो। पूरे देश के ख्यातनाम लोगों को, हर सब्जैक्ट के विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया था, लेकिन इस सरकार ने, एक साल से ज्यादा समय हो गया, एक दिन भी इस मिशन की मीटिंग नहीं बुलाई। इससे ऐसा लगता है कि मात्र नाम बदलकर योजनाओं का क्रियान्वीकरण करके एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की ओर इनका ध्यान बढ़ा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी को कांकरीट सुझाव देना चाहता हूं। कृषि मंत्रीजी, आपने देखा होगा कि राजस्थान की हमारी पूर्व सरकार के वक्त में वसुन्धरा जी ने इजरायल में किसानों का भ्रमण दल भेजा था और वहां से जैतून की खेती के बारे में एक नई पद्धति हम लोग

(श्री प्रभुलाल सैनी)

लेकर आये थे। वहां से लाकर 240 हैक्टेयर में एक लाख से ज्यादा पौधे अच्छी वैरायटी के पौधे हम लोगों ने राजस्थान में उगाने का निर्णय लिया था। भारत सरकार ने इसकी प्रशंसा की थी इस प्रदेश के क्लाइमेट को देखते हुए, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो पौधे हमारे द्वारा लगाये गये थे, करीब एक लाख पौधे उगाये गये थे, आज उनके फूल आ गये हैं, आज वे फ्लावरिंग की ओर हैं। अभी राजकीय फार्मों पर हमने इनको विकसित किया है, अब आपसे सुझाव होगा कि किसानों के खेतों तक जैतून की खेती को लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

मैं दूसरा सुझाव आपको यह देना चाहूंगा कि सैकिण्ड फेज के रूप में डेटस्वान की खेती राजस्थान में हमारी सरकार के वक्त में शुरू हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात से टिश्यू कल्चर के प्लांट हम लोग लेकर आये थे और 140 लाख हैक्टेयर में वैस्टर्न राजस्थान में हम लोगों ने इनका प्लाटिंग किया था। आज वे बहुत अच्छे, हैल्दी हैं, मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वितीय फेज के अन्तर्गत आप इनको भी लें। जहां इसके लिये जलवायु है, जहां 200 एम.एम. से कम बारिश है और जहां पर तीन डिग्री से कम वाला पाला पड़ता हो और जहां पर 10 हजार टी डी एस खारे पानी की मात्रा ज्यादा हो, उन क्षेत्रों में इसके लिये काम करने का मैं सुझाव देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा, एग्रो इंडस्ट्रियल डवलपमेंट सेंटर राजस्थान में स्थापित किया जाना चाहिये-राजस्थान के किसानों की हाई टैक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिये, प्रशिक्षण नवाचार के लिये, ग्रीन हाउसेज के लिये, पाली हाउसेज के लिये, ड्रिप इर्रिगेशन के लिये। माइक्रो इर्रिगेशन को राजस्थान में कैसे और अधिक बढ़ाया जा सके, इसमें भी मैं इनको सुझाव देना चाहूंगा कि टिश्यू कल्चर की लैब जो जयपुर में नहीं है, वह टिश्यू कल्चर लैब यहां पर स्थापित होनी चाहिये। टिश्यू कल्चर की लैब के स्थापित होने के बाद मंहगे-मंहगे जो प्लांट हम बाहर से लाते हैं, वे हमको बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बजट 2009-10 की उस बात की ओर जिसमें इन्होंने पैरा संख्या एक में कहा कि किसान आयोग का गठन कर दिया है, शीघ्र अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सभापति महोदय, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 13 अप्रैल, 2007 को नोटिफिकेशन जारी करके किसान आयोग का गठन हमारी सरकार के वक्त में हम लोगों ने कर दिया था। सवा साल का टाइम हो गया, सभापति महोदय, आज दिन तक किसान आयोग का गठन नहीं हो पाया है और न ही किसान आयोग ने काम करना शुरू किया है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक उद्देश्य था, हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि किसान की दशा, किसानों का कर्जा, ऋण व्यवस्था, मूल्य समर्थन, मण्डी व्यवस्था, कृषि आधारित उद्योग सहित सभी विषयों पर अपनी राय वह किसान आयोग सरकार को देगा। लेकिन किसान आयोग का गठन नहीं हुआ, यह मैं सदन के माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक जोरदार बात कही, प्रायोगिक तौर पर मौसम आधारित बीमा योजना लेकर आये हैं। घोषणा की कि हम सात जिलों में इसको लागू कर रहे हैं, फिर उसके बाद दस जिलों में और अब की बार उन्होंने घोषणा की है कि मौसम आधारित फसल बीमा को पूरे राजस्थान में हम लोग लेकर जाएंगे। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा, मौसम बीमा योजना 2004-05 से हमारी सरकार के वक्त में हम लोगों ने सबसे पहले झालावाड़ में आई सी आई सी आई लोम्बार्ड के माध्यम से पांच जिन्सों पर शुरू की थी। 2007-08 में रबी में आठ फसलों को लेते हुए दस जिलों में मौसम आधारित बीमा योजना हमारी सरकार के वक्त में लागू की गयी थी। लेकिन अभी जो मौसम आधारित बीमा योजना आई है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, मौसम आधारित बीमा योजना वह योजना है आप देखिए, ये लोग मौसम को इंश्योर करते हैं। फसल में कोई नुकसान हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे तो मौसम को इंश्योर करते हैं। कम्पनियों की यह एक साजिश है। यदि आप इसके उदाहरण उठाकर देखेंगे तो, नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड एक प्राइवेट कम्पनी के इन्होंने मौसम सन्दर्भ केन्द्र लगा रखे हैं, कुछ जगह आई एम डी मौसम केन्द्र भी स्थापित कर रखे हैं। मेरा सरकार को सुझाव है कि जब तक रिसर्च के आधार पर किसी भी फसल के नुकसान का मूल्यांकन नहीं कर लेते या मूल्यांकन के बारे में कोई नीति तय नहीं कर लेते तब तक मौसम को इंश्योर करना, मैं समझता हूं कि उन कम्पनियों ने पिछले दस

(श्री प्रभुलाल सैनी)

पन्द्रह सालों के आंकड़े देख लिये होंगे और जहां पारा नहीं गिरता होगा और जहां तापमान नहीं बढ़ता होगा, उन क्षेत्रों का बीमा कर दिया, राजस्थान के किसानों का बीमा प्रीमियम चला जाएगा लेकिन उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अभी समाप्त कर रहा हूं। मैं तो पहली बार बोल रहा हूं। पहला वक्ता हूं साहब। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने यह कहा है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। देखना चाहिए और मौसम का जो मिज़ाज है, प्रत्येक दिन बैवसाइट पर होना चाहिए ताकि पूरे देश का किसान उसको देख सके और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ का अन्देशा नहीं रहे।

सभापति महोदय, मैं आपको बीज के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा, बीज कृषि का मूल आधार होता है। राजस्थान में जिस प्रकार का बीज आता है, राजस्थान सरकार और सीड्स कारपोरेशन का दायित्व बनता है कि राजस्थान के किसान को हाई ब्रीड बीज या अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हों। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सीड्स कारपोरेशन मात्र 25 प्रतिशत बीज उपलब्ध करवा पाती है, बाकी 75 प्रतिशत बीज संस्थाओं और एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है जिससे राजस्थान के किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज नहीं मिल पाता है।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा राजस्थान के सीड्स कारपारेशन के बारे में। पिछले पांच वर्षो का मैंने पूछा था प्रश्न कि राजस्थान में सीड्स कारपोरेशन कभी नुकसान में रहा? तो इन्होंने जबाव दिया, जी नहीं। 2003-04 में सात करोड तैंतीस लाख, 2004-05 में सात करोड़ उनसठ लाख, 2005-06 में नौ करोड़, 2006-07 में पांच करोड़ तैंतीस लाख और 2007-08 में आठ करोड़ का इनको लाभ हुआ। सभापति महोदय, ज्यों ही इनकी सरकार आयी, तीन महीने के बाद इन्होंने 65 करोड़ का लोन लेकर सीड्स कारपोरेशन को अस्थिर करने का प्रयास किया। मैं समझता हूं जब सीड्स कारपोरेशन पहले ही प्राफिट में है तो उसको लोन लेने की और लोन लेकर उसको नीचे दबाने की क्या जरूरत थी?, सरकार की कोई इतनी जिम्मेदारी भी नहीं थी, लोन लेकर इन्होंने ठीक नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लोन इन्होंने किसलिए लिया?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): लोन इन्होंने इसलिए लिया, कहा कि अच्छा सीड हम लाएंगे और स्ट्रेंथनिंग करेंगे। एक साल हो गया, न तो कोई स्ट्रेंथनिंग की और जो बीज लेकर आये हैं, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, जी जी-20 बीस हजार क्विन्टल और जी जी-10 चार हजार क्विन्टल यानी चौबीस हजार क्विन्टल बीज मूंगफली का ये लेकर आये खरीफ में, उस बीज में 30 से 35 प्रतिशत जर्मिनेशन हुआ है। सारा का सारा अमानक बीज था, सारा का सारा बीज नकली था। उसकी जांच हुई। उस बीज के बारे में जेनेटिक प्यूरिटी को देखना चाहिए था, उसकी फिजिकल प्यूरिटी चैक करनी चाहिए थी या उसकी जर्मिनेशन प्यूरिटी को चैक करना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया और राजस्थान के ढाई लाख से ज्यादा किसानों को इन्होंने यह बीज उपलब्ध करवाया। यही नहीं, सभापति महोदय, एक और कलाकारी इन्होंने की, 4800 पर क्विन्टल बीज इन्होंने कम्पनी से खरीदा और जब डीलर्स को देने का वक्त आया, चार हजार रुपये दिया। मंत्री महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कृषि ज्ञान आदान शिविर जब आपने चलाये तब इन्होंने रेट चार हजार से बढ़ाकर 4600 रेट कर दी और जब आपका शिविर 06.06 को खतम हुआ उसके बाद वापस चार हजार कर दिया । सभापति महोदय, किसान को तो बीज 4600 में मिलेगा और जब डीलर को मिलेगा तब चार हजार में मिलेगा। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मंत्रीजी निश्चित रूप से इसको भी देखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, बार-बार भारत सरकार कर रही है मंत्री महोदय हैं जयराम रमेशजी, कि बी टी बैंगन ले लो, बी टी बैंगन ले लो, सारे हिन्दुस्तान भर में घूम रहे हैं, यह क्या है, आप भी बताना बी टी बैंगन के बारे में।

श्री सभापति: एक इसमें टर्म डामल्सी पीरियड भी होता है, उसका जिक्र नहीं किया आपने।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, एक विषय आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी एक घोषणा की, कहा कि फव्वारा सिंचाई और बूंद-बूंद योजना में जो भी काश्तकार बिजली का कनेक्शन लेगा, उस व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन सर्वोच्च प्राथमिकता से देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में करें। समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, 31.12.09 तक जिन काश्तकारों ने बिजली के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रखे थे उनमें से आज एक भी किसान को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया, क्योंकि ट्रांसफार्मर चार्जेज अगर सात एच पी तक लेगा तो अस्सी हजार रुपये होंगे, सात एच पी से ऊपर लेगा तो 94 हजार होंगे। लाइन चार्ज 100 रुपये पर मीटर होगा, पोल चार्ज दो हजार रुपये होगा। यानी लघु और सीमान्त कृषक के दो लाख से ज्यादा इतनी बड़ी राशि का बिल आएगा। इतना चार्ज वह जमा नहीं करवा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और किसानों के हित में कोई निर्णय ले।

सभापति महोदय, एक और निवेदन करूंगा कि यह सरकार कृषि उपज मण्डियों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। जबावदेही और पारदर्शी कहने वाले लोग, पहले तो इन्होंने 32 साल तक कृषि उपज मण्डियों के चुनाव नहीं करवाये और मण्डियों को सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हाथों में सौंपा। हमारी सरकार आयी, हमने 2005-06 में चुनाव कराये। चुनाव कराने के बाद ज्योंही इनकी सरकार आयी, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने एक निर्णय दिया। मरु अंचल विकास समिति बनाम राजस्थान राज्य में सरकार को निर्देश दिए गए थे कि छह महीने में कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव करा दें और यदि एक्ट में अमैण्डमेंट करना पड़े तो वह भी कर दें। लेकिन जब तक इनकी सरकार रही, अमैण्डमेंट नहीं किया और सारे, के सारे तीन सौ से ज्यादा सदस्यों को एक आदेश जारी करके इन्होंने हटा दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): इसलिए हम इसकी निन्दा करते हैं कि लोकतंत्र के प्रति भी इन लोगों का विश्वास नहीं है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, अन्त में एक और निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से कृषि विपणन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। भारत सरकार ने एक योजना चलायी कृषि विपणन आधारित मण्डी संरचना श्रेणीकरण, मानकीकरण और शुद्धीकरण योजना। इस योजना के अन्तर्गत 2007-08 में, जब हमारी सरकार थी, हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर भेजे थे, 37 मण्डी समितियों के और 6 सम्भाग स्तरीय किसान भवनों के। 30

(श्री प्रभुलाल सैनी)

करोड़ 88 लाख रुपये उसमें अनुदान आया लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि जब यह सरकार आयी, इन्होंने जोधपुर, रायसिंहनगर, चित्तौडगढ़ की सब यार्ड, नागौर सब यार्ड मूंडवा और किशनगढ़-रेनवाल का काम नहीं कराया और भारत सरकार ने इनको कह दिया कि प्रथम किश्त के 19 करोड़ 44 लाख रुपये आपको दिये हैं आप उनको लौटा दें।

श्री सभापति: कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): इससे यह लगता है कि पैसा होते हुए भी यह सरकार काम नहीं करना चाहती है। सभापति महोदय, ऐसे और कई सारे विषय थे...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अन्त में पशुपालन मांग संख्या 39 के सम्बन्ध में भी मैं आपसे कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया सहयोग करें वक्त के साथ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य कृषि मंत्री रहे हैं, हमारे सबसे पहले वक्ता हैं, थोड़ा समय और दे दें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त। श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, मैं आज कृषि मांग संख्या-37 और पशुपालन एवं चिकित्सा मांग संख्या-39 के समर्थन में अपनी बात और विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब कोई भी बात आती है तो सबसे पहले किसान की बात आती है। किसान, मैंने पूर्व में भी कहा है और अभी भी इस सदन में कह रहा हूं, मैं नमन करता हूं किसान को जो कड़ाके की सर्दी और तपती धूप में भी धरती का सीना चीरकर उसमें बीज डालता है, अनाज पैदा करता है, पूरे देश को अनाज खिलाता है और जो रुखा-सूखा, बचा हुआ होता है, उसको वह खुद खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। कृषि और किसान का एक सम्बन्ध है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसान के बेटे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी को कि उन्होंने किसान समर्पित बजट पेश किया है। बजट तो इससे पहले भी पेश होते आये हैं लेकिन वो किसान के घोर विरोधी बजट पेश होते आये हैं। वह भी आपको बताना चाहूंगा।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सब को पता है कि 80 प्रतिशत किसान इस राजस्थान के अन्दर आज भी कृषि पर आधारित हैं। इस सरकार ने किसान का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए किसान को फसल का उचित मूल्य मिल सके, इस प्रकार का भी प्रावधान किया है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया है और प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए किसानों को समर्थ कैसे बनाया जाए, इस बात का भी प्रावधान रखा है। डेयरी और पशु पालन का विकास किया गया है, किसान आयोग का गठन किया गया है और राज्य में बीकानेर में कृषि चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला है जो राजस्थान के कृषि जगत में अपने आप में एक इतिहास है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में जब-जब कांग्रेस की सरकार बनी है तब-तब किसानों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। हिन्दुस्तान की यू.पी.ए. सरकार है, धन्यवाद देना चाहूंगा सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी को जिन्होंने किसानों के 72 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया। किसानों की उपज के समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी यू.पी.ए. सरकार के समय में हुई। लेकिन किसान की जो स्थिति पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुई, उस स्थिति के बारे में मैं बताना चाहूंगा, अंग्रेजी की प्रमुख पत्रिका इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली के सम्पादक के.सी. सूरी ने अपने लेख में लिखा है कि किस तरह परम्परागत रूप से अनाज उपलब्ध करवाने वाले की भूमिका निभाने वाले किसान गलत नीतियों और क्रियान्वयन में ढुलमुल रवैये के कारण बी.पी.एल. की श्रेणी में खड़े दिखाई देने लगे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमें इस क्षेत्र में इस धारणा को बदलना है, किसान को आगे लाना है। क्षेत्र में नीतिया बनाने और अमल करने वाले अफसरों और विशेषज्ञों को किसानों के बीच में जाना होगा, किसानों की चौपाल में जाना होगा। किसान की फसल का गणित गैलरी में बैठा हुआ अफसर ज्यादा ठीक ढंग से नहीं कर सकता, जबकि चौपाल पर बैठा हुआ एक अनपढ़ किसान इस बात को अच्छी तरह से बता सकता है। अगर एक किसान की अपनी मेहनत का मोल लगाया जाए, माननीय सभापति महोदय, तो एक बीघा जमीन के अन्दर अनाज का मूल्य ढाई से तीन हजार रुपये लगता है और जब उसकी लागत आती है तो वो भी ढाई से तीन हजार आती है। 200 से 250 रुपये तक उसका बीज लगता है, 1500 से 2000 रुपये उसका पानी का लगता है, दो तरह की खाद देता है तो खाद का पैसा लगता है

(श्री महेन्द्र चौधरी)

और निराई से कटाई तक मजदूरी उसकी 500 रुपये लगती है। यानी कुल मिलाकर जिस दिन से उसने अपनी फसल बोई थी और जिस दिन अपनी फसल उठाएगा तो वो ही मूल्य किसान को मिलता है। यह भी एक सोचने का प्रश्न है। यदि खड़ी फसल के अन्दर ओलों की मार पड़ जाए तो किसान के मुंह का निवाला छिन जाता है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए किसान को प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के मुआवजे की राशि देने की सरकार की जो मंशा है वो बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान के कृषि मंत्रीजी को, ईसबगोल फसल होती है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस ईसबगोल के ऊपर चार परसेंट का वैट लगाया गया था, किसान मण्डी में नहीं बेचता था क्योंकि वहां पर कम मूल्य मिलता था। किसान अपनी फसल को गुजरात ले जाता था, रास्ते में लूट लिया जाता था, उसको हमेशा जान का खतरा रहता था। लेकिन इस सरकार के बनते ही राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने ईसबगोल से वैट हटा दिया, यह इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज नागौर, जालौर, सिरोही, जोधपुर और बाड़मेर में इस फसल को किया जाता है और लोगों को काफी फायदा मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी सदन में कहा था, अभी फिर निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मांग संख्या-39 में पशुपालन का भी मामला है। मैं जिस जिले से आता हूं नागौर जिले से, वहां का बैल प्रसिद्ध बैल है और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी नागौरी बैल की चर्चा होती है। नागौर में बड़े मेले लगते हैं और किसान बछड़ों को पालता है, यह उसकी आजीविका का एक साधन है। तीन साल से कम के बछड़े चाहे यू.पी. हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां चावल की खेती होती है वहां पर इन बछड़ों को खेती के काम में लिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुमानमल लोढ़ा की एक कमेटी गठित कर इसको पाबंद कर दिया, और कोर्ट के अन्दर आज मामला चल रहा है, मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से और कृषि मंत्रीजी से भी कि तीन साल से कम के बछड़ों को निर्यात करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे नावां विधान सभा क्षेत्र में 25 अगस्त, 2008 को भारतीय जनता पार्टी ने सेल्स टैक्स लगाने का एक सर्वे किया था-

(श्री महेन्द्र चौधरी)

जब किसान प्याज लेकर जाता था ट्रैक्टर से, जब किसान खाद लेकर जाता था ट्रैक्टर से, तो उससे सेल्स टैक्स वसूला जाता था, लेकिन यह सरकार बनते ही मुख्य मंत्रीजी ने उस सेल्स टैक्स को समाप्त कर दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में उड़नदस्तों के माध्यम से इंस्पैक्टर राज की क्रियान्विति की गयी थी लेकिन इस सरकार ने इंस्पैक्टर राज को भी समाप्त कर दिया है, इसके लिए भी वो बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं, अभी पूर्व कृषि मंत्री अपनी बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था, किसान को प्लेजेड लोन की सुविधा जो मिलती है उस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हालांकि पिछली सरकार ने पायलेट प्रोजैक्ट के रूप में कुछ जगह जैसे बालोतरा, अटरू, प्रतापगढ़ और मालपुरा के अन्दर इसे लिया लेकिन इसमें न तो कभी सरकार की पहले ऐसी कोई मंशा थी और न ही मण्डी की मंशा थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जो अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये है, उसको बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दिया जाए। किसानों को जब अप्रैल, मई में पहली फसल तैयार होती है उस वक्त शादी-ब्याह के टाइम पैसे की जरूरत होती है, तब किसान मण्डी में जावे, अपनी फसल को रख देवे और 75 परसेंट पैसा प्लेजेड लोन में ले आवे और जब उसको फसल का अच्छा मूल्य मिले उस वक्त अपनी फसल को बेच कर उस पैसे को चुका सकता है। अक्टूबर-नवम्बर में भी फसल के लिए खाद-बीज और डीजल की आवश्यकता होती है, उस वक्त भी किसान को इससे अचछा फायदा मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि विपणन मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मण्डी में होने वाली बचत से आप सड़कों के बजाय ग्रामीण गोदाम जो अनाज रखने के लिए होते हैं, उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। ये नाबार्ड की प्रक्रिया से बनते हैं, लोन मिलता है, 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। यह प्रक्रिया बहुत लम्बी है और बैंकों की भी इसमें मनमानी है। अगर कृषि मण्डी किसानों की फाइलें स्वयं तैयार करके दें तो किसानों को फायदा मिल सकता है। ग्रीन हाउस तैयार किये जा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज तैयार किये जा सकते हैं जिसमें मूंग, मोठ, सब्जी, नागौर की पान मेथी, जीरा, गुड़ और ड्राई फ्रूट उसके अन्दर रखे जा सकते हैं।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार को कि उन्होंने हर मामले के अन्दर किसान का विशेष रूप से ध्यान रखा है। अभी मुख्य मंत्रीजी ने जब कृषि मंत्रीजी का सब्जैक्ट था उस वक्त खड़े होकर यह बात कही थी कि एक मुश्त किश्त चुकाने पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा, यह भी बहुत बड़ी घोषणा है।

माननीय सभापति महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य पिछली बार बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी, प्रतिपक्ष में कांग्रेस थी और सत्ता के अन्दर भारतीय जनता पार्टी थी और जब कांग्रेस के सदस्य चिल्लाये तब सरकार ने मुआवजा दिया था। पिछली सरकार अपने आप में किसानों के बारे में नहीं सोचती थी, चिल्लाने पर देती थी। लेकिन आज इस सरकार ने फैसला कर लिया है कि किसानों की फर्स्ट फसल नष्ट होने पर खराबे के आधार पर अनुपात में मुआवजा दिया जाएगा, यह भी बहुत बड़ा कदम है।

माननीय सभापति महोदय, नागौर जैसे प्रधान जिले में जिसमें बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, मटर, सरसों आदि फसलें होती हैं, सिंचाई सुविधाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, वहां पशु सम्पदा के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता भी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्रीजी को कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुचामन में उन्होंने लेबोरेटरी स्थापित की है कि किसान फसल उगाने से पहले अपनी मिट्टी की जांच करा लेगा, उससे पता लग जाएगा कि उसको कौनसी फसल हो सकती है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद इस बात का भी कि उन्होंने उप-निदेशक कार्यालय स्थापित किये। उप-केन्द्र ज्यादा से ज्यादा खुलें, इस प्रकार का मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सुन रहा था, जो पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार में क्या कर दिया। हम यह बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया और आपने पिछले पांच साल के अन्दर क्या किया था। बी.जे.पी. का पांच साल का शासन आजादी के 61 वर्ष के इतिहास में प्रदेश के अन्दर एक काले अध्याय के रूप में गिना जाएगा विशेष रूप से किसानों के लिए। किसानों के लिए आपने घोषणाएं की थीं, आपका बजट मैंने पहले भी दिखाया था, यह हम पढ़ते रहेंगे और आपकी कमियां हैं उनको बार-बार बताते

(श्री महेन्द्र चौधरी)

रहेंगे। आपका जो 2003 का घोषणा पत्र है उसके अन्दर किसानों के साथ में आपने धोखा किया है जिसके लिए किसान आपको माफ नहीं करेगा। आपने इकसठ प्राथमिकताएं दी हैं। जो पहले दो नम्बर की प्राथमिकताएं हैं, किसान को ठगने के लिए आपने इसके अन्दर लिख दिया लेकिन पांच साल के अन्दर आपने क्रियान्विति नहीं की, 175 करोड़ के किसान कल्याण कोष की आपने घोषणा की, वो क्रियान्विति नहीं हुई। 250 करोड़ के किसान सहायता कोष की आपने बात की, वह पूरी नहीं हुई। 250 करोड़ रुपये के अकाल प्रबन्धन कोष की घोषणा की, वह आपकी घोषणा घोषणा रही। पशु कल्याण कोष की घोषणा की, वह आपकी मात्र घोषणा रही। आपकी मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो दस हजार रुपये तक के किसान के कर्जे माफ कर दिये जाएंगे, वह भी आपकी घोषणा घोषणा ही रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, फसल का उचित मूल्य आपके शासन के अन्दर नहीं मिला, दूध का सही दाम आपके शासन के अन्दर नहीं मिला। बेशकीमती जमीनों को सस्ते दामों पर आपने बेच दिया, यह आप लोगों की उपलब्धि रही है। गोचर चरागाह भूमि को भारी मात्रा में अधिकृत करके सम्पन्न लोगों को आबंटन कर दिया, यह भी आप लोगों की उपलब्धि रही है। भा ज पा के शासन के अन्दर भूख से किसान मारे गये, आत्महत्याएं करने लगे। पिछले शासन के अन्दर आप कहते थे कि अशोक गहलोत के शासन के अन्दर लोग भूख से मर जाएंगे, उन्हीं अशोक गहलोत ने एक वक्तव्य जारी किया था कि मेरे शासन में भूख से मरना तो दूर, मैं किसी मजदूर को, किसी किसान को भूखा सोने नहीं दूंगा।

आपकी मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि प्रत्येक जिले के अन्दर कन्या महाविद्यालय खोल देंगे, खुल गया? महिला बैंक खोल देंगे, खुल गया? और तो और, किसान जब दुःखी था तो आपके खुद के बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जी नौ दिन तक इन्हीं किसानों के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर उपवास पर बैठे थे, वह भी आपको पता है। आप लोगों ने घोषणा की थी आठ घण्टे बिजली देने की, वह घोषणा आपकी पूरी नहीं हुई। विद्युत दरों के अन्दर दो बार अप्रत्याशित वृद्धि आप लोगों ने की। ग्यारह सौ करोड़ रुपये का प्रति वर्ष बोझ आपने जनता के ऊपर डाला। किसानों को फसल के सीजन में बिजली नहीं मिलती थी, आपके शासन में पौने दो लाख किसान इन्तजार में था। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने प्रथम वर्ष में चौंसठ हजार

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कनेक्शन जारी कर दिये और इस वर्ष में पैंसठ हजार फिर जारी करने का एलान किया है। और तो और, सिंचाई के पानी के मामले को लेकर खेत और खलिहानों का जब किसान लड़ रहा था, किसानों पर गोलियां चलाईं। घड़साना, रायला का पुलिस गोली काण्ड भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है जो हमेशा याद रखा जाएगा।

सभापति महोदय, किसानों की जमीनें षड़यन्त्रपूर्वक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दे दी गईं। 90 बी के मामले में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ और उसके बाद में ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों के लेन-देन के हिसाब-किताब को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई छिड़ी, उसने पूरे राज्य की जनता को हैरान कर दिया। यह भी एक उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अन्दर किसान का गेहूं सीधा नहीं लिया जाता था, किसान का गेहूं बिचौलियों के माध्यम से लिया जाता था। माननीय तिवाड़ी जी हैं नहीं, मैं उनके माध्यम से कहना चाहता था, आई टी नालेज कोरीडोर, कभी सेज, कभी स्पोर्ट सिटी और कभी टाउनशिप के नाम से भू अवाप्त करने का भय दिखा कर कृषि भूमि औने-पौने दामों के अन्दर धन कुबेरों के हाथों बेचने को मजबूर कर दिया जाता था। करोड़ों रुपये लेकर 90-बी, कृषि भूमि का भू-परिवर्तन आबादी भूमि में कर दिया जाता था। सेज के लिए महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा से समझौता, कहां गये आई टी नॉलेज कारीडोर? दीनदयाल ट्रस्ट का भूखण्ड, क्या हुआ? सरकारी भूमि हड़पने का प्रयास, पैंसठ हजार करोड़ की भूमि छत्तीस लाख के अन्दर खरीद ली गयी और पूर्व मुख्य मंत्रीजी उसकी वारिस बनीं, उसकी अध्यक्ष बनीं और उसमें नियम यह रखा गया कि बाद में भी इसके जो भी अध्यक्ष होंगे वे वारिस होंगे और वारिस के बाद में वारिस होंगे। न्यायालय के दखल के बाद और कांग्रेस के दबाव के बाद वह फैसला वापस लेना पड़ा। यह भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। गोचर माता के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मोटी रकम लेकर गोचर भूमि को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बेच दिया गया। लैण्ड बैंक की स्थापना की। आमेर की हवेलियां बीना किलाचन्द और अनूप भरतिया जैसे लोगों के हाथों सौंपने का काम कर दिया गया, यह भी आपको पता है। अक्टूबर, 2004 में रावला-घड़साना में सात किसान मारे गये, 2005 में सोहेला काण्ड, पांचना के पानी को लेकर करौली, भरतपुर व सवाई माधोपुर, पूर्व मुख्य मंत्रीजी फिर किसान की हितैषी कैसे हो सकती हैं? जब रावला-घड़साना काण्ड हुआ उसके बाद में पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री महेन्द्र चौधरी)

क्या वक्तव्य दिये? मुझे किसी का डर नहीं है, चुनाव हार भी जाऊंगी तो अपने घर चली जाऊंगी। जयपुर प्रेस क्लब के उद्‌घाटन के अवसर पर ये वक्तव्य जारी किये गये। अपना घर से क्या मतलब हो सकता है? (व्यवधान) दिगम्बर सिंह जी, आप बोल लेना, आप भी कृषि से जुड़े हुए आदमी हो, सुनिए आप।

दिसम्बर 2004 में सीकर में आपकी पूर्व मुख्य मंत्री इस आन्दोलन के लिए क्या बोली थीं, कि किसान आन्दोलन हिस्ट्रीशीटरों के हाथों के अन्दर चला गया है। इतना ही नहीं, दिसम्बर 2004 के अन्दर फिर एक वक्तव्य दिया कि श्रीगंगानगर किसान आन्दोलन राजनीति से प्रेरित है। जुलाई 2005 के अन्दर गंगानगर में फिर वही वक्तव्य आया कि किसान आन्दोलन औचित्यहीन है। 2005 में अनूपगढ़ में फिर एक वक्तव्य आया कि किसान आन्दोलन शराब और भू-माफियाओं के हाथ के अन्दर है। किसानों की समस्या, संगठनों के प्रति ऐसे संवेदनशून्य वक्तव्य देने वाली आपकी पूर्व मुख्य मंत्री, इस प्रकार से गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य देकर आन्दोलन को भड़काने और गोली की स्थिति करने के अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं था।

महिला मुख्य मंत्री होते हुए भी महिला उत्पीड़न की जो समस्या थी, हर आठ घण्टे के अन्दर एक बलात्कार होता था, हर तीन घण्टे में एक यौन शोषण होता था, प्रति दिन एक दहेज हत्या होती थी और प्रति दिन छह अपराध होते थे। इस प्रकार की बात ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, यह कृषि पर बहस है?

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): और तो और, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपने कहां से खिलवाड़ किया, देश की सीमाओं से जुड़े हुए ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): आप पुराने-पुराने बोल रहे हैं ... (व्यवधान) नये-नये को भी बोलने दो थोड़ा बहुत। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): लाखों बीघा जमीन ...(व्यवधान) यह किसान से जुड़ा हुआ मामला है। दिगम्बर सिंह जी, आप बैठिए एक बार, मैं बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह बीच में क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): आपको भी नहीं बोलने दिया जाएगा अगर इस तरह व्यवधान पैदा करेंगे तो। (व्यवधान) यह किसान का मामला है, किसान का।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): देखिये, हकीकत को यह बता रहे हैं, आपके समय में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): राष्ट्रीय सुरक्षा से हो रहे भंयकर खिलवाड़ में देश के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर की जो जमीनें थीं, लाखों बीघा जमीन खरीद ली गयी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आपकी शह से। और तो और, कम्पनियों ने सीमा से जीरो लाइन के मध्य की उस भूमि की भी रजिस्ट्री करवा ली जहां पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। उसकी भी आप लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है। बी एस एफ का बी डी पी टावर, देख रेख व चौकसी टावर व सेना द्वारा निर्मित पक्के बंकर्स, मुनाबाव इलाके के बी एस एफ के सेना सभागार इलाके की जमीन भी इसमें शामिल है। बाड़मेर में तो रात्रिकालीन कर्फ्यू जहां लगता है उसकी जमीनों की भी आप लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली। यह भी आप लोगों के सोचने का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, आई टी नालेज कोरीडोर के बारे में अभी तिवाड़ी जी और नरपत सिंह जी राजवी यहां हैं नहीं, उनके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाह रहा था, उन्होंने एक मीटिंग की थी, भाजपा आलाकमान को लैटर लिखा था। भाजपा आलाकमान को लैटर लिख कर उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को लूटने की शिकायत लिखी थी, यह भी आप लोगों को पता है? वे बता देंगे अभी आएंगे जब। बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए हुए मुख्य मंत्री के फैसलों में पारदर्शिता नहीं है, इस प्रकार की बात यह कहना चाहती थीं।

मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनो आप लोग, यह जो हुआ है वही बताया है। अगर इसमें कहीं पर भी आपको असत्य लग रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, यह कृषि के ऊपर बहस हो रही है ...(व्यवधान) आप भी समय का ध्यान रखें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, इस कृषि के ऊपर जितनी बात मैंने आप लोगों के समक्ष आप लोगों के माध्यम से रखी है ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, यह कृषि पर बोल रहे हैं माननीय सदस्य? आप तो शुरुआत से ही...(व्यवधान) कहां-कहां की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, इस तरह अलाउ करेंगे डिबेट को आप ...(व्यवधान) नहीं, फिर हमारा भी अधिकार होगा ...(व्यवधान) विषयान्तर होकर कुछ भी बोलें? आप आसन पर विराजे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कृषि के ऊपर बात करें न। (व्यवधान) आप कुछ सुझाव दें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आप आसन पर विराजे हैं, यह कोई बात है माननीय सभापति महोदय? फिर हमें भी अधिकार होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसमें असंसदीय कोई बात नहीं बोल रहे हैं इसलिए उनको अपने विचार व्यक्त करने दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सैनी साहब जब बोल रहे थे, विभाग को बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी दे रहे थे.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने पन्द्रह मिनट बाद घण्टी बजा दी।

श्री सभापति: इनको 18 मिनट हुए हैं केवल मात्र।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इस समय कोई कृषि के ऊपर भाषण हो रहे हैं इनके? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, माननीय सदस्य मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इस तरह से विषय से हटकर बोलने की अनुमति अगर है तो बहुत आपका स्वागत है, आप व्यवस्था दे दें, इधर से भी बोलने वाले तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): सभापति महोदय, सच को क्यों छिपाना चाहते हैं ये लोग? सदस्य महोदय अगर सच को बताना चाहते हैं, ये सुनना क्यों नहीं चाहते? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, जमीन किसानों की थी ...(व्यवधान) इन्होंने न चरागाह छोड़ा...(व्यवधान) न दलितों की जमीन छोड़ी। आज कृषि का मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर जमीन की बात नहीं होगी तो फिर किसकी बात होगी? (व्यवधान) जब जमीन लुट रही थी, किसान लुट रहा था तब आप क्या कर रहे थे? तब आप बोले नहीं। आज हम बता रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं, तब आप सुन नहीं सकते...(व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): सभापति महोदय, ये सच को क्यों छिपाना चाहते हैं? सच्चाई बता रहे हैं तो सच्चाई को सुनो तो सही कम से कम। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कृषि के क्षेत्र में किसान को कौनसा फायदा देना चाहते हो, यह बताओ। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): हमारे नये-नये सदस्य हैं, बोलना चाहते हैं, ये बोलने ही नहीं देते हैं। बीच-बीच में टोकते रहते हैं। (व्यवधान)

(समय : 15.00 बजे)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) सभापति महोदय, यह कृषि पर अपना..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पूर्व मुख्य मंत्रीजी का नाम, पूर्व मुख्य मंत्री जी का नाम कब तक सुनेंगे हम? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): पूर्व मुख्य मंत्री जी की बात..(व्यवधान) इसलिये बता रहा हूं, क्या दिक्कत है और इसी सदन में हुआ है..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप एक्सपंज कराइये, सभापति महोदय। एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री ने किसानों पर जुर्म किया है, किसानों के बच्चों की लाशें बिछवायी हैं तो इस सदन में आवाज उठेगी और आवाज हम उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपको मैं कहता हूं, कृषि के लिये कोई अच्छी बात है, अगर सुझाव हैं, यदि तैयारी करके आये हैं तो बताइये मंत्री महोदय को। आप किसान की बात करो। आप पिछले को लेकर क्या बात कर रहे हो..(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): किसान नहीं है क्या, जमीन का सम्बन्ध नहीं है कृषि से? आप खुद किसान आदमी होकर ऐसी बात कर रहे हो। जो हमने बताया है जमीन, बार्डर की जमीन तक आप लोगों ने आपके शासन में बेच दी, क्या उसको हम उजागर नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार लिये बैठे हो कराओ न जांच। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कहां गया माथुर आयोग इनका? बार-बार डरा कर बताना चाहते हैं ये लोग..(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, परम्परा के बिलकुल विपरीत है। जिस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है..(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): यह बात बताता हूं तो आपको इतना गर्म होने की क्या जरूरत है? ऐसा..(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, कोई सदन में है नहीं, उस पर चर्चा कैसे हो सकती है? सदन में नहीं है और सदन के बाहर..(व्यवधान) इसलिये बोलने की कोई इजाजत नहीं है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): किसानों की लड़ाई है, आप बोलिये, काश्तकारों के हितों की बात नहीं है इसके अन्दर? (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पांवों पर है, आप कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, आज राजस्थान की जनता को यह जानने का हक है कि आपने क्या-

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

क्या गलत किया। आपने चरागाह की जमीन बेची, आपने बॉर्डर बेचा, आपने निहत्थी..(व्यवधान) और हम सच बात कह रहे हैं..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कराओ न जांच। बैठाओ न जांच आयोग। (व्यवधान) किसने मना किया? सब चीजों की कराओ जांच। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, इस सरकार ने 15 महीने केवल इस बात के ऊपर बर्बाद किये कि पिछली सरकार ने यह किया, पिछली सरकार ने वह किया, हम जांच कराएंगे घोटाले की, भ्रष्टाचार की। क्या हुआ अब? (व्यवधान) लेकिन सुनना भी नहीं..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तो तकलीफ है क्या उसमें? तकलीफ है क्या?. (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपको क्या परेशानी है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आसन पांवों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य कृपया विराजिये। व्यवस्था कैसे दी जाएगी जब आप सुनने को ही तैयार नहीं हैं? कृपया विराजें। माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि अगर कोई पूर्व मुख्य मंत्री के सम्बोधन से बोलता है तो इसमें कोई गलत, असंसदीय बात नहीं है। जो वर्तमान मुख्य मंत्री है उनको वर्तमान मुख्य मंत्री बोलेंगे।

जहां तक बात है पक्ष और विपक्ष की एक दूसरे की बात, तो मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, यही बात हो रही है। आप भी यही कर रहे हो, वे भी यही कर रहे हैं। अगर कोई असंसदीय बात हो, अगर कोई ऐसी बात हो जो हमारे सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है, जो अनपार्लियामेंटरी रेजेज हों, उसके लिये जरूर मेरा आपको यह आश्वासन है कि उसको हम अंकित नहीं होने देंगे। यह मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। फिर भी..(व्यवधान) आप, माननीय सदस्य, विराजिये। मैं पैरो पर हूं। फिर भी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उनको सुझाव देकर मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात को जो आपके मांग पर विचार व्यक्त करने के पैरामीटर्स हैं, वहां तक ही सीमित रहेंगे तो आपकी प्रशंसा होगी। आप शुरू कीजिये। आप दो मिनट बाद बोलिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, जब मैंने यहां अपनी बात कहना शुरू की कृषि-पशुपालन पर, तो मैं खुद भी जानता हूं, सदन

(श्री महेन्द्र चौधरी)

में मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जब किसान और पशुपालन के विषय की बात, तो निश्चित रूप से जमीन की बात आएगी। जमीन की बात आएगी तो किसान को किसने ठगा, उसकी भी बात आएगी। परमपिता परमेश्वर को मानकर जब ये घोषणा पत्र राजस्थान की 6 करोड़ जनता के सामने फेंके जाते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाये जाएं या भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाये जाएं, नकली धोती, साफा बांध कर किसान के हित की बात करके जनता को ठग कर वोट मांगे जाते हैं। 5 साल तक जब उसकी क्रियान्विति नहीं होती है तो उसको हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? यही बात मैंने सदन के अन्दर कही है। 61 घोषणाएं और प्रथम दो घोषणा, ये खड़े होकर कह दें कि हमने एक और दो नम्बर की घोषणा की क्रियान्विति पूरे 5 साल के अन्दर की है। इनको तकलीफ है इस बात की। सब जमीनें बेच दी गयीं, बॉर्डर बेच दिये गये और जब हम यहां सदन के अन्दर बात कह रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है..

श्री सभापति: अब कृपया समाप्त करें आप।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मैंने किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं कही है। मैं यह कहना चाहूंगा..

श्री सभापति: मुझे सिफारिश की जरूरत नहीं है।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): किसान के साथ मैं आदिवासी के लिये भी कहना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार के 5 आदिवासी विधायकों का बयान था कि मुख्य मंत्री आदिवासी विधायकों को भी महत्व नहीं देती हैं। यह भी रिकार्ड के अन्दर है, गलत नहीं कह रहा हूं। जिस मुख्य मंत्री के राज के अन्दर दलित की नाक में नकेल डालना और दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने जैसे अमानवीय कृत्य हो रहे हों..(व्यवधान) यह बात भी मैं आपको कहना चाहूंगा.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किस पर बोल रहे हैं? किस पर बोल रहे हैं यह, सभापति महोदय? कहां आ गया दूल्हा ? कहां नाक में नकेल डाल दी? यह कृषि पर बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपके परम मित्र..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उनको बोलने दो, तकलीफ क्या है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप क्या कर रहे हैं, सभापति महोदय? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अधिकांश व्यक्ति शराब के नशे में डूबा है.. (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उनको बोलने दो, आपको तकलीफ क्या है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आप अपने विचार मांग के पैरामीटर्स के अन्दर रखें, उसी परिधि में बात करें और जल्दी समाप्त करें। संक्षेप में कहें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय मुझे दिया और कुछ सीनियर लोगों को किसी प्रकार की भी तकलीफ हुई है, मुझे पता नहीं है...(व्यवधान) कालीचरण जी, आप क्या जानते हो किसान के बारे में। आप जो खाने..(व्यवधान) आप क्या जानते हो किसान के बारे में?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने ही ठेकेदारी ले रखी है.. (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपने घर पर कोई गाय रख रखी है तो किसान हो गये क्या आप? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): कहां से किसान जीता है, कौनसा किसान जीता है, कैसे वह सर्दी-गर्मी पानी पिलाता है जमीन को, शहरों में रहने वाले क्या जानें, साहब? (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): इस सदन में विपक्ष द्वारा अधिकांश समय इसी बात में जाता है कि जयपुर को क्या बनाना है, शहर में क्या करना है। माननीय सदस्य महोदय, 95 परसेण्ट जनता गांवों में रहती है जो सरकार से विकास की उम्मीद रखती है और हमारी सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिये कि किसान की बात करेगी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): कालीचरण जी, आप खड़े हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान के बारे में आप कितना ज्यादा जानते हैं। आप सुबह, दोपहर और शाम को जब खाते हो, उसमें जो हल्दीराम की भुजिया खाते हो, अगर नागौर का किसान मोठ भेजना बंद कर देगा तो यह हल्दीराम की भुजिया भी बंद हो जाएगी। किसान की तकलीफ को किसान का बेटा ही

(श्री महेन्द्र चौधरी)
समझ सकता है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी आपको कह रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपको कैसे पता कि यह 2 परांठे हल्दीराम की भुजिया के साथ खाकर जाते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने विचार जल्दी समाप्त करें अब।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब यह राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट थे और जयपुर में...(व्यवधान) यह नहीं खा रहे तो मना कर दें। आप भुजिया, पापड़ सब खाते हैं तो वह बनती ही मोठ से है। मैं इस सदन के माध्यम से ज्यादा समय नहीं लेते हुए ..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप अपने विचार जल्दी समाप्त करें अब।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, 15 महीने के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अन्दर किसान को जिस चीज की आवश्यकता है, किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है यह मैं पहले भी कहता आया हूं और अभी भी कह रहा हूं। मुझे तकलीफ हुई है। तिवाड़ी जी आप आ गये, मैं बोल चुका था आई टी नालेज कारीडोर की बात। आपने भाजपा आलाकमान को पत्र लिखा था कि किसानों की जमीनें बेची जा रही हैं। आपने कहा था, राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री मंत्रिमंडल को विश्वास में लिये बिना कार्य कर रही हैं।

कृषि और पशुपालन में कहना चाहता हूं, जिस भी सरकार ने यह घोषणा पत्र बनाया है, चाहे कांग्रेस ने बनाया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो, 5 साल में किसान के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है तो चाहे कोई भी सरकार हो, किसान उस सरकार को पलट भी देता है। आज की सरकार कांग्रेस की है, अशोक जी गहलोत की सरकार कटिबद्ध है, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जो भी घोषणाएं बजट के अन्दर की गयी हैं वे क्रियान्वित हो रही हैं और जो भी आगे प्रावधान रखे गये हैं वे भी हो रहे हैं।

मेरा तो सरकार और माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन है कि गांवों के अन्दर जो पशु चिकित्सा शिविर हैं उनके अन्दर आप उप केन्द्र भी ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिये खोलने का कष्ट करें ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

फसल बीमा राशि का किसानों के खातों में स्थानान्तरण

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, एक सैकिण्ड। सिर्फ दो लाइन है। एक मिनट लूंगा। (व्यवधान) मैं इस सदन का बहुत अनुशासित सदस्य हूं।

विधान सभा क्षेत्र सांचोर में सरकारी बैंकों एवं समितियों के माध्यम से वितरित किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषि बीमा खरीफ, 2009 में किया गया था। यह सम्पूर्ण रूप से खराब हो चुका है, यह पुष्टि राजस्व रिकार्ड में है। खरीफ फसल हेतु सभी किसानों के नाम प्रीमियम खरीफ, 2009 लिया गया, उनको ज्यादा हानि हुई थी। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह फसल बीमा राशि उन काश्तकारों के खाते में कब जमा हो जाएगी? धन्यवाद।

सूचना

भीलवाड़ा में रोके गये खाखले के ट्रक

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। भीलवाड़ा जिले में भयंकर अकाल है और खाखले के ट्रक थाने वालों ने रोक रखे हैं। प्रतिदिन 100 ट्रक खाखला नहीं होगा तो वहां के पशु मर जाएंगे। कृपया आप सरकार को कहकर उन खाखले के ट्रकों को थाने से छुड़वाने की व्यवस्था करावें, नहीं तो कल की तारीख से पशु भूख से मरेंगे। यह किसानों की हितैषी सरकर है, इतने लम्बे-चौड़े भाषण कर रहे हैं, तत्काल व्यवस्था करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया विराजें। देखिये, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया व्यवधान न करें, शांति बनाये रखें। समय का ध्यान रखें। यह जो टिप्पणी आपस में करते हैं, इधर से तो बोलने दीजिये, और बोलते रहें आप, तो मैं समझता हूं कि सब लोग पढ़े-लिखे हैं, सदन की गरिमा के मुताबिक चलने दें।

(श्री सभापति)

सरकारी मुख्य सचेतक और विपक्ष के सचेतक दोनों बैठे हुए हैं, आप कृपया या तो बता दें, और कल की तरह तीन बजे तक बैठना चाहें तो चार बजे तक बैठें, मुझे कोई एतराज नहीं है। कृपया बता दें, कितना टाइम आप करना चाहते हैं। या फिर यह कर लें कि फ्री छूट दे दें सबको। आपके उप नेता भी बैठे हुए हैं। यह न करें कि बीच में एक कुछ बोलता है और दूसरा कुछ बोलता है। अनुशासन तो है नहीं और न ही कोई आसन के प्रति मुझे ऐसा नजर आ रहा है। घंटी बजती रहती है तो भी बोलते रहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, hereafter, I will certainly be very strict about it whether this side or that side, then please don't take it otherwise. Please carry on Mr. Banshidhar Khandela.

श्री बंशीधर खंडेला।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, मांग संख्या-37 कृषि और मांग संख्या-39 पशुपालन पर अपने विचार रखता हूं। खरीफ फसल के लिए वर्षा होते ही किसान अपने आप में खुशी महसूस करता है, बाजार में जाता है अपना बीज लाने के लिए, मनचाहा बीज, जो सोच रखा था कि इस किस्म का बीज अच्छा है। लेकिन उसको वहां पर उस कंपनी का बीज नहीं मिलता और उसकी जगह उसको दूसरी कंपनी का बीज लाने के लिए विवश कर दिया जाता है। वे बीज बिना टैग के मिलते हैं। ग्वार, मूंग, मोठ, मूंगफली, बाजरा बिना पैकिंग के और बिना टैग के बीज मिलते हैं। मूंगफली का बीज तो बहुत महंगा होता है। खुले बाजार में बिना पैकिंग का बीज मूंगफली का, 80 प्रतिशत बीज, तेल मिलों से जो मूंगफली छिलकर काम आती है वह लगायी जाती है, उससे किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। यह बात अलग है कि पढ़ा-लिखा किसान उसके लिए क्लेम करता है लेकिन बाकी किसान अपने घर बैठ जाता है।

सभापति महोदय, यह जो सारे के सारे अधिकारी सामने बैठे हैं, इन सबको मालूम है कि कौनसी दुकान पर मिक्स बीज मिल रहा है और कौनसी दुकान पर नकली बीज मिल रहा है। यदि अधिकारियों की इच्छाशक्ति हो कि किसान को ठगने नहीं दिया जाएगा तो आज राजस्थान का किसान ठगा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि किसान को सही बीज मिले और उससे कोई ठगी नहीं हो।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

सभापति महोदय, हम बाजरे का नाम लेते हैं, राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा बाजारा-171 दिया जाता है। वह आज के दिन बहुत ज्यादा खराबे में आया हुआ है। उसकी शिकायतें हुई हैं लेकिन शिकायतों का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। किसान अपने आपको ठगा-सा देखकर वहीं बैठा हुआ है। इस बाजरा नम्बर-171 की जांच कराकर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाए। राजस्थान राज्य बीज निगम बीजों की जांच करके बीजों को तैयार करता है, लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि निगम सारा का सारा बीज प्राइवेट डीलरों को दे देता है जबकि आज गांव-गांव में हर पंचायत हैडक्वार्टर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, आप उनको दें तो उसमें कोई मिक्स भी नहीं होगा और सहकारी समितियों की इनकम भी होगी। इनको पाबंद किया जाए कि बीज निगम अपने बीजों को ज्यादा से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दे जिससे उसमें कोई मिलावट की बात नहीं आए। कौनसा बीज सही है और कौनसा गलत है, यह जांचने के लिए आज सरकार के पास भी कोई उपकरण नहीं है जिससे पहचान कर सके। केवल अंकुरित होने के मुताबिक मालूम पड़ता है कि कितना प्रतिशत अंकुरित हुआ है। अंकुरित होने के बाद में काश्तकार अपने आपको ठगा-सा महसूस करता है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे बीजों को रखा जाए जो खराब नहीं होते हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बीज के साथ-साथ खाद की मात्रा भी बहुत कम है, जिस टाइम काश्तकारों को खाद की जरूरत पड़ती है उस वक्त किसान को खाद नहीं मिलता। तो सहकारी समितियों को अपने गोदामों में उस टाइम डीएपी या जो भी खाद है, वह इकट्ठा रखना चाहिए जिससे दलाल के पास नहीं जाना पड़े।

सभापति महोदय, विभाग द्वारा फसलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस और पोली हाउस बनाये जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो पेड़-पौधे दिये जाते हैं वे सही पेड़-पौधे नहीं दिये जाते हैं इसके कारण किसान अपने आपको ठगा-सा महसूस करता है।

सभापति महोदय, आजकल ड्रिप सिस्टम के लिए 70 प्रतिशत अनुदान देते हैं। ड्रिप सिस्टम बहुत बढ़िया है किसान के लिए। कृषि मंत्रीजी से और सरकार के जो नुमाइंदे बैठै हैं उनसे कहना चाहूंगा कि जहां डार्क जोन घोषित हो चुके हैं, पानी पीने के लिए नहीं है उस जगह बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति बहुत लाभदायक है।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

सभापति महोदय, दूरस्थ जगहों पर पावर हाउस नहीं हैं, लाइन नहीं जा सकती है, इस संबंध में मेरा सरकार को सुझाव है कि जैसे शहरों में होटलों में, घरों में सोलर ऊर्जा के द्वारा बिजली पैदा करने के लिए सोलर उपकरण देते हैं, वे सब्सिडाइज्ड होते हैं, यदि वही सोलर ऊर्जा किसान को सब्सिडाइज्ड करके देते हैं, तो 2 एचपी या 3 एचपी की मोटर के द्वारा सूर्य की रोशनी से जो बिजली पैदा होगी, उससे आराम से ड्रिप सिस्टम का काम चल सकता है। सरकार को बिजली का फायदा मिलेगा और न कोयले की कमी आएगी। ये प्राकृतिक संसाधन हैं, इसके लिए उपाय करने चाहिए। राजस्थान सरकार को पहल करके भारत सरकार से इसका अनुदान लेना चाहिये और किसान को प्रोत्साहित करके ड्रिप सिस्टम के लिए सौर ऊर्जा के हिसाब से उसको सब्सिडी दी जाए। यह करीबन 4 लाख का एक प्लांट बैठता है जो दो-ढाई एचपी की मोटर चलाने के लिए पर्याप्त है। 80-82 प्रतिशत दूसरे प्रांतों में सब्सिडी मिल भी रही है। उसी प्रकार से अपने राजस्थान में भी सब्सिडाइज करके किसान को फायदा देना चाहिए जिससे किसान बिजली के बिल से भी मुक्ति पा सकता है और आने वाले समय में पानी की समस्या से भी निजात पा सकता है। सरकार ने बूंद-बूंद सिंचाई योजना चालू की, यह बहुत ही अच्छी योजना है, यह चालू रहनी चाहिए और यह सोलर ऊर्जा में करना चाहिए।

सभापति महोदय, सरकार ने राष्ट्रीय बीमा योजना लागू की थी, वह आज भी चल रही है। सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था कि तहसील हैडक्वार्टर को इकाई नहीं समझकर पंचायत हैडक्वार्टर को समझा जाएगा। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, यह बात तो सही है कि योजना बहुत बढ़िया है लेकिन आज सरकार इस चीज के लिए बिलकुल भी पाबंद नहीं है कि आगे चलकर यह रहेगी या नहीं रहेगी।

एक बात और कहूंगा, मौसमी बीमा चला गया, यह राष्ट्रीय बीमा योजना जिसमें सरकार ने कहा था कि हम दूसरे स्तर के बजाय पंचायत स्तर में कर देंगे, यदि यह बंद हो जाती है तो मौसमी बीमारी में भी तहसील हैडक्वार्टर नहीं होकर पंचायत हैडक्वार्टर होना चाहिए जिससे कि काश्तकार को उसका पूरे का मुआवजा मिल सके।

सभापति महोदय, आज यह बात और है कि मौसमी बीमारी के अन्दर केवल 40 प्रतिशत खराबा होगा तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा लेकिन 40 प्रतिशत के बाद में उसको केवल 10 हजार रुपये, हम देखते हैं कि बाजरे पर

(श्री बंशीधर खण्डेला)

10 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियां पैसे ले लेती हैं। उसमें से केवल 100 दिन तक बारिश नहीं होगी, सभापति महोदय, सुनना, आप काश्तकार हैं, 100 दिन तक बारिश नहीं होगी तो उसको केवल 10 हजार के पेटे 5 हजार रुपये मिलेंगे। 100 दिन बारिश नहीं होगी तो बुवाई के बाद बचेगा क्या? हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, आज 10 लाख की गाड़ी कोई खरीदता है, दो दिन बाद में वह जल जाती है या डैमेज हो जाती है तो उसका पूरा 10 लाख का 10 लाख देते हैं। लेकिन किसान के साथ आप शर्त यह लगा देते हैं कि 40 प्रतिशत खराबा होने पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वे तो पैसा पूरा लेते हैं। ये जो बड़ी कंपनियां हैं, किसान के साथ धोखा कर रही हैं, किसान को मजबूर कर रही हैं। मुझे मुआवजा नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? किसान अपने आप को ठगा महसूस समझ रहा है। इसी तरह से ग्वार, मोठ, मूंग, इसमें 60 दिन के अन्दर बारिश नहीं होती है तो उसको 10 हजार के बदले केवल 2500 रुपए मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, ऐसी कौनसी फसल है जो 100 दिन या 60 दिन बाद बारिश होने के बाद जिंदा रह जाए? इन्होंने इसमें एक शर्त और लगा रखी है कि तहसील हैडक्वार्टर पर यदि 2.5 एम एम बारिश हो जाएगी तो बारिश हुई हुई मान लेंगे, और 100 दिन की जगह चाहे कितने ही दिन हो जाएं, उसका उसके कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। केवल 2.5 एम एम का मतलब है आधा अंगुल बारिश, सुबह बरसेगा तो शाम तक तो सूख जाएगा वापस। ऐसी नीति बना रखी है किसानों के साथ। इस तरह से किसान को सारी की सारी कम्पनियां लूटने में लगी हुई हैं। सरकार इसको देख रही है कि हम क्या करें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अपने आपको किसान का हितैषी मानते हुए सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर दुबारा नीति बनाई जाए। मौसम सम्बन्धी बीमा बनाया जाए उसमें अधिकारियों के अलावा किसानों का नुमाइन्दा भी जरूर लिया जाए जो जमीन से उठ कर आता है, उसको मालूम है कि कहां-कहां बीमारी होती है।

माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि माइनस दो डिग्री होने के बाद उस जगह पर किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा, दो डिग्री तो दूर की बात है, यदि पांच डिग्री रहे और उस पर ठण्डी हवा चल जाएगी तो आपको फसल में कुछ नहीं मिलेगा। केवल थोड़ा-बहुत चारा मिल जाएगा, दाना अन्दर के अन्दर फली में सूख जाएगा।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

ऐसी नीति बनाने से क्या फायदा जो कागजों में बने और किसान ठगाता रहे अपने आप?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों, कोआपरेटिव बैंकों का चोली-दामन का सम्बन्ध है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों, कोआपरेटिव बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसान लोन लेते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूं, एक किसान ट्रैक्टर पर लोन लेना चाहता है, कोआपरेटिव मिनिस्टर ने कहा था कि ट्रैक्टर के लोन का पैसा उसके खाते में जमा करवा देंगे, ट्रैक्टर वह कहीं से भी खरीद सकता है, ट्रैक्टर पर डिस्काउण्ट मिलता है। यह बहुत अच्छा उन्होंने शुरू किया है, उसके लिए सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसमें एक लेकूना है उसको भी वह दूर करें जिससे किसान अपने आपको बहुत ठगा हुआ महसूस नहीं करे। इसके लिए केवल एक चीज को हटा दें। जो कम्पनियां हैं, मैसी, महिन्द्रा, आयशर, इन्होंने अपना डीलर नैटवर्क बना रखा है, एक आदमी एक जिले के अन्दर बेचता है या तहसील में एक आदमी होता है, उसी से किसान खरीद सकता है। इससे किसान उससे बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ट्रैक्टर की कोई भी कम्पनी हो, काश्तकार राजस्थान में कहीं से भी ट्रैक्टर खरीद सकता है, बार्गेनिंग करने से उसको छूट मिलेगी। जो डीलर मोनोपोली करके नाममात्र का डिस्काउण्ट देते हैं, ऐसा करने से डीलर से आराम से डिस्काउण्ट मिल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, चुनावों में किसानों का कर्जा माफ किया गया था, बहुत अच्छी बात थी। पर कर्ज माफ करने के बाद उनको दुबारा कर्जा नहीं दिया जा रहा है, उनको चोर समझ कर अलग कर दिया गया है। पहले भी मैंने एक प्रश्न उठाया था उसमें हर जी एस एस से पांच-पांच आदमियों को कर्जा दिया गया। लेकिन उसके बाद से आज तक एक भी किसान को कर्जा नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार की नीति है या उन बैंकों के अधिकारियों की नीति खराब है? जो काश्तकार गरीब थे और किसी कारण से कर्जा नहीं दे पा रहे थे उनको वापस कर्जा दिलाएं जिससे किसान जिंदा रह सके।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी अकाल के टाइम में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदल दिया था। हमारी सीकर और झुन्झुनूं जिले में अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में अभी तक नहीं बदला गया है

(श्री बंशीधर खण्डेला)

बल्कि किसानों के घर जाकर कुर्की करने की धमकी देकर उनसे वसूली कर रहे हैं। इसको तुरन्त प्रभाव से रोका जाए, नहीं तो यह घोषणा ही क्यों की आपने? यदि अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदलते हैं तो जो अल्पावधि ब्याज दर लेते थे वही ब्याज दर मध्यकालीन में बदलने पर भी लगनी चाहिए। यह नहीं कि मध्यकालीन वाली उस पर लगे। पहले 2004 में भी ऐसा ही हुआ था, उस समय मध्यकालीन लेते थे उसकी रेट कम थी, लेकिन उस टाइम अल्पकालीन वाली लोन की रेट लगी थी। उसी के हिसाब से, पहले वाले हिसाब से आज भी किसान की अवधि बदलने के बाद अल्पकालीन वाली ऋण दर ही लगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लेना चाहूंगा। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन पर दो मिनट और बोलूंगा। पशुपालन आज काश्तकार की लाइफ लाइन है। काश्तकार जितना फसल से कमाता है उससे ज्यादा जीवन यापन करने के लिए पशुधन पर वह निर्भर करता है। आज पूरे देश का अगर हम देखते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से प्रति व्यक्ति 205 मिलीग्राम दूध मिलता है, यदि इसी हिसाब से पशुधन का शोषण होता रहा और उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 20 सालों में हर आदमी को केवल 50 ग्राम दूध मिल जाए तो वही बहुत होगा। हर काश्तकार को पशुओं के लिए सुविधा देनी चाहिए और चारे के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पशुओं और काश्तकारों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो गया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि काटन सीड पर पहले कोई वैट नहीं था, उस पर अब 5 प्रतिशत वैट करके काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। पशुपालन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। वह कैसे जिएगा, यह मेरी समझ से बाहर है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज उस विषय पर लोग सदन में चर्चा कर रहे हैं, उस कोने से लगाकर इस कोने तक प्रत्येक का सम्बन्ध जिससे जुड़ा हुआ है। करीब 2 बजे वर्ल्ड क्लास सिटी की

(श्री श्रवण कुमार)

बात हो रही थी, कभी किसी बात पर चर्चा हो रही थी, पर मैं समझता हूं कि इस हिन्दुस्तान में किसी भी वर्ल्ड क्लास सिटी को भी शक्तिशाली बनाने वाला उद्योग है तो वह कृषि है जिस पर हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूं-

अपनी हस्ती मिटाने वाले हम ही होंगे,

तुम्हें पलकों पर बैठाने वाले हम ही होंगे।

दौलत तो हर कोई लुटा देता है तुम पर,

पर जान लुटाने वाले हम ही होंगे।

तो कृषि पर मैं बोल रहा हूं कि यह जान लुटाने वाली कृषि ही है।

माननीय सभापति महोदय, आज कृषि की बात करते हैं तो सबसे पहले कृषि का जीरो पाइण्ट कहां से शुरू होता है? खेत में जुताई करने से शुरू होता है और काटने तक इसका पाइण्ट खतम हो जाता है। आज भाषण दे रहे थे, बड़े-बड़े लोग देते हैं, इनको यह पूछो कि एक बीघा में कितना चना बोया जाए, एक बीघा में कितना बाजरा बोया जाए, एक बीघा में कितना मूंग बोया जाए? यह किसी को पता नहीं, सब कृत्रिम खण्डवे बांधते हैं और कृत्रिम धोती बांधते हैं। वही हालत कृषि की है। हम किसान के बेटे हैं, असली किसान के बेटे हैं, हमें मालूम है कि आज किसान की क्या हालत है। कृषि आज ट्रैक्टर पर बाण लगाने से शुरू होती है, 35 रुपए लीटर तेल डालते हैं, 35 रुपए लीटर, और 10 बाण लगाते हैं ...(व्यवधान) अब हमारे हरियाणा नजदीक पड़ता है तो 35 में काम चला लेते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपन सौ बीघा में जितना पैदा करते हैं उतना प्रभुजी दो बीघा में पैदा करते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कौन?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रभुलालजी, जिनको आप नकली बता रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं इनसे कोई काम्पिटीशन नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं हमारे किसानों की आज जो दुर्दशा है। 10 बाण लगाने के बाद सरसों में कुछ ताजगी आती है। सरसों उसी खेत में होती है जिसमें 10 बाण लगाए जाते हैं। 10 बाण लगाने के बाद उसको बीज के लिए तैयार करते

(श्री श्रवण कुमार)

हैं तो उसको धूप मार जाती है। जब धूप अधिक होती है तो उस पर जाला लग जाता है। और अगर उससे भी ऊपर आए तो बिजली का झोंका मार जाता है, बिजली नहीं मिलती है। अगर वह भी कर दें तो सर्दी का कोहरा मार जाता है। सर्दी से अगर बच जाएं तो ओले मार जाते हैं। अगर ओलों से बच जाए तो उस गरीब किसान को मण्डी वाले बनिये मार देते हैं। हमारा किसान जो अन्न पैदा करता है, जीरो टैम्प्रेचर में उसको सींचता है, 50 डिग्री टैम्प्रेचर में उसको निकालता है, उसके बाद उस अनाज की बोली कौन लगाता है? उसकी बोली कौन लगाता है? उसकी बोली दलाल लगाता है, तीन किलोमीटर दूर खड़ा रहता है किसान। आवाज लगाकर बोलते हैं कि 1360-1370-1380 और उसकी बोली का एण्ड करते हैं तब बोलते हैं 1410 रुपए में आपकी बोली छूट गई है। और बताते कब हैं, मालूम है? माननीय सभापति महोदय, तीन घण्टे बाद बताते हैं कि आपकी सरसों की बोली 1410 रुपए में छूटी है। एक महीने में आप पैसे लेने के लिए आना। क्या पर्ची से कपड़े मिल जाएंगे? क्या पर्ची से रोटी मिल जाएगी? आपको मालूम है कि एक बनिया अगर माचिस भी बनाता है तो खुद ही उसकी डीडी बनाता है और खुद ही उसका मूल्य तय करता है और पैसे पहले लेता है, बाद में बिल्टी बनाता है। आज तक इस भ्रांति को दूर करने की किसी की सोच आई? किसी की सोच नहीं है। सोचा किसी ने? 70 प्रतिशत गांवों के लोग, किसान के बेटे विधान सभा और लोक सभा में बैठते हैं और किसी के दिल में दर्द नहीं आया कि जिस अन्न को हम पैदा करते हैं उसकी बोली कौन लगाता है। उसकी बोली दलाल लगाते हैं। किसी के दिल में दर्द नहीं आया, यह हमारे दिल में दर्द है, बहुत बड़ी पीड़ा है। इस दर्द को कौन सुनने वाला है? जो बड़े लोग होते हैं वे सुनते नहीं और छोटे की बात कोई महत्व नहीं रखती, इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज कीटनाशक दवाइयों में तेलिया लग जाता है, चने के अन्दर लट लग जाती है और उसकी दवाई छिड़कने की जो मशीन होती है, वह भी किसी किसान के घर में उपलब्ध नहीं होती। आज किसान के घर में मशीन देने के लिए 400 रुपये सब्सिडी दी है। हरियाणा में 400 रुपये से कम रेट में मिल ही रही है, फिर हरियाणा से ले आएंगे लोग। हम चाहते हैं कि 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलनी चाहिए किसान को, उसके बाद उसका मालूम होना चाहिए। अगर हो तो हो। भारत सरकार में बैठा है प्रधान मंत्री, तो किसान का एक रुपया दो रुपये में चलना चाहिए तब किसान का भला हो सकता है। उसका सौ का नोट दो सौ में चलना चाहिए, तब किसान का भला हो सकता है। पर यह

(श्री श्रवण कुमार)

सोच तो किसी की बदली नहीं है। यह हमारी सोच है कि हमारे अन्दर जो कमियां हैं वे पूरी करनी चाहिए। किसान को कीटनाशक दवाइयां छिड़कने के लिए मशीन की सब्सिडी देनी चाहिए और आज जो मशीन देते हैं उसमें 400 रुपये की सब्सिडी है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी ढाई हजार रुपये प्रति हैक्टेयर मुआवजा दिया। इसका तो हम धन्यवाद देना ही चाहते हैं पर उसमें एक लेकूना है कि एक ही बैंक में खाला खुले। कोआपरेटिव बैंक में खाता खुलवा कर पैसा लेना पड़ेगा। अब कई जगह कोआपरेटिव बैंक नहीं हैं, उन लोगों को जाना पड़ता है 10-10 किलोमीटर। हम चाहते हैं कि उनको इस बात की छूट दी जाए कि किसी भी बैंक में खाता खुलवा कर पैसा ले सकता है, मारामारी नहीं हो।

मैं कृषि मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि फर्जी दवाइयां बेचने वाले कितने लोगों का 14 महीने में चालान किया गया? किसान का मूल मंत्र बीज है, बीज उसको गड़बड़ दे दिया, उसका अंकुरण ही गड़बड़ दे दिया तो बीजेगा क्या? अगर बीजेगा, 50 हजार रुपये लगा उसकी जुताई की, बीज ही अगर उसका गड़बड़ दे दिया तो उगेगा नहीं। इसलिए मेरा सबसे पहले माननीय मंत्री जी से इस बात का निवेदन है कि कोई भी अगर किसान को फर्जी बीज बेचता है और यह सिद्ध हो गया तो उसको सज़ा-ए-मौत होनी चाहिए। पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। आज किसान बीज बोता है और 3 महीने बाद उसका उगेगा नहीं, दो महीने बाद उगेगा नहीं तो कहां जाएगा वह? उसका मरना ही पड़ेगा आखिर में। उसके मरने के बजाय तो उसको मरना चाहिए जिसने हमारे साथ धोखा किया है। नम्बर दो, आज कितने तो बीज बेचने वाले फर्जी लोग हैं, उनका चालान कितनों का किया, बताओ? दवाई बेचने वाले कितने लोगों का चालान किया? एक का भी चालान नहीं किया। तो इंस्पेक्टर क्या करते हैं? सरकार से तनख्वाह ही तो ले रहे हैं। इसलिए किसान के प्रति किसी की भावना जाग्रत नहीं हुई है। लाइसेंस की बातें करते हैं और केवल भाषण देकर उसका समापन करके, उसको ड्राप कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। मेरे इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा है। किसान के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की भावना होनी चाहिए। किसान की अगर खेत में फसल जल जाती है तो किसान का दिल रोता है, पर वह कर भी क्या सकता है? देश की आजादी खेत और खलिहान से गुजरनी चाहिए थी, वह आजादी महलों से गुजर रही है, वही 70 वर्ष पहले वाला ट्रेंड चल रहा है। हमारा किसान अंडमान और निकोबार जाकर

(श्री श्रवण कुमार)

जेलों में कोड़े खाए, वाले पानी जाए, वहां लोगों ने देश को आजाद कराया उसके बाद भी आज वर्ल्ड क्लास सिटी की जयपुर की ही बात हो रही है। झोंपड़ी का आदमी प्रतीक्षा कर रहा है। 65 वर्ष पहले वह इस बात को सोच रहा था कि देश आजाद होगा, मैं खुशहाल होऊंगा, मेरी झोंपड़ी में दीपक जलेगा। जिस टीले पर मैं बैठा हूं, वहां सड़क होगी, शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, बिजली होगी, पानी होगा। आज 65 वर्ष के बाद भी वही अधूरापन है। इसलिए मेरी सबसे पहले इस बात के लिए आप लोगों से विनती है कि हर व्यक्ति के दिल में दर्द आना चाहिए। वर्ल्ड क्लास सिटी तब मानेंगे जब खेत और खलिहान, गरीब की झोंपड़ी में भी दीपक जलेगा, शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, बिजली होगी, पानी होगा। अच्छी कृषि की यही इंतिहा होगी।

आज किसान की सबसे पहले आवश्यकता है पानी की। डार्क जोन कर दिया, किसान कुआ खोद नहीं सकता। बिजली की बात करते हैं, आज फाइल जमा कराओ, 2003 की फाइल का 2010 में नम्बर आता है। 7 साल तक किसान मर जाएगा। हमारा देश ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोगों के सामने नया उदाहरण आना चाहिए कि किसान ने आज बिजली कनेक्शन के लिए एप्लाई किया है और 2 महीने के अन्दर कनेक्शन हो गया। ऐसा होना चाहिए न? सोच बदलनी चाहिए न? क्रिकेट खेलने से देश का भला हो जाएगा क्या? क्रिकेटा खेलने से देश का भला हो जाएगा? इस देश का भला तब होगा, आज देश में सबसे बड़ा उत्पादन का उद्योग कृषि है, अगर हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है तो कृषि को भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। अगर कृषि कमजोर हो गई तो इस देश का भी बेहाल होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। आज क्रेडिट कार्ड की बात आती है, क्रेडिट कार्ड बनाते हुए किसान को एक छूट दी, भला हो हमारी इंदिरा गांधी का जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नहीं तो किसी में हिम्मत भी नहीं थी। बड़े राजाओं के प्रीवीपर्स बंद किये। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अभी कल भी हमारे रणवीर जी बोल रहे थे, लड़की की शादी के लिए क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था, 5 हजार रुपये बैंक मैनेजर रिश्वत मांग रहा था। एक बैंक मैनेजर के घर में 8 किलो सोना मिला, 8 मकान किले और 10 प्लाट मिले। कहां लेकर जाएगा? कितना सोना होगा और कितनी चांदी होगी। ''कितने मंदिर तोड़े होंगे और कितनी मस्जिद तोड़ी होंगी। पर बंदे याद रख, कफन में जेब नहीं होती।'' ''हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में

(श्री श्रवण कुमार)

दम कहां था। मेरी नाव तो वहां डूबी जहां पानी भी कम था।'' माननीय सभापति महोदय, ''किश्ती बदलने से किनारा नहीं बदलेगा, नीति को बदलने से किनारा बदलेगा।'' देश का ढांचा तब ठीक होगा, जब हमारी नीति ठीक होगी, जब हमारी कथनी और करनी का अंतर मिटेगा। हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी का अंतर मिटेगा, तभी देश का भला हो सकता है।

मैं कृषि के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं, बहुत कुछ कह सकता हूं पर कृषि का मूल मंत्र यह है कि कृषि में उन्नत बीज, अच्छी, नई तकनीक के साथ जिसमें किसान का कम पैसा खर्च हो-अच्छे बीज मिलें, अच्छी खाद मिले, अच्छी दवाइयां मिलें। आज खाद की बातें करते हैं, हरियाणा से खाद आती है, वे खाद कृत्रिम खाद बनाते हैं। सिंथेटिक दूध बनाते हैं। सुबह माननीय सदस्या कह रही थीं, सिंथेटिक घी बनाते हैं। आज किसान का कहां भला हो सकता है, जहां सिंथेटिक खाद बनाने लग गये? वह खाद बीज के साथ मिलाकर बीजेगा, उधर बीज भी सिंथेटिक है, इधर खाद भी सिंथेटिक है, उगेगा क्या? किसान की कितनी बड़ी मार है। उस मार को कौन दूर कर सकता है। यह हाउस दूर कर सकता है। इस हाउस को सोच बदलना चाहिए कि आदमी सब के दिल में देख लो। सब के दिल में तो है पर बोल नहीं सकते। इसमें आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, किसान के प्रति जाग्रति पैदा करनी पड़ेगी। किसान तभी समृद्धशाली बन सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की भावना हो। यह हम चाहते हैं कि अच्छे बीज मिलें, अच्छा खाद मिले, अच्छे साधन मिलें और पानी उपलब्ध मिले और उसके बाद में भूमि में जोतने को किसान को जो डीजल मिलता है ट्रैक्टर के लिए, उसमें सब्सिडी मिले। आज 40 रुपये लीटर का तेल डाल कर कोई किसान क्या माल लगाएगा? किसान के प्रति सब की सोच होनी चाहिए। जितनी अंडमान-निकोबार को सब्सिडी दे रहे हैं, कश्मीर को सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी देकर उनका जीवन-यापन किया जा रहा है और किसान भूखा मरता है और देखता है, बैठा है, उसको सब्सिडी नहीं दी जा रही है। मेरी सबसे बड़ी सोच यह है कि किसान को सब्सिडी कृषि के ऊपर मिलनी चाहिए। जहां अनाज बेचा जाता है उसमें भी किसान को मार है, आज 1800 रुपये में सरसों बेची जा रही है, क्या होगा 1800 रुपये में? 1170 रुपये में गेहूं बेचा जा रहा है, क्या आएंगे 1170 रुपये में? कम से कम 2000 गेहूं बिकेगा तब किसान का भला हो सकता है, 3000 रुपये सरसों बिकेगी तब किसान का भला हो सकता है। हमारा सबसे बड़ा पाइंट यही है कि किसान की जो उपज है, उसका मूल्य भी सही मिले और उसको पैदा करने के सुसाधन भी सही मिलें।

(श्री श्रवण कुमार)

कृषि उपज मण्डी की बात करते हैं। माननीय मंत्री जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, कोई शंका की बात नहीं। किसान के बेटे भी हैं, कोई शंका की बात नहीं। पर एमडीआर सड़कों का पता है? बनाने वालों ने बना दीं, 10-10 साल से 15-15 साल से टूटी पड़ी हैं। 70 प्रतिशत पैसा मेंटिनेंस में लगना चाहिए, किसी की सोच नहीं। उन सड़कों पर आदमी चल नहीं सकता।

किसान कृषि उपज मण्डियों में टैक्स देते हैं, आढ़त के पैसे देते हैं, अगर किसान बरसात में, धूप में अपने पशु लेकर चले भी जाएं तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि वहां पर शेड भी नहीं हैं। वहां हमारी माता-बहनें चली जाएं तो उनके लिए बाथरूम तक नहीं है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? एक स्टेशन के ऊपर तो चार बाथरूम मिल जाएंगे, एक एयरपोर्ट के ऊपर 25 मिल जाएंगे जहां कमर्शियल लोग, बड़े लोग जाते हैं और जहां किसान का बेटा जाता है वहां एक बाथरूम भी नहीं है। आप लोगों के दिल में दर्द नहीं है क्या? रोहिताश जी बोलो न, बोलते क्यों नहीं हो? पर आप किसान के बारे में क्या जानोगे? ''घायल की गति घायल ही जाने। जिनके पैर न फटे बिंवाई, वो क्या जाने पीर पराई।'' आपको क्या मालूम, हम जानते हैं। खड़े कैसे होंगे, हिम्मत कैसे करोगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी जो बात कह रहे हैं, व्यावहारिक रूप से तो बहुत सत्य कह रहे हैं पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक बीघा में मोठ कितने बोये जाते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सवा किलो मोठ बोये जाते हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कौनसे जिले की बात कर रहे हो?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं झुंझुनूं जिले की बात करूंगा, अमेरिका की नहीं करूंगा। मैं झुंझुनूं जिले का मूल मंत्र बता सकता हूं कि उसकी भूमि क्या मांगती है। आपके गुड़गांव की जमीन क्या मांगेगी, यह मैं बताऊंगा क्या? वहां की जमीन और हमारी जमीन में अन्तर है। हमारी जमीन को दुलड़ जमीन बोलते हैं जहां टीला और ताल है। आपके अलवर की जमीन है वहां ताल है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप अपने समय का ध्यान रखिये, वो आपका समय जाया कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको बढ़िया-बढ़िया सुझाव दे रहे हैं तो समय क्या होता है, और आधा घंटा लेट कर देंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सड़कों की इतनी दयनीय स्थिति है कि दस वर्ष पहले 2002 में सड़कें बनाई थीं उन सड़कों का आज तक कोई मेंटिनेंस नहीं है। नई सड़कें बनाना भूल गये। हमारी सरकार की नीति थी कि उसमें लोन लेंगे और लोन लेकर सड़कें बनाएंगे। कोई कहते हैं कि कर्जा लेकर घी खाया जाता है? तो घी कर्जा लेकर के भी खाया जा सकता है। हमारे समाज में अगर कर्जा लेकर गांव का विकास करते हैं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करते हैं तो, माननीय मंत्रीजी, लोन लेना भी कोई बुरा नहीं है। क्रिकेट के लिए लोन लोगे तो घाटा हो जाएगा, पर सड़क के लिए लोन लोगे तो घाटा नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्रिकेट के पीछे क्यों पड़े हो, खेती की बात करो न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये बोल गये न, इनको पीड़ा है क्रिकेट की। जहां बटन दबाते हैं, दर्द हो रहा है तो दब जाता है अपने आप ही। यह क्रिकेट वालों को अपने आप ही दर्द हो गया। कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे कि आप क्रिकेट मत खेलो, पर पहले हमारी बात सुनो उसके बाद क्रिकेट भी खेलो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): खुद ही विधायकों की टीम के मैम्बर हो। हां, आप खेलते हो क्रिकेट, आप भूल गये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं।

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं करें, माननीय सदस्य, अपने विचार व्यक्त करें अब।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कह रहा हूं कि कृषि उपज मण्डियों के अन्दर एमडीएफ का फण्ड है उसमें सड़कों की विशेष दो योजनाएं हैं। ये छोटी सी और डी क्लास की मण्डियां हैं उनमें सड़क बनाने का जो पैसा था, माननीय सभापति महोदय, मैं 16 महीने की बात नहीं बता रहा हूं, आपको पांच साल की बात बता रहा हूं कि एक भी सड़क नई नहीं बनाई। मंत्री जी के आने के बाद में पूरे राजस्थान में दो सड़कें-एक तो जयपुर जिले में और एक मेरे झुंझुनूं में, ये दो सड़कें बनीं। यह पैसा कहां चला गया, कौन कहां ले गया, मुझे मालूम नहीं, पर जो सड़कों की दशा है वह दयनीय है, शर्मनाक है और दर्दनाक भी है। आज हर चीज में कोई काम करते हैं तो कमीशन। बैंक में

(श्री श्रवण कुमार)

जाएंगे तो कमीशन, ट्रांसफर कराएंगे तो कमीशन, और कोई काम करेंगे तो कमीशन। आखिर में हर चीज में कमीशन, तो यह कहां जाकर रुकेगा? हम चाहते हैं कमीशनबाजी बंद हो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। कृषि उपज मण्डियों के बारे में कहना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी में एक बाबू भी करोड़पति है, एक सैक्रेटरी भी करोड़पति है। हालत यह है कि मण्डियों का पैसा जो हमारे किसान का आढ़त का आता है, वह केवल मात्र 30 प्रतिशत जमा होता है। अगर इसके बारे में किसी को शंका है तो कमेटी भेज दीजिये। अभी फसल पूरे यौवन पर है, आपकी सबसे बड़ी मण्डी बूंदी है, कोटा है, नागौर में 3-4 मण्डियां हैं, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में हैं, हम तो यह कहते हैं कि 20-25 मण्डियां ऐसी हैं जो आज यौवन पर हैं। हमारे तो होगी कहां से, हमारे तो अनाज भी इतना ही होता है। पर मैं कहना चाहता हूं कि जो यौवन पर मण्डियां हैं उनकी जांच करवा लें। मैं आज मंत्रीजी को कहना चाहता हूं, मंत्री जी, आप ईमानदार आदमी हो, कोई शंका की बात नहीं है, भगवान के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप इस पर सख्ती करिये और रिश्वत खाने वाले लोगों को तत्काल सस्पैंड करिये। ऐसे लोगों को 16 सीसीए का नोटिस देकर सस्पैंड करके टर्मिनेट करिये। 15 आदमियों को अगर झटका मारेंगे तो मालूम हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है काम करने की। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता? मैं कहता हूं कि राजस्थान में 12 महीने में भ्रष्टाचार, अगर आदमी रुपये की तरफ ध्यान देगा तो अपना रुपया निकालते ही शर्माएगा। क्यों नहीं कर सकता? पर बीजेपी वालों को कहा तो बीजेपी वाले दोनों हाथों से लगे हुए थे, कांग्रेस वालों को कहा तो कांग्रेस वाले कहें कि हम क्या कर सकते हैं, किसको कहें। कामरेडों के पास कुछ है नहीं, बहुजन वाले हमारे पास मिल ही गये तो फिर पीछे क्या रह गया? अब मामला सारा इसलिए बिगड़ा हुआ है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय श्रवण कुमार जी, +++ यह निर्दलीय वाला तबका भी अलग है, +++ आप इस बात को भूल गये?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या कहा?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): +++ निर्दलीय का भी तबका है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): निर्दलीयों का तो टपका ही है, और है भी क्या? अब आपको हमारे किसानों की, कृषि उपज मण्डियों की हालत बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे अदरक है वह मसाले में आती है, उस पर 1.60 रुपया आढ़त के लगते थे।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, अभी जैसा कि बताया +++ तो क्या सरकार निर्दलीयों की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह आपके लेवल की बात नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप विराजो आराम से, यह तो हमारी आपस की बात है।

श्री सभापति: यह टिप्पणी सही नहीं है, इसको एक्सपंज किया जाए। माननीय मंत्रीजी हैं वो सरकार के मंत्री हैं और इस पर मैं समझता हूं कि कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सरकार के मंत्री ही तो हैं, हम कब कह रहे हैं।

सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं, डेयरी की बात आती है, आरसीडीएफ राजस्थान का सबसे बड़ा डेयरी फैडरेशन है, 21 सहकारी संस्थाएं चल रही हैं। झुन्झुनूं जिला शिक्षा में अग्रणी है, सेना में अग्रणी है और पशुपालन में भी अग्रणी है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां सरकारी सेंटर खोलें जिससे झुंझुनूं जिले के लोगों को महसूस हो। हमारा जिला और किसी चीज में तो अग्रणी नहीं रहा, पर शिक्षा में सेठों की मेहरबानी रही, सेना में हमारे बुजुर्गों की मेहरबानी रही और एक मेहरबानी अगर यहां से हो जाए तो हमारे एक सेंटर खुल सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसान की सबसे बड़ी दुर्दशा हो रही है। किसान के पास धन का, आय का कोई स्रोत है तो वह पशु है लेकिन आज राजस्थान के कोने-कोने में इस बात की मांग करते हैं क्योंकि हमारे यहां किसानों के पशुओं के लिए हास्पिटल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आदमी गाड़ी में बैठकर जा सकता है, खुद की कार में जा सकता है, बस में जा सकता है पर हमारा पशु न गाडी में जा सकता, न कार में जा सकता। इसलिए हमारी सबकी महती आवश्यकता है कि हमारे गांव की झोंपड़ी, खेत और खलिहान में रहने वाले किसान के लिए गांव में हास्पिटल होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब आप। कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): समाप्त कर रहा हूं, पशु पर आ गया न। लास्ट बिन्दु पर बोल रहा हूं।

(श्री श्रवण कुमार)

मुख्य मंत्रीजी का सोच है कि जो शहरों में हास्पिटल हैं उनको गांवों में स्थानांतरित कर दें। मैं मुख्य मंत्रीजी को एक निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के लोग भी खेतों से पलायन करके शहरों में आ गये, डेयरियां खोल रखी हैं। इनको कौन ले जाने देंगे? ये प्रताप सिंह जी खाचरियावास जैसे लोग हंगामा मचा देंगे, कोई जाने देंगे क्या? नहीं जाने दोगे? (व्यवधान) मैं कहता हूं कि पुराने के चक्कर में झगड़े में पड़ जाएंगे और हमारा मामला टांय-टांय फिस्स हो जाएगा। मैं मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि हमारे राजस्थान में कम से कम 400 पशु हास्पिटल खोलने चाहिए, यह महती आवश्यकता है। आज वर्ल्ड क्लास की सिटी जगह-जगह बन रही हैं, डाक्टर जगह-जगह घूम रहे हैं पर हमारे गांव में पशुओं की हालत मैं बताना चाहता हूं कि पशु मर जाते हैं। एक किसान की भैंस 50 हजार की होती है, एक लाख रुपये की भैंस होती है, 50-50 हजार रुपये की जर्सी गायें लेकर आते हैं और वो एक मिनट में डाक्टर के अभाव में मर जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाक्टर हैं वो भी शहर में रहते हैं। आज मंत्रीजी के दिल में दर्द आया क्या? किसान के बेटे हैं, पक्के किसान के बेटे हैं पर इनके दिल में कभी इन्होंने खड़े होकर ठहराव की बात विधान सभा में कही क्या कि हमारा डाक्टर गांव की झोंपड़ी में मिलेगा, हमारा कम्पाउंडर गांव की झोंपड़ी, खेत और खलिहान में मिलेगा? आज कोई डाक्टर खेत में नहीं रहता है, कोई डाक्टर गांव में नहीं रहता है। शाम को साढ़े चार बजे बाद सब शहर में आ जाते हैं। यह दर्द आपको पैदा करना पड़ेगा, हमारे किसान की बहुत बड़ी पीड़ा है। 65 वर्ष के बाद भी अगर यह पीड़ा नहीं जगी है तो मैं इस बात को बहुत बुरा मानता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पशुओं के हास्पिटल की महती आवश्यकता है, सभापति महोदय, आप भी इसमें हमारा सहयोग करिये। आप मिलिट्री के आदमी हो, आप एमएलए भी बन गये। कितने बहादुर व्यक्ति हो कि हिन्दुस्तान की सीमा पर लड़ने वाले भी हैं और किसान के बेटे भी हैं। अगर एक ही आदमी में पांच चीज निहित हो जाएं तो क्या वह बमबार्डमेंट नहीं कर सकता? आप करिये इस बात की घोषणा कि 400 जरूर खुलवाएंगे। आप कह सकते हो क्या? आज इतनी हिम्मत कोई रखता ही नहीं। आसन भी नहीं रखता, न कोई मंत्री रखता है। पता नहीं, यह शक्ति कहां निहित है? मैं कहना चाहता हूं, मेरा सोच है इस बात का कि हमारे

(श्री श्रवण कुमार)

यहां 400 अस्पताल खुलने चाहिए और 200 कम्पाउण्डर लगने चाहिए और वह डाक्टर गांव की झोंपड़ी में रहना भी चाहिए। केवल खुलने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए उपयुक्त साधन भी होने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे झुंझुनूं जिले के हैडक्वार्टर का अस्पताल है, अगर आप अस्पताल देख लें...

श्री सभापति: कृपया निवेदन है कि समाप्त करें आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...तो आपको शर्म आएगी। उसमें कोई साधन नहीं है। डाक्टर नहीं रहता, कम्पाउण्डर नहीं मिलता है। केवल एक छोटी-सी झोपड़ी बना रखी है, उसमें डाक्टर बैठा है। जिला हैडक्वार्टर के अस्पताल की यह हालत है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं, सरकार इस बात पर जागरूक हो जाए। किसान का बेटा वही माना जाएगा जो किसान के प्रति उत्तरदायी होगा। किसान के प्रति उसके दिल में दर्द होगा, किसान के मामलों में उसकी सोच होगी, वही किसान का बेटा माना जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए पुनः आपसे विनती करना चाहता हूं, किसान वही है जो किसान के दुःख-दर्द को जानता हो, किसान वही है जो किसान की पीड़ा को जानता हो, किसान वही है जो किसान की भावनाओं की कद्र करता हो। इन्हीं शब्दों के साथ, आपकी भावना की कद्र करते हुए, मैं कृषि मंत्रीजी से और डेयरी मंत्री से पुनः इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले की बात को सोचें, ध्यान दें और किसान के प्रति उत्तरदायी बनें और किसान के प्रति भावना की कद्र करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पुनः मुझे शिक्षा पर बोलने का मौका मिला तो रूबरू होंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। क्रिकेट तो खेल सकते हो?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या, सर?

श्री सभापति: क्रिकेट तो खेल सकते हो न? क्रिकेट के लिए आपने मना किया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहले किसानों का भला हो जाए, उसके बाद में क्रिकेट की बात करूंगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): गिल्ली-डंडा पहले खेलते ही थे तो वही तो है क्रिकेट, और क्या है?

श्री सभापति: श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। वर्तमान में पेस्टीसाइड्स हार्मोन्स का जो फसलों में, सब्जियों में और फलों में उपयोग हो रहा है, उसकी तरफ से मैं अपनी बात शुरु करना चाहता हूं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा, देशी कम्पनियों के द्वारा पेस्टीसाइड्स और हार्मोन्स के नाम पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों को बाजार में बेचा जा रहा है और राजस्थान का, पूरे देश का किसान, कोई कार्यशाला उन दवाइयों का उपयोग करने के लिए नहीं हुई कभी भी, केवल विक्रेताओं के बताये अनुसार ले जाकर अपने खेत में छिड़काव करता है। किसान को पता नहीं है कि इसमें जो चेतावनी अंकित है हिन्दी में और अंग्रेजी में और दूसरी अन्य भाषाओं में, इस चेतावनी को पढ़ना और उसकी अनुपालना करना भी जन हित में उतना ही आवश्यक है। कीटनाशक विक्रेताओं के बताये अनुसार उसने पेस्टीसाइड्स खरीदा और खेत में छिड़क दिया। रात को उसने ककड़ी इतनी-सी देखी और सुबह मिले तो इतनी बड़ी ककड़ी मिली। उसने सुबह चार बजे ककड़ी तोड़ी और सब्जी मण्डी में ले जाकर बेच दिया। रात को टमाटर, गोभी, खीरा, कोका, कद्दू, जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, ले जाकर उसने उस दवाई को कीटनाशक के रूप में या हार्मोन्स के रूप में छिड़का, अलसुबह उसने उस सब्जी को तोड़ा और बाजार में बेच दिया। वर्तमान में कृषि क्षेत्र के माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, कृषि क्षेत्र के अधिकारीगण बैठे हैं, ये सब इस बात से परिचित हैं कि उन दवाइयों पर 48 घंटे से 72 घंटे की समयावधि अंकित है कि इनके छिड़काव के 48 से 72 घंटे तक इन सब्जियों को, इन फलों को तोड़कर बेचा नहीं जाए। जो असावधानी किसानों के द्वारा जल्दी और अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए की जा रही है, उसके फेर में आज छोटे-छोटे, 3-3, 5-5, 8-8 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है। तीन से पांच साल, आठ साल, 10 साल के बच्चों के चश्मे लगने की शिकायत, दांतों के क्षरण की शिकायत, हमारे बुजुर्गों के, युवाओं के आर्थराइटिस की प्राब्लम, आंखों की रोशनी कम होने की प्राब्लम, आज जो हम सोचते हैं कि क्षारीय पानी से, फ्लोराइडयुक्त पानी से यह सब हो रहा है, जबकि आज बाजार से हम दैनिक उपयोग में सब्जियां और फल ले रहे हैं, इसका मूल कारण यह है। ऐसी-ऐसी दवाइयां जिनके छिड़काव के बाद थोड़ी देर किसी बंद स्थान पर किसी व्यक्ति को या किसी किसान को छोड़ दिया जाए तो उसकी दुर्गंध से

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग किसान को बिना किसी प्रयोगशालाओं के माध्यम से शिक्षित किये हो रहा है। ऐसे कीटनाशक दुनिया के 10 से 15 देशों में पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। 10 से 15 ऐसी दवाइयां भारत में भी प्रतिबंधित की लिस्ट में हैं और लगभग 10 से 15 वर्षों से ही हैं। लेकिन किस दबाव में, किस विदेशी कम्पनी के दबाव में उन दवाइयों को आज तक प्रतिबंधित करने की या प्रतिबंध की ओर किसी भी प्रकार का शोध करने की आज तक भारत सरकार और हमारी राजस्थान की सरकार ने कोई आवश्यकता नहीं समझी। मेरा माननीय कृषि मंत्रीजी से आग्रह है कि इस प्रकार के कीटनाशक और हार्मोन्स जिनके रात में थोड़ी देर के छिड़काव के बाद ही दवाइयों के असर से उस फसल-सब्जी और फल के आकार में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, उनकी एक बार शोध करवाई जाए कि इस प्रकार की वृद्धि होने से किस प्रकार का विपरीत प्रभाव आम जन के स्वास्थ्य पर आ रहा है। इस प्रकार की दवाइयों की भी जानकारी माननीय सभापति महोदय, जो देशी दारू में मिलाकर डाली जाती हैं। एक ग्राम दवा एक लीटर देशी दारू में मिलाकर, 100 लीटर पानी में रात को छिड़की जाती है और सब्जी की साइज रात-रात भर में चौगुनी हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि टमाटर अन्दर से पोला, खीरा अन्दर से पोला, ककड़ी अन्दर से पोली, घीया अन्दर से पोली, यह उसी हार्मोन्स का प्रभाव है।

माननीय सभापति महोदय, पेस्टीसाइड्स और हार्मोन्स के बाद मैं बात करना चाहता हूं, महंगाई पर। महंगाई की चर्चा को तो माननीय हमारे खाद्य मंत्रीजी ने अपने अभिभाषण में ही समाप्त कर दिया, चर्चा करने की जरूरत नहीं छोड़ी। किन्तु फिर भी उस पर चर्चा हुई। सारा श्रेय वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी ने लेने का प्रयास किया कि वर्तमान में जो महंगाई घटी है, उसको घटाने का कार्य हमने किया है। अब फसल का समय है, फसल आ रही है, सब्जियों की भी आ रही है आलू और प्याज की भी आ रही है, गेहूं और सरसों की भी आ रही है, तो निश्चित रूप से किसानों की जिंस जब बाजार में जाएगी, आवक होगी तो बाजार में दाम घटेंगे। इसमें किसी भी प्रकार से श्रेय लेने का जो प्रयास सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है, मेरा मानना है कि यह गलत सोच का परिणाम है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है, तो आज जो समर्थन मूल्य आपने घोषित कर रखा है, किसान को उसकी उपज का मूल्य उचित मिल जाए, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात और अन्य प्रदेशों

(श्री बनवारी लाल सिंघल)
की तर्ज पर समर्थन मूल्य पर कम से कम 200 और 300 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान सरकार की ओर से उस किसान को देने का काम करेंगे तो लगेगा कि सरकार ने किसान के भरण-पोषण का, उसकी जिंस को उचित दर पर मार्केट में बिकवाने का और उसको अधिक लाभ पहुंचाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों बड़े जोर-शोर से चर्चा थी फसल के खराबे के मुआवजे पर। 2,000 रुपये हैक्टेयर का मुआवजा, प्रति बीघा 500 रुपये आता है और उसमें भी सरकार ने व्यवस्था की कि जिस किसान की चाही जमीन होगी, उसको दुगनी गिनी जाएगी। जिसकी जमीन चाही है उसका तो मुआवजा 250 रुपये रह गया और वह भी कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही दिया जाता है। बैंकों के माध्यम से ही दिया जाएगा, बैंकों के माध्यम से भुगतान होगा। जितना उसको मुआवजे के रूप में मिलेगा, उतना उसका बैंक एकाउंट खुलवाने में, अगर उसका बैंक एकाउंट नहीं है तो वहीं जमा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था और थी कि यदि उस किसान पर किसी प्रकार का कोई ऋण है तो उस फसल खराबे का जो मुआवजा दिया जा रहा है, उसके ऋण के समायोजन में वह राशि समाप्त हो जाएगी।

आज जिस प्रकार से लघु और सीमांत कृषकों की बात होती है, अभी मेरे भाई श्रवण जी और उनसे पहले भाई महेन्द्रजी ने बड़ी-बड़ी बातें कीं। किसान की सरकार और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी भी निश्चित रूप से किसान हैं लेकिन कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी का या किसी भी प्रकार का कोई प्रचार और प्रसार डैप्थ में नहीं होता है, आम ग्राम तक नहीं होता है, आम ढाणियों में नहीं हुआ। निश्चय ही मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में दिये जाने वाले सभी अनुदान का लाभ उस लघु और सीमांत कृषक को जिसके लिए यह योजना बनाई गई है, जिसके लिए इन योजनाओं का सृजन हुआ, उनको नहीं मिलता। बड़े किसान जिन्होंने छोटी-छोटी यूनिट में जमीनों को खरीदकर रखा है, वे लोग योजनापूर्वक अधिकारियों के साथ मिलकर सब्सिडी की सारी योजनाओं को चट कर जाते हैं। केन्द्र की सरकार द्वारा और

(समय : 16.00 बजे)

प्रदेश की सरकार द्वारा छोटे-छोटे किसानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं, उनको तो फसल बोने और फसल कटने तक यही पता नहीं है कि कौन सी योजना आई और कहां गई। आप उदाहरण के तौर पर देखें तो कितने लघु और सीमांत कृषकों के यहां ग्रीन हाउस के प्रोजैक्ट लगवा दिये

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सरकार ने, सरकार बतला दे। सारे फार्म हाउस हैं जिन पर आपको ग्रीन हाउस प्रोजैक्ट लगे हुए नजर आएंगे, जहां शानदार आपको बाउण्ड्री मिलेगी और फार्म के साथ आपको बहुत बड़ा सारा हाउस मिलेगा। किसी किसान के खेत में जहां फेंसिंग हो रही हो या फेंसिंग नहीं हो रही हो, ऐसे कहीं भी दूर-दूर तक देखने को ही मिलते हैं ग्रीन हाउस प्रोजैक्ट। या राजस्थान सरकार की ऐसी कोई कल्याणकारी योजना जिससे छोटे किसान को लाभ हो सके, माननीय सभापति महोदय, मेरे देखने में तो नहीं आई। अगर सत्ता पक्ष के लोगों को आती हो तो निश्चित रूप से इनको मेज थपथपानी चाहिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए।

किसानों की ऋण की बात आती है, पिछले दिनों बात आई किसानों के ऋण को माफ करने की, मेरा इसमें निवेदन है कि छोटे-छोटे किसान जिनके पास एक हैक्टेयर, आधा हैक्टेयर, एक बीघा, दो बीघा, तीन बीघा भूमि है, वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा में भेजने की बात तो छोड़िये, प्राथमिक शिक्षा तक भी दिलवाने में सक्षम नहीं हैं। चिह्नित करके जो लघु हैं, सीमांत हैं, जिनके पास छोटा रकबा है, ऐसे किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा तक की शिक्षा राज्य सरकार के माध्यम से नि:शुल्क दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि कार्य के लिए, फसल जब उसको बोनी है तो उसके जो छोटे-छोटे खर्चे हैं उनके लिए बिना ब्याज के- इसमें ब्याज पर कोई बहस नहीं हो कि दो परसेंट लिया जाएगा, चार लिया जाएगा, छह लिया जाएगा, छोटे किसान को बिना ब्याज के ऋण सरकार अपने स्तर पर उपलब्ध करवाए। इसके लिए गांवों में कैम्प आयोजित करके अवेयरनैस प्रोग्राम चलाये जाने चाहिए कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की योजनाओं में आपको बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की योजना है।

माननीय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज से मात्र दस-पन्द्रह वर्ष पूर्व जब कोई किसान अपने खेत में ट्यूबवैल और कुआ खोदता था तो पचास से सौ फीट पर उसको पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था। किन्तु धीरे-धीरे जल का व्यवसायीकरण हुआ, पानी को बेचने की और मोटा मुनाफा कमाने की योजनाएं बाजार में आईं। अलवर में एक बहुत बड़ा पानी का बांध है, जयसमंद बांध, जिसकी नमी से आस-पास के दस-पन्द्रह-बीस किलोमीटर के एरिया के लोग बिना बरसात के भी और बिना अतिरिक्त पानी के भी अपनी फसल को पैदा कर पाने में सक्षम होते थे, लेकिन आस-पास बहुत बड़ा व्यावसायिक केन्द्र डवलप हुआ, पानी का अत्यधिक दोहन हुआ और स्थिति

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
यह हुई कि जयसमंद जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एक बार इसमें पानी नहीं होगा और इसमें खेत जुतने लगेगा, अन्दर ट्रैक्टर से कल्टीवेशन होगा और इसमें फसल बोई जाएगी, आज जयसमंद बांध एक मरूस्थलीय रेगिस्तान की तरह नजर आने लगा। इसके पीछे जो जल दोहन अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, वह कारण है।

माननीय, अभी बात की जा रही थी, पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के अंतर में कांग्रेस के एक साथी ने कुछ आरोप हमारी पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी पर लगाये। मेरी मंशा कोई आरोप लगाने की नहीं है, लेकिन अपनी बात कहना चाहता हूं। साथी ने जो आरोप लगाये वे बिना किसी प्रमाण के थे और मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा हूं वह प्रमाण सहित कहना चाह रहा हूं। मेरे पास एक यह विधान सभा प्रश्न के उत्तर में आया हुआ उत्तर है, कजोड़ी सन आफ गणेश जाट, केरवा जाट, ग्राम है इसका, एक हैक्टेयर सरकारी जमीन पर इस व्यक्ति ने काश्त कर ली। धारा 91 के तहत इसको नोटिस दिया गया, इसकी फसल जब्त हुई। एक बार के अलावा दूसरी बार भी इसकी फसल जब्त हुई। दूसरे साल तहसीलदार महोदय ने इसको आदतन अपचारी मानकर जेल भेज दिया। मेरे पास प्रमाण है, इसी प्रश्न के उत्तर में आया हुआ है। सौ बीघा जमीन से अधिक, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के सचिव, सौ बीघा जमीन से अधिक, 91 में यह अतिक्रमी है, जवाब दिया गया। बड़ी आश्चर्यजनक बात है माननीय कृषि मंत्रीजी, आप इसको नोट करें और इसको दिखवाएं, 2006 में 91 की कार्यवाही में 2008 के स्टे को साया किया हुआ है। आपके विभाग को यह पता था कि दो साल बाद स्टे आ जाएगा इसलिए 2006 में कार्यवाही मत करो? सभापति महोदय, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, 91 की कार्यवाही हर फसल के टाइम पर होती है, तुरन्त जमीन पर से फसल को जब्त किया जाता है और 91 की कार्यवाही के तहत उसको नीलाम किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। लेकिन दो-दो साल तक प्रभावशाली व्यक्ति और +++ होने के नाते उस व्यक्ति के खिलाफ दो साल तक कार्यवाही नहीं की जाए। 2008 में 21.10.2008 को स्थगन प्राप्त हुआ और...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, एक मिनट मैं बीच में लेना चाहूंगा। आप जिनका हवाला दे रहे हैं, क्या उनका इसमें, जवाब में वर्णन किया गया है?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बिलकुल किया गया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक) : नहीं किया गया है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा..

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं टेबल कर दूंगा, साहब।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं इस कार्यवाही से उनके बारे में जो अंकित किया गया है उसको एक्सपंज करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सचेतक महोदय, अगर आप चाहें तो मैं टेबल कर दूंगा, मेरे पास लिखित में जवाब विधान सभा का है। मैं किसी व्यक्ति का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): थोड़ी देर पहले आपको इस चीज का ध्यान आ जाता तो ठीक नहीं था क्या? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नहीं, मैं बिलकुल होश-हवाश में बोलूंगा, आप चिंता न करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आप तो चाहे जो आरोप लगा दो..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मुझे ध्यान आया हुआ है, माननीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह दोहरी बात नहीं चलेगी। आप सत्ता पक्ष के सचेतक हैं...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): लेकिन आप कोई गलत उदाहरण अगर प्रस्तुत करने की सोच रखते हों, आपकी यह सोच है तो आपकी सोच आपके साथ है, कोई बात अगर कोई माननीय सदस्य कह रहे हैं जो नियमानुसार ठीक नहीं है वह रिकार्ड पर नहीं आए, इसके लिए मेरा कहना कर्तव्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सत्ता पक्ष के सचेतक है..

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सचेतक महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं किसी व्यक्ति पर आरोप कोई अनर्गल नहीं लगा रहा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मेरे पास जो विधान सभा से प्राप्त उत्तर है मैं उस उत्तर के जरिये अपनी बात कह रहा हूं। मैंने कोई अनर्गल आरोप नहीं लगाया, बिना कागज के, डाकूमेंट के नहीं लगाया। मैं यह कह रहा हूं कि पारदर्शिता हो कि एक चार बीघा के काश्तकार को जेल भिजवाने के आदेश कर दिये सरकार ने, तो एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपने जो नाम इसमें लिया है..

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैंने कोई नाम नहीं लिया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपने नाम लिया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कोई नाम नहीं लिया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप ले रहे हैं लगातार..

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बिलकुल नाम नहीं लिया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): नाम पर कहा है...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप बता दें, क्या नाम लिया मैंने?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप उसको दिखवा लें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नाम बताएं, माननीय सचेतक महोदय।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप जो नाम ले रहे हैं, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, जिनका आपने नाम लेकर रखा..(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नहीं, मैंने कोई नाम किसी का लिया ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप परेशान क्यों हो, भाई साहब? कोई बात अगर रिलेवेंट है तो मैंने उसके लिए आपका ध्यान आकृष्ट किया और अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आप निर्देशित कर देंगे...

एक माननीय सदस्य: नाम नहीं लिया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): तो वह डाकूमेंट चाहिए, मैं टेबल करने के लिए तैयार हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप दिखवा लें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मेरी मांग है कि किसी खास व्यक्ति के खिलाफ भी सदन के माध्यम से जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 1992 में, माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। सरकारी सचेतक ने जो टिप्पणी की है और इधर से जो सचेतक विपक्ष के हैं उन्होंने भी अपनी बात उठाई है, तो व्यवस्था यह है, पहली बात तो यह है कि कृषि के ऊपर विचार व्यक्त आप कर रहे हैं और completely, it is a matter of revenue. दूसरे, जिनके बारे में आप कह रहे हैं वह सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं हैं, आपने भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन जो इशारा आपने किया वह सब के समझ में आता है। मेरा अब यह निवेदन है कि आप इस मामले के जो भी आपके पास है वह सबूत आप दे दें, इसको हम लोग दिखवा लेंगे और दिखवाने के बाद में जो भी इसमें सच्चाई होगी उसके बारे में बताएंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद, सभापति महोदय। माननीय वसुंधराजी भी यहां इस सदन में मौजूद नहीं हैं, दीनदयाल ट्रस्ट के नाम पर दो बीघा भूमि का आबंटन हुआ और नैतिकता के आधार पर.. (व्यवधान) सदन की सदस्य हैं, वर्तमान में मौजूद नहीं हैं अभी यहां। नैतिकता के आधार पर जब उस पर आक्षेप हुए, तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय वसुंधराजी ने वह दो बीघा जमीन दीनदयाल ट्रस्ट को ससम्मान लौटा दी और आज वह भूमि न भारतीय जनता पार्टी के पास है, न दीनदयाल ट्रस्ट के पास है। किन्तु लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा आरोपबाजी, अनर्गल आरोपबाजी की जाती है। आज हम प्रमाणित बात कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और सदन से मांग कर रहे हैं कि इस आरोप की जांच करा दें। अगर कोई गलत है तो सदन जो सज़ा मुकर्रर करे, वह पाने को हम तैयार हैं। मैं मांग करना चाहता हूं, 1992 के यह सारे इंतकाल मेरे हाथ में हैं, माननीय मंत्रीजी..

श्री सभापति: देखिए माननीय सदस्य, आसन ने व्यवस्था दे दी, व्यवस्था को ओवररूल नहीं किया जा सकता, कोई टिप्पणी नहीं होती व्यवस्था के ऊपर।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सभापति महोदय, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा।

श्री सभापति: आपसे मैंने निवेदन कर दिया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा।

श्री सभापति: बड़े स्पष्ट शब्दों में। अब इसके बाद में आप अपने विचार आगे के व्यक्त करें, इस विषय को यहीं छोड़ें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं अगली बात तो कह दूं अपनी, सभापति महोदय।

श्री सभापति: मैंने व्यवस्था दे दी है, मैं समझता हूं कि इससे स्पष्ट संदेश कुछ नहीं हो सकता।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): निश्चित रूप से मैं आपके आदेश का पालन करते हुए अपनी बात कह रहा हूं। अलवर के ग्राम सोणावा, इंतकाल संख्या एक और आठ और अलवर नम्बर दो के इंतकाल नम्बर 13 और 65, माननीय कृषि मंत्री महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि इनकी जांच करके आप इस हाउस को भी अगर बता देंगे, तो निश्चित रूप से मेरी जो बात मैं कहना चाहता था जिसको मैं यहां संक्षेप में कर रहा हूं, ठीक रहेगा कि वह सदन की कार्यवाही में भी आ जाए और सभी माननीय सदस्यों को पता लगे। मेरी जो भावना है यह किसी व्यक्ति को आहत करने की नहीं है। मेरी भावना यह है कि कोई कार्यवाही राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने की और राज्य सरकार के अधिकारी की उस कार्यवाही को गलत मानते हुए उस अधिकारी को जेल भेजने के आदेश कर दिये, उसका सस्पैंशन हो गया, 85 प्रतिशत तक अलग-अलग आदेशों में उनकी पेंशन रोकने के आदेश हो गये। अगर वह काम गलत साबित हो गया तो उसका लाभार्थी गलत आज तक कैसे साबित नहीं हुआ? इसकी जांच हो जाए। मैंने आपको मात्र चार इंतकाल नम्बरों का हवाला दिया है-इंतकाल नम्बर-1 और 13 ग्राम सोनावा अलवर 8 और 65 दाम अलवर नम्बर-2 अलवर, आज इनकी जांच करा ले।

श्री सभापति: देखिए, माननीय सदस्य मैं फिर व्यवस्था दे रहा हूं कि इंतकाल जो म्यूटेशन हैं, वे कृषि से संबंधित नहीं है इसलिए इस मामले को आप यहीं समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, अभी जो बात हो रही थी उसमें आपने कोई इन्टरप्शन नहीं किया। अबकी बार इस सैशन में राजस्व की मांग नहीं है, और अगर जमीन और राजस्व एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं तो माननीय महेन्द्रसिंह जी ने जो बात की, उसमें जरा भी आपने आब्जेक्शन नहीं किया। मेरी बात से अगर ऐसा लग रहा है कि सत्तापक्ष के खिलाफ है तो मुझको आदेश करें, मैं बैठ जाता हूं। अपनी बात कहने का अगर हमको अधिकार है, मैं आपसे जांच की ही तो मांग कर रहा हूं, किसी प्रकार का हा-हुल्लड़ नहीं कर रहा हूं। सदन की गरिमा के खिलाफ मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। प्रश्न के माध्यम से मैंने पूछा है जो मैं इस हाउस के माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आपसे कहा है कि जो दस्तावेज आपके पास हैं वे आप यहां सदन में रख दीजिएगा, उनको चैक करवा दिया जाएगा।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): वह तो किसान से जुड़ा हुआ मामला था, किसान की जमीन को हड़प लिया, किसान की जमीन को ले लिया। वह मामला अलग है। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कृषि का ही है, कृषि जमीन ही हड़पी गई है। 9 विभागों की पौने 200 बीघा सरकारी जमीन 1992 में बिना किसी विपरीत आदेश के एक व्यक्ति विशेष के नाम पर दर्ज हो गई और आज तक दर्ज है। उसको दर्ज करने वाले व्यक्ति को भेज दिया, लाभार्थी को जेल नहीं भेजा गया। उस व्यक्ति विशेष को जिस बेचारे गरीब एक ब्राह्मण की एक व्यक्ति विशेष ने...

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सदस्य पांच साल आपका शासन भी तो रहा, सरकार क्या कर रही थी?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय, जब मुझको मौका मिलेगा, मैं जब ही बात करुंगा। मैं तो नहीं था उस पांच साल के शासन में आपके बीच में, आज मुझको मौका मिला है, मैंने प्रश्न के माध्यम से अपनी बात कही है। मुझको अगर अधिकार है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आप कृषि के संबंध में बात करेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कृषि और राजस्व एक ही बात है, दीनदयाल ट्रस्ट की एक बात पूछना चाहता हूं इनसे...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में ...(व्यवधान) सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था के बाद भी यह प्रश्न उठाये जा रहे हैं, You please bring the House in order.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आसन ने व्यवस्था दे दी है उसके बाद में आप इस इश्यू को यहां पर समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, और माननीय सदस्यों से जो बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो पहली बार आया हूं, एल के जी का स्टूडेंट हूं, यह बता दें, दीनदयाल ट्रस्ट का कृषि से क्या लेना-देना था? आमेर की हवेलियों का कृषि से क्या लेना-देना था? (व्यवधान)

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): यहां एल के जी के बहुत स्टूडेंट हैं, आप अकेले थोड़े ही हो। आसन ने व्यवस्था दे दी तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपने व्यवस्था दी, मैं अपनी बात को दायरे में रखकर, सीमित दायरे में रखकर कह रहा हूं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। नाम ले-लेकर अनर्गल आरोप लगाये गये, दीनदयाल ट्रस्ट तो कृषि से संबंधित है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप अपनी आगे की बात कहें। आपको अनुमति मिल रही है, चलिए, आप कहें आगे की बात। आप इसको खतम करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है, माननीय सदस्य अपनी बात को आगे बढ़ा देंगे पर, सभापति महोदय, अगर इसी तरह आसन संवेदनशील होकर पहले जो अनर्गल बोल रहे थे उनको टोक देता तो शायद यह बात नहीं होती। यह बात सही कह रहे हैं, दीनदयाल ट्रस्ट की इस मांग में कहां प्रासंगिकता है? आपकी बात को मानना हमारा कर्तव्य है, हम मानेंगे, पर थोड़ा इनको भी कहिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सभापति महोदय, दीनदयाल ट्रस्ट, आमेर की हवेलियां, अरबों-खरबों की जमीन, इसका लेना-देना क्या था इस कृषि की मांग से? बात करते खेत जोतने की-खेत बोने तक एक बीघा में

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कौनसा बीज कितना बोया जाएगा, कितनी जोत लगेगी, कितना पैदा होगा, क्या भाव होगा, किसान भवन कहां बना, कहां नहीं बना। आपने कृषि के क्षेत्र में जो घोषणाएं कीं उनका क्या हुआ। शुरूआत तो इधर से हुई। आज हम बात करना चाहते हैं +++ अगर हम गलत बोल रहे हैं, आप खिलाफ में कार्यवाही करिए। यह जान-बूझकर, माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहा हूं। जान-बूझकर हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी वरिष्ठता के आधार पर भी, अपने अनुभवों के आधार पर भी हम जो नए लोग हैं इनके बीच में टोका-टोकी करके हमारी बातचीत का फ्लो खतम करते हैं और हमको टोकाटाकी करके हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं।

श्री सभापति: देखिए माननीय सदस्य, अब आप थोड़ा सीमा से आगे जा रहे हैं तो आप कृपया सुनें। मैंने उस टाइम भी यह बात कही थी और आपके सचेतक महोदय बैठे हुए हैं, मैंने लिखकर भी भेजा था कि I also value your views and noted them. मैंने उनको भी बोला था कि आप अपने विषय की परिधि में और विपरीत बात करें इससे बाहर मत जाएं। उनको भी मैंने निवेदन किया था और यही बात मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आपने अपनी बात कह ली, दस्तावेज पूरे यहां पर दे दें और आप अब इसको यहां पर समाप्त करें। यह व्यवस्था दे दी गई और जो व्यवस्था आसन से दे दी गई उसको ओवररूल कोई नहीं कर सकता।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बिलकुल नहीं करेंगे, आपके सम्मान में एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: देखिए, बाद में जो आप यह कहेंगे टीका-टिप्पणी और टोका-टोकी, यह व्यवस्था का हमारा अधिकार है इस आसन से। जो भी इस आसन पर होगा, वह टीका-टिप्पणी और टोका-टोकी करेगा। इसलिए आप इसके बाद में यह शब्द का उच्चारण यहां नहीं करे। अब यह एक्सपंज किया जाए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं आसन का पूर्ण सम्मान करता हूं और किसी भी प्रकार की अवज्ञा करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के माध्यम से मैंने पूछा है और उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। सरकारी सड़क जैसी जमीन, खसरा नम्बर 958, कृषि भूमि है, किस्म कोई भी हो सकती है जमीन की, खसरा नम्बर की बात कर रहा हूं मैं, खसरा नम्बर 958 की जांच कराएं, किसकी जमीन खातेदारी में थी,

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आज किसकी खातेदारी में है, कैसे चेंज हुई, क्या कार्यवाही हुई? इसके अतिरिक्त थोड़ी-सी आपत्ति हो रही है, माननीय सभापति महोदय, मैं दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। पुनः अपनी मांग दोहराता हूं कि इंतकाल संख्या 1 और 13 और 8 और 65 इनकी जांच कराकर अगर सदन के सामने रख दिया जाएगा तो मैं समझता हूं, मेरी आज की इस बातचीत का पूरा उत्तर मुझे प्राप्त हो गया। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अंजु खंगवाल।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37-कृषि पर चर्चा हो रही है, जिस पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपकी आभारी हूं। सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में आता है। वहां पर नई का नाथ महादेव मंदिर है जो अत्यधिक प्राचीन है। इस स्थान से मेरे क्षेत्रवासियों की आस्था जुड़ी हुई है इसलिए इस मंदिर के प्रांगण में प्रत्येक सोमवार एवं अन्य त्यौहारों पर यहां तरह-तरह के आयोजन होते हैं जैसे कि भंडारे, यज्ञ, सवामणी इत्यादि। इन आयोजनों में मेरे क्षेत्र के लोग ही नहीं अपितु कई जगह से भी लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं यहां पर। यहां पर अलग-अलग समाजों की करीब 30-40 धर्मशालाएं संचालित हैं। यह क्षेत्र चारों ओर से वन से घिरा हुआ है। आज से 10-15 वर्ष पूर्व यहां 9 किलोमीटर की सड़क कृषि उपज मण्डी द्वारा सैंक्शन हुई थी। यह सड़क बस्सी से नई का नाथ महादेव मंदिर वाया चारणवास थी, इस पर डामरीकरण भी हुआ था। परन्तु 8 किलोमीटर सड़क में से सिर्फ 6 किलोमीटर की सड़क ही बन पाई थी, क्योंकि जो 2 किलोमीटर का एरिया रह गया था नई का नाथ मंदिर से चारणवास वह वन विभाग के अन्तर्गत आता था। चारणवास से नई का नाथ मंदिर की 2 किलोमीटर सड़क 0.99 हैक्टेयर थी। सभापति महोदय, इस सड़क के द्वारा राजपुरा, पातलवास, पाटन, लवाण, भटेरी, गुड़ला, माधोगढ़ आदि ग्राम पंचायतों के लोगों का सीधा बस्सी पहुंचने व दूदली बस्सी, कचौलिया, फाल्यावास, देवगांव, सामरिया इत्यादि ग्राम पंचायतों का नई का नाथ मंदिर तक पहुंचने का सीधा सरल रास्ता था। लेकिन इस समय समस्त ग्रामवासियों और बाहर से आये हुए दर्शनार्थियों को बस्सी से नई का नाथ मंदिर तक पहुंचने में 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता बेवजह चक्कर काटकर जाना पड़ता है। जबकि यह अपूर्ण पड़ी सड़क अगर बन जाती

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

है तो 8 किलोमीटर दूरी में ही नई का नाथ मंदिर से बस्सी पहुंचा जा सकता है और पूर्व में बनी 6 किलोमीटर सड़क में कृषि उपज मण्डी जयपुर के लगे हुए लाखों रुपए का उपयोग हो सकेगा। सभापति महोदय, कृषि विपणन बोर्ड ने चारणवास से नई का नाथ मंदिर तक 2 किलोमीटर सड़क बनाने हेतु करीब 58 लाख रुपए की स्वीकृति अपने पत्र दिनांक 12.9.2008 द्वारा देकर कार्य चालू कराने के आदेश भी दिये, परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य चालू करने के उपरांत वन विभाग ने बिना भूमि वन प्रत्यावर्तन के कार्य शुरू नहीं करने के आदेश दिये। तत्पश्चात सरकार के हस्तक्षेप से विशिष्ट शासन सचिव ने अपने पत्र द्वारा राजस्थान से वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति की मांग की। भारत सरकार ने जयपुर जिले में बस्सी से नई का नाथ महादेव मंदिर की सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु 0.99 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन अपने पत्र दिनांक 12.8.09 में करने के आदेश दिये। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने पत्र दिनांक 14.9.09 के द्वारा उप वन संरक्षक, जयपुर (दक्षिण) को अवगत करायी। इसमें इस सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन व क्षतिपूर्ति हेतु 8 लाख 69 हजार 13 रुपये की मांग कृषि विपणन बोर्ड से की गई। सभापति महोदय, भुगतान की स्वीकृति हेतु कृषि मण्डी, जयपुर ने विशेष प्रस्ताव संख्या-1 दिनांक 19.11.09 पारित कर कृषि विपणन बोर्ड से वन विभाग को दी जाने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की मांग की, लेकिन कृषि विपणन बोर्ड वाले वन विभाग का नाम लेकर गुमराह करते हैं और वन विभाग वाले कृषि विपणन बोर्ड का नाम लेकर। दोनों विभागों की वजह से मेरे क्षेत्र बस्सी में स्थित नई का नाथ महादेव मंदिर में जाने वाले दर्शनार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस धार्मिक स्थल से जुडी हुई लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि वो शीघ्र से शीघ्र 8 लाख 69 हजार 13 रुपये की राशि कृषि विपणन बोर्ड से वन विभाग को वन भूमि प्रत्यावर्तन एवं क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाने का कष्ट करें जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों का इस धार्मिक स्थल पर पहुंचने का रास्ता सुगम हो सके। मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने एक साल से बताया और काफी बार मैंने वन विभाग को भी लिख कर दिया और कृषि विपणन बोर्ड को भी लिख कर दिया लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यह कृषि विपणन बोर्ड का काम है और कृषि विपणन बोर्ड वाले

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

कहते हैं कि वन विभाग का काम है। इस तरह कह कर मुझे गुमराह किया जा रहा है। मैं चाहती हूं कि इसमें मंत्री महोदय विशेष ध्यान दें और कृषि विपणन बोर्ड से वन विभाग को दी जाने वाली राशि शीघ्र अतिशीघ्र दिलवाएं।

मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन यह करना चाहूंगी कि राजस्थान में चूंकि पानी की कमी हमेशा से हो रही है और यह दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है इसलिए यहां पर उन फसलों को बढ़ावा देना चाहिए जो कम पानी में हो जाती हैं और साथ में ऐसी फसलों को भी बढ़ावा देना चाहिए जिनसे पशुओं को चारा मिल सके। राजस्थान सरसों के उत्पादन में नंबर-1 है परन्तु उसका एक दुष्परिणाम आप और हम देख रहे हैं कि सरसों की फसल से चारा नहीं मिलता, जबकि पहले जब सरसों की फसल न करके दूसरी फसलें होती थीं तो फसल काटने के बाद पर्याप्त चारा बच जाता था और किसान को चारा खरीदना नहीं पड़ता था।

इसी प्रकार मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगी कि आज राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में खेती में पानी परम्परागत जो तरीका है, नाली सिस्टम से दिया जाता है जिसके कारण लगभग अस्सी से तिरयासी प्रतिशत पानी खराब हो जाता है। यदि आप फव्वारा एवं ड्रिप इर्रिगेशन सिस्टम को अनिवार्य कर दें तो अमूल्य पानी बचाया जा सकता है और उतने ही पानी में तीन गुना खेती की जा सकती है जिससे किसान और राजस्थान दोनों को फायदा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जो किसान इसकी पालना न करें उनका कनेक्शन काट दिया जाए।

एक मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। रासायनिक खाद से जमीन कठोर से कठोरतम होती जा रही है और हर बार नयी पावर के ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा किसान परम्परा से गोबर की खाद और जैविक खाद काम में लेता था जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी, वो समाप्त हो रही है और कीटनाशक दवाइयां उस खाद्यान्न को जहर बना रही हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जैविक खाद काम लेने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए और इसके लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए। आशा है आप मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मंजू मेघवाल।

श्रीमती मंजू देवी (जायल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 37 व 39-कृषि व पशुपालन पर विचार व्यक्त कर रही हूं। जैसा हम सभी को विदित है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में जो भी आज कृषि विकास के लिए काम हो रहा है उसकी नींव किसान है। यानी कहा जाए तो हर आदमी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसान करता है। आज मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पिछले बजट और इस बजट में भी किसानों की मेन आवश्यकताओं को समझते हुए, उनकी मांगों को ध्यान रखते हुए अपनी बात को यहां रखा है। आज यह भी मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश में जो भी सरकार रही है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या अन्य, उन्होंने किसानों के हित का ध्यान रखा है, कृषि ऋण, पशुपालन, चिकित्सा, खाद बीज आदि महत्वपूर्ण बातें उसमें रखी हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा, ऋण व्यवस्था, उपज मूल्य निर्धारण, कृषि मण्डी व्यवस्था, कृषि आधारित उद्योग आदि विषयों के लिए किसान आयोग का गठन किया है। पूर्व मंत्रीजी जब यहां पर अपना वक्तव्य दे रहे थे तो मैंने भी सुना था कि यह काम हमारी सरकार का था। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर आपकी सरकार ने इस प्रकार के किसान आयोग का गठन किया तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के गठन में किसानों के लिए कोई बात कही हो या कुछ कहा हो। यह मैं नहीं मानती हूं। फिर भी आपने अपनी बात रखी है उसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि इस सरकार ने भी किसानों के हितों को सोचते हुए किसान आयोग का गठन किया है। इसी के साथ में किसानों के लिए जिला स्तरीय योजना भी तैयार की गई है जिसके अन्दर किसानों को बहुत ही लाभ मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कि जब सरकार बनी थी तो उन्होंने किसानों के लिए बीमा योजना लागू की जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है।

मैं इस माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जो यहां पर विराजमान हैं, आपने पूर्ववर्ती सरकार के आधार पर देखा होगा, मेरा जायल क्षेत्र नागौर कृषि मण्डी से बिलोंग करता है, पूर्ववर्ती सरकार में जो विराजमान मंत्री थे उन्होंने जायल पंचायत समिति क्षेत्र को बिलकुल ही नगण्य रखा जिसके कारण आज आम जनता उसका हर्जाना भुगत रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, मैंने मंत्रीजी से भी लिखित में यह बात कही थी, कि आप

(श्रीमती मंजू देवी)

इस बात को गहराई से लें। नागौर के अन्दर जो कृषि मण्डी है, जायल क्षेत्र भी उसके साथ में है, उस जायल क्षेत्र की पंचायत समिति की जो भी आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखें और आने वाले जो भी काम हैं उसमें आप प्रथम प्रायोरिटी जायल विधान सभा क्षेत्र को देवें। मैं आशा करती हूं मंत्री जी से आपके माध्यम से कि सरकार जो भी काम दे रही है उसमें आप जायल का विशेष ध्यान रखेंगे।

मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहती हूं और धन्यवाद भी देना चाहती हूं अशोक जी गहलोत साहब का कि पशुपालन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो प्रजनन नीति तैयार की है और पशु चिकित्सा शिविर जो आयोजित किये हैं, इनसे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।

इसी के साथ, किसानों की हितैषी सरकार किसानों के बारे में हमेशा सोचती रही है, सोचती आ रही है और आगे भी सोचेगी, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूं। सन् 2000 में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त मैं भी प्रधान थी। मैंने देखा है कि किस प्रकार से उस सरकार ने किसानों के हित के बारे में सोचा। जब अकाल की स्थिति पहुंची थी, किसानों की हालत खराब थी, उस वक्त इसी सरकार ने किसानों के लिए बात रखी थी। मेरे से पूर्व वक्ता नावां के विधायक ने यह बात कही थी। अशोक जी ने यह कहा था कि हमारे देश के जो किसान हैं उनको हम भूखा मरने नहीं देंगे। लेकिन मैं यह बात कहना चाहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण जनता ने देखा है। आप तो अकाल के ऊपर हमारे ऊपर आरोप छोड़ते हो लेकिन सरकार जो बैठी है उसने यह भी देखा है कि जब बरसात की स्थिति इतनी पहुंची, जब अकाल से किसान मारे जा रहे थे तब आपकी सरकार ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। इसका फल आपको जनता ने दिया है।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं, मेरी मांग है मंत्री महोदय से, मैंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आपके समक्ष यह बात रखी है कि जायल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण लोग निवास करते हैं, बहुत ही पिछड़ा एरिया है, पशुपालन किसानों का मुख्य व्यवसाय है, आप पशु चिकित्सा के लिए 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत पशु हास्पिटल खोलें तो किसानों को राहत मिलेगी और समय की आवश्यकता के आधार पर किसानों को इसका लाभ भी होगा। 45 ग्राम पंचायतों का मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्रीमती मंजू देवी)

है जिसमें मात्र चार पंचायतों के अन्दर पशु चिकित्सालय खुला हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस बात को गम्भीरता से लें और मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में मेरी मांग के अनुसार पशु चिकित्सालय खोलें इससे किसानों को लाभ होगा।

इसी के साथ मैं कहना चाहती हूं कि हमारी राज्य सरकार ने पंचायत समितियों के अन्दर उर्वरा शक्ति को सर्वोच्च मानते हुए भूमि का ध्यान रखते हुए हर किसान को वैबसाइट पर इसकी जानकारी दी है, किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि किसानों को उच्चतम मानक का बीज और नवीन तकनीकी कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाएं ताकि किसान अच्छी पैदावार कर सकें। इसकी जानकारी मिलती रहे। नावां से आने वाले माननीय सदस्य महेन्द्र जी की बात की मैं सराहना करती हूं और समर्थन भी करती हूं। आपने जो ईसबग़ोल की फसल की बात की, उसका मैं भी समर्थन करती हूं । जब हम नागौर गये थे तो वहां पर भी इस बात को हमने रखा था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में इसमें छूट दी, इसके लिये जनता आपको धन्यवाद देगी। उसका परिणाम भी आपने देखा है।

माननीय विधायक महोदय अभी कह रहे थे कि हमारी बात को आप सुनना नहीं चाहते, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की बात को काटना चाह रहा है। तारानगर से आने वाले माननीय विधायक महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं, इसका हमें भी बड़ा दुःख होता है। आप हमारे सीनियर हैं, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। पर जब पक्ष-विपक्ष के बात उठाने की बात चलती है, अभी विधायक महोदय ने बात उठाई थी चाहे वह हवेलियों की बात हो, चाहे किसानों की भूमि की बात हो, अगर इस प्रकार की बातें उठी हैं तो आपने जांच क्यों नहीं करवाई? हम जांच करवाना चाहते हैं। माननीय सदस्य, मैं आपको कहना चाहती हूं, विधान सभा में प्रश्न काल में करोड़ों रुपये की जमीनों के घोटाले की बात आई थी, यह बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसानों की ही बात यहां पर की जा रही थी और किसानों की ही आज यहां चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष के लोगों ने ही यह बात रखी थी। जब यह बात आती है तो आप ही सदन का बायकाट करके चले जाते हो। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को आप सुनिए। सच्चाई हमेशा छिपती नहीं है, इस बात को आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। इसलिए अगर कोई बात रखी जाती है तो उस बात को आप गहराई से सुनिए,

(श्रीमती मंजू देवी)
अगर कहीं गलती है तो आप हमें बताइए कि यहां गलत कह रहे हैं। सब अपनी-अपनी बात कहते हैं, हो सकता है कि हम नये हैं इसलिए हमें कुछ नियम-कायदों की जानकारी नहीं हो, लेकिन आप सीनियर हमें इस बात में सहयोग कर सकते हैं।

अंत में मैं यही बात कहना चाहती हूं कि यदि यह शरीर हमारा है तो अन्दर जो नब्ज है वह हमारे गरीब किसान की है। यह शरीर तभी सुंदर बना रहेगा जब तक हमारी नसे सही काम करेंगी। हम सबके अन्नदाता किसान हैं, कृषि है, पशुपालन है। अतः सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि, पशुपालन के विकास के लिये सरकार तत्पर रहे। हमारे किसान समृद्ध और सक्षम होंगे तभी हम भी सक्षम और समृद्ध बन सकेंगे। ग्रामीण जनता ने हम सबको यहां चुन कर भेजा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उस जनता के बारे में सोचें, उनके हित को यहां पर रखें। आपस में प्रत्यारोप नहीं लगाएं तो ही आगे हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। अंत में दो लाइन कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं-

राम किसी को नहीं मारता न हत्यारा राम।

अपने आप ही यहां मर जाते हैं, कर-कर खोटे काम।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल गुर्जर।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39 पर आपने जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका आभार। सबसे पहले तो सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों से राम-राम और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी कृषि के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि कृषि ही सब कुछ है और कृषि पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो पीछे कुछ बचता भी नहीं है। भारत को आज से नहीं हमेशा से कृषि प्रधान देश कहते हैं, राजस्थान भी उसी में है। कृषि प्रधान देश में कृषि की अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो फिर काम चलने वाला भी नहीं है। क्योंकि अनाज सबको चाहिये, खाने को भोजन सबको चाहिये, खाली पानी से काम नहीं चल सकता। पानी की जगह पानी है, भोजन की जगह भोजन है। भोजन कृषि से ही आएगा और वह काश्तकार ही पैदा करके देगा। इसीलिए उसको अन्नदाता कहा गया है। अन्नदाता का हम सबको ध्यान रखना ही होगा जो कि 80 परसेंट है।

(श्री रामलाल गुर्जर)

सबने हमको सदन में चुन कर भेजा है, चाहे वह कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, तो उनका ध्यान हमको रखना ही चाहिये।

अभी जो बजट रखा गया है, विशेषकर कृषि में जो बजट होना चाहिये उतना बजट नहीं रखा गया है। बिजली पर जैसा बजट रखा गया है, अच्छी बात है, रखें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव है कि काश्तकारों के लिये कृषि ही सब कुछ है। किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है, उसकी पूरी जिंदगी में सुबह से शाम तक समय नहीं मिलता है। काश्तकार चाहे सौ बीघा वाला है, वह भी लाखों रुपया इकट्ठा नहीं कर सकता है। इसलिए उसकी पीड़ा को अपन को सहन करना चाहिये, सुनना चाहिये। सबसे पहले आवश्यकता बीज की होती है, अगर बीज अच्छा होगा तो पैदावार अच्छी होगी। आजकल हर आदमी को लालच है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा नोट कमाऊं, सबको ज्यादा चिंता नोटों की है काश्तकारों के बीज का ध्यान कोई नहीं करने वाला है। इसकी जांच के लिये 6 प्रयोगशालाएं खोल रखी हैं इन 6 प्रयोगशालाओं से क्या हो? पिछली बार लक्ष्य रखा था कि बीज की जानकारी के लिये 6 हजार नमूने लेंगे, उसमें 5120 नमूने लिये। 2010-11 में भी 6000 नमूनों का ही लक्ष्य रखा गया। जब सब ओर बढ़ोत्तरी हो रही है तो इसमें क्यों नहीं की गई? मन में भी मानसिकता होनी चाहिये, लक्ष्य विशाल होना चाहिये। यहां यह लक्ष्य कम कर दिया। जैसे जल परीक्षण के लिये जिला हैडक्वार्टर पर गाड़ियां वगैरह रहती हैं, मेरा तो यह कहना है कि मोबाइल गाड़ी हर गांव में जाए और जाकर मिट्टी का, जमीन का और पानी का नमूना ले, उनको कौनसे खाद की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, यह बताए। इससे पैदावार अच्छी होगी। खाद में भी मिलावट आती है। जैविक खाद की तरफ अभी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस ओर भी अपन को ध्यान देना होगा। जैविक खाद की तरफ भी अगर प्रेरित करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा क्योंकि रासायनिक खाद से जमीन थोड़ी कम उपजाऊ हो जाती है। माल तैयार हो जाता है तो दवा की जरूरत पड़ती है, अब दवा में भी मिलावट, करो तो क्या करो? कभी-कभी जो सैम्पल लिये जाते हैं उसमें कलर का पानी मिल जाता है, इससे आगे क्या हो सकता है? तो इसकी जांच अच्छी तरह से की जाए। जब एग्रीकल्चर आफिसर हैं, एग्रीकल्चर स्टाफ है, मेरे हिसाब से कृषि वालों के मुकाबले तो और किसी को आराम मिल भी नहीं पाता क्योंकि पूरा चैन से रहने का अवसर कृषि विभाग को ही है। वह अच्छा काम करें तो रात

(श्री रामलाल गुर्जर)

को शानदार नींद आएगी और अच्छा काम नहीं करेंगे तो मन भी दुःख पाएगा, काश्तकार भी दुःख पाएगा और ऊपर वाला भी देखेगा। सबके मन में यह तड़प हो कि दवा में मिलावट नहीं हो, खाद, बीज में मिलावट नहीं हो। इसका तो विशेषकर ध्यान रखा जाए ताकि काश्तकारों पर दोहरी मार नहीं पड़े। जिन्होंने मिलावट की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। उसके लिये चाहे कानून में भी संशोधन करना पड़े तो किया जाए, लेकिन कम से कम काश्तकारों के हितों का ध्यान रखा जाए। आपने किसान मंडल बना रखे हैं जहां कृषि पर्यवेक्षक का कार्यालय है, वहां सोमवार से बुधवार तक कृषि पाठशाला संचालित होती है। मैंने तो एक भी कृषि पाठशाला संचालित करते हुए देखा नहीं। यह कागजों में जरूर है कि कृषि पाठशाला संचालित करते हैं, काश्तकारों को समझाते हैं और गुरुवार को मुख्यालय पर रहकर किसान सेवा केन्द्र चलाते हैं। कोई रुकता ही नहीं है, यह सुझाव देना तो दूर है। मासिक कार्यशाला भी होती है। मासिक कार्यशाला के लिये राज्य में बस जलवायु क्षेत्र है, प्रत्येक माह प्रत्येक जोन पर कार्यशाला आयोजित कर खण्ड स्तरीय निदेशक को वहां पर डेपूट कर रखा है। लेकिन इस ओर भी कोई जानकारी ऊपर से नीचे तक पूरी नहीं पहुंच पाती है। मासिक क्लस्टर की बैठकें होतीं तो भी कुछ होता। जिस ढंग से जो होना चाहिए, जो रुचि होनी चाहिए वह जानकारी भी नहीं हो पाती है। मीटिंग्स होती रहती हैं, क्षेत्रीय अनुसंधान एवं निस्तार सलाहकार समिति भी बनी हुई है, वैज्ञानिक समय-समय पर सुझाव देते हैं लेकिन न जाने वे सुझाव कहां पर हैं? किसान सेवा केन्द्र चल रहे है, प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर किसान सेवा केन्द्र हैं, काश्तकारों को मालूम ही नहीं कि हमारे जिले में भी किसान सेवा केन्द्र है। जो एक्टिव लोग हैं, उनको है। लेकिन जो एक्टिव लोग नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है। छोटे स्तर से लगाकर मोटे स्तर पर सबकी डयूटी बनती है- कृषि पर्यवेक्षक से लेकर जिला कृषि अधिकारी तक सबकी कि काश्तकारों को जानकारी दें कि आखिर में यह-यह सुविधाएं हैं। कृषि सूचना सेवा प्रिंट मीडिया भी है और बाकी आपके पत्र-पत्रिका, प्रकाशन, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, आकाशवाणी के द्वारा भी, दूरदर्शन के द्वारा भी, ईटीवी के द्वारा किसान काल सेन्टर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इन सबका प्रचार-प्रसार अपन सब जितना करेंगे, जितनी काश्तकार के पास ये बातें पहुंचेगी, उतना काश्तकार एक्टिव होगा। अभी कई भाइयों को मालूम नहीं है कि 18001801551 पर निःशुल्क काल है, चाहे जो जानकारी कर सकते हैं। अब जानकारी हो सबको। सबके पास मोबाइल हैं- आजकल औरतों, बच्चों के पास तक सबके पास

(श्री रामलाल गुर्जर)

मोबाइल है और सब काश्तकारों के पास मोबाइल मिल सकते हैं, उनको यह जानकारी हो कि नि:शुल्क अपन टेलीफोन करेंगे, अपना कोई चार्ज नहीं लगेगा, ज्यादा खेती-बाड़ी की जानकारी कर सकते हैं। प्रदर्शनियां भी अच्छी लगानी चाहिए, टाइम-टाइम पर मोटिवेशन हो काश्तकारों का। मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ चौला, उड़द, तिल, ग्वार, गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा मसूर, धनिया, मेथी, ईसबगोल, जीरा जो जो भी फसल है, जिस जगह पर जिसकी पैदावार अच्छी हो उस ओर मोटीवेट करना चाहिए ताकि वह वहां पर करें।

अभी काश्तकरों के लिए बीमे की बड़ी मोटी समस्या है, फसली बीमा योजना 2004 में बीजेपी के राज में चालू हुई थी। फसली बीमा योजना में सबसे मोटी कमी है कि प्रीमियम का कलेक्शन तो हो जाता है लेकिन भुगतान हकीकत में नहीं हो पाता। सच्चाई छिपाई भी नहीं जा सकती। इसके सिवाय तहसील को इकाई माना गया है, तो कौनसी पंचायत में क्या समस्या है कहां सूखा पड़ा है, तहसील को इकाई मानकर सामूहिक डिसीजन लेते हैं। फसली बीमा वाले काश्तकारों को तो कोई फायदा नहीं मिलता इसलिए पंचायत को इकाई माना जाए।

भूमि सुधार के लिए जो काम चल रहा है, भूमि सुधार में किसी से काम नहीं हो रहा, खाली ऊसर जमीन वगैरह है। जिप्सम खाद का जरूर प्रचार-प्रसार है, जिप्सम खाद दे दिया जाता है, जब बरसात आए तो डाल दिया जाता है, खानापूर्ति हो रही है। भूमि सुधार की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार ने मेडिसिन प्लांट लम्बे टाइम से चला रखा है, मेडिसिन प्लांट में आंवला, सफेद मूसली, ग्वारपाठा है, लेकिन सबसे मोटा दु:ख का विषय यह है, सदन में बैठे जो माननीय सदस्य हैं सबको जानकारी है, आंवला मैंने खुद बो रखा है, पांच बीघा में बोया, उसके बाद मैंने टोटल बंद कर दिया आंवले को, 10-12 साल हो गये। आंवले खूब लगते हैं, बेचने की इच्छा होती नहीं है, खिर जाते हैं। दो, ढाई, तीन रुपये किलो, पाँच रूपये किलो आवंले को बेचकर क्या लें? उसको कितना पानी चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हकीकत कह रहा हूं, आंवला बेचता भी नहीं, खाद हो रहा है आंवले का। अब पेड़ को काटें तो कैसे, क्योंकि इतना बड़ा किया है तो काटा नहीं जा सकता। उसको रखें और आंवला बेचे तो दो, तीन, पांच रुपये किला में बेचे नहीं जा सकते। इससे मोटा दु:ख कोई नहीं हो सकता, इसलिए इस मेडिसिन प्लांट को

(श्री रामलाल गुर्जर)

प्रोत्साहित करने के लिए कृषि आधारित उद्योग धंधे लगाये जाएं। ऐसे उद्योग कोई काश्तकार लगाता है तो अच्छी बात, नहीं लगाए तो सरकार इस ओर पहल करे। मेडिसिन प्लांट में विशेषकर आंवला राजस्थान में बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने बोया। बहुत प्रोत्साहित किया कि इतने भाव हो जाएंगे, बीस साल, तीस साल, पचास-पचास साल तक आपको आमदनी होगी। लेकिन जिन्होंने बो दिया घर की बात है, वे डूब रहे हैं। मेरा एक ही कहना है कि आंवला से चाहे अचार ले लो, मुरब्बा ले लो, चूर्ण ले लो, ज्यूस ले लो, दवाई ले लो, गोली ले लो, च्यवनप्राश ले लो, न जाने जैसी दवाइयां मिलती है, आंवला इतना अच्छा है कि आपको सौ साल जीना है तो आवंला ही सौ साल तक उमर दे सकता है, तो ऐसे मौके को चूका नहीं जाए और काश्तकार के हित में निर्णय लिया जाए। सरकार को भी अगर कोई प्लांट लगाना पड़े तो आंवले संबंधी प्लांट लगाकर काश्तकार को प्रोत्साहित किया जाए।

पानी की भंयकर समस्या है, अकाल है। फव्वारा पद्धति, ड्रिप सिस्टम और पाइप लाइन और पक्के धोरे बनाकर पानी की जितनी बचत कर सकते हैं, काश्तकार को उस ओर प्रेरित किया जाए। अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन और बढ़ोतरी करके काश्तकारों को यह फायदा दिया जाए। अब रही बिजली की बात, काश्तकार अगर किसी के पास पानी भी है और बिजली का कनेक्शन चाहता है खेती के लिए तो कनेक्शन ले नहीं सकता, क्योंकि कनेक्शन बहुत मंहगा है। तो मेरा तो यही कहना है, इस पर सब ध्यान देकर काश्तकारों के लिए कनेक्शन सस्ते हों। काश्तकारों को कनेक्शन सस्ते होंगे तो कनेक्शन ले लेंगे और जो पानी है, वह खेती करेंगे और खेती करेंगे तो फायदा भी मिलेगा।

बागवानी के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा किया जाता है लेकिन काश्तकार को एक्चुअल में मालूम नहीं है, तो वह प्रचार-प्रसार का मैटर है। काश्तकार को फल, सब्जी, मसाले, फूलों की ओर प्रेरित किया जाए तो वह इससे ज्यादा पैसा ले सकता है, क्योंकि गेहूं और मक्का पैदा नहीं दे सकते इतनी। जब काश्तकार के पास गेहूं आएगा तो आठ रुपये किलो और जब सेठों के पास जाएगा तो गेहूं 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये किलो। तो काश्तकार के साथ दोहरा अन्याय है। कोई खेती-बाड़ी करें, उनसे जानकारी कर लो खाली, उनको सुबह से शाम तक खेती करनी है। बाकी बचत देखें तो कोई नहीं। जो सेठ होगा, खेती नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है, लेखा-जोखा करता है कि इतना खर्च और इतनी मेरी इनकम हुई है। हालत काश्तकारों की बुरी है। चारे के लिए प्रोत्साहित किया जाए, चारा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, अच्छे सुझाव, ओरिजिनल काश्तकार की बात कह रहा हूं। मैं भी काश्तकार हूं। इस सदन में दो-चार ने ही साफे बांध रखे हैं, बाकि किसी ने बांध रखे हो तो। यह एक ओरिजिनल साफा है और काश्तकार की निशानी है।

खाखले के लिए मेरा एक सुझाव है, काश्तकार के लिए खाखला चारे की बड़ी विकट समस्या है, क्योंकि कुछ खाखला-चारा तो खराब हो जाता है और बाकी समस्या खड़ी रहती है। खाखला-चारा के लिए गोदाम के लिए सरकार की तरफ से अनुदान हो ताकि खाखला-चारा अच्छा हो, अवेयरनैस करके रख सके। फलदार बगीचे वगैरह जो हैं, उन पर भी अनुदान और बढ़ाया जाए। वर्मी कम्पोस्ट है, वर्मी कम्पोस्ट का दो हजार रुपये अनुदान दिया जाता है वह अनुदान बहुत कम है। पिछली बार आठ लाख का लक्ष्य रखा गया और अभी इस दो दिसम्बर तक 3 लाख 26 हजार खर्च हुआ। कहने का मतलब, प्रचार-प्रसार नहीं है तब इतना कम खर्च हुआ। शुष्क उद्यानिकी खेती के लिए, राज्य में शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए पानी के पक्के जल संग्रहण के ढांचे के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है अधिकतम 30 लाख, उसमें भी साढ़े सात लाख रुपये का बजट रखा बहुत कम है। इसमें से भी दिसम्बर तक मात्र 43 लाख रुपये ही खर्च हुए। इसमें भी कम खर्च हुआ, अब मैं और क्या कहूं? मधुमक्खी पालन (बाक्स वाली) एवं कालोनी वितरण योजना है, इसमें 40 लाख का लक्ष्य रखा है, इधर 5000 मधुमक्खी पालन बाक्स का। माह दिसम्बर तक मात्र 700 मधुमक्खी पालन बाक्स एवं कालोनी वितरण किया जाए, मधुमक्खी आखिर खा थोड़े ही जाएगी। लक्ष्य 5 हजार का और हुआ 700 का, रात और दिन का फर्क है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, ज्यादा नहीं ले रहा हूं। पशुपालन की थोड़ी सी बात।

पशुओं के लिए पर्याप्त चिकित्सा नहीं है। जानवर के भी जीव है, जैसे इंसान के जीव है जानवर के भी जीव है। दूध जब अच्छा लगता है, गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, उठते ही चाय दूध से होगी। जब जानवर अच्छा नहीं होगा, दूध कहां से आएगा? अपने मन में पीड़ा होनी चाहिए कि जानवर अपना है। वो है तो अपन हैं। औषधालय वगैरह जहां कमी है, औषधालय खोले जाएं। औषधालय में डाक्टर की कमी है वहां डाक्टर की व्यवस्था की जाए।

(श्री रामलाल गुर्जर)

एक मेरा और सुझाव है कि जानवरों को पीने के लिए अपने बजट में या जलदाय विभाग में या किसी साइड कोई पानी की व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। आदमी को पानी अपन टैंकर लगाकर पिलाते हैं तो जानवर के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। जानवर बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं इसलिए 30-40 लीटर प्रति जानवर, यह व्यवस्था भी होनी चाहिए। जानवरों के साथ कुठाराघात है एक तरीके से।

पशुओं की खरीददारी पर अनुदान देना चाहिए ताकि अच्छी नस्ल के पशु काश्तकार खरीद सकें। गिर नस्ल की अच्छी गाय रखनी चाहिए, देशी गाय भी रखनी चाहिए क्योंकि गौ-माता सब कुछ है। गौ-मूत्र से, घी से कोई तकलीफ नहीं है। घी से ताकत बनेगी और दिमाग अच्छा चलता है। आपको दवा-दारु की जरुरत नहीं पड़ेगी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापतिजी, एक मिनट में कर रहा हूं।

हार्ट, कैंसर, दमा और टीबी जैसी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। ऐसी गौ-माता अपने को रखनी चाहिए। इसके अलावा पशु पोषाहार, चारा जो आता है उस पर छूट देनी चाहिए, थोड़ा अनुदान बढ़ाना चाहिए क्योंकि भंयकर अकाल है, अकाल में भंयकर समस्या है। ग्रामीणों के लिये गोदाम बनें। पशु नहीं बचेगा तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। काश्तकार के पशु हैं, चाहे वह उसका जेवर बेच देगा, चाहे जमीन बेच देगा लेकिन वह पशु को नहीं बेचेगा। जब जमाना होगा तब दे देगा, लेकिन अकाल को देखकर बेच नहीं सकता है। कोई अच्छा खासा चाहे सेठजी क्यों न हो। लेकिन इधर करोड़पति भी होगा तो वह जानवर को नहीं रख पाएगा, कि यह तो घाटे का सौदा हो गया, अब इसके तो दूध नहीं आ रहा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापतिजी, आपने जो टाइम दिया, बोलने का अवसर दिया, आभार, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्रसिंह जाड़ावत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाए? सदन की सहमति हो तो बढ़ा सकते हैं।

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 37 और 39 के ऊपर अपने विचार रखूंगा। मुझे जो आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। किसान हमारा अन्नदाता है। कांग्रेस और किसान एक दूसरे के पूरक। कैसे किसान की उन्नति हो, कांग्रेस की नीतियां हमेशा उसके लिए बनी हैं। देश की आजादी से पहले आप देखें, सभापति महोदय, तो किसान सिर्फ जमीन के ऊपर मजदूरी करता था, लेकिन देश की आजादी के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधान मंत्री बने, उन्होंने किसान को एक ही साथ, एक ही हस्ताक्षर से उस जमीन का मालिक बना दिया जिस जमीन के ऊपर वह मजदूरी करता था। पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, पंचवर्षीय योजनाओं में किसानों की बहबूदी के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया। बड़े-बड़े बांध बनाये गये, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये गये। किसान को अगर पानी नहीं मिलता तो किसान तरक्की नहीं कर सकता, सारी पंचवर्षीय योजनाओं का फोकस किसान के ऊपर रहा। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आये, प्रधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक नारा दिया, 'जय जवान-जय किसान'। उनके देहावसान के बाद इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं, उन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया और किसानों के लिये जो बैंकों के दरवाजे बिलकुल बंद थे, उन बैंकों के दरवाजे खोले। केन्द्रीय सहकारी बैंक खोले गये, भूमि विकास बैंक खोले गये, ग्राम सहकारी समितियां बनाई गयीं कि किसान को कर्जा उपलब्ध कराया जाए ताकि किसान खेती के उपकरण ले सके, ट्रैक्टर ले सके और जमीन के ऊपर अच्छे तरीके से अपनी फसल पैदा कर सके। इसके ऊपर कांग्रेस की हमेशा नीतियां रही हैं। एक जमाना था,

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

सभापति महोदय, जब अमरीका से लाल गेहूं आता था। इन्दिरा गांधीजी की नीतियां बनने के बाद बैंकों के दरवाजे किसानों के लिये खोले गये और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद में आज स्थिति यह है कि गांव का गरीब मजदूर आदमी जो आज से 50 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि मेरे घर में कभी गेहूं होगा क्योंकि गेहूं उस वक्त त्यौहार के ऊपर ही उपयोग आया करता था, आज घर के अन्दर गेहूं के गोदाम भरे हुए हैं उस किसान के। यह परिणति हुई है क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा किसान के ऊपर फोकस करके अपनी नीतियां बनाई हैं। आज प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने फोकस किया है किसान नीति के ऊपर। आज 65 हजार करोड़ रुपये की जो भारत निर्माण योजना बनाई गई है उसका फोकस पूरा का पूरा गांव का किसान और गांव है। आज 71 हजार करोड़ के कर्जे माफ किये गये। ये उन किसानों की पीड़ा को समझ करके माफ किये गये जो किसान कर्जे से बुरी तरह दबे हुए थे। रोज बैंक के लोग जाते थे, नीलामियां निकालते थे। यह पीड़ा प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने समझी और यू.पी.ए. अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समझी। आज 71 हजार करोड़ के कर्जे माफ होने के बाद वे हजारों किसान जो कर्ज में डूबे हुए थे, जिसके सामने विकल्प यही था कि आत्महत्या करे या अपनी जमीन को बेचें, उन हजारों किसानों को हमारी सरकार ने बचाया है। हमारे मुख्य मंत्री बने गहलोत साहब, उन्होंने भी किसान को फोकस किया है। किसान नीति बनाई गई। किसान नीति इसलिये बनाई गई कि किसान एक ऐसा वर्ग है जो अपनी उपज पैदा करता है उसका मूल्य कोई तय नहीं कर पाता। उसका तो बाजार भाव जो आए वो आए। जो अपना उद्योग लगाता है उसके साथ ही वह तय कर लेता है कि मेरा मुनाफा कितना होगा, कितना नहीं होगा। लेकिन इस चीज को हमारे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने ध्यान रखा और सपोर्ट प्राइज दी, देश के आजाद होने के बाद से पहली बार साढ़े तीन सौ रुपये क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। यह देश की आजादी के बाद से पहला बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय हुआ। दलहन और तिलहन, उनकी कुछ सपोर्ट प्राइज बढ़ाई गई। जो गेहूं साढ़े 600-700 रुपये में बिका करता था, वह सपोर्ट प्राइज लागू होने के बाद में 1300-1400-1500 रुपये में बिका है। जो सरसों हजार से ग्यारह सौ में बिकती थी, वह 2400-2500 तक बिकने लगी। सभापति महोदय, कहने का अर्थ है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि अगर गांव में बैठा हुआ किसान समृद्ध नहीं होगा तो देश समृद्ध नहीं हो सकता है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको फोकस करके नीतियां

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

बनाई गयी हैं। आज गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने, यह एक नीति बनाई कि आज किसान के ऊपर लागत मूल्य कितना आ रहा है। किसान नीति के अन्दर अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, वित्त शास्त्री सबको सम्मिलित किया गया कि आप यह बताएं कि किसान की लागत कितनी आ रही है, उसको उपज का पैसा कितना मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच किसानों के प्रति है। उन्होंने उद्योग को कृषि से जोड़ा कि किस तरह से उद्योग नीति और कृषि नीति शामिल करके बनाई जाए ताकि उससे किसान समृद्धशाली बन सकें। उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की किसानों के हित में कि मैं 5 साल तक विद्युत दरें नहीं बढ़ाउंगा। एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। जो बजट अभी पेश हुआ उसके अन्दर 52 प्रतिशत राशि ऊर्जा क्षेत्र के अन्दर दी गई है, यह किसानों के लिये बहुत बड़ी सौगात होगी। आज उन्होंने 64 हजार कनेक्शन दे दिये, 65 हजार और कनेक्शन देने जा रहे हैं। बिजली एक ऐसा तंत्र बन चुका है जिस पर पूरी तरह से आधारित हो चुका है किसान। अगर ऊर्जा नहीं है तो किसान आज ट्यूबवैल से पानी नहीं निकाल सकता है।

सभापति महोदय, हमारे कृषि मंत्री खुद किसान हैं, मैं उनसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि जब किसान को पूरी तरह से सम्भालना होगा क्योंकि किसान ने तरक्की की है। एक जमाना था जब वह कच्चे केलू के मकान में रहता था, धीरे-धीरे उसने कमाई की, कुछ पक्के मकान भी बनाये। साइकिल नहीं थी, उसने मोटर साइकिल भी खरीदी। कई जगह हमारे किसानों ने अच्छी तरक्की की। आज चौपहिया वाहन भी गांव के अन्दर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां आ रही हैं, उसको समझकर किसान का और ज्यादा कैसे हम कल्याण कर सकते हैं, उस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चित्तौड़ जो हमारा जिला है वहां पर सिर्फ गेहूं पैदा करने से, मक्का पैदा करने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ-साथ उन उद्योगों पर भी ध्यान देना पड़ेगा जिनके माध्यम से किसान की माली हालत सुधर सकती हो। हमारे यहां पर सन्तरा बहुत पैदा होने लग गया, अमरूद बहुत पैदा होने लग गया, आंवला बहुत पैदा होने लग गया और लहसुन हमारे यहां पर काफी अच्छा पैदा हो रहा है। उनके अगर फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट और वे यूनिट्स जिसके अन्दर सरकार सब्सिडी दे रही है, वे चित्तौड़ के अन्दर स्थापित होती हैं तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

(: 17.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उन व्यवहारिक दिक्कतों के ऊपर जिनकी वजह से किसान बहुत बुरी तरह से टूटता जा रहा है, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसान की जमीन की उद्योग और सरकार की दोनों जो दरें हैं डी.एल.सी. दरें, वे कोई दरें नहीं हैं माननीय सभापति महोदय, पर उनको डी.एल.सी. दरों पर ले लिया जाता है। जो जमीन एक लाख रुपये में सरकार ले रही है या उद्योगपति ले रहे हैं, वह जमीन जब बाजार में जाता है तो उसको पांच लाख रुपये, सात लाख रुपये बीघा के अन्दर मिलती है। हमारे घोषणा-पत्र के अन्दर हरियाणा की तर्ज लागू करने का फैसला किया गया है इसलिए जब कभी भी कैबिनेट के अन्दर आप बैठें, कृषि मंत्री महोदय, किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखें। हरियाणा की तर्ज वह तर्ज है जिसके अन्दर किसानों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी उसी को अपने घोषणा पत्र के अन्दर शामिल किया है, उसे उद्योग नीति के अन्दर भी शामिल करके किसानों की जमीनों का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। पिछली सरकार में जो हुआ, और किसानों के साथ कितना कुठाराघात हुआ, उस पर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन सकारात्मक पहलू की बात यह है कि हम किसानों की जमीनों की वाजिब दर हरियाणा की तर्ज पर हो। चाहे हमारी कोई नीति अलग से बने, लेकिन किसानों के हितों के अन्दर नीति बननी चाहिए।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, फव्वारा सिंचाई पद्धति है, स्प्रिंकलर सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसके अन्दर जो सब्सिडी दी जा रही है वह मात्र सात हजार रुपये दी जा रही है। उसकी यूनिट कास्ट पहले 14 हजार थी, आज वह यूनिट कास्ट बढ़कर 18 हजार रुपये हो गयी है। माननीय सभापति महोदय, आज का जमाना आ गया है फव्वारा पद्धति, ड्रिप इर्रिगेशन का, यह सारी की सारी आज की आवश्यकता है क्योंकि आज वर्षा का अनुपात कम होता जा रहा है और किसान पूरी तरह से या तो राम के भरोसे रहता है या राज के भरोसे रहता है। किसान की पीड़ा उस वक्त देखने को मिलती है, माननीय सभापति महोदय, जब वह रात्रि को जब ठंड हो उस वक्त अपनी फसलों को पानी देता है। उस किसान की पीड़ा को हमको समझना होगा, इसलिए ड्रिप इर्रिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी बढ़ा सकें, कृषि मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उसके अन्दर नीतिगत फैसला आप लोग करें।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

एक, माननीय सभापति महोदय, नरेगा के अन्दर कुएं खुद रहे थे और कुओं के अन्दर वह गरीब काश्तकार लाभान्वित हो रहा था। 'जिसका कोई नहीं, उसका राज,' राज ने यह व्यवस्था की थी कि कुएं खोदे जाएं। कुएं खोदने के माध्यम से गांव के गरीब आदमी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा था, पानी आने लग गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से कुएं खोदने के ऊपर प्रतिबंध आ गया है। यह अघोषित प्रतिबंध है, सरकार का कोई लिखित आदेश नहीं है। सीधा-सीधा कार्यकारी अधिकारी जो जिला परिषद में हैं, उनको कह दिया गया कि आप पैसा सैंक्शन नहीं करें। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कृषि मंत्रीजी से कि आप मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाकर नरेगा के माध्यम से जो कुएं खुद रहे हैं उन पर लगे अघोषित प्रतिबंध को तुरन्त प्रभाव से हटाने का कष्ट करें।

अकाल का समय है, आज हमारे मुख्य मंत्रीजी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने किसानों की अकाल की पीड़ा को समझा और केन्द्र सरकार से 750 करोड़ रुपये राजस्थान के 27 जिलों के किसानों के लिए वे लेकर आये। उसी पीड़ा के लिए मैं कृषि मंत्री महोदय से, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि पहले जब अकाल पड़ा, गहलोत साहब ने जो कुएं सूख गये थे उनके कनेक्शन कटाने का एक आदेश जारी किया था। उससे हजारों किसानों को फायदा हुआ था कि पानी आ जाए तो किसान अपना विद्युत कनेक्शन जुड़ा ले और जब तक उसके कुएं में पानी नहीं है तब तक वह कटा ले। उसके ऊपर कोई भी विद्युत भार नहीं था। यह अकाल का वर्ष है, मुख्य मंत्री बहुत संवेदनशील हैं, मैंने उनको प्रस्ताव भी दिया था, वह प्रस्ताव उन्होंने आगे भी बढ़ाया लेकिन आगे जाकर रुक गया, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस करें और तुरन्त प्रभाव से उस नीति को लागू करवाएं।

एक, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं और निवेदन करना चाह रहा हूं कि गांव के अन्दर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता है। नौकरियों के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति को बराबर प्राथमिकता, लोन लेने जाएं तो भी बराबर प्राथमिकता, लेकिन कुओं का कनेक्शन, एग्रीकल्चर कनेक्शन के अन्दर जो ट्राइब से आता है, जो हमारा भाई भील और मीणा है, उसको प्राथमिकता नहीं है। इस विसंगति को दूर करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

जाति के भाइयों को जो प्राथमिकता है उसी तरीके से जो हमारे भील और मीणा जाति के लोग हैं, उनको भी पूरी-पूरी प्राथमिकता एग्रीकल्चर कनेक्शन के अन्दर मिले, यह भी मेरा, कृषि मंत्री महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है।

अब मैं श्वेत क्रांति के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि किसान के लिए आज फसल होगी, सब कुछ है, लेकिन जो महंगाई चल रही है, जो स्पर्धा चल रही है आज पूरे देश के अन्दर, उसके अन्दर अगर शामिल नहीं होगा तो उसका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ सकता। इसके लिए आवश्यकता है श्वेत क्रांति की, जिसे आपरेशन फ्लड बोलते हैं, जो हमारे राजस्थान के अन्दर पिछले कुछ वर्षों से बहुत अधिक गति पकड़ चुका है। उस उद्योग को सम्भालने की जरूरत है और उसको बहुत सहायता देने की जरूरत है। आज किसान गांव के अन्दर बैठा है, अगर उसको उन्नत नस्ल के पशु मिलेंगे, उसको बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा तो किसान उसके माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर सकेगा। आज गुजरात के अन्दर, आज राजस्थान के अन्दर, मैं उन गांवों के बारे में बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जहां एक-एक काश्तकार 15-15 हजार रुपये महीने के सिर्फ अपने दूध को देकर डेयरी के माध्यम से कमा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि इस श्वेत क्रांति के अन्दर हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकें किसानों का। पशु मेले और कृषि मेले समाप्त होते जा रहे हैं। राजस्थान के अन्दर पहले, माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़े-बड़े पशु मेले आयोजित करता था पशुपालन विभाग और कृषि विभाग भी बहुत बड़े-बड़े कृषि मेले आयोजित करता था। वे माननीय सभापति महोदय, लुप्त होते जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम उन्नत नस्ल की गायों को गांवों के अन्दर दें। चाहे हमको उनको बाहर से लाकर देना पड़े, चाहे अन्य राज्यों से लाकर देना पड़े लेकिन उनको लाकर हमको उन काश्तकारों को देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे ही कृषि मेले के माध्यम से और पशु मेले के माध्यम से करना चाहिए।

एक मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से और ध्यान आकर्षित करूंगा कृषि मंत्रीजी का कि चित्तौड़ के पास में भीलवाड़ा जिला है, अभी अकाल है, वहां पर एक किलो जो पशु आहार मिलता है उस पर चार रुपये की सब्सिडी है लेकिन चित्तौड़ जिला इससे महरूम है। लगभग 2 लाख 70 हजार पशुओं को उसका लाभ मिल रहा है भीलवाड़ा जिले में। चित्तौड़ में

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

मात्र 30 हजार पशुओं को लाभ देने का उन्होंने निर्णय तो किया है लेकिन अभी नहीं मिला है। तो मेरा निवेदन है कृषि मंत्रीजी से कि चित्तौड़ के अन्दर बहुत अधिक पशु-पालक हैं जिनको आज इस अकाल की विभीषिका के अन्दर बहुत बड़ी सहायता देने की जरूरत है, जो सब्सिडी भीलवाड़ा जिले में दी जा रही है, हमारे बिलकुल लगता हुआ जिला है तो चित्तौड़ के साथ जो बहुत बड़ी विसंगति है, उस विसंगति को मेहरबानी करके खतम करके उन पशुपालकों को आप राहत दिलवाएं।

मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि जिला मुख्यालय पर पशुपालन विभाग का 'ए' श्रेणी का चिकित्सालय है, वहां पर डाक्टर्स की कमी है। पशु एक ऐसा प्राणी है, माननीय सभापति महोदय, जो बोल नहीं सकता, मूक है, उसकी पीड़ा को हमको समझना होगा। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 108-एम्बुलेंस की सेवाओं को गांव-गांव तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 108 जैसी आधुनिकतम एम्बुलेंस जिला मुख्यालय पर आप रखो ताकि वह गांव-गांव के अन्दर घूमे और जहां पर भी महामारी फैलती है पशुओं के अन्दर, एम्बुलेंस में पूरा का पूरा ट्रेंड स्टाफ जाकर उन पशुओं की जीवन रक्षा कर सके, उनको बचा सके।

आज आवश्यकता है कि हम गाय के संवर्द्धन के लिए आगे आएं। माननीय सभापति महोदय, जो गायें कटने के लिए जा रही हैं उनके खिलाफ एक सख्त कानून तो बना हुआ है लेकिन उसकी पालना ढंग से नहीं हो रही है। उसकी वजह से हमारा पशुधन समाप्त होता जा रहा है। आज गायों को कटने के लिए बाहर भेजा जा रहा है, इसलिए मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से और पशु-पालन मंत्रीजी से अनुरोध है कि आप इन चीजों को देखें क्योंकि गौ-हत्या के माध्यम से कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमारी शांति-व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो हम आपरेशन फ्लड की बात कर रहे हैं, अगर आपरेशन फ्लड को बचाना है तो आज गऊ को बचाना होगा, हमारी भैंसों को बचाना होगा, हमारी भेड़-बकरियों को बचाना होगा, उनके माध्यम से ही हम श्वेत क्रांति ला सकते हैं राजस्थान में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे समय के सहयोग की ज्यादा अपेक्षा की जाती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी सम-अप कर रहा हूं। जो चिकित्सकों की कमी है, उन चिकित्सकों की कमी को पूरा करें। आपकी भावनाओं का, सदन की भावनाओं का आदर करते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिये, माननीय सदस्य, मेरा सबसे निवेदन है कि तकरीबन 25 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, लेकिन दोनों सचेतक महोदय की यह राय है कि सात-सात मिनट, आठ-आठ मिनट में ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दस-दस मिनट।

श्री सभापति: वही हो जाएगा, दस-बारह मिनट हो जाएंगे फिर तो। मैं समझता हूं कि यह अच्छी व्यवस्था रहेगी। इसलिये मेरा सबसे निवेदन है कि सात-आठ मिनट के बाद घंटी बज जाए तो आप दस मिनट में खतम कर ही दें। यह आपसे निवेदन है, ताकि 10-10.30 बजे तक हाउस एडजोर्न होने की सम्भावना हो सकती है। श्री रमेश मीणा।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जब हम पहले छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे- उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। आज ये तीनों बातें एकदम उलटी हैं-उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती। इसका सीधा-सीधा प्रमाण यह है कि कोई व्यक्ति होगा जो खेती करना चाहेगा। उसका कारण यह है, जैसे हम पहले सुनते आये हैं, कई उदाहरण तो मेरे खुद के सामने हैं कि पहले जिनकी नौकरी लगी, उस नौकरी को छोड़कर उन्होंने खेती करना पसन्द किया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में और पिछले 60 सालों में जिस तरह की कृषि और किसान के प्रति नीतियां रही हैं, परिस्थितियां रही हैं, उनके कारण आज हर आदमी यह सोचता है कि खेती से जितना ज्यादा बचा जाए, उतना अच्छा है।

(: 17.12 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

मैंने भी जब नौकरी छोड़ी 1998 में, तो यही कल्पना करके आया था कि गांव में रहकर राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने के साथ-साथ

(श्री रमेश चन्द मीणा)

खेती भी करूंगा। यह संकल्प था कि आज के बाद में किसी शहर में मकान नहीं होगा, गांव में रहना होगा और आजीविका कृषि के माध्यम से होगी। परन्तु पिछले 11 सालों में जब तीन साल शुरूआत के खेती में गुजारे और उससे पहले जब कालेज के समय में हमने बैलों के माध्यम से खेती की, छह महीने गुजारे, तो उस समय को ध्यान में रखकर मुझे लगा कि यह काम सम्भव नहीं है। इसमें कोई भी प्रतिभा आगे नहीं बढ़ सकती। हम जब राष्ट्र के विकास की तरफ ध्यान देते हैं और उसमें सहयोग करने की अपेक्षा करते हैं तो यह किसान के लिये सम्भव नहीं है, क्योंकि वहां की जीवन परिस्थिति किसान के लिये इतनी बदतर हो चुकी है आज कि वह अन्य विश्व से लगभग कट चुका है, जिसका सीधा-सीधा प्रमाण यह है कि भारत में अब लगातार शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका सबसे पहला कारण है कि किसान खेती को लेकर धीरे-धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। इसमें एक प्रयास अभी और हुआ है नरेगा का। नरेगा के कारण किसानों को थोड़ा-सा रोजगार मिला है, परन्तु उसकी भी व्यवस्था इस तरह की हुई है कि अन्य क्षेत्रों के मुकाबले वह बहुत गैर-लाभकारी है। वहां जिन दरों को नापा जाता है, कई जगह तो पांच रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से मजदूरी आई है, उस कारण से वह भी इतना लाभकारी नहीं रहा है, जितने अन्य क्षेत्र हैं। अपन हरियाणा की तर्ज पर खेती करने की बात करते हैं परन्तु उससे पांच-दस कदम आगे बढ़ेंगे तो अपन को लगेगा कि और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि खेती के बिना हमारे पास में नौजवान इतने मजबूत नहीं मिल सकते जो सीमा की रक्षा कर सकें, इतने मजबूत नहीं मिल सकते जो अपने यहां आंतकवादी परिस्थितियों और कठिन परिस्थितियों में समाज की रक्षा कर सके। इसलिये जिस तरह से अमेरिका में प्रति वर्ष लगभग 8022 मिलियन डालर खेती को दिये जाते हैं सब्सिडी के रूप में, और वे दिये जाते हैं डायरेक्ट किसान के खाते में, उसी तर्ज पर अपने को करने की जरूरत है। राजस्थान में हम उसकी शुरूआत करें प्रायोगिक तौर पर, तो मुझे लगता है और विश्वास है कि हम इस राष्ट्र के लिये और किसानों के लिये बहुत बड़ा उपकार करेंगे। यह रुपयों के टर्म्स में देखा जाए तो लगभग 40 हजार करोड़ रुपये होते हैं। इसी तरह से पशुपालन के क्षेत्र में भी वहां के किसानों को डायरेक्ट जो सहायता मिलती है, वह प्रति 100 गायों के पीछे 4,500 डालर यानि लगभग दो लाख रुपये से ऊपर होती है। इसी तरह से अपने को सभी जिलों में करना चाहिये। वहां की

(श्री रमेश चन्द मीणा)

दृष्टि से तो यह कम है लेकिन अपने यहां दो लाख रुपये काफी हैं, इसको बढ़ाकर थोड़ा और ज्यादा कर दें तो ठीक है। कई जगह जैसे गुजरात में भी है, गुजरात में इस तरह की सहायता दी जा रही है और सभी जिलों में दी जा रही है। इसके साथ-साथ जिन चीजों का कृषि से संबंध अभिन्न है, डेयरी, पशुपालन, होर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, ये ऐसे एरिये हैं जो किसान के परस्पर पूरक हैं। इन्टीग्रेटेड व्यवस्था अगर कोई इस तरह की हो सकती है राजस्थान में, जिसमें सब टॉप लेवल के नीति निर्धारक और टाप लेवल के आफिसर साथ हों, या कोई आयोग बन सकता है, और प्रभावी रूप से इसको करें तो हमारे राजस्थान को उन्नतिशील बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पंजाब में हमने देखा है, जिस तरह से पंजाब में उन्नति हुई है, वह खेती के आधार पर ही हुई है। पंजाब आज सबसे अग्रणी स्टेट है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, तो उसका एक मात्र कारण यही है कि सबसे पहले उसने खेती पर ध्यान दिया।

इसके साथ-साथ किसानों की उन्नति गुजरात में हमको देखने को मिलती है पटेलों की, अन्य किसानों की, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबसे पहले उन्होंने खेती पर ध्यान दिया। खेती पर ध्यान देने के साथ-साथ गुजरात में उन्होंने जल संरक्षण के लिये भी काम किया है। 20 हजार एनीकट तो छह साल में बना दिये और 18 नदियों पर लगभग 500 से ऊपर बहुत बड़े-बड़े एनीकट बनाये हैं। जब हमारे यहां के किसानों ने वहां जाकर देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी मात्रा में यह कैसे हो गया। चारों तरफ पानी-पानी देखा।

लेकिन इसके साथ-साथ में मैं यह कहूंगा, बांगलादेश की न्यूज मैंने देखी थी, उसे भी ध्यान रखना है। उन्होंने एक स्कीम चालू की है एग्रीकल्चर इनपुट असिस्टेंट कार्ड। इस स्कीम में डीजल, फर्टिलाइजर आदि खेती के जो इनपुट हैं, उनको खरीदने के लिये किसानों को कूपन दिये जा रहे हैं। अपन भी यह स्कीम चालू कर सकते हैं तो किसानों के लिये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें बड़ा गैप है। रासायनिक फर्टिलाइजर पर जितनी सब्सिडी दी जा रही है, अगर उतनी ही सब्सिडी पशुपालक को गोबर के लिए दें तो इसमें बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है और बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है, क्योंकि हमारे देश में केवल इम्पोर्टेड यूरिया 2004-05 में 641 हजार मीट्रिक टन से 2008-09 तक, उपलब्ध आंकड़े जो हैं, 5687 हजार मीट्रिक टन हो गया है। यानी दस गुना बढ़ गया। इसी तरह डी ए पी 643 मीट्रिक टन से 6191.7 मीट्रिक टन हो

(श्री रमेश चन्द मीणा)

गया। इस तरह से रासायनिक खाद का अनुपात बढ़ता जा रहा है, उसका उपभेग बढ़ता जा रहा है। उसके मुकाबले में अगर हम गोबर के खाद को काम लें, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में काम में आ रहा है, इससे कई गुना ज्यादा मात्रा में काम आ रहा है। उसको प्रमोट करेंगे, उसके ऊपर सब्सिडी देंगे और उसको हर तरह से प्रोत्साहित करेंगे, जैसे केंचुए की खाद आदि दूसरी तरह से किया जा रहा है उसी तरह से उसको प्रमोशन के लिए बहुत बड़ी राशि देंगे तो पशु पालकों को भी बहुत राहत मिलेगी, न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा और किसान की उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

अपन पक्ष और विपक्ष जब बात करते हैं तो जरा हमको यह सोचने को भी मजबूर होना चाहिए कि पिछले साठ सालों में किसानों की उन्नति के लिए या उनके पतन के लिए कौन जिम्मेदार रहा है। सबसे पहली जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है जिसने करौली जिले में एक हजार बीघा भी जमीन खेती के लिए, सिंचाई के लिए बढ़ाई नहीं है। उसके विपरीत पांचना बांध पिछले सालों में लगातार बन्द रहा है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। दूसरे बांध हैं उनकी उन्नति के लिए भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया है। इसके साथ एक चम्बल इन्दिरा परियोजना नाम की लिफ्ट स्कीम है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): दो मिनट। उसको सन् 2000 में यहां से आगे बढ़ाया था। अभी जबाव आया है कि वर्तमान में दिनांक 08.12.09 को परियोजना उप वन संरक्षक, बफर, करौली एवं उप वन संरक्षक और उप निदेशक, कोर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर द्वारा पुनः प्रपत्र में सूचना मांगी गयी है जिसकी पूर्ति की जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी सोचना चाहिए। राजस्थान की और किसानों की उन्नति के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे तो आगे बढेंगे। इसके लिए हमारा प्रयास है कि आप इन सबको सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री मंगला राम गोदारा।

(अनुपस्थित) श्री टीका रामजी जूली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37 एवं 39 के अन्तर्गत मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री को, माननीय मंत्रीजी को, कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गयी है। प्रथम चरण में इसमें सात जिले लिये गये हैं जिसमें 2.20 कृषकों को 34.51 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है। साथ ही, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, पूर्व योजना का नाम बदलकर, जिसमें किसानों के साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी जन हानि या अंग भंग होता है, उसके लिए सहायता राशि को दुगना किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। किसान अपनी फसल बेचने के लिए मण्डी में आते हैं, कोई रात को बारह बजे आता है, कोई शाम को चलता है और कोई सुबह जल्दी चलता है, उनके भोजन की उचित व्यवस्था उन्हें मण्डी में मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने आपणी रसोई योजना शुरू की है और जिला मुख्यालयों पर किसान भवन जो बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही एक बात आती है कृषि विश्वविद्यालय की, तो कृषि विश्वविद्यालय में जो शोध हो रहे हैं और जो शोध बाहर हो रहे हैं, उनकी चर्चा मैं यहां पर करना चाहूंगा। राजस्थान में आज कृषि की अगर हम बात करते हैं तो अलवर, भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ का नाम आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि विश्वविद्यालय अगर खोलने की बात कहीं आती है तो वह बीकानेर, उदयपुर ऐसी जगहों के लिए की जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जब इन क्षेत्रों में फसल इतनी अच्छी हो रही है और यह पूरा क्षेत्र फसल पर टिका हुआ है तो यहां के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे जो शोध हुए हैं, वे आप लोगों के सामने हैं।

मैं कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं, हमने राजीव गांधी कृषक साथी योजना जो शुरू की है उसमें किसान की फसल को अगर आग लग जाती है तो उसको हम कहीं कवर नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो उसके प्रावधान हैं उनमें इसको भी जोड़ें, क्योंकि किसानों की फसल पूरी होने के बाद खेत में पड़ी रहती है। उसके बाद अगर उसमें आग लग जाती है तो उस बेचारे की सारी मेहनत राख बन जाती है। मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उमरैण में दो-तीन महीने पहले मुंह पका और खुर पका रोग जो चला था, एक गांव में ही पचास के आसपास

(श्री टीकाराम जूली)

पशुओं की मौत हो गयी। एक-एक पशु की कीमत तीस हजार से लेकर सत्तर-अस्सी हजार रुपये तक है और किसान अपना परिवार उसी से पालता है। उस समय हमारी टीम जाती है, मैं कहना चाहूंगा कि जब मौत हो गयी, उसके बाद पहुंचने का क्या फायदा है? सरकार ऐसी कोई योजना बनाए जिस तरह से पोलियो की दवाई बूथ पर जाकर पिलाई जा रही है। इस तरह की शायद व्यवस्था तो होगी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। किसानों के जो पशु हैं, उनके गांव-गांव जाकर हमारे पशु चिकित्सक, कम्पाउण्डर समय-समय पर टीकाकरण करें। कुछ के एडवांस में हो सकते हैं, वह करें या रुटीन में जो होते हैं वह करें।

खाद-बीज की बात यहां आती है तो मैं अलवर जिले से आता हूं और उसमें भी बार्डर का इलाका है, मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में खाद जब फसल के टाइम पर आता है, अड़ौस-पड़ौस की जितनी भी तहसीलें हैं, हरियाणा पर निर्भर होना पड़ता है। जब फसल का टाइम होता है उसके काफी समय बाद खाद हमारे किसानों के पास पहुंचता है। मैं कहना चाहूंगा कि इसकी भी समुचित व्यवस्था की जाए कि जिस समय फसल की बुवाई हो उससे पहले खाद और बीज किसान के घर पहुंचे। चाहे वह सरपंच के घर रखा मिले, चाहे किसी पर्यवेक्षक या महत्वपूर्ण व्यक्ति के घर बीज रखा मिले, जो आम आदमी है उसको बीज मिलना चाहिए। वह उससे लाभान्वित नहीं हो पाता है और जो बड़े किसान लोग हैं वे उसका लाभ उठाते हैं। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा जी एस एस के माध्यम से खाद बीज की बिक्री की जाए और उनका अनुदान वहां से दिया जाए जिससे कि आम आदमी को लाभ हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में महुआ खुर्द की जमीन है, वो जमीन नहरी, सिंचित चाही जमीन है, ऐसी जमीन का सरकार अधिग्रहण करती है तो मैं समझता हूं कि किसान की जो आशाएं हैं, किसान के जो सपने हैं, उन पर कुठाराघात हो रहा है। आज एक तरफ तो हम किसानों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ किसान की ऐसी जमीन को हम अधिग्रहण करने की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय कृषि मंत्रीजी को भी कहना चाहूंगा और उद्योग मंत्रीजी को भी कहना चाहूंगा कि आपस में तालमेल आप लोग बनाएं कि जो बंजर भूमि है, इस प्रकार की भूमि है उसको उपयोग में लिया जाए।

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, दुबारा यह कहना इसलिए पड़ रहा है हरियाणा के बार्डर वालों को कि हरियाणा में ज्यादातर किसानों के पास सोलर सिस्टम सरकार ने बहुत ही कम लागत यानी सब्सिडी के ऊपर उनको उपलब्ध करा रखे हैं जिससे उनकी कुएं की मोटरें चल रही हैं। जब हमारे यहां बिजली की कमी की बात आती है तो क्यों नहीं हम भी पहल करें और हमारे किसानों को हम सब्सिडी के ऊपर सोलर सिस्टम मुहैया कराएं जिससे कि उनको बिजली के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़े, स्वयं की बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न करके अपनी मोटर चलाएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में प्याज की आवक और प्याज की पैदावार बढ़ी है। खास तौर से अलवर, सीकर, जोधपुर की मैं बात करूं तो प्याज की आवक बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्दशा किसान के साथ तब होती है कि उसकी रेट बढ़ने लगती है तब तो उस पर नियंत्रण लगा दिया जाता है लेकिन जब उसकी रेट घटने लग जाती है, प्याज 50 पैसे किलो हो जाती है, एक रुपये किलो हो जाती है तब मण्डी में ही उडेल कर आना पड़ता है। क्यों नहीं सरकार इस पर कोई नियम बनाए, कोई मूल्य निर्धारण करे प्याज का भी कि यह मूल्य निर्धारण सरकार की तरफ से किया गया है। आज मेरा पूरा क्षेत्र प्याज के ऊपर आधारित है, माननीय सभापति महोदय, इतनी प्याज की आवक होने के बाद भी प्याज का स्टोरेज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसकी भी आप व्यवस्था करवाएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अंत में खास तौर से एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारी कृषि उपज मण्डी अलवर में विशिष्ट श्रेणी की प्याज मण्डी स्वीकृत हुई है, उसको स्वीकृत हुए दो साल के करीब हो चुके हैं। किसान ने जब दो साल पहले पैसे जमा कराये थे और व्यापारियों ने दो साल पहले पैसे जमा कराये थे तो इसी सोच के साथ जमा कराये थे कि हमें भी यहां पर दुकान मिलेगी, लेकिन आज दो साल बाद तक भी उनकी दुकानों का आबंटन नहीं हो सका। वहां पर सरकार की तरफ से लाटरी का स्टिम अपनाया गया है, वहां पर आज करीब 40-50 व्यापारी पूरी फल-सब्जी मण्डी में हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि

(श्री टीकाराम जूली)

जो गाइडलाइन है उसमें कोई भी व्यापारी इसमें आवेदन कर सकता है और जब एक फ्रूट बेचने वाला व्यापारी प्याज की दुकान लेता है, वो उसका काम करेगा तो मैं समझता हूं कि किसान को नुकसान होगा। जो व्यक्ति प्याज का काम कर रहे हैं उन्हें इसके आवेदन में प्राथमिकता आप लोग देवें, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की सोच कांग्रेस पार्टी की और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की आम आदमी और किसान के प्रति है, उसके अनुरूप यह सरकार किसानों के हित में फैसला करेगी।

पुनः, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37 और 39 पर यहां पर चर्चा की जा रही है और इसी के तहत मुझे भी बोलने का मौका मिला है, मैं कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र, वो बिलकुल कृषि पर आधारित है जहां पर कृषि एवं दुधारू पशुओं की काफी अधिक मात्रा है। पशुओं की देखभाल के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक पशुओं की बीमारी की अवस्था में पुरानी पद्धति से, जैसे गर्म लोहे के चिमटे से दागना, जिसको हम डाब दागना बोलते हैं, देसी पद्धति से इलाज करते हैं जो पशु के लिए काफी पीड़ादायक तो है ही, लेकिन मैं मानती हूं कि पशु क्रूरता के अन्तर्गत भी आती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय की स्थापना की जाए, उसमें एक पशु चिकित्सक, कम्पाउण्डर एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति की जाए एवं पशु चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि पशुधन को बचाने व सुरक्षित रखने पर भी सरकार को काफी विचार करना चाहिए। बजट में पशुधन के लिए राज्य सरकार द्वारा नयी योजनाओं की पहल की गयी। फिर भी मेरा मानना है कि अगर हम पशुधन को बचाना चाहते हैं, मैं मात्र अपने विधान सभा क्षेत्र की बात बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी सिवाय चक और चरागाह की जो जमीनें रिक्त पड़ी हुई हैं,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आज उनको जाकर देखा जाए तो पूरी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। अनेकों बार विभाग को मैंने चेताया, क्षेत्रीय अधिकारियों के नोटिस में मैंने डाला। रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र खनन क्षेत्र है और अगर कहीं चरागाह की जगह पर अतिक्रमण किया जाता है तो मैं मानती हूं कि अतिक्रमण करने वाला तो एक बहुत बड़ा व्यापारी कुछ ही दिनों में बन जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृषि मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं कि जो हमारी चरागाह की भूमि है, सभी भूमि को हम मुक्त करवाएं क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी एक बात और कहना चाहूंगी कि पशुपालकों का पशुधन का जो इंश्योरेंस है, वो भी हम समय पर उपलब्ध करवाएं। इसमें अनेकों बार जन प्रतिनिधि होने के नाते हमने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र के पशुधन पालने वाले जो लोग हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं और उनको समय पर यह राशि नहीं मिलती। तो इसे भी तुरन्त प्रभाव से बिना किसी रुकावट के उन्हें दिया जाए, यह मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, राज्य सरकार द्वारा पशु आहार, जो खळ होती है, जो चूरी होती है, उस पर जो वैट बढ़ाया गया है, बढ़ा कर 14 परसेंट किया गया है वो बहुत गलत है क्योंकि इसका सीधा-सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ेगा। किसान ही पशुपालक है और राज्य सरकार को तुरन्त प्रभाव से इसके ऊपर विचार करना चाहिए क्योंकि किसान को आज के इस बदलते हुए मौसम में मैं मानती हूं कि काफी समस्यओं का सामना करना पड़ रहा है और फसलें भी उनकी सूख चुकी हैं, विशेष तो अकाल में। राजस्थान के जिन जिलों को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अकालग्रस्त घोषित किया है उसमें हमारे कोटा जिले को नहीं लिया, यह बड़े दुःख की बात है। एक तो मौसम की मार उनके ऊपर पड़ी, दूसरे पशुधन का पशु आहार था उस पर भी वैट बढ़ा दिया गया। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस वैट को कम किया जाए क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र बिलकुल एम.पी. से लगा हुआ है जहां पर इतना वैट नहीं है। मैं मानती हूं कि इस स्थिति में पशु आहार की कालाबाजारी होगी और इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर कर कुछ कम किया जाए।

दूसरी, माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि कृषि व सहकारी योजनाओं में किसानों को अनुदान दिया जाता है वो बहुत

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कम मात्रा में होता है। उसको जो चैक दिए जाते हैं, अकाउंट पेई के बनाकर दिये जाते हैं, कही तो पांच हजार, कहीं दस हजार रुपये की राशि होती है और इसके लिए उसे अकाउंट खुलवाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जीरो बैलेंस पर खाता खोलने का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाए तो किसानों को राहत मिलेगी।

दूसरी बात, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में 7 अगस्त का मामला है, एक किसान जिसका नाम प्रहलाद धाकड़ है सन आफ बालाराम धाकड़, उसका एक कृषि कनेक्शन था और उस किसान का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। उसको चोरी हुए आठ माह हो चुके हैं। जब उसने एफ आई आर दर्ज करवाई और विभाग वालों के पास गया तो बड़ी मुश्किल से तो उन लोगों ने एफ आई आर दर्ज करवाई क्योंकि किसान को सूचना देनी होती है विभाग को, उसके बाद एफ आई आर दर्ज होती है। एफ आई आर दर्ज होने के बाद अभी आठ महीने तक उसका ट्रांसफार्मर चेंज नहीं किया गया और उससे यह कहा गया कि पहले आप लिखित में दें कि आप पच्चीस एच पी का एल्यूमिनियम वाला ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं, वह सस्ता होता है। जबकि उसके लगा हुआ था सोलह एच पी का। सोलह एच पी के ट्रांसफार्मर में और दस एच पी के ट्रांसफार्मर में कापर होती है तो यह मंहगा पड़ता है। उससे कहा गया कि आपको अगर ट्रांसफार्मर लगवाना है तो आप लिखित में दें कि अगली बार जो ट्रांसफार्मर चोरी होगा उसकी एफ आई आर मेरे नाम से करवाई जाए कि वह चोरी मैंने किया है और जो उसकी राशि है उस राशि की वसूली आपसे की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वे हमारे लिए बड़ी दर्दनाक हैं और ऐसी घटनाओं पर हम रोक लगाएं तो शायद किसानों को कुछ फायदा हो सकता है।

एक बात और बताना चाहूंगी कि कृषि उपज मण्डी के तीस वर्ष बाद चुनाव हुए। उन चुनावों में जितने भी इलैक्टेड सदस्य जीत कर आते हैं वे तो बैठे रह जाते हैं, लेकिन, इसका नियम है कि नोमिनेट सदस्य होंगे, उस नोमिनेट सदस्य के आधार पर कृषि उपज मण्डियों में चेयरमैन बैठ जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए। जो इलैक्टेड सदस्य होते हैं, लाखों रुपये लगा कर चुनाव लड़ कर आते हैं, उनका किसी तरह का कोई महत्व नहीं होता और जो नोमिनेट सदस्य आते हैं, नोमिनेट होते हैं राज्य

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सरकार से, वे जिसको चाहे उसको चेयरमैन बैठा सकते हैं। इसमें नियमों में परिवर्तन किया जाय तो मैं मानती हूं, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

आज कृषि मण्डी की रोड्स के बारे में मेरे से पूर्व काफी सदस्यों ने अपनी बात रखी, बड़ा दुःख हुआ कि आज भी कृषि उपज मण्डी की यह स्थिति है। अपना पैसा, अपना बजट लेकिन आज भी कृषि उपज मण्डी की रोड्स के लिए, इस पैसे को खर्च करने के लिए मंत्रीजी के आदेश के लिए चाहे एक साल भर बैठा रहना पड़े, बैठे रहते हैं। इन नियमों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हमारे कोटा की कृषि उपज मण्डी एशिया की नम्बर वन, सर्वश्रेष्ठ कृषि उपज मण्डी है, उसके बावजूद हमें इन्तजार करना पड़ता है। हमारे रामगंजमण्डी की कृषि उपज मण्डी एशिया की नम्बर वन धनिये की मण्डी है, मंत्रीजी से साल भर से अनेकों बार मैंने कहा कि हमें परमिशन दीजिए, साल भर में हमें मात्र दो रोड की स्वीकृति मिली, हम दो रोड की रिपेयर कर पाएंगे। बड़ी दुविधा वाली बात है।

आज चेयरमैन कृषि उपज मण्डियों में बैठे हुए हैं और मंत्रीजी जयपुर में बैठे रहते हैं, लेकिन जो कृषि उपज मण्डी के चेयरमैन वहां बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि गांव की जनता ने किस तरह से उनको बेहाल कर रखा है। आए दिन उनको जवाब देना भारी पड़ता है। मेरा निवेदन है कि कृषि उपज मण्डी में कुछ ऐसे परिवर्तन हों कि सामान्य कोष और विशेष कोष जो दोनों कोष होते हैं, उनमें से एक कोष में काम करने का, पैसा खर्च करने का हक मण्डी को होना चाहिए।

कृषि उपज मण्डी के रोड हैं अभी उसके बारे में काफी सदस्यों ने चर्चा की, मैं भी बताना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़े शर्म की बात है। आज खनिज मंत्रीजी यहां हों तो वह बताएं मुझे कि आप जो खान अलाट करते हैं उसके क्या नियम हैं? क्या कृषि उपज मण्डी की सड़कों को उखाड़ कर फेंकने के नियम हैं? मेरे विधान सभा क्षेत्र में पता नहीं कितने रोड हैं अभी तक, जिनको खनन मालिकों ने उखाड़ कर फेंक दिया और खानें चालू कर लीं। और तो और, उस रोड को उखाड़ फेंक कर खुद ने ही दूसरी तरफ से रोड बना दिया और उस राह को ही बदल दिया। मेरा निवेदन है कि इस तरह कृषि उपज मण्डी का नुकसान होता रहे और हम लोग सोते रहें तो यह कृषि उपज मण्डी वालों के लिए, कृषि विभाग के लिए बहुत चिन्ता का विषय है। हम इन सब

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बातों का ध्यान रखेंगे तो ...(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) शायद हमारी कृषि उपज मण्डी की सड़कें हैं .....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): जो हमारी राशि है उसे भी हम बचा पाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, कभी भी आप मुझे बोलने नहीं देते। मैं किसी तरह की भाषणबाजी नहीं कर रही, मात्र मेरे क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को यहां पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अच्छा बोल रही हैं।

श्री सभापति: अच्छा सभी बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज वास्तव में हम अकाल की स्थिति में हैं, अनेक जिलों में अकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। कुछ ही समय पहले, शायद थोड़े दिन पहले की बात है, मीडिया के माध्यम से पता लगा कि किस तरह से तस्करों को बढ़ावा मिल रहा है। गौ तस्कर हैं वे खुले आम गायों का व्यापार कर रहे हैं। एक अपने कोटा नगर निगम की गौशाला है और पास ही में एक गायत्री ट्रस्ट की तरफ से गौशाला चलाई जा रही है, हम अगर दोनों ही गौशालाओं को देखें और दोनों की तुलना करें तो हमारी नगर निगम की जो गौशाला है उसके अन्दर हम एण्टर भी नहीं हो पाएंगे, इतनी गन्दी स्थिति में वह गौशाला पड़ी हुई है। बड़ा दुःख होता है। हम एक तरफ तो गौ को अपनी माता मानते हैं और उसकी रक्षा के लिए इतना सब कुछ करते हैं, दूसरी तरफ आज किस स्थिति में वे गौशालाएं हैं। गायें मर-मर कर सड़ रही हैं, उनका पता भी नहीं चलता। दो-दो, तीन-तीन दिन तक तो उन गायों का पता भी नहीं चलता नगर निगम की गौशाला में कि कितनी गायें मरीं और क्या है। महीने में मैं मानती हूं कि पचास-साठ गायें तो मर जाती होंगी, ऐसी स्थिति नगर निगम की गौशाला की है। मेरा निवेदन है कि इन गौशालाओं के लिए मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में जो घोषणा की थी, उसे वह पूरा करेंगे।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

एक बात और बताना चाहूंगी, कि वैसे तो मैं जिस हाड़ौती क्षेत्र से आती हूं वहां के किसान ने कभी भी आत्महत्या नहीं की क्योंकि चम्बल का पानी उसे सिंचाई के लिए मिलता है और सारी सुविधाएं उसको मिलती हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी तो विराजमान हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे हाड़ौती के किसानों के साथ अव्यवहार हुआ, उनको पानी नहीं मिला। जो लास्ट पानी उनको मिलना चाहिए था खेती के लिए, वह पानी नहीं मिल पाया। वह पानी नहीं मिला तो उनकी सारी फसलें सूख गयीं। जिनकी फसल हुई भी है तो मैं मानती हूं, बहुत कम उत्पादन हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ न कुछ विचार उन किसान भाइयों के लिए करना चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहती हूं और इतना कह कर अपनी बात को विराम देती हूं।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता भील।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लम्बे समय से मांग संख्या 37 और 39 पर चर्चा हो रही थी, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात को, अपने क्षेत्र की और पूरे राज्य की समस्याओं को अपने ढंग से सदन के सम्मुख रखा। मैं भी अपनी बात को, अपनी समस्याओं को सदन के सम्मुख रख कर माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी अति संवेदनशील हैं किसानों के प्रति, 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी पैसा बिजली की दर नहीं बढ़ाने का जो फैसला उन्होंने किया है उसके लिये पूरे राज्य के किसानों की तरफ से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो फैसला किया वह किसानों के हित में है और उसका स्वागत है। यह माननीय विद्युत मंत्रीजी से सम्बन्धित सवाल है लेकिन कृषि विभाग से भी जुड़ा हुआ है इसलिये मैं, माननीय कृषि मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कटौती का जो प्रावधान किया है उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं मानती हूं कि शहरी क्षेत्र अधिक राजस्व देता है, ज्यादा पैसा देता है इसलिये उनकी बिजली की कटौती नहीं होती है और जब कभी भी पावर प्लांट बैठ जाता है तो जब मर्जी आए किसानों की बिजली में कटौती कर

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

दी जाती है। एक बार किसान मोटर चालू करके खेत पर जाता है, जैसे ही खेत पर पहुंचता है पीछे से बिजली की कटौती हो जाती है और वह वापस आ जाता है। इस तरह किसान काफी परेशान रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसानों की तरफ से माननीय विद्युत मंत्री और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करें कि जितनी भी बिजली दें, उसका समय निर्धारित होना चाहिये और वह नियमित दी जानी चाहिये। क्योंकि बुवाई और खेती में आधे दिन का भी अगर गैप रह जाता है तो उसकी फसल के उत्पादन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। किसान बीज डाल देता है खेत में और उसको समय पर पानी नहीं मिल पाता है तो फसल के उत्पादन पर काफी असर पड़ता है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी विचार किया जाए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन, माननीय कृषि मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि किसानों को जो फसल बीमा दिया जाए, वह समय पर दिया जाए। खरीफ का फसल बीमा किसानों को आज भी नहीं मिल पाया है। किसान गरीब होता है, इतनी अच्छी माली हालत अपने यहां के काश्तकारों की नहीं है। वह या तो के सी सी से ऋण लेता है, अधिक ब्याज पर बाजार से पैसा लेता है या फिर अपने जेवर गिरवी रखकर पैसे लेकर खेती करता है। यदि उसकी फसल खराब होती है और उसको समय पर पैसा नहीं मिल पाता है, बीमा की राशि भी नहीं मिल पाती, तो एक तो उसका अधिक ब्याज लगेगा, दूसरा आगामी जो फसल है उस फसल के लिये फिर उसको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करती हूं कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए और फसल बीमा की राशि समय पर दी जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज उपलब्ध कराया जाता है लेकिन वह खाद, बीज कब मिलता है? जब उसका बुवाई का समय निकल जाता है। एक दिन भी अगर फसल बुवाई में देरी होती है तो उसकी फसल का नुकसान होता है इसलिये वह मजबूरी में महंगे भाव से बाजार से खाद, बीज खरीद कर बुवाई करता है। बाद में सहकारी समितियों में यह खाद, बीज आता है। मैं नहीं कह सकती, इसकी वजह क्या हो सकती है लेकिन कहीं न कहीं या तो तंत्र में खराबी है या व्यापारियों से मिलकर, कर्मचारी वर्ग कम्पनीज से मिलकर मिलीभगत करते हैं इसलिए यह देरी होती

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

है। जब व्यापारी जल्दी ले आता है खाद, बीज दुकानों में, तो फिर सहकारी समितियां क्यों नहीं लातीं? नहीं लाती हैं तो इसकी वजह क्या है? वजह यदि हम मालूम करें तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और विशेषकर बांसवाड़ा में रेल की सुविधा नहीं है। रेल की सुविधा नहीं होने से खाद उदयपुर या चित्तौड़गढ़ से हमें लाना पड़ता है क्योंकि वहां रेल की सुविधा है। सीजन का समय होता है लेकिन ट्रांसपोर्ट वालों को कम्पनी कम रेट देती हैं और ट्रांसपोर्टर्स को बाजार में ज्यादा रेट मिलती है इस वजह से कोई भी तैयार नहीं होता है। इस साल काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, समय पर खाद नहीं मिला और कई सारे ऐसे लोग रहे जो बाजार में भी मारे-मारे घूमते फिरते रहे। जहां कहीं भी खाद आया, डबल कीमत में लोगों ने खरीदा। कई सारे ऐसे काश्तकार रहे जिनको खाद नहीं मिला और काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। सहकारी समितियों में जो बीज उपलब्ध होता है, कहने को तो सर्टिफाइड बीज कहा जाता है लेकिन उसको ध्यान में रखना पड़ेगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अब की बार गेहूं का जो बीज दिया गया, वह सर्टिफाईड कहकर दिया गया लेकिन वह बीज सही नहीं था और गेहूं के उत्पादन पर काफी फर्क आया। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरफ भी ध्यान देवें।

सभापति महोदय, उदयपुर सम्भाग में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रोजैक्ट गोल्डन रेंज के अन्तर्गत मक्का के हाई ब्रीड बीजों का वितरण किया। मैं उसमें निवेदन करना चाहती हूं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर की जमीन मक्का उत्पादन के अनुकूल है, लेकिन फलों का उत्पादन भी वहां बहुत अच्छा होता है, उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। वहां के काश्तकारों को सिर्फ मक्का के उत्पादन और प्रोत्साहन तक ही सीमित नहीं रखें। बांसवाड़ा में अंगूर बहुत अच्छा पैदा होता है..

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): बांसवाड़ा में चीकू बहुत अच्छा पैदा होता है। बांसवाड़ा में अच्छे किस्म का आम पैदा होता है। किसान को उसके लिये प्रोत्साहित करेंगे तो वहां के काश्तकारों की माली हालत सुधरेगी। वर्ना वहां का आदिवासी कब तक मक्का का उत्पादन करता रहेगा? फिर मक्का के बाद बाकी जो उसकी जमीन पड़ी रहती है उस जमीन में इन फसलों का

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

उत्पादन किया जाए तो निश्चित तौर पर वहां उत्पादन अच्छा होगा और वहां के काश्तकार आधुनिक तरीके से खेती करके अपनी आजीविका कमाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर काजू भी बहुत अच्छा होता है..

श्री सभापति: आप लाकर खिलाओ।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): इसमें सरकार को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जिस तरीके से मक्का के लिये एक योजना बनाकर बहुत अच्छा मक्का वितरित किया, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें भी काश्तकारों को चयनित करके इसके उत्पादन के लिये प्रोत्साहन दें।

सभापति महोदय, पशुपालन के लिये चारा और पानी की पर्याप्त उपलब्धता की आवश्यकता होती है...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, संक्षिप्त करो। संक्षिप्त करो आप।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार और मंत्रीजी ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करें जहां अनुकूल परिस्थितियां हैं और ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करके अच्छी किस्म के पशु उन्हें उपलब्ध कराएं। हमारा वागड़ क्षेत्र पशुपालन के लिये काफी अनुकूल है...

श्री सभापति: समाप्त करो माननीय सदस्या।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): वहां पर पानी है, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि छोटे-छोटे लघु उद्योग-धंधे स्थापित किये जाएं, वहां दूध की डेयरी सरकार की तरफ से स्थापित की जाए, वहां घी बनाने के लिये उद्योग-धंधे स्थापित किये जाएं ताकि शुद्ध उत्पादों की उपलब्धता के साथ ही वहां के काश्तकारों की माली हालत अच्छी हो सके।

सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र ग्रामीण है, सुदूर क्षेत्र में लोग रहते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्या...

(: 18.00 बजे)

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): बस अंतिम बात कहना चाहती हूं। ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो भी डाक्टर आता है वह शहरों की तरफ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी डाक्टर नहीं आता है। चाहे इंसान गरीब हो या अमीर हो, स्वास्थ्य सबका एक जैसा होता है और जान सबको अपनी प्यारी होती है।

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक डाक्टरों की नियुक्ति की जाए क्योंकि डाक्टरों के अभाव में वहां बंगाली डाक्टरों ने जाल फैला रखा है और अकाल मृत्यु में वहां के मरीज जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पीएचसी जोलामा और अर्थूना को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। 108-एम्बुलेंस मेरे विधान सभा क्षेत्र में परतापुर में नहीं है, वहां पर उपलब्ध करायी जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मेरी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या 37 व 39-कृषि एवं पशुपालन के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन की बहुत ही अहम भूमिका है। प्रदेश की जीडीपी में कृषि और पशुपालन का करीब 25 से 30 प्रतिशत तक योगदान रहता है। लेकिन इस बजट में कृषि पर यदि वेतन को निकाल दें तो करीब 1.18 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है, इससे सरकार की कृषि के प्रति, किसानों के प्रति जो नीति है वह स्पष्ट झलकती है।

सभापति महोदय, आज प्रदेश निरन्तर कम और अनियमित बरसात के चलते बिलकुल बर्बादी की ओर जा रहा है। जो प्रदेश का सिंचित क्षेत्र है उसमें 60 प्रतिशत के करीब नलकूप या कुओं के द्वारा सिंचाई की जा रही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा जो जोधपुर जिले का कश्मीर कहलाता था, वहां किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है, वह पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। जो भूमिगत जल स्तर पहले 200 फीट पर था, आज वह करीब 600 फीट पर चला गया है। अभी टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे पूर्वज कहते थे जब उनको नौकरी लगाने की बात होती थी, कि 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी करे लाचार', लेकिन आज की स्थिति यह हो चुकी है कि 'उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, गरीब खेती करे किसान'। इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, मात्र किया है तो धोखा ही धोखा किया है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष किसानों से बीमा के प्रीमियम के रूप में एक करोड़ रूपये जमा कराये गये थे, आज स्थिति यह

(श्री अर्जुन लाल)

है कि उन किसानों को एक रुपया वापस क्षतिपूर्ति के रूप में उसमें से भुगतान नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बताया कि हमने कृषि नीति बना दी। वह अभी तक आयी नहीं है। कृषि नीति में कहा गया था कि किसानों की उपज का मूल्य बढ़ाएंगे, उपज का मूल्य किसान खुद तय करेगा, उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अभी तक यह नीति तैयार होकर नहीं आयी है। मेरा तो कृषि मंत्रीजी को विशेष सुझाव है, आप खुद किसान हैं, पूरी जानकारी रखते हैं, किसानों का अगर वास्तव में आप भला चाहते हैं तो अभी महानरेगा का काम चल रहा है, महानरेगा में प्रति वर्ष फसल के अनुसार एस.सी., एस.टी. के किसानों को लेबर देते हैं पौधारोपण के लिए, निराई, गुड़ाई के लिए, लेवलिंग के लिए, मेड़बंदी के लिए, वह लेबर यदि अनुदान के रूप में काश्तकारों को दे दी जाती है तो वास्तव में उस किसान का भला होगा। वह 600 फीट गहराई से पानी को निकालकर फसल को देता है, अगर वह स्विच आन करके देखता है तो करीब 3-4 मिनट तक पानी बाहर नहीं आता है, उसमें 3-4 यूनिट लग जाती है। अभी विद्युत की अनियमितता के कारण, ट्रिपिंग की वजह से 5-6 झटके आ जाते हैं तो कम से कम 20 यूनिट के पैसे बिना पानी किसान को प्राप्त हुए लग जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि लेबर और इस लाइट के लिए विशेष तौर से ध्यान दें।

सभापति महोदय, ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति अपनाने पर प्राथमिकता की बात है तो हमारे क्षेत्र में, और विशेष तौर पर बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पानी और जमीन का मेल नहीं खाता है। यदि उसमें ड्रिप के हिसाब से पानी दिया जाएगा तो उसके ऊपर मिट्‌टी की परत बन जाती है, फिर उसके नीचे पानी जाता नहीं है। इस कारण से वह पद्धति फेल हो जाती है। इसके लिए कोई दूसरा वैज्ञानिक तरीका अपनाकर किसानों को उपलब्ध कराएं तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, थ्री फेस जो कनेक्शन किसानों को दे रखें हैं पानी की कमी के कारण से उनको सिंगल फेस कनेक्शन में यदि कनवर्ट कर दिया जाए, कृषि नीति में इलैक्ट्रिफिकेशन में परिवर्तन कर दिया जाए तो, उन्हें 1500-1600 बीघा में पानी नहीं पिलाना है, 5-10 बीघा में वह सिंगल फेस से साढ़े 7 या 10 की मोटर से पीने के और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कर सकता है।

(श्री अर्जुन लाल)

सभापति महोदय, इसमें यह बताया कि 2 लाख 80 हजार चारे के मिनिकिट्स उपलब्ध कराएंगे। चारे की बुवाई शुरू हो गयी है लेकिन अभी तक किसानों तक वे किट्स पहुंचे नहीं हैं। हो सकता है कटाई के बाद देंगे तो वे कोई काम के नहीं रहेंगे।

सभापति महोदय, जोधपुर जिले में जीरे की फसल को अपिड़ा में शामिल करके कृषि निर्यात जिन्स में लिया गया है। इसमें भी किसानों के लिए जीरे की उत्पादकता व गुणवत्ता सुधार में सरकार को ठोस उपाय करने चाहिए। मात्र राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लेकर इसकी इतिश्री नहीं कर देनी चाहिए। इसको विशेष पैकेज के रूप में शामिल करें। पश्चिमी राजस्थान में अनियमित और कम वर्षा होने के कारण कम पानी और लागत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार से मेरी मांग है। आर के यू वाई के अन्दर पिण्ड खजूर की खेती के लिए संयुक्त अरब अमीरात से पौधे मंगाए जाते हैं, वे उपलब्ध कराने चाहिए। मेरी विशेष मांग है कि वर्तमान में खाद, कीटनाशक, पशु आहार और कृषि उपयोगी उपकरणों पर जो वैट का प्रावधान किया गया है, वास्तव में यदि किसानों की हितैषी सरकार है तो इस वैट को तो कम से कम तुरन्त प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इस भयंकर अकाल के अन्दर किसान के लिए समस्या वैसे ही खड़ी है, पीने के पानी, चारे की व्यवस्था नहीं है, इससे और ज्यादा समस्या हो रही है।

दूध उत्पादकों के लिए जितनी भी प्राथमिक ग्राम सहकारी समितियां हैं उनकी इस वर्ष आडिट फीस चार गुना बढ़ा दी गई है। मेरे खयाल से शायद इसमें मिस-प्रिण्ट होना चाहिए। मैं इस हेतु सहकारी मंत्रीजी से पिछले चार दिन से निरन्तर सम्पर्क में हूं कि इसकी जो वार्षिक आडिट फीस है इसको कम करें। इसमें पहले लिखा गया था कि क्वार्टरली यदि आडिट होती है तो उसकी रेट जो उन्होंने दे रखी है, वह होनी चाहिए। लेकिन अब की बार नीचे से वह नोट हटा दिया गया है।

यहां मंत्रीजी विराजमान हैं, आर एस एम बी द्वारा सड़कों का जो निर्माण किया गया है उसके बाद वापस उन सड़कों की तरफ देखा ही नहीं किसी ने। आज की स्थिति में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 9 सड़कें हैं, उनका अस्तित्व बिलकुल खतम हो गया है। यदि नहीं सम्भाल सकते हैं तो कम से कम पी डब्ल्यू डी को स्थानांतरित कर दें तो वे वापस इनका रिन्युअल कर लेंगे, उनका साइकल कर लेंगे।

(श्री अर्जुन लाल)

आपके द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे और पशु धन सहायक वहां रखे जाएंगे, लेकिन आज दिन तक उस घोषणा का कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरी स्पेशली आपसे मांग है, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर आप पशु चिकित्सक नहीं लगा सकते हैं तो उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल कर कम से कम वहां पशु धन सहायक की तो नियुक्त कर दें, तो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संतोष कुमार सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर आपकी अनुमति से मैं सदन में अपने विचार साझा करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय कृषि मंत्रीजी ने बजट 2010-11 में किसानों, कृषि-मजदूरों तथा गांव एवं ढाणी की बहबूदी के लिए बहुत से प्रावधान किये हैं। राज्य के किसानों की दशा, किसानों के कर्ज और ऋण व्यवस्था, उपज का उचित मूल्य निर्धारण, मण्डी व्यवस्था, कृषि उत्पादन निर्यात, कृषि आधारित उद्योग और कृषि-मजदूर आदि विषयों पर सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु किसान आयोग का गठन किया गया है। कृषि उत्पादों का किसानों को उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कृषि व्यवसाय एवं उद्योगों की स्थापना के लिए नीति बनाई जाएगी। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सभी फसलों में एकरूपता रखते हुए 70 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सभी फसलों के समय राजस्थान में कृषि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की गतिविधियां राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आज प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य में खेती करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बरसात की कमी से समूचे राजस्थान का किसान एवं आम इन्सान परेशान है। प्राकृतिक आपदा एवं आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र में खासकर, मैं बताना चाहूंगा, गंगानगर जिले में खेती एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पानी को स्टोर करने के लिए उपयोगी फव्वारा पद्धति, ड्रिप पद्धति को सामयिक व फायदेमंद होने के कारण किसानों को उत्साहजनक अनुदान दिया जा रहा है।

(श्री संतोष कुमार सहारण)
किसान भी बहुत उत्साह के साथ इन सिंचाई पद्धतियों को अपना रहे हैं एवं लाभान्वित हो रहे हैं।

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बागवानी एवं सामान्य खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्दर बागों में तारबंदी हेतु अनुदान का प्रावधान नहीं है, अतः तारबंदी हेतु भी अनुदान का प्रावधान किया जाए। डिग्गी निर्माण के बाद फव्वारा व ड्रिप चलाने के लिए किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली के कनेक्शन देने की जो स्कीम बनाई गई है उसमें कुछ तरमीम करने की आवश्यकता है। बिजली के बिल के अलावा किसान से किसी प्रकार का पैसा वसूल नहीं किया जाए। इसके साथ-साथ सिंगल फेस पांच हार्स पावर तक या थ्री फेस जैसा कनेक्शन किसान लेना चाहे, उसे बिजली दी जाए तथा बिजली भी कम से कम 15 घण्टे देने की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि सौर ऊर्जा चालित पम्प सैट पर 90 प्रतिशत अनुदान देने की दूसरे प्रांतों में जो व्यवस्था है, यहां भी अनुदान पर उपलब्ध करवाएं तो किसान को बिजली की कमी महसूस नहीं होगी तथा बिजली के बिलों में भी अनुदान मिलेगा। आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से समय श्रम एवं धन की बचत होती है परन्तु इनकी कीमत ज्यादा होने से आम किसान इन सारे कृषि यंत्रों को नहीं खरीद सकता है इसलिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर इन कृषि यंत्रों का बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है जहां जरूरत के मुताबिक किसान ये कृषि यंत्र किराये पर लेकर कृषि कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर में कीटनाशक एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की बिल्डिंग दो वर्ष पहले बनी है, एक वर्ष पहले उसमें उपकरण भी आ गए हैं लेकिन प्रयोगशाला अभी तक चालू नहीं हो सकी है। कृपा करके उस प्रयोगशाला को चालू करवाने का कष्ट करें। गंगानगर का इलाका किन्नू उत्पादन में बहुत प्रगति कर रहा है, इसके लिए मेरा सुझाव है कि किन्नू की मण्डी वहां अलग से बनाई जाए तथा वैक्सिंग प्लाण्ट व जूस प्रिजर्वेशन प्लाण्ट बड़े स्तर पर लगाने के लिए किसान को अनुदान व ट्रेनिंग देकर प्रोत्साहित किया जाए। कम पानी से पैदा होने वाली फसलों में अब खजूर की खेती के लिए भी काफी किसान अग्रसर हो रहे हैं। विभाग भी इसके लिए कोशिश कर रहा है। खजूर की खेती या कम पानी वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए

(श्री संतोष कुमार सहारण)

किसानों को विदेश या देश में अधिक प्रशिक्षण के लिए ले जाना चाहिए। इसी प्रकार से कृषि पैदावार आधारित दूसरे कारखाने और लगाए जाएं।

गंगानगर शुगर मिल, जो बहुत पुरानी हो चुकी है, नई मिल के लिए स्थान मिल गया है, कुछ किसानों के साथ जमीन के लिए लिटिगेशन चल रहा है तो मेरा सुझाव है कि उस जमीन के पास जो अनकमाण्ड जमीन पड़ी है, भविष्य की योजनाओं को देखते हुए और ज्यादा जमीन को खरीद लिया जाए और शुगर मिल को चालू किया जाए। गन्ना उत्पादन भी बहुत लाभप्रद उत्पाद है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि नरेगा जब से शुरू हुआ है, मजदूरों के लिए बहुत अच्छी योजना है लेकिन कृषि के अन्दर इससे मजदूरों की कमी आ गई है, कृषि मजदूर मिलने में मुश्किल हो रही है। तो मेरा यह सुझाव है कि नरेगा को कृषि से जोड़ा जाए। किसान को जितने मजदूरों की आवश्यकता है, वह नोट करा दे, शाम को नोट कराए, उसे 5 मजदूर चाहिए, आधा पैसा सरकार दे, आधा पैसा किसान दे। खेती एक नेशनल प्रोडक्शन है, मजदूर को मजदूरी मिलेगी और किसान को खेत में काम करने के लिए मजदूर मिलेगा। मेरा निवेदन है कि इस पर केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाए। धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 700 किलोमीटर मिसिंग लिंक्स हैं जो गांव को गांव से जोड़ने के लिए बहुत जरूरी हैं, मेरा कृषि विपणन मंत्रीजी से निवेदन है कि मंडियां स्वावलम्बी हों व सड़कों-पुलियाओं के रूप में इलाके का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए व्यवस्था करावें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनट।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान पशुधन व उसकी चिकित्सा की आवश्यकताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। पशुधन किसान का शुरू से ही आर्थिक सहयोगी रहा है, पशुधन की जीवन रक्षा के लिए मेरा सुझाव है कि हर पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने का प्रावधान करें। सभी माननीय सदस्यों ने पशुधन को बचाये रखने व तंदुरूस्त रखने के लिए नजदीक से नजदीक पशु चिकित्सा की व्यवस्था का सुझाव दिया है। माननीय सभापतिजी, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, इसे

(श्री संतोष कुमार सहारण)
मजबूत रखने के हर सम्भव सभी प्रयत्न किये जाने की महती आवश्यकता है। आपने समय दिया, आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति जी, आपने मांग संख्या 37 और 39 पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय सभापति जी, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, यहां की 70 प्रतिशत जनता कृषि कार्य करती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में उत्पादित मेहंदी अपनी गुणवत्ता के कारण विश्वविख्यात है। मेहंदी एक पौराणिक औषधि है, आयुर्वेद में निरोगी औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत तहसील में 2320 हैक्टेयर, रायपुर में 3306 हैक्टेयर में मेहंदी की फसल उगाई जाती है। हिन्दुस्तान में सभी फसलों का बीमा हो रहा है लेकिन मेहंदी की फसल का बीमा नहीं होने के कारण यहां के किसानों की हालत खराब है। तेज बारिश होने पर मेहंदी की फसल के अन्दर लट लग जाने के कारण फसल नष्ट हो जाती है। तेज गर्मी के कारण पत्ते सूख जाते हैं जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेहंदी की फसल काटने के बाद खेतों में सुखानी पड़ती है, कटी हुई फसल पर बारिश हो जाने पर फसल खराब हो जाती है व मेहंदी के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। मेहंदी की फसल को वनस्पति जिंस की श्रेणी में लाने के लिए मैंने पूर्व में मंत्रीजी से मांग रखी थी, परन्तु इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बजट में मात्र मेहंदी के कोण को कर से मुक्त किया गया है। मेहंदी की फसल का बीमा नहीं होने के कारण फसल नष्ट होने पर किसानों को सहायता राशि प्राप्त नहीं होती है। इसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। मेहंदी की फसल को वनस्पति जिंस की श्रेणी में लिया जाकर फसल बीमा लागू किया जाना अति आवश्यक है। मेहंदी की फसल की कटाई के समय भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। कई बार फसल को बेचने पर लागत मूल्य भी नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण आज मेहंदी की फसल पर भारी संकट उत्पन्न हो गया है। माननीय सभापति जी, अन्य फसलों की तरह मेहंदी का समर्थन मूल्य भी घोषित किया जाए जिससे मेहंदी के रंग में और निखार आ जाए, किसानों की फसल को उचित मूल्य मिल सके। मेहंदी कटिंग के मजदूरों की संख्या मात्र 35 प्रतिशत है जिसके कारण मेहंदी कटाई के समय एक दिन की मजदूरी 1500 रुपये हो जाती है, जिसके कारण किसानों

(श्रीमती संजना आगरी)

को नुकसान हो रहा है। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस फसल की कटाई के लिए कोई मैकेनिकल प्रोसीजर बनाया जाए ताकि किसानों को बड़ी मात्रा में बढ़ती मजदूरी से भी राहत मिले। ''अ'' श्रेणी की मण्डी घोषित करने के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प/56/कृषि/2/04 दिनांक 25.7.2005 एवं राजस्थान कृषि उपज विपणन नियम, 1963 नियम 3 के तहत डेढ़ लाख रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की है। सोजत कृषि मण्डी की आय 2009 और 2008 में 201.55 लाख रुपये थी जो निर्धारित सीमा से अधिक होने पर भी इस ''अ'' श्रेणी में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। आपसे अनुरोध है कि सोजत में उत्पादित होने वाली मेहंदी की फसल को वनस्पति जिंस की श्रेणी में लेकर फसल बीमा लागू किया जाए, अन्य फसलों की तरह इस मेहंदी का भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और ''ब'' श्रेणी से ''अ'' श्रेणी की मण्डी घोषित कर राहत प्रदान करावें।

माननीय सभापतिजी, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि वर्तमान में पशु चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया अनियमित होने के कारण लगभग 600 पशु चिकित्सक बेरोजगार हैं और दूसरी ओर निरंतर रिक्त पदों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्तमान में 325 पद रिक्त हैं जब कि सरकार ने अपने बजट के अन्दर तो पशु चिकित्सकों की भर्ती की घोषणा की है और माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य द्वारा यह घोषणा भी की थी कि राज्य में 600 पशु चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 16 फरवरी, 2009 के अंक में यह प्रकाशित हुआ है। मेरा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि राजस्थान के बेरोजगार युवा भाई-बहनों को आप गुमराह नहीं करें और आप अपने जवाब में अपना विचार करते हुए सकारात्मक घोषणा करें।

माननीय सभापतिजी, मैं मांग संख्या 39 पर पशु चिकित्सा के बारे में आपको अवगत कराना चाहती हूं कि राजस्थान के 70 प्रतिशत काश्तकार गांव और ढाणियों के अन्दर निवास करते हैं, सरकार ने एक गरीब व्यक्ति को जिसको निम्न श्रेणी के अन्दर रखा है उसको दो रुपये में बीपीएल गेहूं देने की घोषणा की है लेकिन सरकार ने इन मूक पशुओं और गौशालाओं के लिए चारे और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। पूरे राजस्थान का पशुधन जिसके सहारे आज कृषक जिंदा है, नष्ट होने के कगार पर है।

(श्रीमती संजना आगरी)

आपने बजट में पैरा संख्या 129 में बताया कि पशु चिकित्सा व पशुपालन की योजनाओं के लिए पशुपालकों को लाभ दिलवाएंगे, पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करेंगे, सौ नये चिकित्सा उप केन्द्र खोलेंगे। माननीय सभापति जी, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि राजस्थान का काश्तकार अपना जीवनयापन पशुधन पर करता है, आपने अपने बजट भाषण में पशुधन के चारे और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है और न ही कोई प्रावधान किया है, अगर पशुधन ही जीवित नहीं रहेगा तो आपके ये पशु चिकित्सालय क्या काम के?

माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी ने राज्य की जल नीति के अन्दर यह बताया कि जल स्रोतों व पेयजल पर पहला हक मनुष्य एवं पशुधन की पेयजल आवश्यकता पूर्ति का होगा। लेकिन पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था सरकार ने आज तक नहीं की, यह एक चिंता का विषय है। एक आम आदमी अपने लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर सकता है लेकिन पशु पीने के पानी के लिए कहां भटकेगा? मेरे विधान सभा क्षेत्र में पशुधन के अलावा ढाई हजार हरिण हैं, आज पानी की कमी के कारण यह हरिण प्रजाति धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। माननीय मंत्रीजी, राजस्थान में अकाल कोई नई बात नहीं है, भूजल स्तर कम होने के कारण दो-तीन साल के अन्दर यहां अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकाल की स्थिति में राजस्थान की जनता व इसका पशुधन कैसे जीवित रहे, काश्तकारों को फसल का उचित मूल्य मिले और फसल के नष्ट होने पर उन्हें फसल बीमा मिले, काश्तकारों को उचित मूल्य में खाद-बीज उपलब्ध हो और सीमांत काश्तकारों को रियायती दर पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार द्वारा 2009-10 के लिए बीटी कपास के बीजों के विक्रय दरें पड़ोसी राज्यों से अधिक निर्धारित की गईं, फलस्वरूप राजस्थान के काश्तकारों को अन्य राज्यों की अपेक्षा आर्थिक हानि उठानी पड़ी।

यह सरकार शुद्ध के लिए युद्ध कर रही है, लेकिन यह कैसी संवेदनशील सरकार है जो अपने बजट भाषण में राज्य के पशु धन को बचाने के लिए चारे और पानी की व्यवस्था नहीं कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वह स्वयं पड़ोसी राज्यों से चारा खरीदकर प्रत्येक ग्राम सहकारी समितियों को रियायती दर पर उपलब्ध कराए और पशुओं के लिए पीने के पानी की अलग से व्यवस्था करे क्योंकि इसमें सेण्ट्रल गवर्नमेंट होती भी

(श्रीमती संजना आगरी)

अपना फण्ड यहां पर भेजती है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे सोजत क्षेत्र में उत्पादित मेहंदी को जिंस में लेकर मेहंदी फसल बीमा लागू करने, पशु चिकित्सकों की भर्ती करने, पशुधन के लिए चारे एवं पानी की अलग से व्यवस्था हो, इस सम्बन्ध आप अपने जवाब में विचार करके सकारात्मक घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल मीणा। श्री रामलाल जी मेघवाल।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 एवं 39 पर आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और सदन में विराजमान सभी माननीय सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में कृषि और पुशपालन के सम्बन्ध में जो कल्याणकारी योजना की घोषणा की है, वह बहुत ही सराहनीय है, किसानों के हित की है, खेती मजदूरों के हित की है और पशुपालकों के हित की है। बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और मेरी बहन ने यह बताया कि मुख्य मंत्रीजी ने दो रुपये किलो गेहूं की घोषणा कर दी लेकिन पशुओं के लिए कोई घोषणा नहीं की। पशुओं की गौशाला के लिए या पशुओं के लिए चारा परिवहन में 50 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की है। पशुओं के लिए जो सबसे ज्यादा घोषणा की है वह पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करना, औषधालय केन्द्र खोलना है। एक इन्सान जब बीमार होता है तो उस इन्सान को अपन रेल, एरोप्लेन या कार में बिठाकर मुम्बई, चेन्नई या दूर-दूर तक ले जाकर उसकी बीमारी का इलाज करवाते हैं, लेकिन पशुधन न तो बोल सकता, न कह सकता। उसके लिए क्षेत्र में सुविधाओं की जरूरत है और इन सुविधाओं की तरफ मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ध्यान रखा है, कृषि मंत्री जी ने, पशुपालन मंत्रीजी ने ध्यान रखा है। राजस्थान में पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने और नये पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान रखा है, यह सबसे बड़ी बात है। इसमें पशुओं का इतना ध्यान रखा गया है कि इससे ज्यादा किसी ने ही नहीं रखा है।

कृषि के सम्बन्ध में पैदावार के बारे में फर्मा रहे थे, सभी विधायक कहते हैं। लेकिन काश्त कैसे होती है, खेत मजदूर, काश्तकार किस ढंग से काश्त करता है, सभी माननीय सदस्यों के पास बहुत बड़ी-बड़ी जमीन, फार्म होंगे लेकिन उसमें जो काम करते हैं वो छोटे किसान होते हैं जिनको पांती पर फार्म दिये जाते हैं। उसी को मालूम है कि किसान का हित क्या है या किसान

(श्री रामलाल मेघवाल)

कैसे काम करते हैं। खाद के बारे में जो बातें हुई हैं, अपन सब इसी अंग्रेजी खाद के बारे में बात करते हैं। अपन गोबर खाद की बात नहीं करते, जैविक खाद की बात नहीं करते। जैविक खाद और गोबर खाद से अनाज पैदा होता है वह अनाज ताकतवर होता है, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो। सरसों का वह तेल अलग ही हिसाब का होता है और गेहूं खाने में बहुत ताकतवर होता है। दूसरे उर्वरक, यूरिया से गेहूं पैदा किया जाता है उससे अपने शरीर का भारीपन होता है, शरीर में ताकत नहीं होती और शरीर खोखला होता है। इसलिए अपन सभी मिलकर के जो उन खाद की पैरवी करते हैं, अपन गोबर खाद और जैविक खाद का प्रयोग करें तो उस खाद से जो पैदावार होगी वह अंग्रेजी खाद से नहीं होगी। वास्तव में जो काश्त करते हैं उन लोगों से पूछा जाए। अपन तो यहां सिर्फ भाषण देने आते हैं, भाषण देते हैं और भाषण की बातों में सोचते हैं कि अपन ऐसा बोलें ताकि अपनी तरफ लोग देखें। वास्तविक रूप से काश्तकारों की जो समस्या है उसके सम्बन्ध में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को मेरा सुझाव देता हूं कि किसान की सबसे ज्यादा जरूरत आज बिजली है क्योंकि वाटर लेवल बहुत ही नीचे चला गया है, पीने के लिए, फसल को पिलाने के लिए अगर अपने को बेरे से पानी पीना है और वो निकालना है तो बिना बिजली के वह नहीं निकलेगा। उसके लिए बिजली की जरूरत है। किसानों के हित में 5 साल बिजली का बिल नहीं बढ़ाने की तो घोषणा की है लेकिन किसानों के हित में दूसरी जरूरत यह है, जैसे अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि जब बिजली चालू करते हैं तो 3-4 मिनट पानी बाहर नहीं आता है। गहराई से पानी खींचने में मोटर को ताकत पड़ती है और मोटर को ताकत पड़ने से वोल्टेज बढ़ जाता है। ए.ईएन., जे.ईएन. उसको चैक करके हार्स पावर बढ़ाकर उनके हाथ में शीट भरकर बिल थमा देते हैं, उस बिल से काश्तकारों को बहुत भारी नुकसान होता है। इसलिए उसके प्रावधान में यह संशोधन किया जाए कि 10-15 हार्स पावर की मोटर है और वोल्टेज की वजह से नीचे से पानी खींचने में वोल्टेज बढ़ता है तो उसमें शीट नहीं भरी जाए।

सभापति महोदय, पशुओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर में विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा असंख्य गौशालाएं संचालित की जा रही हैं जिनमें सायला, मूंडवा, रेवतड़ा, खरल, पातेड़ी एवं आलासर गौशाला मुख्य है। सायला गौशाला का भूमि पूजन तत्कालीन

(श्री रामलाल मेघवाल)

राज्यपाल एवं वर्तमान में राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल के कर कमलों के द्वारा किया गया था। सभापति महोदय, अलग-अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा किये जाने वाला यह कार्य परमार्थ का कार्य है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बैल, घोड़े, भैंस, गाय, भेड़-बकरी, बहुत ही अच्छी नस्ल के पशु हैं उनको बीमारी से बचाने के लिए पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर, तहसील हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का प्रावधान है। इधर अच्छे मवेशी हैं तो उन मवेशियों के लिए मैं पशुपालन मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पशु चिकित्सालय हैं उनको 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत करने की व्यवस्था करें जिससे अच्छी नस्ल के पशुओं को बीमारी से बचाया जा सके। जैसे बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, उसी प्रकार से उन घोड़ों को, उन ऊंटों को, भैंस, बकरी, गाय-बैल, उनकी भी टीकाकरण की व्यवस्था करवाई जाएं ताकि उनको आने वाली बीमारियों से मुक्त रख सकें। माननीय सभापति महोदय, आपने इन दोनों मांगों पर बोलने का जो समय दिया, मैं एक और निवेदन करता हूं...

श्री सभापति: धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य का।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): मौसमी बीमारी के सम्बन्ध में एक मेरा सुझाव है। मौसमी बीमारी के सम्बन्ध में उसमें प्रावधान किया हुआ है, ओले गिर जाएं तो उनको मुआवजा दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा सुझाव है कि जो ईसबगोल की फसल होती है, ठंडी हवा जब चलती है तो ठंडी हवा से भी फसल बिलकुल बर्बाद हो जाती है। बारिश होती है तो बारिश और तेज हवा चलती है उसको ओलों की दृष्टि से मानकर उसमें यह प्रावधान किया जाए कि बारिश होने पर उनको फसल नष्ट का मुआवजा दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि लगभग 18 माननीय सदस्यों को अभी और अपने विचार व्यक्त करने हैं। सदन तो रात को तीन बजे तक भी चला, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कल रामनवमी का बहुत बड़ा त्यौहार है, कई माननीय सदस्यों को क्षेत्र में जाना भी है इसलिए मैं पुन: निवेदन करूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए विषय पर सीधा आकर आप बोलने की कृपा करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। श्री बाबू सिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व गुरु भी है और इसमें घी-दूध की नदियां बहती थीं। घी-दूध की नदियां तब बहती थीं जब हमारे गांवों में, खेतों में गौ-वंश, भैंस-वंश, भेड़-वंश, बकरी-वंश, उष्ट्र वंश व अन्य पशुधन बहुतायत से था। उससे घी भी होता था, दूध भी होता था और उससे जो खाद होती थी, उससे अच्छी खेती होती थी, खेती का अच्छा उत्पादन होता था। माननीय सभापति महोदय, अब तो घी-दूध की नदियां नहीं बहतीं, अब तो सिंथेटिक दूध और सिंथेटिक घी की नदियां बहती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर 246 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति और राजस्थान के अन्दर 408 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति मिलता है, लेकिन आने वाले समय में, देश में प्रदेश का हिस्सा 10 प्रतिशत है इसलिए आने वाली 21वीं सदी में 50 ग्राम ही दूध मिलेगा, ये हालात हो रहे हैं। मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, गौ हमारी माता है, गायों की जिस प्रकार से तस्करी हो रही है, उष्ट्र वंश की जिस प्रकार से तस्करी हो रही है, उसको रोका जाना चाहिए। खास तौर से गायों के लिए इस विधान सभा के अन्दर एक संकल्प लाना चाहिए सर्वसम्मति से और केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, यह मेरी विशेष मांग रहेगी।

इसके साथ-साथ गायों के विशेष नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के आधार पर, देशी नस्ल की संवर्धन तकनीक के आधार पर कामधेनु योजना चलाई गई जिसमें थारपारकर, राठी, गिर, कांकरेज देशी वंश को लिया गया है। ब्रीड कन्फर्मेशन, स्पर्म सलैक्शन और मल्टीप्लाई ओवलेशन एण्ड इम्ब्रिशन की इस परियोजना की अवधि 2008 से 2012-13 थी, जिसमें 28.20 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। बीकानेर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को तीन गायें राठी, कांकरेज और थारपारकर दी गई थीं और बीकानेर को गिर गाय दी गई थी। यह परियोजना ठंडे बस्ते में है, इस परियोजना को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे उत्तम नस्ल की गायें हमारे गांव और ढाणियों में दूध उत्पादन के लिए मिल सकें। यह जो परियोजना है इसको बहुत आगे बढ़ाये जाने की जरूरत है। इसी प्रकार 2004-2005, 2006 और 2008-2009 में कई योजनाएं राजस्थान सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने चलाई थीं- अविका कवच, अविका पाल, अविका रक्षक, 2005-2006 में कामधेनु बीमा योजना, गौ-पालक, गौ-रक्षक और 2008-2009 में ऊंट बीमा, पालक रक्षक, भैंस बीमा योजना। अब

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

इन योजनाओं का क्या होगा? जब से यह सरकार आई है, इस सरकार ने दुग्ध अक्षय बीमा योजना को 22 जिलों में शुरु किया है, बाकी इन 11 जिलों का क्या होगा? माननीय सभापति महोदय, यह योजना मात्र दुधारू गाय व भैंस के लिए है, लेकिन शेष जो पशु हैं, उनके लिए भी इस योजना को लागू किया जाना चाहिए, यह मेरी विशेष आपसे मांग रहेगी।

इसी प्रकार से मिल्क रिकार्डिंग स्कीम, इसको भी प्रभावी किया जाना चाहिए। काल फोर हियरिंग स्कीम के अन्दर मुरा बफेलो हमारे पास कुम्हेर में 50 हैं, नगर में 40 हैं, नागौरी गाय 10 हैं, गिर 31 हैं, कुल 41 गायें हैं तो आगे ऐसे कैसे काम चलेगा? इन गायों को बचाने की जरूरत है। वैसे ही बुल डिस्ट्रीब्यूशन फोर नेटूर सर्विस, मात्र 100 दिये जाते हैं, 100 से राजस्थान में क्या कमी पूरी होगी? इसी प्रकार से किसानों के घर बछड़ा पालन योजना भी शुरू हुई है, इसका क्या होगा? इसको भी प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि उच्च कोटि की नस्ल जैसे राठी, थारपारकर, नागौरी बैल व गाय, गिर, हरियाणा व मालकी इन गायों को अब निजी सहभागिता के आधार पर शुरू करें। पौष्टिक चारा, पौष्टिक आहार देकर कृषि फार्मों में रखकर इनका ब्रीड सुधार किया जाना चाहिए और उनको दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से भेड़ प्रजनन, जमनापुरी बकरा प्रजनन, जखाना, सिरोही और मारवाड़ी ऊंट व ऊंट से बाल, भेड़ का ऊन, इन सबको बढ़ावा निजी सहभागिता में देकर इनके नस्ल सुधार को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

पशु शिविर के अन्दर अभी गायों को लिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही बकरी, भेड़, ऊंट व अन्य पालतू पशुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऊंट तो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है और ऊंट वंश का जो दूध है, उस दूध से शरीर बलवृष्ट होता है। अब तो यह सैद्धांतिक सहमति हो गई कि वास्तव में जो हृदयाघात के रोगी हैं, उनके लिए भी उष्ट्र वंश का दूध बहुत उपयोगी हो रहा है। उसकी भी रक्षा की जानी चाहिए। उसकी तस्करी होती है और पांच सितारा होटलों के अन्दर इसका मांस बूचड़खाने से कटकर जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है।

सभापति महोदय, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, बांझपन निवारण, पशुओं के लिए जर्म पायजन केन्द्र नावां और जोधपुर में चालू किया था,

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने भी इसका उद्‌घाटन किया था। इसको अभी सरस डेयरी चला रही है लेकिन इसमें अभी गति नहीं मिली है। मैं चाहूंगा कि जो गर्भधारण है, गायों का कृत्रिम सांडों के द्वारा वीर्य लेकर कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, कांटे की तारबंदियां हैं उससे कांटे में फंसकर हमारे पशु मर रहे हैं। हमारे उद्यान और बगीचे को बढ़ावा दिया जा रहा है, सऊदी अरब अमीरात के खजूर की खेती और जैतून की खेती हमारे यहां मरुस्थलीय क्षेत्र में कामयाब हो रही है तो जालीदार फैंसिंग की जरूरत है। उसमें किसानों को सब्सिडी दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा फैंसिंग होगी और कांटेदार जालबंदी में पशु फंसेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। इसी तरह से थाइलेरिया और ओवरसेरिया बीमारी स्थानीय गायों में भी फैल रही है, उसके लिए भी समय रहते इलाज की जरूरत है।

सभापति महोदय, पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय में पद रिक्त हैं, जिस प्रकार से स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर, भ्रमणशील चिकित्सा शिविर चलाये जाते हैं, उसी प्रकार मोबाइल चिकित्सा शिविर, पशु शिविर भी चलाये जाने चाहिए जिससे गायों में, पशुओं में होने वाली बीमारी को रोका जा सके।

इस मांग के अन्दर पशु चिकित्सालय भी है, मेरे यहां बावरली, दुगर, डेरिया, गड़ा, जाटी, भाण्डू, जिनजिनयाला कलां, ठाडिया, उटाम्बर, लोड़ता, अचलावता, बिराई, इनमें पशु चिकित्सालय खोलने की लम्बे समय से मांग आ रही है, मैं भी मांग करना चाहूंगा। पशु मेला चाहे ग्राम पंचायत पर हो, चाहे पंचायत समिति स्तर पर हो, कृषि विभाग के उच्च अधिकारी जाकर वहां कैम्प करें और खास तौर से वहां आफिस खोलकर सारी जानकारी दी जानी चाहिए। दुधारू पशु जितने होते हैं उन पशुओं की सेवा की जाती है लेकिन जब वे दुधारू नहीं रहते हैं तो उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि पौष्टिक आहार, सस्ते भाव का चारा, हरा चारा उनको दिया जाए जिससे पशु रूक सकें। दुग्ध सहकारी समितियों की प्रत्येक ग्राम पंचायत की जो घोषणा है, वह अभी तक नहीं हो पाई है। अगर दुग्ध सहकारी समितियां बन गईं और जो दूध पैदा हो रहा है वह दूध अगर दुग्ध सहकारी समितियों से बिकने लगा तो गाय का ठहराव होगा और हमारा पशु बचेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें भी व्यवस्था किये जाने की जरूरत है।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

अभी बजट के अन्दर रिक्त पद के लिए सौ पशु चिकित्सकों की भर्ती की घोषणा की गई है, सभापति महोदय, अभी पशु चिकित्सालयों में 325 पद रिक्त हैं, सौ पद भर जाएंगे तो भी 225 पद और रहेंगे। उसमें भर्ती के लिए आज 600 पशु चिकित्सक तैयार हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें सारे पद खाली हैं वे भरे जाने चाहिए। विभाग के दूसरे पद भी खाली हैं- पशुधन सहायक, पशु चिकित्सक, पशु सहायक, जितने पद रिक्त हैं उन सब को भरा जाना चाहिए, यह मेरी खास तौर से आपसे मांग रहेगी। केन्द्र सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का काफी योगदान है। कृषि का शोध हो, कृषि का प्रशिक्षण हो, इसके लिए हमारी लम्बे समय से मांग रही है कि जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय की जरूरत है, आने वाले समय में जोधपुर के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय खोला जाता है तो इस समस्या का समाधान होगा। ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक वातावरण में आये हुए बदलावों के कारण खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ है, विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन घटा है, केन्द्र सरकार से गेहूं का समर्थन मूल्य 1100 रुपये है, राजस्थान सरकार को अपनी तरफ मिला कर समर्थन मूल्य 1500 रुपये देना चाहिए। दूसरे खाद्यान्नों में जो समर्थन मूल्य है, जो केन्द्र से लागू होता है, उसमें राजस्थान सरकार द्वारा और मिलाकर समर्थन मूल्य दिया जाएगा तो हमारे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न की जो समस्या है, अभी जिम्बाब्वे का मैं अख़बार के अन्दर पढ़ रहा था, अभी थोड़े दिन पहले ही एक बूढ़ा हाथी मर गया, वह छह टन और तेरह फीट लम्बा था, जब आस-पास के गांवों के लोगों को सूचना मिली तो आधे घंटे के अन्दर ही मांस नोच कर सारे ले गये। मतलब भुखमरी की जिम्बाब्वे के अन्दर यह हालत है। ये हालात ही आने वाले समय में अपने लिए चुनौती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो किसान हित की बात करेगा, वही राज करेगा। किसान के लिए ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान हम कर सकें, यह आज की महती जरूरत है।

बस थोड़ा-सा, दो मिनट मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना वास्तव में अभी सही ढंग से नहीं हो रही है, न राष्ट्रीय फसल बीमा सही ढंग से हो रही है। तहसील मुख्यालय पर जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वे खराब हैं, जिला मुख्यालय पर लगे हैं उससे आकलन हो रहा है, हम चाहेंगे कि ग्राम पंचायत को इकाई इसलिए मान कर राष्ट्रीय फसल बीमा, मौसमी फसल बीमा लागू की जानी चाहिए।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर जीरा मण्डी को विकसित करने की पिछले तीन-चार साल से घोषणा की जा रही है। आज गुजरात के अन्दर बहुत ज्यादा बड़ी मण्डी, ऊंझा मण्डी चल रही है और राजस्थान का जीरा सारा गुजरात जा रहा है। इस मण्डी में दो साल तक अगर टैक्स और वैट नहीं लिया जाए तो हमारी जीरा मण्डी विकसित होगी जोधपुर की। वहां न तो दुकानें अलाट हुई हैं, न जीरा मण्डी अलाट हुई है। उसको खास तौर से आगे बढ़ाये जाने की जरूरत है।

किसान जीवन कल्याण योजना को आपने राजीव गांधी कृषक साथी योजना में परिवर्तित किया है, इसमें राशि एक लाख को बढ़ा कर दो लाख, अपंग को पचास हजार से बढ़ा कर एक लाख किये जाने की जरूरत है। किसान सेवा केन्द्र जो जिला मुख्यालय पर हैं, ये ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होने चाहिए। कृषि विपणन मण्डी से किसानों के लिए गांव के अन्दर भी प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने चाहिए, यह मेरी खास तौर से मांग रहेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, इनका तो क्षेत्र अकालग्रस्त रहता है, न तो गेहूं होता है, न जीरा होता है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): कितना होता है, यह पडा मेरे पास। कृषि पर्यवेक्षक हमारे पास दो हैं..

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप बताइये, आपको.. (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूरे जोधपुर के अन्दर सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन है, 60 कृषि पर्यवेक्षक हैं। राजसमंद के अन्दर 120 हैं। सहायक कृषि निदेशालय कार्यालय नहीं है। ये आंकड़े पड़े मेरे पास।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): शेरगढ़ पंचायत समिति को फसली बीमा के अन्दर कितना ज्यादा पैसा....

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): शेरगढ़ के अन्दर सबसे ज्यादा जीरा पैदा हो रहा है, ये मेरे पास आंकड़े पड़े हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सबसे ज्यादा पैसा हमने दिलाया था शेरगढ़ के अन्दर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री ओम जोशी।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनता और लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सौ जन प्रतिनिधि इस सदन में, इस पवित्र सदन में विभिन्न प्रकार के नीतिगत निर्णय सुझावों के माध्यम से लेते हैं और आज इसी संदर्भ में वर्ष 2010-2011 के बजट की मांग संख्या 37–कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन के विषय में बात हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और हमारे माननीय कृषि मंत्रीजी, कृषि विपणन मंत्रीजी, यहां तक कि अन्य हमारे विराजे राजस्व मंत्रीजी और जल संसाधन मंत्रीजी सभी गांव के धरातल से जुड़े हुए महानुभाव हैं, इनको गांव, गरीब और किसान की पीड़ा की भली-भांति जानकारी है। जब राज्य की वर्तमान सरकार नीतिगत निर्णय लेती है तो देखती है कि गरीब के लिए, किसान के लिए किस तरीके से योजनाओं को लागू किया जाए, योजनाओं की स्वीकृति दी जाए जिससे कि आम किसान जो कि खेती जैसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर रहा है, वह लाभान्वित हो सके। 2009 और 2010 में विभिन्न प्रकार के लिये गये नीतिगत निर्णयों का न केवल लोगों को लाभ मिला, बल्कि उनका वृहत् स्तर पर क्रियान्वयन करके यह

(श्री ओम जोशी)

साबित कर दिया कि वर्तमान सरकार किसान हितैषी, गरीब की हितैषी और खेती को बढ़ावा देने वाली, पशुपालन को बढ़ावा देने वाली सरकार है। हमारे जैसलमेर क्षेत्र में, टेल एन्ड में जहां इंदिरा गांधी नहर का पानी जाता है, वहां पानी के संग्रहण की महती आवश्यकता रहती है, पहले करीब एक हजार डिग्गी बनाने और उसमें डेढ़ लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान था उसको वर्तमान बजट में बढ़ा कर दो हजार डिग्गी का निर्माण और दो लाख रुपये की जो राशि की गई है, वह स्वागत योग्य है, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है, सदैव बरसात की कमी रहती है, सूखा हमारे लिए पर्याय बन गया है। ऐसे हालात में किसान को किस तरीके से लाभ हो, किसान की फसल जब नष्ट हो जाए तो उनको कैसे राहत मिल सके, इसके लिए मौसम बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का महती कदम उठाया गया है। इन योजनाओं में गत बजट की चर्चाओं में कई बातें, कई शंकाएं, कई समस्याएं आई थीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन सभी पर गौर फर्मा कर नये तरीके से मौसम बीमा योजना को लागू किया है और उसका उदाहरण है कि करीब तीन सौ वैदर स्टेशन इसरो के माध्यम से स्थापित किये गये हैं जो कि इस मौसमी फसल बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायक सिद्ध होंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में इस वर्ष भी भयंकर सूखे और अकाल की स्थिति है, खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है, 27 जिलों में जबरदस्त अकाल के हालात बने हुए हैं, ऐसी हालत में कैसे किसान को राहत मिले, उनको किस तरीके से मुआवजा मिले, इस बात का सोच रखा गया है। केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज कर प्रति हैक्टेयर दो हजार और अधिकतम दो हैक्टेयर तक रखते हुए करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की है, मैं उस व्यवस्था का स्वागत करता हूं।

(समय : 19.00 बजे)

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, कृषि उपज मण्डी के माध्यम से जो जन प्रतिनिधि चुन कर जाता है, उसमें महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत का जो प्रावधान स्वीकृत किया है, मैं इसके लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का

(श्री ओम जोशी)

हार्दिक आभार फलौदी की जनता की ओर से व्यक्त करना चाहता हूं। फलौदी एक बढ़ता हुआ कृषि क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पांच हजार के आसपास नलकूप के माध्यम से सिंचाई हो रही है और खेती बड़े स्तर पर होनी प्रारम्भ हो गई है। अभी हमारे शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जीरे की बात कर रहे थे, यह एक संयोग की बात है कि हमारे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जीरा, सूरजमुखी, ईसबगोल का उत्पादन हो रहा है। आवश्यकता थी कि इस उत्पादन की किसान को पूरी लागत मिले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस समस्या की ओर गौर फर्माते हुए फलौदी की गौण कृषि उपज मण्डी को पूर्ण कृषि मण्डी, अनाज एवं फल सब्जी मण्डी घोषित करते हुए उसके बोर्ड का मनोनयन किया। अगस्त माह में ही बोर्ड ने विधिवत् रूप से काम करना चालू कर दिया और सड़कें बनाने का काम भी चालू कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संवेदनशील और जवाबदेही सरकार के मन में हर उस व्यक्ति के प्रति सम्मान है जो समाज के लिए कुछ कर गुजरता है।

मैं अब जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं वह अत्यन्त ही संवेदनशील है। आईएएस अधिकारी स्वर्गीय एस एन थानवी जी हमारे यहां फलौदी के थे, उनका अचानक हृदय गति रुकने से देहावसान हो गया। वह हमारे फलौदी के लाड़ले थे, उन्होंने न केवल फलौदी, जोधपुर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए नए आयाम स्थापित किए थे। ऐसी अपनी सोच को बताया था जिससे साबित होता था कि वह जो निर्णय लेते थे उसमें एक सकारात्मक भूमिका होती थी। फलौदी कृषि उपज मण्डी ने अपनी प्रथम बैठक में माननीय थानवी जी के नाम से उस कृषि उपज मण्डी को घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास प्रेषित किया जा चुका है और माननीय मंत्री महोदय ने उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अग्रिम कार्यवाही चालू कर दी है। मैं आशा करता हूं कि अति शीघ्र उस मण्डी का नामकरण होगा।

माननीय सभापति महोदय, करों में जो राहत दी गई है वह बहुत बड़ा निर्णय है। 1 प्रतिशत कम करते हुए जो जनहित में दलहन में छूट दी गई है, यह अति महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो नवीन कृषि उपज मण्डी स्थापित की गई है उसमें सचिव पदस्थापित हो चुका है, लेकिन अन्य पद स्वीकृत होने के बाद भी रिक्त पड़े हैं, उनका पदस्थापन आवश्यक है। हालांकि कम से कम सुविधा में भी वहां के स्टाफ द्वारा जो काम

(श्री ओम जोशी)

किया जा रहा है वह श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि किसानों को कोई हक नहीं मिल रहा था। आज वहां किसान अपनी फसल को लाते हैं, बाकायदा नीलामी लगती है और जो लाहड़े के भाव 2100 रुपए थे, वे 2300 रुपए तक जाने लग गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है लेकिन कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर पानी की कमी की वजह से कृषि अधिकारियों की आवश्यकता नहीं रहती है। नए पदों को नहीं बढ़ाते हुए ऐसे क्षेत्र से जहां पर इन कृषि अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है, उन सभी अधिकारियों को बढ़ते किसी क्षेत्र में अगर पदस्थापित किया जाता है तो किसानों को इसका लाभ होगा। हमारे किसान उनके मार्गदर्शन में नई-नई तकनीक प्राप्त करते हुए अपने उत्पादन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

श्री सभापति: सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्री ओम जोशी (फलौदी): पशुपालन के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आत्मा योजना के तहत कृषकों का चयन करके उनको पुरस्कार देने का जो निर्णय किया है, वह अति महत्वपूर्ण निर्णय है। पशु चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि फलौदी क्षेत्र में लोहिड़िया में पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाए, बाप के पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया जाए और स्थिति के अनुसार करीब दस ऐसे स्थान हैं जहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक विशेष बिन्दु का आपके समक्ष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजीव गांधी ग्रामीण सेवा केन्द्र जो स्थापित किए गए हैं एक पंचायत समिति स्तर पर 25 लाख रुपए से और ग्राम पंचायत स्तर पर 10 लाख रुपए से, इन केन्द्रों के माध्यम से आईटी क्षेत्र में विस्तार होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): ग्राम पंचायतों में और पंचायत समिति में किसान बैठकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेगा और विभिन्न प्रकार के भावों की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी जोधपुर में पिछले महीने में शानदार एक कृषक मेला आयोजित किया गया था, उसमें पधारे। उस कृषक मेले में विभिन्न प्रकार की योजनाओं से

(श्री ओम जोशी)

किसानों को अवगत कराया गया। विभिन्न पशु चिकित्सालय, पशुओं के सम्भालने की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही हमारे कृषि विपणन राज्य मंत्री ने 'अ' श्रेणी कृषि मण्डियों में किसानों को गर्म भोजन अनुदानित दरों पर कैसे मिले, इसकी घोषणा की और वह मिल रहा है, मैं उसके लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो आप।

श्री ओम जोशी (फलौदी): आपने मुझे कृषि विषय पर बोलने का मौका दिया है, एक और सरकार की जो विशेष कार्य क्षमता है उसकी बात बताता हूं। कल मैंने प्रश्न के माध्यम से पशु शिविर खोलने की बात कही थी, पशुओं के प्रति, मूक पशु के प्रति सरकार कितनी चिंतित है, उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। कल इस बात को मैंने उठाया और आज पशु शिविर खोलने के आदेश मेरे पास प्राप्त हो गये हैं। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सूरजभान जी धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: आपको मुख्य अतिथि के रूप में जाना भी है।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): हां, थोड़ा शार्ट में ही बोलूंगा। हमारा देश और प्रान्त दोनों ही कृषि प्रधान हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी ने एक नारा दिया था जय जवान, जय किसान। जवान की अगर ठीक से देखभाल और उसको सुविधा दी जाएगी तो हमारा पूरा देश सुरक्षित रहेगा। किसान को अगर हम सहूलियत देंगे और बिजली, पानी, खाद देंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान खुशहाल होगा जिस पर अर्थ-चक्र टिका हुआ है। इसमें सबसे पहले बिजली की समस्या आती है कि कनेक्शन नहीं मिलते। कनेक्शनों के लिए कई-कई साल डोलना पड़ता है। उसके कारण बिजली चोरी करने के लिए झम्पर डालता है, वीसीआर भरी जाती है। नहीं करता है तो उसकी खेती नष्ट होती है। इसलिए बिजली के कनेक्शन में ज्यादा साल नहीं लें, विदिन ए इयर या कोई सीमा समय के अनुसार कर देनी चाहिए। ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, काफी दिनों तक उसकी एफआईआर दर्ज

(श्री सूरजभान धानका)

नहीं की जाती। एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी फसल नष्ट होती है। बिजली मिलेगी तो पानी की भी पूर्ति होगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसान बिजली चलाकर जाता है और तुरन्त चली जाती है तो वह पानी पहुंच नहीं पाता है। बिजली जितनी दी जाए उतनी है तो पानी की पूर्ति होगी। बीज, खाद में जितना ज्यादा यूरिया का उपयोग हो रहा है उससे हमारी खेती में खार पैदा हो रहा है। कृषि विभाग वालों ने बताया था, पहले 6 से 7.50 एचपी हो गया जिसकी वजह से जमीन में इतना खार हो गया कि चने पैदा होने से रह गये। गोबर की खाद भी खुले में न डालें, उसके लिए हमारे कृषि विभाग ने पीछे एक खड्डे की नीति अपनायी थी। उसके लिए दो डीएपी के कट्टे देते थे तो उससे खाद पैदा होता था। मैंने भी प्रयोग किया है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। बाजरे की किस्म तो इतनी अच्छी हुई थी कि कृषि विभाग वाले वहां इनाम देने आये थे। खाद, बीज समय पर हमारी कोआपरेटिव सोसायटीज देवें। मैंने पीछे देखा है कि जब फूल आ जाते हैं तो ये कहते हैं कि बीज ले जाओ। तो बीज भी समय पर उपलब्ध करवाएं। फसल को बेचने के लिए कृषि उप मंडियों का होना जरूरी है। मेरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है राजगढ़, जहां कुछ मकान और वो तो बना कर छोड़ दिये लेकिन वो चालू नहीं हुए। कृषक अगर अलवर जाते हैं तो पचास-साठ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहां बेचते हैं तो शोषण के शिकार होते हैं। मैं शार्ट में बोल रहा हूं, साहब, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

पशु किसान का मित्र है, आमदनी का जरिया है। उसके इलाज के लिए पंचायत हैडक्वार्टर पर ज्यादा खर्च नहीं आता, इसमें कहीं एडमिशन के लिए बैड वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। एक मकान में लगा कर एक पशुधन सहायक छोड़ दें। आदमी को हम किसी भी कन्वेंस से ले जा सकते हैं लेकिन पशु को ले जाना बहुत भारी पड़ता है। बहुत टाइम लगता है, पैसे लगते हैं। तो उसके इलाज के लिए छोटे-छोटे उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दें ज्यादा बड़े की बजाय। जो बता रहे थे कि वृद्धि कर रहे हैं और बड़े उच्चीकृत कर रहे हैं, उसके बजाय छोटे ज्यादा खोलें ताकि लोग-बागों को सुविधा मुहैया हो सके।

दूसरा, हमारे किसानों को मैंने देखा है, अग्निकांड में भैंस वगैरह जल जाती है तो उसके बारे में भी, एक किसान की पचास-साठ हजार की भैंस मर जाती है तो उसको उचित लाभ मिले। मैं इसको कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और सभी को नवरात्र के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। राम-राम।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर है और कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है, इस बात से सभी हमारे यहां पधारे हुए माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं। 2010-11 में राज्य सरकार द्वारा कृषि में अलाटेड बजट से इस क्षेत्र में सुधार पर मैं अपनी बातें रखना चाहूंगा। बजट 2010-11 में राज्य सरकार ने कृषि व सम्बद्ध योजनाओं के लिए 1348.15 करोड़ रुपये अर्थात् 5.6 प्रतिशत राशि व्यय करने की बात की, जो विगत वर्षों की तुलना में 31.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को। किसी भी बजट में इतनी बड़ी कृषि के लिए बढ़ोतरी करना अच्छी बात है, परन्तु, सभापति महोदय, आज भयंकर अकाल और महंगाई की मार झेल रहे हमारे किसान किस प्रकार दुःखी और बदहाल हैं, उसके लिए राज्य सरकार को और ज्यादा ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, नीति अपनानी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के 27 जिलों की 191 तहसील और 33464 गांव अभावग्रस्त हैं, सूखे की मार झेल रहे हैं। लेकिन हमारी राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में इन सबको अभावग्रस्त घोषित करके भू-राजस्व वसूली और आबियाना शुल्क सिर्फ स्थगित कर दिया, माफ नहीं किया, यह बड़ा अन्याय यहां पर राज्य सरकार कर रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आबियाना वसूली सरकार ने स्थगित की है, इसको पूर्णतया माफ किया जाए। अन्यथा आने वाले समय में भगवान ने सुख रखा और किसानों की बदहाली खुशहाली में बदल जाएगी, उस समय राज्य सरकार ये सारा का सारा आबियाना वसूली का काम किसानों पर बोझ के रूप में डाल देगी। किस प्रकार डालेगी? उनसे ब्याज वसूल करके। और जो किसान ब्याज नहीं देगा, आबियाना नहीं देगा उसकी पानी की बारी काट दी जाएगी। वो पानी की बारी जो राज्य सरकार हाल में देने में विफल रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कृषि मंत्रीजी से कि इस आबियाना वसूली को, इस शुल्क को पूर्णतया माफ किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड तथा राज्य विकास योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग ने उद्यानों को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को परम्परागत खेती से दूर हट कर अन्य फसल, बाग़ और फल लगाने के लिए जो प्रोत्साहन पैकेज दिये, उसके अन्तर्गत मेरे क्षेत्र नोहर की तहसील नोहर और भादरा में लगभग पांच सौ से

(श्री अभिषेक मटोरिया)

छह सौ बीघा में अनार के बाग़ लगवाये गये। एक काश्तकार का एवरेज दस से पन्द्रह लाख का खर्चा इसमें हुआ जो कि सत्तर से पचहत्तर प्रतिशत बैंक से ऋण के रूप में लिया गया था। माननीय सभापति महोदय, 3 वर्षों की सार सम्भाल और कड़ी मेहनत के बाद जब ये बाग़ फ्रूटिंग स्टेज पर आये तो, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनमें बैक्टीरियल ब्लाइट नामक बीमारी लग गई और दोनों जिलों में नब्बे प्रतिशत बाग खराब हो गये। इसी के चलते महाराष्ट्र और जयपुर की विशेषज्ञ टीम ने इनका मुआयना किया, अनेकों रसायन बताये, विशेष दवाइयां भी बताईं, परन्तु इन अनार के बागों को वापस फ्रूटिंग स्टेज पर और सामान्य स्थिति में लाने के लिए अभी तक कोई कारगर उपयोग यहां पर नहीं बताया गया। अब हालात ये हो गये कि राज्य सरकार और कृषि विभाग के अधिकारी उन बागों को उखाड़ने के लिए कृषकों को लिख चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, आज की ताजा स्थिति के अनुसार बैंकों के ऋण और साहूकार के कर्जों के तले दबता किसान अपनी परम्परागत फसल से वंचित रह गया।

दूसरा नेशनल हार्टिकल्चर सोसायटी किसानों के साथ किस प्रकार मजाक कर रही है, मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा। दिनांक 11.2.2010 को राजस्थान हार्टिकल्चर एंड नर्सरीज सोसायटी राजहंस उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर ने अपने क्रमांक 11/2009-10/193-198, 11.2.2010 के अनुसार फलदार पौधे उत्पादन हेतु निविदा आमंत्रित की। सभापति महोदय, सरकार इस बात से भलीभांति परिचित है, मुख्य मंत्रीजी से, कृषि मंत्रीजी से, कृषि विपणन मंत्रीजी से मिल कर यह बात हम अवगत करा चुके हैं कि अनार के बाग़ वैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी से पूर्णतया ग्रस्त हो चुके हैं तो वापस अनार के फलदार पौधे खरीदने का क्या औचित्य है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या अधिकारी और अन्य सदस्यों के घरों में ये बाग़ लगाना चाहेंगे? सरकार यह स्पष्ट करे। मुझे यह बात परे लगती है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मुआवजे के तौर पर या तो लागत की पचास प्रतिशत राशि या अधिकतम मात्र एक हजार रुपये हैक्टेयर के हिसाब से सरकार देने का प्रावधान रखती है परन्तु वास्तविकता और प्रैक्टिकल टर्म्स पर अस्सी हजार से लेकर एक लाख रुपये प्रति हैक्टेयर इन बागों के सार-सम्भाल में लगाये जाते हैं। महाराष्ट्र पेटर्न के आधार पर दो किश्तों में पैंतालीस हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को उपलब्ध कराये

(श्री अभिषेक मटोरिया)

हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे यहां भी इस पेटर्न को लागू किया जाए और अस्सी हजार से एक लाख रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से सरकार मुआवजा देने का काम करे। बाग़ खराब होने वाले किसानों को उनके द्वारा लिया गया सम्पूर्ण ऋण माफ करे, नंबर-1 । नंबर-2, बाग़ लगाने में किसानों द्वारा जो प्रोजैक्ट लागत आएगी, उसको अनुदान के रूप में सरकार दे। महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर पारम्परिक खेती से वंचित तीन साल से किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए। अन्यथा स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। किसान आत्महत्या करने की और कृषि के भवनों को घेरने की पीछे भी घटनाएं कर चुके हैं, उनसे बचने के लिए सरकार जल्द से जल्द इस बात पर गौर फर्माए।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, हरियाणा और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राजस्थान में किस प्रकार भेदभाव बरता जा रहा है, मैं आंकड़ों के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहूंगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जल स्रोतों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरी क्षेत्र में सामुदायिक डिग्गी के निर्माण के लिए एवरेज के तौर पर दस हैक्टेयर क्षेत्रफल पर कम से कम पांच किसानों का जो समुदाय बनता है, उस पर दस लाख रुपये का सरकार अनुदान देती है। अच्छी बात है। परन्तु इसके विपरीत हरियाणा में यही अनुदान इतने ही क्षेत्रफल पर मात्र दो किसानों के ऊपर दिया जाता है। सभापति महोदय, यह कितना बड़ा अन्याय यहां पर हमारे किसानों के साथ हो रहा है? मैं सरकार की नालेज में यह बात लाना चाहूंगा कि हरियाणा पेटर्न के आधार पर पांच कृषकों के समुदाय को दो कृषकों पर बदला जाए। अलग-अलग परिवार के जब ये लोग सामुदायिक डिग्गी निर्माण करते हैं, जब इनके उपयोग की बात आती है तो जाहिर-सी बात है कि प्रैक्टिकल टर्म्स में सामूहिक उपयोग नहीं हो पाता है। आम तौर पर प्रभावशाली कृषक अपने पड़ोसी किसानों से हस्ताक्षर करवा कर डिग्गी निर्माण तो करवा लेते हैं, उसमें पानी भी भरवा लेते हैं लेकिन जब उस पानी के उपयोग की बात आती है तो आम तौर पर पानी निकालने के लिए लड़ाई-झगड़े होते हैं, लोगों में अक्सर केस भी दर्ज हुए हैं इसलिए यह सम्भव नहीं हो पाता। और तो और, छोटे परिवारों में पांच कृषकों की जो शर्त सरकार ने लागू की है, वह बहुत बार पूरी नहीं हो पाती है। अतः सरकार इसको पांच कृषकों की बजाय दो कृषकों पर करे।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सभापति महोदय, इसी तरह पानी की कमी को देखते हुए जल संसाधन के सामुदायिक उपयोग के लिये बूंद-बूंद सिंचाई और फव्वारा के लिये सरकार किस प्रकार विद्युत कनेक्शन के लिये प्राथमिकता के आधार पर किसान को बोझ के तले दबा रही है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि कुल 393 आवेदकों में से मात्र 2 आवेदकों को अभी तक विद्युत कनेक्शन प्रायोरिटी के आधार पर दिये गये हैं। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार प्राथमिकता के नाम पर किसानों से भारी भरकम राशि की वसूली में भेदभाव कर रही है। जयपुर डिस्काम में औसतन 90 हजार रुपये, अजमेर डिस्काम में 1.37 लाख रुपये और जोधपुर डिस्काम में यही राशि 1.20 लाख रुपये ली जा रही है। लाइन और ट्रांसफार्मर चार्जेज कृषक को अलग से व्यय करने पड़ते हैं। लाइन चार्जेज 100 रुपये प्रति मीटर और पोल चार्जेज 2000 रुपये प्रति पोल, अर्थात् 120 मीटर पर दो पोल लगाने हेतु 1200+4000, 16000 रुपये लगाये जाते है। अर्थात् एक किसान से एवरेज दो से ढाई लाख रुपये वसूले जा रहे हैं। 7 एचपी की मोटर पर यह राशि 94 हजार रुपये है, 20 एचपी पर 1 लाख 40 हजार, 32 एचपी और 50 एचपी पर 1 लाख 55 हजार और 50 एचपी और 60 एचपी तक के कनेक्शन पर 1 लाख 80 हजार रुपये सरकार वसूल रही है। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी बात समाप्त करने से पहले यह निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): जो सरकार ने बजट घोषणा की थी, ध्यानाकर्षण के समय भी तीनों सदस्यों को समय दिया गया था, मेरा भी उसमें प्रस्ताव था, मुझे ध्यानाकर्षण में भी दो मिनट नहीं दिये गये वह दो मिनट एडजेस्ट कर दो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय, सब्जी बीज उत्पादन के सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि 5 लाख के एवज में व्यय राशि जीरो परसेंट, निजी क्षेत्र में 25 लाख की एवज में व्यय राशि 2.33, उसके बाद फल में नये बगीचों की स्थापना में 1125 की एवज में मात्र 565 और 60 लाख के फूल की एवज में मात्र जीरो। इसी प्रकार पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार के लिये सरकार ने 75 लाख खर्च करने का व्यय रखा है, यह वित्तीय लक्ष्य है, उसकी एवज में मात्र डेढ़ लाख दिसम्बर तक व्यय हुए। जैव नियंत्रण प्रयोगशाला के लिये पिछले साल 80 लाख की राशि रखी गई थी, इस बार जीरो राशि।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सभापति महोदय, अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने मधुमक्खी पालन में 40 लाख के वित्तीय लक्ष्य के एवज में जीरो राशि अभी तक लगाई है। बागवानी उपकरण के लिये 25 लाख के एवज में जीरो राशि। मसाला शुचिकरण हेतु 25 लाख के एवज में जीरो राशि। इस प्रकार सरकार ने कृषकों के साथ किस प्रकार अन्याय किया है, मैं बताना चाहता हूं।

अंत में मैं आपके माध्यम से अपने सुझाव यहां देना चाहूंगा अपनी बात समाप्त करने से पहले। सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अर्थात् ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर किसानों को अनुदान दे। नरेगा लागू होने के पश्चात् जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में मजदूरों की उपलब्धता घटी है और मजदूरी दरों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। कृषकों को जागरूक बनाने के लिये उनका प्रभावशाली क्षेत्रों में भ्रमण कराया जाए। और अंत में, मौसम के अनुकूल बीजों को तैयार करे एवं मुख्य नहरों के आस-पास जल रिसाव के कारण निरन्तर बढ़ रही सेम समस्या के निराकरण के लिये सरकार परियोजना तैयार करे। कृषकों को नवीन कृषि तकनीकी अपनाने हेतु प्रोत्साहन के लिये ज्यादा से ज्यादा कृषि अनुसंधान केन्द्र, विज्ञान केन्द्र एवं कृषि प्रयोगशालाएं खोली जाएं और अकाल को देखते हुए चारा उत्पादन और चारा प्रबन्धन को विशेष महत्व दिया जाए। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभार। मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की जाएगी, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वागत योग्य कदम है, हम उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। किसान आयोग का गठन होने से किसानों की समस्याओं का त्वरित गति से निदान होगा। जिला मुख्यालयों पर 26 किसान भवनों के निर्माण हेतु 31.13 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाएंगे। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व कृषि मंत्री द्वारा फल-फूल मण्डी की घोषणा की गई थी, अजमेर और पुष्कर में, उसके बारे में बताना चाहूंगी। अजमेर की फल-फूल मण्डी की घोषणा चार साल पहले की गई

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

थी और पुष्कर की फल-फूल मण्डी की घोषणा तीन साल पहले की गई थी। व्यापारियों और किसानों से बराबर टैक्स लिया जा रहा है और उस फल-फूल मण्डी का अभी कहीं अता पता नहीं है। न ही तो भू-खण्डों का आबंटन हुआ है न ही फल-फूल मण्डी का पता है। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि पुष्कर की इस फल-फूल मण्डी को जल्दी से जल्दी भूखण्ड आबंटित किया जाए, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। प्रथम चरण में अजमेर मण्डी के व्यापारियों को भूखण्ड उपलब्ध होने चाहिये। गत सरकार में विशिष्ट श्रेणी में भूखंड उपलब्ध कराने के कारण व्यापारियों और किसानों ने भूखण्ड लिये नहीं, जिसके कारण मण्डी शुरू नहीं हो पाई। जबकि पहली बार शुरू होने वाली मण्डी को प्रथम श्रेणी में भूखण्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रथम श्रेणी में रेट 1200 है और विशिष्ट श्रेणी में 2200 में दे रहे हैं, इससे कोई भी व्यापारी लेने को तैयार नहीं है। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी जो यहां नहीं हैं, उनसे और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि पुष्कर में गुलाब की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, उसका गुलकंद भी बनाया जाता है इसलिए इस फल-फूल मण्डी को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि पुष्कर क्षेत्र के व्यापारियों और किसानों को राहत मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कृषि मण्डी के तहत जो दरें निर्धारित की गई हैं-प्रथम चरण की दर है 500 और विशिष्ट श्रेणी की दर है 1400, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि प्रथम चरण में ही इस मण्डी को शुरू किया जाए ताकि उसकी रेट भी सही रहे और किसानों और व्यापारियों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि मण्डी के तहत आने वाली सडकें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, मृत प्राय:-सी हैं, वहां लोगों का पैदल चलना भी दूभर है। उन कृषि मण्डी की सड़कों पर दूसरे विभागों से पैसा नहीं लगाया जा सकता है। पुष्कर से देव नगर और खोरी होते हुए जो सड़क है वह बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसका जल्द से जल्द नवीनीकरण कराया जाए या नई सड़क बनाई जाए। नई सैंक्शन करके उसको वापस से बनाया जाए तो मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। पुष्कर में हालैंड की तर्ज पर डीहाइड्रेशन प्लांट लगाया जाए जिससे गुलाब की पत्ती को किसी भी मौसम में सुखाया जा सके। इससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ होगा और इससे गुलाब की महक और गुणवत्ता भी बनी रहेगी जिससे उच्च कोटि का गुलकंद बनाया जा सकेगा।

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के आस-पास के गांवों में 5 किलोमीटर तक की परिधि तक तो डार्क जोन है पर 8-10 किलोमीटर के अंतराल के बाद भी डार्क जोन घोषित कर रखा है, किसानों के लम्बित कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि क्या डार्क जोन किसानों के लिये ही है? पूंजीपतियों और धनाढ्य लोगों के लिये डार्क जोन नहीं है जो मिलीभगत से बोरिंग करवा लेते हैं और जल का दोहन करते हैं? कृषकों के लिये डार्क जोन घोषित कर रखा है। माननीय कृषि मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि डार्क जोन के अलावा जिन किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिये एप्लाई किया है, उनको कृषि कनेक्शन दिये जाएं, इससे किसानों को राहत मिलेगी।

गुलाब की खेती के लिये सबसे ज्यादा पुष्कर प्रसिद्ध है। पुष्कर का गुलाब देश और विदेशों में निर्यात होता है और गुलकंद भी बनता है। जामुन की खेती भी बहुत स्तर पर होती है। पहले जब अतिवृष्टि और तूफान आया था तब जामुन के बहुत पेड़ धराशायी हो गये थे, तब अकाल राहत में मैंने आपदा प्रबंधन मंत्रीजी से उनको सहायता भी दिलाई थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र की कृषि मण्डी की एक और सड़क है ब्यावर रोड, बकरा मण्डी होते हुए जो सोमलपुर गांव को जाती है, वह भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ग्रामीण जनता के लिये वही एक मात्र रास्ता है, उसको जल्द से जल्द दुरूस्त कराया जाए। या तो उसका पैवरीकरण कराया जाए या नवीनीकरण करा कर उस सड़क को दुरूस्त कराया जाए ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में तबीजी में भारत का एक मात्र बीजी अनुसंधान मसाला केन्द्र स्थित है। बीजी अनुसंधान केन्द्र में भारत भर के वैज्ञानिक आते हैं, बीजी मसालों पर अनुसंधान करते हैं। बीजी अनुसंधान मसाले से तेल बनाया जाता है और बीजीएम अनुसंधान मसालों के प्रयोग से अच्छे बीज तैयार किये जाते हैं जो विदेशों में भी निर्यात होते हैं। बीजी अनुसंधान मसाले का जो केन्द्र है वहां किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है कि बीजी अनुसंधान मसाले में अच्छे बीज कैसे तैयार किये जाते हैं। किसानों को इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप भी उन्नत किस्म के बीज एवं मसाले अपने खेतों में उत्पाद करें। बीजी अनुसंधान मसाला के पास जो जमीन

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है अनुसंधान के लिए, माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ईटीसी की जो जमीन पास में पड़ी है वह अगर बीजी मसाले को दे दी जाती है तो अनुसंधान में आसानी होगी, भारत भर के वैज्ञानिक जो बीजी अनुसंधान मसाले पर पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, उनके काम को गति मिलेगी ओर विकास के नये आयाम मिलेंगे।

ड्रिप व फव्वारा सिंचाई के मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन भी किसानों ने कनेक्शन लिये थे, उनके अनुदान बाकी है, कृषि मंत्रीजी से आग्रह है कि उनका अनुदान दिलाया जाए। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर पशु उप केन्द्रों की स्थापना की जाए और पशु चिकित्सकों और पशुधन सहायकों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। उनको इस आधार पर फील्ड पोस्टिंग दी जाए कि आपको पांच साल तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देनी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में न टीचर रुकता है न चिकित्सक रुकता है न पशुधन सहायक रुकता है, तो आपको और हमको सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए और पशुपालकों के पशुओं की अच्छी चिकित्सा के लिए चिकित्सक और पशुधन सहायक गांव में ही रुकें।

कृषि उपकरण पर अनुदान की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। चारे पर जो सब्सिडी दुगनी की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, उसके लिए राजस्थान की जनता की ओर से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। कृषि मण्डियों की खस्ता हालत है, खासकर अजमेर की कृषि मण्डी जिसकी मैम्बर मुझे भी बनाया है, उसकी खस्ता हालत है। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं उनसे जब हमने सड़क का प्रस्ताव दिलवाया तो उन्होंने यह कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, हम किससे बनाएं। हमारे पास बजट अवेलेबल नहीं है, हम किससे बनाएं? तो माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि कृषि मण्डी को बजट भी अतिरिक्त आबंटन करें, हमको अनुदान भी ज्यादा दिलाएं ताकि कृषि मण्डियां अच्छा काम कर सकें और अपने क्षेत्र के विकास को नया आयाम दे सकें। किसान पशुपालक होता है, पहले अकाल के समय ऋण लिया गया था चारे के लिए उसको ऋण माफी की श्रेणी में नहीं लिया गया था। माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि जो किसान चारे के लिए ऋण लेते हैं, उसको भी ऋण माफी की श्रेणी में लिया जाना चाहिए।

जब कभी किसानों के घर में आग लग जाती है तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आग लगती है उसको भी आप सहायता और अनुदान दिलाएं और इसे बीमा की श्रेणी में लाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): दो मिनट, मेरे सुझाव दे देती हूं। माननीय सभापति महोदय, अकाल को देखते हुए गौशालाओं की अनुदान की राशि बढ़ाई जानी चाहिए, और दूध का समर्थन मूल्य कर्नाटक और तमिलनाडु की तरह दिया जाना चाहिए इससे किसानों को अकाल से जूझने में मदद मिलेगी। एफसीआई का जो खराब गेहूं है जो मनुष्य के खाने लायक नहीं है, 2002 में पशु आहार फैक्ट्रियों को फ्री में दिया गया था। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से मांग करती हूं कि जिस प्रकार आपने 2002 में एफसीआई का खराब गेहूं पशु आहार के लिए दिया था, इस बार भी दिया जाए तो किसानों और पशुपालकों को राहत मिलेगी। अजमेर जिले में एक लाख 80 हजार पशुओं को बांटा स्वीकार किया गया, इसके लिए मैं आज मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): दो मिनट।

श्री सभापति: बिलकुल नहीं।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): चारे के ट्रकों को ओवरलोडिंग के नाम पर रोका जा रहा है, उन्हें खुली छूट देनी चाहिए। आज सवाई माधोपुर, झालावाड़ की बार्डर पर 200 ट्रक खड़े हैं जिनको ओवरलोडिंग के चक्कर में परेशान किया जा रहा है, उन्हें विशेष छूट देकर छोड़ा जाना चाहिए। किसान है, पशुपालक है तो हम हैं। किसान अन्नदाता है, किसान पशुपालक भी होता है, ओवरलोडिंग के नाम इनको तंग किया गया तो यह ठीक नहीं होगा। माननीय कृषि मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि ओवरलोडिंग के जो 200 ट्रक खड़े हैं, इनको जल्द राहत प्रदान कराएं। इनको छूट प्रदान कराकर जल्दी रिलीज कराएं ताकि अपने-अपने क्षेत्र में जाकर चारे का बंटवारा कर सकें। आरसीडीएफ में किसानों से आढ़त ली जा रही है उसे बंद किया जाए। पशु आहार में काम आने वाले मोलेसिस पर से टैक्स हटाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): दूध व दूध के उत्पाद से बनी हुई वस्तुओं पर टैक्स हटाया जाए। सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रचार-प्रसार भी होना जरूरी है। अधिकारियों के साथ जन प्रतिनिधियों की भी

जिम्मेदारी बनती है कि वे सरकार की लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उनको जन-जन तक पहुंचाएं, किसानों तक पहुंचाएं जिससे उनको फायदा सही मायने में मिल पाए।

श्री सभापति: श्री अशोक जैन।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मैं एक बात और कहना चाहूंगी सभी से...

श्री सभापति : बस, विराजिये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): आरोप-प्रत्यारोप लगाने की बजाय हम पूरे राजस्थान में..

श्री सभापति: विराजिये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): पूरे राजस्थान के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं, हम साथ मिलकर किसानों के हितों की बात करें, उनके विकास की, सरंक्षण की बात करें।

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्या।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): तो ही सच्चे मायने में राजस्थान आगे बढ़ पाएगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय एक लाइन बोलना चाहता हूं, मुझे क्षमा करें, निर्दलीय के कोटे में मेरा टाइम सैट करें। मैं डिटेल में नहीं कहना चाहता हूं, एक लाइन सिर्फ। जिस विधान सभा क्षेत्र से आप पधारते हैं वहां पर अफीम की खेती होती है, काश्तकारों को बहुत बड़ा लाभ होता है उस खेती से। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले डेढ़ साल से नर्मदा का पानी खूब फुल फार्म में आ रहा है, काश्तकारों के पास खूब अच्छी जमीन है, मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह केन्द्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजे, उनको पट्टों की अनुमति मिले। यही निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री अनिल जैन (खानपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 37 व 39 के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है। सभी लोगों ने सभी तरह के सुझाव सदन

(श्री अनिल जैन)

में प्रस्तुत कर दिये, लेकिन आज चर्चा कृषि के ऊपर है। कृषि के लिए बिजली की महती आवश्यकता है। आज राजस्थान अकाल से जूझ रहा है लेकिन जिन तहसीलों में, जिन जिलों में प्रकृति की कृपा से कुछ पानी की सम्भावनाएं बनीं और पानी की उपलब्धता है, मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए जिलों में कुछ पानी की सम्भावना बनी तो बिजली के अभाव ने, बिजली के अकाल ने उन जिलों, उन तहसीलों, उन पंचायतों के गरीब किसानों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन जिलों में वर्षा ठीक हुई या पड़ौसी प्रदेश में वर्षा होने से वहां पर कृषि के आयाम खड़े होने की सम्भावना बनी तो वहां के किसानों को बिजली की उपलब्धता नहीं मिली। बिजली मिली तो भीषण सर्दी में रात्रि में बिजली किसान को मिली है। भीषण सर्दी में किसान के लिए पूरी रात पाणत करना सम्भव नहीं है। आला अधिकारियों से निवेदन करने के बाद भी किसानों को दिन में बिजली की उपलब्धता नहीं हो पायी। आला अधिकारियों को वहां की प्रैक्टिकल जानकारी दी, प्रदेश की बात की कि जहां प्रदेश में अकाल है, जहां बिजली की जरूरत नहीं है अधिकारियों से निवेदन किया, प्रार्थना की कि वहां बिजली रात में दें। लेकिन जहां कृषि की सम्भावना है, जहां का किसान मर रहा है, जहां का किसान अपनी फसल को डूबते अपनी आंखों से देख रहा है, उसको राहत प्रदान की जाए और दिन में बिजली मुहैया करा दी जाए। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, बिजली के आला अधिकारियों के जूं तक नहीं रेंगी, वे कागजों पर चलते रहे कि ऊपर से एमडी साहब का आदेश है, रात्रि में ही बिजली दी जाएगी। एक तहसील को तीन ब्लाक में बांटा जाएगा- एक ब्लाक में दिन में, एक ब्लाक में रात में, एक ब्लाक में दोपहर में। लेकिन, सभापति महोदय, जब पानी कुओं में कम हो गया, बिजली की 8 घण्टे आवश्यकता नहीं बची, फिर प्रार्थना की बिजली के अधिकारियों से कि, महाशयजी, बिजली की तीन घण्टे की जरुरत है और आपका ओवर लोड नहीं होगा, आप तीन घण्टे, चार घण्टे देकर पूरी तहसील को दिन में बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन यह भी नहीं सुना, सभापति महोदय। बातें बड़ी-बड़ी योजनाओं की, बड़े बड़े अनुदानों की की जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारियों को यह भी कहना चाहिए, यह भी सिखाना चाहिए कि वे प्रैक्टिकल होकर काम करें, जो बच रहा है उसे बचा लें, उसकी कमर टूटने से बचा लें, गरीब किसान को बचा लें। आज पूरा सदन गरीब किसान के ऊपर

(श्री अनिल जैन)

बड़ी चर्चाएं कर रहा है, सभापति महोदय, किसान के लिये पानी की, कृषि के लिये पानी की महती आवश्यकता होती है लेकिन इस 13 महीने की सरकार ने झालावाड़ जिले में स्वीकृत 5 एनिकट- नये एनिकट नहीं, नये डैम नहीं, स्वीकृत 5 एनिकट कैंसिल किये हैं और उनके बजट को लैप्स किया है-चाहे वह रिजोन का हो, चाहे करोल गांव का हो, चाहे खैराती गोविन्दपुरा का हो, चाहे लाल घाटी का हो। ये सारे के सारे एनिकट बहुत छोटे-छोटे एनिकट थे, लेकिन हजारों बीघा जमीन की इससे पीवत हो रही थी। इस बात को मद्देनजर नहीं रखते हुए एनिकट कैंसिल कर दिये गये। यह सारा का सारा झालावाड़ जिले के साथ क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आसन से व्यवस्था चाहूंगा। सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने, सभी ने बिजली, पानी, खाद और उन्नत बीज के लिये बात रखी है और सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने भी माना है और मांग की है कि वितरण प्रबन्धन सही नहीं हुआ है, तो उन्नत बीज का और खाद का प्रबन्धन भी सुचारू रूप से करवाया जाए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, अभी मुझे तीन मिनट ही हुए हैं, बोलना चालू किया है, मुझे अपनी बात पूरी रख देने दीजिए।

बिजली के मामले में ट्रांसफार्मस की उपलब्धता ने किसान की कमर तोड़ दी। पूर्व माननीय सदस्यों ने बताया, 8-8 महीने में किसान को ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृषि के ऊपर चर्चा हो रही है।

श्री अनिल जैन (खानपुर): यह कृषि से ही सम्बन्धित है, साहब। ट्रांसफार्मर किसान को उपलब्ध नहीं होगा तो वह उसकी खड़ी फसल की पाणत नहीं कर पाएगा। क्या डीजल से पाणत कर लेगा? सभापति महोदय, थोड़ा-सा आप भी, आपने बहुत शालीनता से, बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। आपने वरदावली नहीं गाई, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आपने कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं किये, आपने कोई वरदावली किसी नेता की नहीं गाई। आपने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं तो मुझे भी सुझाव रख लेने दीजिए। मैं भी उसी तरीके से सुझाव रख रहा हूं, मैं आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं।

आज ट्रांसफार्मरों की स्थिति यह है कि ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हैं किसानों को, 2-2, 4-4, 8-8 महीने जूझना पड़ता है उसके बाद कहीं जाकर

(श्री अनिल जैन)

उसको ट्रांसफार्मर उपलब्ध होता है। सभापति महोदय, बिजली जितनी मिले, ठीक है, बिजली आप ज्यादा नहीं दे सकते हैं, कांग्रेस की सरकार बिजली ज्यादा नहीं दे सकती है तो कम से कम बिजली के उपकरण तो समय पर उपलब्ध करवा दिये जाएं ताकि जितनी बिजली मिल रही है उसका उपयोग किसान कर सके।

सभापति महोदय, आज कृषि लागत के बढ़ने से कृषक, खास तौर से छोटे कृषक कृषि से मुंह मोड़ रहे हैं व कृषि उत्पादन की दर घटती जा रही है। वर्तमान में राजस्थान में किसानों को कृषि ऋण 7 प्रतिशत ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है जबकि केन्द्र सरकार ने ब्याज दर 5 प्रतिशत कर दी है। राज्य में किसानों को कृषि ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाए, एक प्रतिशत राज्य सरकार स्वयं वहन करे ताकि कृषि लागत में कमी आए व छोटे-छोटे किसान कृषि की ओर वापस आकर्षित हो सकें। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर किसानों को मध्यप्रदेश की भांति 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। ताकि किसान निजी व्यापारियों को अपनी फसल बेचने की बजाय कृषि मण्डी में विक्रय करें व खाद्यान्नों की काला बाजारी पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके।

सभापति महोदय, प्रत्येक जिले की मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों का राजसीड के माध्यम से अग्रिम भण्डारण करवाया जाए ताकि किसान को मांग के अनुरूप समय पर रासायनिक उर्वरक मिल सके। वर्तमान में राज्य हेतु निर्धारित अग्रिम भण्डारण उर्वरक की सीमा को बढ़ाकर दुगना किया जाए। सभापति महोदय, मौसम आधारित फसल बीमा में स्वचलित मौसम केन्द्र सभी पटवार, गिरदावर सर्कल पर स्थापित किया जाए ताकि छोटी छोटी इकाई में मौसम परिवर्तन से होने वाले नुकसान का मुआवजा कृषकों को मिल सके। फव्वारा यंत्रों पर वर्तमान में अनुदान सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फव्वारा सिंचाई का लाभ मिल सके। कृषि योजनाओं में कुछ कृषि यंत्रों पर 25 प्रतिशत अनुदान तथा कुछ योजनाओं में 50 प्रतिशत अनुदान किया जाए ताकि किसान कृषि यंत्रों को आसानी से खरीद सके। माध्यमिक स्कूली शिक्षा में कृषि को अनिवार्य विषय बनाया जाए जिससे छात्रों को प्रारम्भ से ही कृषि की मूलभूत जानकारी हो सके। परिणामस्वरूप उन्नत कृषि का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सकेगा, जो उत्पादन वृद्धि में सहयोगी होगा। खरीफ, रबी फसलों की कटाई व थ्रेशिंग के

(श्री अनिल जैन)

समय अचानक मौसम खराब हो जाने से उपज की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर सभी कृषकों को पोलीथिन शीट्स, 8X6 मीटर के त्रिपाल उपलब्ध करवाए जाएं जिससे मौसम खराब होने पर उपज को ढका जा सके।

सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले दो वर्षों से बिजली की भारी कटौती व आवश्यकता के अनुरूप बिजली नहीं मिल पाने के कारण किसान सही समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं। परिणामस्वरूप फसलों की गुणवत्ता व उत्पादन पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है। समय पर सिंचाई करने के लिये किसानों को विद्युत कनेक्शन के बावजूद डीजल इंजनों का सहारा लेना पड़ता है। वर्तमान में डीजल इंजन खरीद पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है अतः किसानों द्वारा डीजल इंजनों की खरीद पर उचित सब्सिडी दी जाए। डीजल के दाम भी कम होने चाहिए जैसे कि पड़ोसी प्रदेश पंजाब में अनुदान दर पर डीजल उपलब्ध करवाया जाता है। देश व राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कृषि उत्पादन का है, किसानों के विकास हेतु सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जाती हैं। छोटे किसानों को ऊपर उठाने व कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी देकर किसानों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए। कृषकों को राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दरों पर कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। जल संरक्षण हेतु फार्म पॉण्ड के निर्माण पर वर्तमान में 50 प्रतिशत, अधिकतम तीस हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, इसे बढ़ाकर पचास हजार रुपये किया जावे। झालावाड़ जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र पथरीला है, इस कारण फार्म पॉण्ड की छोटी साइज 10 X 10 X 3 मीटर रखी जावे ताकि छोटे किसानों को भी अनुदान का लाभ मिल सके। झालावाड़ जिले के उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय में कृषि स्नातक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया जावे जिससे जिले के छात्रों को कृषि अध्ययन हेतु दूर नहीं जाना पड़े। झालावाड़ जिले में सहायक कृषि अधिकारियों के 90 प्रतिशत व कृषि पर्यवेक्षक के लगभग 40 प्रतिशत पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां की जावें। नियमित नियुक्तियां सम्भव नहीं होने पर संविदा के आधार पर पैरा एक्सटेंशन वर्कर लगाये जावें जिससे किसानों को तकनीकी जानकारी मिल सके व कृषि विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ जिले के सभी कृषकों को मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अनिल जैन (खानपुर): दो मिनट साहब, बस। मैं ज्यादा फास्ट पढ़ देता हूं इसको। मैं भूमिका कहां बना रहा हूं साहब, दो मिनट सुनिये आप मेरा।

श्री सभापति: जो आवश्यक हो, वह पढ़ो आप।

श्री अनिल जैन (खानपुर): यह आवश्यक है, साहब। झालावाड़ जिले में संतरे की खेती 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में हो रही है जिसमें से 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फल आ रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये संतरे की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना सरकारी, सहकारी अथवा निजी क्षेत्र में करवाई जावे जिससे कि गुणवत्ता वाले संतरे से भी प्रसंस्करित उत्पाद यथा, शरबत, स्क्वैश, जैली मार्मलेड आदि तैयार कर देश-विदेश में निर्यात किये जा सकें।

श्री सभापति: श्री मलखान सिंहजी।

श्री अनिल जैन (खानपुर): क्षेत्र है, साहब, मेरा। मेरे जिले के क्षेत्र की मांग तो रख देने दें, साहब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप लिखकर दे देना। लिखा हुआ दे देना।

श्री अनिल जैन (खानपुर): दो मिनट और, साहब।

श्री सभापति: श्री मलखान सिंहजी।

श्री अनिल जैन (खानपुर): झालावाड़ जिले के बकानी में काफी उत्पादन होता है, संतरा उत्पादक किसानों को अच्छा मूल्य एवं सुविधाएं मिलें, इस हेतु संतरे की विशिष्ट मण्डी स्थापित की जावे। संतरे पर अनुसंधान कार्य हेतु राष्ट्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर का एक उप केन्द्र झालावाड़ जिले में स्थापित करवाया जावे जिससे नवीनतम अनुसंधान हो सके और उसका लाभ किसानों को मिल सके। सम्पूर्ण हाड़ौती सम्भाग में धनिया, लहसुन, मेथी की उपज बहुतायत में होती है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये, आप विराजिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर): पूरे हाड़ौती की बात है।

श्री सभापति: विराजो, दे दो। लिखा हुआ दे देना।

श्री अनिल जैन (खानपुर): ठीक है, साहब, धन्यवाद। आपने समय दिया, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद।

श्री मलखान सिंह (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे कृषि और पशुपालन विभाग की मांग पर बोलने का अवसर दिया, इस हेतु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं, माननीय कृषि मंत्रीजी, आपका और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने किसानों के लिये इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सभापतिजी, नहरी किसानों के लिये इस वर्ष 2 हजार नई डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, इससे निश्चित ही टेल एण्ड के किसानों को पर्याप्त लाभ मिलेगा। किसानों के लिये मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो अब तक 7 जिलों में लागू थी, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसे बढ़ाकर पूरे प्रदेश में लागू किया है जो किसानों के लिये सरकार की सकारात्मक सोच दर्शाता है। जैसा कि सर्वविदित है, इस साल बरसात के नहीं होने से राज्य के अधिकांश जिलों में अकाल की समस्या व्याप्त है, जिसके तहत समस्या के निदान हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को दो हजार प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान देना किसानों के लिये भारी राहत का सबब होगा। राज्य में पशुपालकों की सुविधा हेतु नये उप केन्द्र व औषधालय खोलने तथा क्रमोन्नत करने का निर्णय लेने से पशुपालकों को राहत मिल सकेगी। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी के झंवर चिकित्सालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत करने की कृपा करें एवं फिंच गांव में एक नया पशु उप केन्द्र खोलने की मेहरबानी करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोधपुर में बहुत बड़ा पशु चिकित्सालय रातानाड़ा क्षेत्र में काफी वर्षों से चल रहा है जहां पर आठ-दस की तादाद में स्पेशलिस्ट डाक्टर्स बैठे हैं, मगर उनके पास काम की पूरी कमी है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय हाइ कोर्ट के आदेश से जोधपुर शहर में पशुओं के आने-जाने पर रोक है इसलिए वहां हास्पिटल में पशु लाये नहीं जा सकते और ये डाक्टरों के पास कोई काम नहीं है। अमीर लोगों के कुत्तों के इलाज के अलावा उनके पास कोई किसी तरह का काम नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन डाक्टरों को भले ही जोधपुर में ही रहने दें मगर इनको चल चिकित्सा इकाई देकर आस-पास के गांवों में आप भिजवाएं ताकि पशुपालकों के पशुओं का इलाज हो सके।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझते हुए किसान आयोग का गठन किया है। इसका लाभ भी किसानों को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अकाल की स्थिति को देखते हुए रबी के दौरान राज्य में 9 लाख 2 हजार चारा मिनी किट्स का नि:शुल्क वितरण किया गया है और दो-तीन लाख और मिनी

(श्री मलखान सिंह)

किट्स का वितरण करने जा रहे हैं जिससे दुधारू पशुओं को हरा चारा मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं कि जोधपुर में कृषि पर्यवेक्षकों, कृषि अधिकारियों की काफी कमी है। अभी शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री बाबूसिंहजी भी यही जिक्र कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोधपुर में खरीफ की फसल की बुवाई 11 लाख हैक्टेयर में होती है जबकि राजसमन्द में डेढ़ लाख हैक्टेयर में ही होती है। उसके अगेंस्ट में जोधपुर में 71 पद स्वीकृत हैं और राजसमन्द में जहां डेढ़ लाख हैक्टेयर में खेती होती है, आपने 155 पद स्वीकृत कर रखे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जोधपुर में इन पदों की भर्ती करके आप कमी पूरी करें ताकि किसानों को उनके अनुभवों का लाभ मिल सके और सरकारी योजनाओं का सही लाभ उन तक पहुंच सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहूंगा जो किसानों के हितकर हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप धन्धे से खुद ही किसान हैं, हमारे माननीय मुख्य मंत्री भी किसान हैं तो आप किसानों की समस्याएं भली-भांति जानते हैं और मुझे विश्वास है कि मैं जो भी सुझाव आपको निवेदन करूंगा, उन पर आप गौर फर्माएंगे। मुख्य मंत्रीजी से सलाह करके उन सुझावों को लागू करने की आप कोशिश करेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है। आपको पता है कि राजस्थान में और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति सदैव विकट रहती है। किसानों की माली स्थिति भी ठीक नहीं है। इस इलाके के किसानों की कृषि लागत में कमी करने के लिए मेरा सुझाव है कि नरेगा के तहत फसल कटाई के वक्त आप श्रम उपलब्ध करवाएं। अभी मटोरियाजी ने भी यह कहा था कि नरेगा लागू होने से मजदूरों की रेट काफी बढ़ गयी है। किसानों के लिए यह बहुत भारी पड़ती है। नरेगा के तहत श्रम उपलब्ध अगर आप किसानों को करा सकें तो उसका बहुत बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। अब तक नरेगा में तालाब खुदाई व कच्ची सड़क का निर्माण कार्य कराने की परम्परा रही है जिसके चलते गांव के सभी तालाबों और सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसी पर बार-बार कार्य करने से रोजगार भले ही उपलब्ध हो जाए पर इससे कृषक हितों को विकासात्मक लाभ नहीं मिल पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों को कटाई के वक्त नरेगा से श्रम उपलब्ध करा दिया जाए तो किसानों

(श्री मलखान सिंह)

को सीधा लाभ मिल सकेगा और इसमें सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्चे का भार भी नहीं आएगा।

दूसरा, सरकार उद्योग एवं व्यवसायों को विभिन्न प्रकार की छूट देकर राहत प्रदान करती आयी है परन्तु कृषकों के लिए कृषि कार्यों के उपयोग में लिये जाने वाले डीजल पर कोई छूट या सब्सिडी नहीं दे रही है, तो मेरा अनुरोध है कि कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाले डीजल पर कृषकों को सब्सिडी दें। या कोशिश करें कि साल में मुश्किल से सप्ताह भर कृषि कार्यों के लिए डीजल का उपयोग किसान करता है, उसमें मुफ्त में भी दे दें तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक और सुझाव है मेरा। वर्षा के शुरू होते ही किसानों को बीज नहीं मिलना एक सामान्य-सी बात है। माननीय सभापति महोदय, अक्सर बरसात होने के बाद किसान शहर की ओर दौड़ पड़ता है और वहां भी उसको प्रामाणिक बीज नहीं मिलता है। उसके लिए मेरा निवेदन है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से या कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराने की, बिक्री करने की व्यवस्था की जाए जिससे इस समस्या का निदान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री छोटूसिंह भाटी। श्री जगसीराम। अच्छा, बोलिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 37 और 39 के बारे में मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं। राजस्थान राज्य कृषि और पशुपालन राज्य है, यहां की 70 परसेंट जनता गांवों में रहती है और सभी का धंधा कृषि और पशुपालन है। मेरे जैसलमेर क्षेत्र के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहर से पर्याप्त मात्रा में तीन बारी पानी नहीं मिलने से लोगों को बड़ा-भारी मुकाबला करना पड़ा और उनकी फसलें बरबादी हुईं। लोगों के कृषि ट्यूबवैल खोदे हुए हैं लेकिन कृषि कनेक्शन नवम्बर में एलान करने के बावजूद भी दिसम्बर तक नहीं होने से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिजली केवल पांच घंटे ही दी गयी, पांच घंटे में लोगों की फसल तैयार नहीं हुई। फसल तैयार होने के कारण वे खुद

(श्री छोटूसिंह भाटी)

बरबाद हुए, खरीफ का उनको बीमा नहीं मिला। क्योंकि लास्ट में उनके जब पैसे नहीं भरे गये तो कनेक्शन काट दिये गये। कनेक्शन ही नहीं काटे, बल्कि उनके ट्रांसफार्मर उठा ले गये जिससे जैसलमेर की जनता में, किसानों में बड़ा रोष है।

सभापति महोदय, कृषि विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। जैसे फतहगढ़ से मांडाई रोड, सांकड़ा से नैरान रोड इनकी हालत जर्जर हो गयी है, 10-12 साल पहले बनी हुई हैं लेकिन उनका आज तक नवीनीकरण नहीं किया गया। इसी प्रकार नहरों का निर्माण जब हुआ तब जैसलमेर के किसानों की जमीन नहरों के नीचे, वन पट्टी के नीचे, कच्ची माइनरों के नीचे और खालों के नीचे आ गयी। आज करीब 30 साल हो गये हैं, न तो बदले में उनको कोई जमीन दी गयी है और न मुआवजा दिया गया है। 30 साल से उस मुआवजे के लिए कई बार दरख़्वास्तें अफसरों को की गयीं लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। आज मैंने एक पूरक क्वेश्चन भी किया था लेकिन आज तक उनके बारे में कोई विचार नहीं किया गया जिससे कि जैसलमेर की जनता के किसानों में बड़ा रोष है।

मेरा कृषि के बारे में सुझाव है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि फसली बीमा किसानों को दिलवाने की व्यवस्था की गयी लेकिन खरीफ की फसल का बीमा आज तक किसानों को नहीं मिला। कृषि विभाग की जो सड़कें हैं उन सड़कों को बने दस साल हो गये हैं, 12 साल हो गये हैं, उनका वापस नवीनीकरण किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गयी है कि नहर की टेल की जमीन पर हर जगह दो हजार डिग्गियां बनाई जाएंगी, मैं इस बारे में मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर भी नहर की जमीन जो टेल पर है, ऐसे कई मुरब्बे हैं टेल पर जहां आज तक पानी नहीं गया। यदि वहां डिग्गी बना दी जाएगी तो उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। जैसलमेर की जनता के लिए एक साल हो गया है, टेल तक पानी पीने को भी नहीं मिला है, फिर भी यदि उनकी यह घोषणा दो हजार डिग्गियों की है तो स्वागत योग्य है।

किसानों के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपकरण यदि रियायती दर पर दिये जाए तो हमारे किसानों को उससे पर्याप्त मात्रा में राहत मिल जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि में ट्यूबवैल कनेक्शन पर जैसलमेर में अभी है उस हिसाब से यदि सब्सिडी दी जाएगी तो किसानों के लिए बहुत

(श्री छोटूसिंह भाटी)

रियायतप्रद होगी। किसानों को सस्ती रेट पर ऋण दिया जाए। नहरी पानी की तीन बारी से जो वंचित रहते हैं, जिनकी फसल बर्बाद हुई है, मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि उन किसानों को मुआवजा दिया जाए या किश्त अगले साल के लिए की जाए ताकि वापस नये आयाम के लिए उनको सुविधा हो सके। बिजली बिल नहीं भरने पर छह महीने से उनके कनेक्शन कटे हुए हैं और उनके ट्रांसफार्मर उतारे गये हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको रियायत दी जाए। आने वाले सीजन में वे वापस अपने पैसे भर देंगे, अभी उनको रियायत दी जाए जिससे वे वापस अपने कनेक्शन ले सकें।

(समय : 20.00 बजे)

जैसलमेर के अन्दर कम बरसात होने के कारण नहर के पानी की कम उपलब्धता के कारण मेरा निवेदन है सदन को, कि उनको कम बरसात के ऐसे बीज दिये जाएं जिससे कम पानी और कम बरसात से उनकी फसल हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे देशों की तरह हमारे यहां भी किसानों को अनुदान दिया जाना चाहिये।

दूसरे राज्यों की तरह यहां भी अनुदान दिया जाना चाहिये, जिससे कि हमारा किसान भी मजबूत हो। जैसलमेर क्षेत्र में शहर की परिधि में क्लस्टर कार्य किये जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि जैसलमेर 40 किलोमीटर परिधि के अन्दर वृताकार एरिया है और हिल एरिया है, जो क्लस्टर के कार्य करवाये जा रहे हैं वे उस परिधि के अन्दर करवाये जाएं जिससे कि एनीकट और खड़ीन का निर्माण हो सके और किसानों को उसका पूरा लाभ मिल सके।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, पशुपालन की मांग संख्या 39 के अन्दर हमारे जैसलमेर के बड़े भू-भाग को देखते हुए आने वाले 20 वर्षों में पशुधन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रावधान किये हैं, जानने के लिये निवेदन करना चाहता हूं। पशुपालन यहां के लोगों का मुख्य धंधा है लेकिन पशु शिविर यहां पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं इसलिए पशुओं की संख्या के मुताबिक हर गांव में पशु शिविर खुलने चाहिये। मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारे पंचायत हैडक्वार्टर पर पशु स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि हर पांच-सात गांव पंचायत मुख्यालय पर पशु स्वास्थ्य केन्द्र खुल जाएं जिससे कि वहां की जनता को, सब लोगों को पशुओं की चिकित्सा के लिये सुविधा उपलब्ध हो सके।

(श्री छोटूसिंह भाटी)

दूसरा, हमारा जैसलमेर क्षेत्र ऐसा है जहां सेवण घास के भंडार हैं। इस साल अकाल की वजह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेवण घास के गुणों को देखते हुए बार्डर इलाके में ट्यूबवैल खुदवाकर सेवण की उत्पत्ति करवाई जाए जिससे कि अकाल में पशुधन को हरा चारा मिल सके। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, नरेगा योजना के अन्दर तालाब खुदवाये जा रहे हैं या छोटे-छोटे काम करवाये जा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह न कराकर भविष्य को देखते हुए जैसलमेर क्षेत्र के अन्दर सेवण घास कटवाई जाए और उसका कलेक्शन करवाया जाए जिससे कि वहां के पशुधन के लिये नया आयाम हो सके और पशुओं का जो मंहगा चारा आ रहा है, अकाल के वक्त वह बचत हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है, भेड़-पशुपालक, बकरी पशुपालक जैसलमेर से बाहर जाते हैं तो उनको असुरक्षा की भावना रहती है, पूरे राज्य में वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा निवेदन है कि जो भी पशुपालक बाहर जाते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार को लेकर उनकी सुरक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध करना चाहिये।

एक और निवेदन है जैसलमेर की जनता की ओर से कि हमारे पशुपालन के लिये थारपारकर नस्ल की अच्छी पांच-सात गायें सरकार को सब्सिडी पर दिलवायी जानी चाहिये जिससे वहां के किसान मुरब्बों पर 5-5 गायें रखें और चारे का भी कम कजंम्पशन हो। वहां के किसान लोग जब फसल नहीं होती है तो पांच-सात गायें रखें जिससे कि उनकी आजीविका चल सके। उनको दुधारू पशु मिलें और उनका रहन-सहन उस पर निर्भर हो सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): एक मिनट में कर रहा हूं।

हरेक पंचायत मुख्यालय पर पशुओं की शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर पशुपालन क्षेत्र होने के नाते वहां पशुओं की जो कोई बीमारी होती है, उसकी मानिटरिंग के लिये एक नोडल टीम बनाई जाए, हर गांव को यह शिक्षा दी जाए कि कौनसी बीमारी कब होती है, कब नहीं होती है। अभी भी पुराने विचारों के साथ पशुओं के लिये वही डाम दे देते हैं जिससे कि पशु मर भी जाते हैं, रोग से भी ग्रस्त हो जाते हैं। मेरा निवेदन है

(श्री छोटूसिंह भाटी)

कि मोबाइल टीम बनाई जाए जिससे कि हर महीने हर क्षेत्र में जाकर वह पशुओं का इलाज कर सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि पशुधन और चरागाह विकास के लिये ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे जैसलमेर के पशुधन को बचाया जा सके। अकाल हमेशा होता है, बार्डर पर जो पशुपालक रहते हैं, मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि उनके पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। सूखा चारा फिर भी वहां मिलता है, पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन के माध्यम से सरकार से कि वहां पेयजल के लिये ट्यूबवैल खुदवाये जाएं जिससे कि वहां की जनता और वहां के पशुपालक इमरजेंसी में पशुओं को पानी पिला सकें। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती सज्जन कटारा।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन के लिये, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। किसान इस देश की धरोहर है। किसान हमें अनाज उत्पादन करके जीवित रखता है। जनजाति उप योजना क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आती हूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, किसानों के खेतों पर गोल्डन मेज के अन्तर्गत मक्का के हाई ब्रीड बीजों का राज्य सरकार द्वारा वितरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है, इससे मक्का के उत्पादन में दुगनी वृद्धि होगी। मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूं, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि ऐसे प्रोजैक्ट रबी की फसलों के लिये तथा अन्य फसलों के लिये भी किये जाने चाहिये।

राज्य सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गयी है। खराबा होने पर फसल खराबे के अनुपात में अनुदान मिलता है, मुख्य मत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं। परन्तु मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जनजाति क्षेत्र के आदिवासी किसानों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि देकर यदि फसल बीमा किया जाता है तो जनजाति क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जनजाति क्षेत्र में काश्तकारों की स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों के काश्तकारों की स्थिति से एकदम भिन्न है खेत एक चक में नहीं हैं, जोत छोटी है, टुकड़ों में विभक्त हैं। भौगोलिक परिस्थितियां भी भिन्न हैं, ऊबड़-खाबड़ है। मौसम भिन्न है। जोत छोटी होने के कारण पैदावार कम होती है। अत: मेरा निवेदन है कि उदयपुर सम्भाग के काश्तकारों

(श्रीमती सज्जन कटारा)

के लिये अलग से नीति निर्धारित की जानी चाहिये जिससे जनजाति क्षेत्र में किसानों को लाभ मिल सकेगा।

उदयपुर जिले में जहां से हम जीतकर आते हैं, टी एस पी एरिया है, वहां पर आंवले की खेती बहुतायत में होती है। किसानों ने आंवले की बहुत खेती कर रखी है, लेकिन आंवले का मूल्य बहुत कम होने के कारण इसके उत्पादन से किसान बहुत ही निराश हो गया है। मेरा आग्रह है मुख्य मंत्रीजी से कि आंवले के उत्पादन के लिये अलग से मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिये ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी और खरीफ फसलों के साथ-साथ जायद फसलों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये जिससे किसानों को लाभ मिल सकेगा। कम समय में पकने वाली फसल है और कैश क्रोप देने वाली फसल है। कृषि प्रधान हमारा राज्य है, यहां के किसानों को लगातार कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि और कभी अनावृष्टि या पाले से बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को आपदाओं से बचाने के लिये उत्तम प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, उनका आर्थिक उत्थान होगा। सरकार से मेरा सुझाव है कि किसानों के लिये कल्याणकारी नीति बनाकर राहत प्रदान की जानी चाहिये। वैसे किसानों के लिये हमारी सरकार ने बहुत अच्छी नीति बनाई हुई है जिससे उनको फायदा होने वाला है। दक्षिण राजस्थान विशेषकर उदयपुर सम्भाग में जहां आदिवासी इलाका है, आदिवासी काश्तकार हैं, एक मात्र फसल खरीफ की फसल होती है और चार महीने किसान खेती में काम करता है। बाकी आठ महीने बेरोजगार रहता है। किसानों की बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, किसानों की आर्थिक स्थिति भी गिर रही है, किसान निराश हो रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृषकों के सहायक उद्योग धंधों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए और किसानों के लिए सिंचाई के साधनों के उत्तम प्रबन्ध किये जाने चाहिए। जैसे व्यक्तिगत कुए को गहरा करवाना, नये कुओं का निर्माण करवाना, ट्यूबवैल खुदवाना, नालों के पानी को रोकना, नये बांधों का निर्माण करवाना, पानी के परम्परागत स्रोतों को विकसित करना। इससे पानी का स्तर बढ़ेगा, किसानों को लाभ मिलेगा। किसान अपनी पैदावार को बेचने के लिए कृषि उपज मण्डियों में जाता है। सुबह से लेकर शाम तक वहां अपनी उपज को बेचने के लिए भूखा-प्यासा बैठा रहता है, इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है आपणी रसोई के अन्तर्गत। मैं माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी

(श्रीमती सज्जन कटारा)

गहलोत साहब का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने कृषि मण्डी में किसानों के लिए मात्र छह रुपये चालीस पैसे में एक थाली भोजन की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं कृषि मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन इसके साथ ही मेरी मांग है कि ए क्लास की सब्जी मण्डी में भी यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिससे अपनी सब्जी लेकर जो किसान आते हैं, उनको भी यह सुविधा मिल सके।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत खेती करते वक्त मृत्यु होने पर किसानों के लिए एक लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं। अंग-भंग होने पर पचास और चालीस हजार रुपये देने का प्रावधान किया है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। अपनी मण्डी योजना के तहत किसानों को अलग से बैठने के लिए जगह आरक्षित की है, जो किसान अपनी ताजा सब्जी तोड़कर लाकर बेचते हैं, उनको सीधा फायदा होता है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं।

पशुपालन में जनजाति क्षेत्रों में पशुपालकों की संख्या दिन-प्रति घटती जा रही है, यह एक चिन्ता का विषय है। जनजाति क्षेत्र के लोगों का परम्परागत धन्धा पशुपालन रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति पूर्व में काफी मजबूत थी और कुपोषण के शिकार भी बहुत कम होते थे वहां के लोग और बच्चे। लेकिन वर्तमान में जनजाति क्षेत्र के लोगों की पशुपालन में रुचि कम होने से उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आयी है। खानपान पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। कुपोषण में वृद्धि हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ने से अपराधों में वृद्धि हुई है। रोजगार तलाशने के लिए वहां के किसान और लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए अलग से नीति निर्धारित कर इन किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित करें। अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति निर्धारित की जाए इससे सभी समस्याओं का हल होगा। इस क्षेत्र के लिए अलग नीति बनाने से पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं वे वहां रुक सकेंगे। वहां पर खान-पान की स्थिति अच्छी होगी। वहां के बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, घी मिलेगा, छाछ और दही मिलेगा। इससे कुपोषण से बचा जा सकता है। राज्य सरकार का मैं आभार व्यक्त

(श्रीमती सज्जन कटारा)

करती हूं कि अलग से किसान आयोग बनाया गया है, किसान आयोग समय समय पर किसानों की समस्याओं का समाधान करता है। मैं पुनः मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं और सभापति महोदय का भी आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे आपने यहां पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसीरामजी कोली।

श्री जगसीराम (रेवदर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 कृषि, पशुपालन एवं चिकित्सा पर चर्चा हो रही है। किसान के हित की बात अपन करने जा रहे हैं, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, किसान सर्दी, गर्मी और बरसात में दिन-रात खून-पसीने की कमाई कर अनाज, फल और सब्जी तैयार करता है। सभापति महोदय, मैं सिरोही जिला और रेवदर विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि किसान बैलों और ट्रैक्टरों से अपने खेत को जोतकर तैयार करता है और समय आने पर बुवाई करता है। सरकार और सहकारी समितियों द्वारा जो खाद-बीज उपलब्ध करवाया जाता है उसमें कई बार ऐसे बीज निकलते हैं जो उगते नहीं हैं। जब दूसरी फसल के लिए जुताई करते हैं तो वह खाद वैसा का वैसा बाहर निकलता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहूंगा कि किसानों के हित की बात अपन करना चाहेंगे तो समय के अनुरूप सहकारी समितियों की दुकानों पर निगरानी रखें कि किसानों के लिए माल, बीज और खाद का वितरण सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं सरकार को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि यंत्रों के लिए जो अनुदान दिया जा रहा है, लघु सीमान्त कृषकों, छोटे किसान को जो ट्रैक्टर दिये जाते हैं उसमें सब्सिडी दी जाए ताकि छोटा किसानों अपनी मेहनत करके खुद सक्षम होकर आगे बढ़ सके। सभापति महोदय, मेरे सिरोही जिले की रेवदर तहसील के अन्दर सबसे ज्यादा टमाटर की खेती होती है। आज रेवदर में लाखों टन टमाटर पैदा होता है। उस टमाटर को वहां का किसान रख नहीं सकता स्टाक में और न ही उनको बोरियों में भर सकते हैं। बाहर के जो व्यापारी आते हैं, अस्थायी तौर पर वहां पर दुकान लगाकर बैठते हैं, उनकी यूनियन होती है, आज इतना टमाटर आने वाला है तो वे किसानों के टमाटर को देखकर यूनियन के हिसाब से टमाटर का भाव तय कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय कि जिला कलक्टर के माध्यम से जानकारी करवाएं कि किसान का टमाटर पूरी मेहनत करने के उपरान्त भी वहां पर एक रुपये पचास पैसे के

(श्री जगसीराम)

भाव से कैसे बिक रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर पैदा हुए टमाटर का आधार तय करें। वहां पर टमाटर की जो अस्थायी दुकान लगाते हैं उनको पाबन्द करें, मापदण्ड तय करें ताकि किसानों को फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, अकाल की स्थिति में आबू रोड और रेवदर के क्षेत्रों में कुओं के अन्दर बिलकुल पानी नहीं है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस किसान के कुए के अन्दर दो मिनट की भी बिजली नहीं चल रही है या तो उन किसानों का छह महीने का बिल माफ किया जाए या छह महीने तक के लिए काटकर वापस बारिश होने पर लगाने की उनको परमीशन दिलाएं।

सभापति महोदय, अकाल की स्थिति है, मवेशियों और पशुओं की बात कर रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर काफी पशुपालक हैं लेकिन वहां पर पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था हुई है कि सहकारी समितियों द्वारा वहां पर चारा डिपो खोले जाएंगे और किसानों को मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में सहकारी समितियों के सारे व्यवस्थापकों ने जिला कलक्टर महोदय को लिखित में दिया है कि हम इनका संचालन नहीं करेंगे, इसलिए वहां का किसान आज चारे के लिए इधर-उधर भटक रहा है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए सबने अपनी-अपनी बात बतायी, किसान अपनी काश्त-गेहूं, रायड़ा, मूंगफली या सौंफ को काटकर अपने खेत में, खलिहान में इकट्ठा करता जाता है और अचानक हवा के कारण उसमें आग लग जाती है, किसान का पूरा माल नष्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसमें कोई न कोई राहत दिलायी जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना है, मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र आबू के नाम से वरियाली पूरे गुजरात में फेमस है, टमाटर और सौंफ के साथ वरियाली को भी फसल बीमा के अन्दर शामिल किया जाए ताकि वहां पर किसानों को सीधा-सीधा फायदा मिल सके। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों का जो फसल बीमा होता है उसमें मेरे क्षेत्र के अन्दर गिरदावरी सही नहीं होने के

(श्री जगसीराम)

कारण किसानों को किसी प्रकार का लाभ आज तक नहीं मिला, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुन: गिरदावरी कर किसानों को फायदा मिल सके, ऐसा प्रावधान करवाएं।

सिरोही जिले की रेवदर तहसील के अन्दर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। पूरी रेवदर तहसील, सिरोही का दूध पड़ोसी राज्य गुजरात के अन्दर जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही जिला मुख्यालय पर दूध की डेयरी खोली जाए ताकि अपने राजस्थान का और सिरोही जिले का दूध अपने जिले में ही रहे तो किसानों को और सरकार को फायदा मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गांवों के किसानों के लिए जो अभी पूर्व सरकार की हित की बात कही थी कि 24 घंटे सिंगल फेज बिजली किसानों के लिए दी गयी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में सिरोही पूरे जिले के अन्दर दिन में आधा घंटा भी सिंगल फेज बिजली भी उपलब्ध नहीं हो रही है।

जो बुजुर्ग हैं, कूलर तो वैसे होते ही नहीं हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर, इतना भी नहीं है कि पंखे से वो राहत ले सकें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम सिंगल फेज की बिजली जिले के अन्दर उपलब्ध करायी जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी एक और बात कहना चाहूंगा, जो किसानों के हित के लिए अपन बात कर रहे हैं कि आज बारिश नहीं है, कुएं सूखे पड़े हैं, नरेगा के अन्दर उन कुओं को गहरे कराने का काम किया जाए तो बारिश होने पर वे कुए पर्याप्त पानी से भर जाएंगे। यह आने वाले समय में किसानों के हित में रहेगा और अपन जो खेती की बात कर रहे हैं, उसके हित की बात होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं मेरी बात गौवंश के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, पशुपालकों के लिए अपन सभी बात करने जा रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जगसीराम (रेवदर): सिरोही जिले में, मैंने दो बार और भी सदन में निवेदन किया था कि वहां पर गो तस्करी है। मेरा विधान सभा क्षेत्र बार्डर

(श्री जगसीराम)

पर आया हुआ है, मण्डार और मावल से गो तस्करी हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर मवेशियों को बचाना है तो नियंत्रण करें कि तस्करी नहीं हो और मवेशी बाहर न जाए। अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि मवेशियों के लिए चारे, पानी की व्यवस्था कराएंगे तो वहां का मवेशी सब वहीं रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39 पर चर्चा हो रही है। जहां तक कृषि का सवाल है, कृषि पर सुबह से चर्चा चल रही है मगर असल में यह है नीतियों का सवाल कि कृषि नीति सरकार कैसी बनाती है। सरकारों की गलत नीतियों का ही परिणाम है कि आज खेती पर लागत बढ़ती जा रही है। खेती में काम में आने वाले प्रत्येक सामान- खाद, डी.ए.पी., यूरिया, बीज, कीटनाशक और इसी के साथ-साथ डीजल का दाम बढ़ गया तो खेती जोतने का खर्चा भी बढ़ गया, फसल निकालने का खर्चा भी बढ़ गया। खेती महंगी होती जा रही है लेकिन उसकी फसल का दिन-प्रति-दिन भाव गिरता जा रहा है और किसान कर्जदार हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज कृषि प्रधान भारत देश में किसान आत्महत्याएं करने जा रहा है।

निश्चित तौर पर सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, कल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज कांग्रेस की सरकार है। मगर दोनों पार्टियों की कृषि नीति में कोई फर्क नहीं है, किसान की जिंदगी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ पाया है। आज भी किसान बैंक में कर्ज लेने के लिए जाता है, अपनी जमीन को गिरवी रखता है। दूसरी तरफ फैक्टरी है, फैक्टरी में इससे पहले ही ऋण मिलता है। किसानों को महंगे रेट पर ऋण मिलता है और वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है।

इसके बाद में किसान आयोग की जहां तक बात करते हैं, माननीय सभापति महोदय, न भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है न कांग्रेस की नीयत साफ है किसान आयोग के नाम पर। किसान आयोग का इनको गठन करना चाहिए था। स्वामिनाथन आयोग ने सिफारिश की है कि भारत देश के किसान को किस तरह से बचाया जा सकता है। किसान का अध्ययन किया जाए कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, खेती की स्थिति क्या है, कर्जा कहां से

(श्री पेमाराम)

ले रहा है, महाजन का कर्जा कितना है, बैंक का कर्जा कितना है, कहीं कर्जे में डूब कर किसान का परिवार आत्महत्या की तरफ तो नहीं जाए। हमारे देश में केरल में किसान आयोग बना है। कर्जे में डूबते किसान का एक दफे ऋण माफ करके भी उसकी जिंदगी को बचाने का काम होता है तो गलत नहीं है। लेकिन किसान आयोग बनाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। यह नीतियों का सवाल है। यही नहीं, यह नीतियों का ही परिणाम है, माननीय सभापति महोदय, कि हमारे भारत देश में अभी हम पशुपालक और खेती की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान के घर में जिन पशुओं से दूध डेयरी चलेगी, पशु पलेगा, हमारे घर में दूध पैदा होगा, वह दूध दस रुपये लीटर में जाएगा और अमीर के घर का बोटल पर डाटा मारा, बारह रुपये लीटर में बिकेगा। जहां किसान का दूध दस रुपये लीटर में और अमीर का पानी बारह रुपये लीटर में बिके, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सूरत में नीतियों को बदलो जिससे देश के किसान का विकास किया जा सके। जो किसान इस जमीन का कलेजा चीर कर अनाज पैदा करके हिन्दुस्तान में अनाज खिला कर लोगों की जिंदगी बचाने का काम करता है उसे बचाने के लिए। कभी वो यह कहते हैं कि हमने वो कर दिया, वो कहते हैं हमने वो कर दिया, लेकिन किसान की हालत में आज तक किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आ पाया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि किसान आयोग को तुरन्त कार्य रूप दिया जाए और उसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठाए। यह नहीं कि हम घोषणा करते हैं, किसान आयोग बनाते हैं। कागजों में किसान आयोग बन गया और किसान आयोग पर फांसी का फंदा लटक गया लेकिन राजस्थान के किसान को किसी प्रकार की राहत न मिले, ऐसे नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। जहां तक फसल बीमा, मौसम आधारित बीमा का सवाल है, संवेदनशीलता तो यह होती, शायद यह असंसदीय शब्द नहीं है, गत वर्ष भादवा के महीने में जब बरसात नहीं हो पायी थी, राजस्थान में सरकार बनी उसी दौरान भयंयकर अकाल पड़ गया था, किसान के आकाश में से हाथ छूट गया था और अभी बजट के समय हमारे राजस्थान की सरकार कह रही है कि किसान को 2000 रुपये कच्ची बीघा वाले हैक्टेयरों के हिसाब से देंगे और वो भी अभी लघु और सीमांत को देंगे। मगर मिलेगा कब? दोबारा भादवा आ जाएगा बारह महीने बाद, तब? माननीय सभापति महोदय, अभी माफ किया है,

(श्री पेमाराम)

उद्योग के लिए माफ करते हैं, अभी आबकारी में डूबा हुआ पैसा वसूल करने के लिए राजस्थान की सरकार ने छूट दी है, मैं मांग करता हूं कि अकाल का समय है, फसलें चौपट हो गयीं, 12 महीने का बिजली का बिल माफ करके किसान को बचाने के लिए सरकार अगुवाई करे। लेकिन मुझे अंदेशा है कि यह करने के लिए तैयार नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही हालत प्याज की है। जहां तक प्याज उत्पादन की बात है, मैं जिस जिले से चुन कर आया हूं, हमारा सीकर जिला प्याज उत्पादन में राजस्थान में एक नम्बर है। इधर कटारिया जी बैठे हैं, उधर हमारे कृषि मंत्रीजी बैठे हैं। प्याज उत्पादक के एक नम्बर जिला होने के बावजूद प्याज उत्पादक के किसानों को सहयोग करना एक जुदा बात है, अभी तक सरकार उनकी सुध तक लेने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह से प्याज उत्पादक किसानों को बचा कर और आगे बढ़ाने का काम करे, किस तरह से सरकार उनको राहत देने का काम करे। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि इस तरह के किसान को बचाने के लिए निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि उसकी मदद करे।

जहां तक पशुपालन का सवाल है, चिकित्सा का सवाल है, समय कम है, मंत्रीजी भी बोलेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा। निश्चित तौर पर अमीर के लिए सब कोई करते हैं, लेकिन गरीब का कोई पशु बीमार हो गया या पशु हीट में है, उस समय पांच-दस किलोमीटर तक भी किसान लेकर जाए तो बड़ी मुश्किल है। निश्चित तौर पर पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए और उनकी नस्ल सुधारने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाए। इस ओर बढ़े तो खाली पड़े हुए पद भी भरे जाएंगे। मैं तो मांग करता हूं कि इससे ज्यादा और भर्ती की जाए जिससे राजस्थान के बेरोजगार को नौकरी मिलेगी और राजस्थान के किसान के पशुओं को बचाने का भी काम होगा।

एक और चीज कहना चाहूंगा। अभी नावां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वाकई में एक कानून है। माननीय सभापति महोदय, नागौर जिले का बैल भारत देश में प्रसिद्ध बैल है, आज भी यह कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। उसमें एक कानून राजस्थान की सरकार ने बना दिया कि नागौर का बछड़ा बिकने के लिए बाहर नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, गौ वंश को बचाने के लिए बनाया। कांग्रेस की सरकार आयी, उस कानून का

(श्री पेमाराम)

मैं परिणाम बताऊं, हमारे जिले में, सीकर जिले में देशी गायों को पालने का कोई नाम नहीं लेते, पांच-पांच सौ गायों का टोला यों घूमता है। क्योंकि आर्थिक तौर पर नुकसान है, उसका बछड़ा बिक नहीं सकता। गाय उपयोगी नहीं है, दूध चार महीने देती है। तुलना करते हैं, फिर आर्थिक युग है। इसलिए चारा है नहीं, अकाल है। ऐसी सूरत में मैं मांग करता हूं कि सरकार उस कानून पर विचार करे और जो बछड़े की उम्र लगा रखी है उस बछड़े की उम्र को घटाए जिससे किसान गाय को पालना शुरु करें और पैदा होने वाले बछड़े को बेच कर अपना काम कर सकें। यही कहते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल। (अनुपस्थित) श्री शंकरलाल जी अहारी।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37 और 39 कृषि और पशुपालन पर चर्चा के लिए मुझे बुलाया, आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। प्रदेश में जब-जब अकाल पड़ते हैं तब-तब प्रदेश का किसान बहुत कमजोर हुआ है। प्रदेश के किसानों के लिए सरकार द्वारा कृषि पर नीतिगत निर्णय भी लिये गये हैं। राज्य में किसानों की दशा, ऋण व्यवस्था, उपज का मूल्य, मण्डी व्यवस्था, कृषि उत्पादन निर्यात, कृषि आधारित उद्योग व कृषि मजदूर आदि विषयों पर सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु किसान आयोग का गठन किया गया। कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु व क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सभी जिलों में जिला स्तरीय योजना तैयार करने का निर्णय लेकर जिला योजना तैयार की गयी। कृषि उत्पादन का किसानों को उचित मूल्य मिलने व कृषि व्यवसाय एवं उद्योगों की स्थापना के लिए कृषि व्यवसाय एवं उद्योग नीति बनाई गई। फसल बीमा योजना के स्थान पर प्रथम चरण में सात जिलों में मौसम आधारित बीमा योजना लागू करने का निर्णय किया गया।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि कृषकों को माह जनवरी, 2010 में 20.49 मैट्रिक टन उर्वरक वितरित किया गया। महिला कृषकों को 2008-09 में 30,679, खरीफ 2009 में 2,84,604 एवं रबी, 2009 में 4 लाख 19 हजार 20 मिनी किट्स का वितरण किया गया। किसानों की कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु 28,302 उन्नत कृषि यन्त्र और

(श्री शंकर लाल अहारी)

अनुदान किसानों को उपलब्ध कराये गये। राज्य में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग हेतु किसानों को उन्नत सिंचाई तकनीक का ज्ञान उपलब्ध कराकर 2009-2010 में अप्रैल 2009 से जनवरी, 2010 तक 3700 किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन पर 739 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया।

माननीय सभापति महोदय, जहां किसान रहता है वहां पशु रहता है। पशु और किसान का सम्बन्ध है, सदियों से है, आज का नहीं है। किसान अपने पशुओं की व्यवस्था के लिए सब कुछ करता है क्योंकि वह बोलता नहीं है। जो प्राणी बोलता नहीं है उसकी जो सेवा करता है वह भगवान से भी ऊपर होता है, ऐसा हम मानते हैं।

राज्य में प्रथम बार भेड़ व बकरी पालन को बढ़ावा दिया गया और राज्य के उन्नीस अतिरिक्त जिलों में चल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की गयी। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 27 जिलों में भैंस बीमा योजना लागू की गयी है। यह सही है कि किसान जो भैंस रखते थे, वह मर जाती थी तो उसका कोई बीमा नहीं मिलता था। प्रथम बार हमारे मंत्रीजी द्वारा प्रदेश के 27 जिलों में भैंस बीमा योजना चालू की गयी। भैंस बीमा योजना केन्द्र सरकार से प्रायोजित है। पशुपालन विभाग की राज्य पशुधन विकास नीति तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया। पशुधन विकास नीति को 17.2.2010 को मंत्रिमण्डल द्वारा मंजूरी मिली। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार निरन्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है।

राज्य में प्रथम बार पशुओं के लिए 'चिकित्सालय पशुपालन के द्वार' योजना खोली गयी। इसमें एक पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसमें काफी पशुओं को इकट्ठा करके उनका उपचार किया जाएगा। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2009-2010 में बजट की घोषणा की गयी। राज्य में उपलब्ध पशु की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाता है। इसके साथ साथ 304 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।

(श्री शंकर लाल अहारी)

राज्य में प्रथम बार भेड़ एवं बकरी पालन को बढ़ावा देने, अनियंत्रित प्रजनन को रोकने तथा देशी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये भेड़, बकरी प्रजनन नीति जारी की गयी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) पशु प्रयोजन एवं स्वास्थ्य कार्ड का संधारण एवं वितरण किया गया। पशुधन विकास नीति बनी। राजीव गांधी पशुपालन विकास मिशन का गठन किया जा चुका है।

माननीय सभापति महोदय, दूध डेयरी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में एक दूध डेयरी है, उस दूध डेयरी में काफी औजार हैं, भवन बना हुआ है, परन्तु न मालूम किन कारणों से काफी लम्बे समय से बंद है। आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह दूध डेयरी आदिवासी क्षेत्र में है, टी एस पी एरिया में है, और कहीं नहीं है, दूध वाले गुजरात जाते हैं, दूध की बिक्री गुजरात की तरफ होती है तो हमारे इधर के लोगों को लाभ नहीं होता है, उसमें एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, दूध डेयरी यथावत जैसी है वैसी ही स्वीकृत करावें तो हमारे यहां जितने भी पशुधन वाले, दूध वाले लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे एक निवेदन करने जा रहा हूं, वर्षा कम होने के कारण राज्य सरकार द्वारा 27 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। लघु एवं सीमान्त कृषकों को 2 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अधिकतम दो हैक्टेयर तक अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया। अकाल की स्थिति को देखते हुए रबी के दौरान वर्ष 2009-2010 में चारा किट्स नि:शुल्क वितरित करने की जो घोषणा की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, बहुत-बहुत हम धन्यवाद देते हैं। मिनी किट्स से लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में चारे की बुवाई की गयी है जिससे 60 लाख मैट्रिक टन हरा चारा पशुओं के लिये उपलब्ध होने का अनुमान है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ताकि दुधारू पशुओं को चारा उपलब्ध हो सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कोई सुझाव हो तो दो आप।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): एक मिनट। जनजाति क्षेत्र में खरीफ और रबी के दौरान कृषकों को जो मक्का मिलता है, वह हाई ब्रीड बीज ज्यादा मात्रा में दिया जाए। हमारे यहां जो 3,500 मैट्रिक टन किया गया है, इससे भी ज्यादा किया जाए। वर्ष 2011 में 35 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, परन्तु यह अनुदान बहुत कम है, उसको और बढ़ाया जाए।

(श्री शंकर लाल अहारी)

हमारे वहां किसानों के व्यक्तिगत कुए हैं, उन कुओं को गहरा करना अत्यन्त आवश्यक है। नये और पुराने कुए सरकार हाथ में लेकर उनको पूरा कराए।

आदिवासी क्षेत्र में मशीन के द्वारा जो दवाई का छिड़काव होता है, वह मिली तो है पर नहीं के बराबर है। मक्का बीज, फव्वारा और पाइप टी एस पी एरिये में अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिया जाता है तो वहां का किसान ज्यादा लाभ ले सकेगा।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रतन देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति जी, आज मांग संख्या 37 और 39 पर बोलने का मौका हुआ। पशुपालन और पशुपालकों के बारे में चर्चा की जाती है, पिछली बार जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, बजट पर चर्चा हुई, उस समय भी मैंने पशुपालकों और पशुपालन के बारे में उल्लेख किया था। आज सबसे बड़ी समस्या अगर किसी को है तो सबसे ज्यादा पशुधन रखने वाले पशुपालकों को है और पशुधन को है। हम काफी बार पशुधन को एक ही बिरादरी में गिन लेते हैं, मगर, सभापतिजी, मैं बताना चाहता हूं कि एक तो पशुधन वह है जो हम हमारे घर पर, कुए पर, बेरों पर रखते हैं और जिसको शाम को खूंटे पर बांध देते हैं, सुबह खोल देते हैं। एक पशुधन वह है जो कलेक्टिव रहता है, झुण्ड में रहता है। जिनको खूंटे से नहीं बांधते, बाड़े में रखते हैं और निष्क्रमण करते हुए लोग उनको लेकर एक जगह से दूसरी जगह, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या अगर है, सबसे बड़ी तकलीफ है तो पशुधन और पशुधन रखने वाले पशुपालकों को है।

सभापतिजी, पशुधन के बारे में बात करूं, मैंने कहा था कि हम सदन में पहली बार आये तो पशुपालकों के हिसाब से आये तो यह बात कहने का मौका मिला। एक जमाना था जब ऊंट जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आता है, ऊंट सबसे बड़ा परिवार रखा करता था। उस गांव के अन्दर भले ही वह पशुपालक कैसा ही हो मगर जिस पशुपालक के पास ऊंट रहता था तो उस गांव में ऊंट की संख्या के हिसाब से उस पशुपालक की हैसियत तय करते थे। उस गांव में उसका स्टेटस तय होता था, उसको बलवान और धनवान माना

(श्री रतन देवासी)

जाता था। मगर आज ऊंट देखने को नहीं मिलते। जहां लोग पांच सौ, हजार का झुण्ड रखते थे, वहां मात्र दस ऊंट रह गये हैं।

अभी रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य बात बता रहे थे, उन्होंने बछड़ों की बात की। अब तो बछड़े और बैल लेकर आप जाते हो कत्लखाने या और कहीं जहां जाते होंगे। ऊंटों की भी यही स्थिति आने लग गयी है, और कोई रोकता नहीं। सभापतिजी, हमारे यहां बीकानेर में रिसर्च सेण्टर है। ऊंट के अस्तित्व को बचाने के लिये केवल हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अन्दर अरब कण्ट्री की बात करो आप, अरब देशों के अन्दर ऊंटों की प्रतियोगिता रखी गयी ऊंट के सम्मान में, ऊंट के बारे में बताने के लिये कि अच्छी नस्ल हो, यह ज्यादा काम में आवे, इनकी संख्या बढ़नी चाहिये और इनकी प्रतियोगिता होनी चाहिये। 90 से 100 मिलियन डालर तक उस प्रतियोगिता में रखा यह बताने के लिये कि ऊंट को किस तरह से हमें पूरा संरक्षण देना चाहिये।

सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सदन में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी पिछले महीने फरवरी में एक सर्वे हुआ, समाचार पत्रों में वह सर्वे भी छपा। हिन्दुस्तान टाइम्स के अन्दर छपा, जिसके अन्दर उन्होंने यह दिया कि यह तादाद कम होती जा रही है। चूंकि हम उनको सुविधाएं नहीं दे पाते, उनका उपचार नहीं कर पाते, उनको प्रोत्साहित नहीं कर पाते, उनका संरक्षण नहीं कर पाते इसलिये धीरे-धीरे उनकी तादाद कम हो रही है और इस वजह से आने वाले समय में ऊंट को जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने एक महिला का इन्टरव्यू लिया जिसमें महिला ने बताया "They never sold female camel outside the community and avoided the idea of selling camels for meat." मैं पशुपालक हूं, मेरे परिवार में आज भी हैं, और हजारों ऊंट रहे हैं। हम ऊंट बेचते थे तो एक परिवार से दूसरे परिवार में बेचते थे। मगर आज यह ऊंट कत्लखाने में मांस के लिये, दूसरों के लिये बेचा जाता है। तो सर्वे में बताया कि धीरे-धीरे करके इस हिसाब से पूरी की पूरी ऊंट की नस्ल ही खराब हो जाएगी। हमारे यहां उपचार नहीं हो पाता, मगर विदेश में अरब में जब बीमारी की वजह से सैकड़ों ऊंट मरने लगे तो हमारे रिसर्च सेण्टर के वैज्ञानिकों को वहां बुलाया और उनके उपचार में काम में लिया। हमारे यहां हम ये सुविधाएं पिछले कई वर्षों से दे नहीं पाये हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डा. कोर्लरोलर्नसन हैं तथा और भी लोग हैं जिन्होंने सर्वे किये हैं, जो

(श्री रतन देवासी)

एक्सपर्ट हैं और जो ऊंट पर रिसर्च कर रहे हैं। समय की पाबंदी है, नहीं तो और भी आपको बताना चाहता हूं कि विदेश में जितने भी सर्वे करने गये, जिन्होंने यहां आकर शोध किये ऊंट के बारे में, उन्होंने इस स्थिति को सबसे ज्यादा गम्भीर माना है कि हिन्दुस्तान में ऊंट सबसे ज्यादा रहते थे, सबसे ज्यादा लोग रखते थे, आज धीरे-धीरे करके इन ऊंटों की संख्या कम होती जा रही है। अगर इसको हमने नहीं संभाला, प्रोत्साहन नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे। विदेश के लोग यहां आकर मानकर जाते हैं, एक जर्मन लेडी थीं उन्होंने यह माना कि तेल से महंगा, वैल्युएबल और काम का ऊंटनी का दूध है। इसके अलावा उन्होंने डायबिटीज पर रिसर्च की और यह भी बताया कि आने वाले समय में टी.बी., कैंसर, एड्स इन बीमारियों पर अगर हम ऊंटनी का दूध प्रयोग करें तो यह सबसे ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है।

सभापति महोदय, यहां मैं आपके समक्ष एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन आफ युनाइटेड नेशन ने यह बताया कि इन बीमारियों पर इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा इस बारे में, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक स्टडी हुई उसके अन्दर ऊंटनी के दूध को डायबिटीज के 12 जनों पर करीबन 52 हफ्ते तक प्रयोग किया गया और यह बताया गया, और यह सही भी है, मैंने काफी जगह व्यक्तिगत इस चीज को देखा है, कि इंसुलिन लो या यह दूध 500 एम.एल. लो, डायबिटीज पूरी की पूरी कंट्रोल में आ जाती है। यह दवाई के रूप में काम आता है, लेकिन हम उसका प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज थी, उस पर इसका आठ महीने तक प्रयोग कराया, आठ महीने बाद उसके डायबिटीज नहीं निकली, इस दूध से क्योर हो गयी। मैंने व्यक्तिगत रूप से गांवों में इस चीज को देखा हुआ है। ऐसे पशुपालक आज भी बहुत हैं जो ऊंट पाल रहे हैं, रख रहे हैं, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि अभी भी समय है, आप इसका प्रोत्साहन कराएं, आप इनको मजबूत करें, इनका संरक्षण करें ताकि यह ऊंट का हमारा कल्चर बचा रहे।

सभापति महोदय, मैं पशुपालकों के लिए एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पशुधन रखते हैं, जिनके पास भेड़ हैं, बकरियां हैं, गायें हैं, मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं कि वे प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश जाते

(श्री रतन देवासी)

हैं, गुजरात जाते हैं, हरियाणा में बैठे हैं हजारों पशुधन लेकर, वे आज भी उसी स्थिति से निकलते हैं। आगे अकाल जैसी स्थिति है, पीने को पानी नहीं है, यह भी समस्या आएगी कि जो पशुधन लेकर बाहर जाते हैं उन लोगों को समस्या होगी, उनको दूसरे राज्य यहां से आने नहीं देंगे। चराई के दुगने रेट लेते हैं और उनकी आपस में मारपीट की घटनाएं होती हैं। आपने लाइसेंस देने की बात की है, फिर वापस बात चली जाती है कि गृह विभाग करेगा, कृषि विभाग करेगा। आखिर पशु और पशुपालकों की बात है आप उनको लाइसेंस दिला दें। पिछली बार कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, मैं एक-एक का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं सम अप कर रहा हूं। मगर यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप मुझे पांच मिनट दीजिये, मैं इस बात को पूरा कर लेता हूं। चार-पांच साल से ये बैठकें बंद हैं। पहले चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठकें हुआ करती थीं जिसमें फोरेस्ट के आफिसर, रेंज के जितने पुलिस आफिसर हैं और सारे लोग निष्क्रमण करने वाले पशुपालकों के बारे में बात करते थे और स्थिति का जायजा लेते थे। काफी समय से ये बैठकें बंद कर दीं। अगर ये नहीं हुई तो इन पशुपालकों के बारे में जो पशुधन लेकर जाते हैं, बात नहीं होगी। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, पहले मैंने अनुरोध किया था, 18.06.2009 को यह सरकार बनने के बाद उन्होंने नये सिरे से एक आदेश निकलवाया कि प्राथमिक स्तर पर जिला कलक्टर अपने वहां संबंधित डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनको इकट्ठा करके और भेड़ पालकों को बुलाकर, निष्क्रमण करने वाले व्यक्तियों को बुलाकर मीटिंग करेंगे ताकि उन पशुपालकों की बात कर सकें। और कि हाई पावर कमेटी की जो बैठकें होती थीं, 1986 से यहां लागू कीं, उन मीटिंगों को निरन्तर किया जाए ताकि आने वाले समय में जब अकाल का समय आएगा, दिक्कत न हो। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, दूसरे राज्यों ने हमें आने नहीं दिया था, दूसरे राज्यों में पशु चराने नहीं दिये थे। मगर उस समय 2000 में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी थी और उस समय फ्री में वहां चराई के लिए उनको अनुमति मिली। एक-डेढ साल तक वहां फ्री में चराई की और उनको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इस स्थिति पर आप देखें।

(श्री रतन देवासी)

सभापति महोदय, अंत में, हमारे कई साथियों ने- जैसलमेर से आने वाले साथी ने भी यह बात कही, रेवदर से आने वाले सदस्य ने भी यह बात कही, मैं भी आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जो निष्क्रमण करने वाले पशुपालक या भेड़पालक हैं, उनको प्रमाण-पत्र में बहुत ज्यादा तकलीफ आती है। उनको प्रमाण-पत्र एसडीओ या कलक्टर लेवल से लेना पड़ता है, बहुत तकलीफ आती थी। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम सेवक या पटवारी एक बार सर्टिफाई कर दे तो उपखंड या जिला लेवल पर आराम से उसका प्रमाण-पत्र हो सकता है और वे अपने पशु लेकर आराम से बाहर जा सकते हैं। नहीं तो उसका आधा समय धक्के खाने में चला जाता है।

सभापति महोदय, अंत में मैं पशुपालकों के लिए पशु चिकित्सा की योजना के बारे में कहना चाहता हूं, वे गांवों में जाते हैं, ग्राम पंचायतों में जाते हैं, मगर मेरा निवेदन है कि निष्क्रमण करने वाले भेड़पालक या पशुपालकों का कोई डेरा है, वे कहीं रोड पर बैठे हैं तो वह इकाई वहां पर भी उन्हें प्रशिक्षित करे, उन्हें देखे कि कोई तकलीफ है कि नहीं, पशुओं को वहां कोई समस्या तो नहीं है। तो उन लोगों को वहां उपचार मिल जाए। यह जो महत्वपूर्ण घोषणा पिछले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने की थी, इसका लाभ आम पशुपालक ले सकेगा।

सभापति महोदय, अंत में, हमारे रेवदर से आने वाले साथी ने एक बात कही कि हमारे यहां से बैल और बछड़ों की ज्यादा तस्करी होती है। यह सत्य बात है कि यह होता है। मगर इसमें तकलीफ यह हो जाती है कि जिसको करना है वह तो प्रेम से कर लेता है-वह एक राज्य से दूसरे राज्य में गौ-वंश भी बेच देता है, बछड़े बेच देता है, बैल बेच देता है। मगर पशुपालकों को सरकार इजाजत देती है कि अगर तीन साल से ऊपर का उसका बछड़ा है तो मेडिकल बोर्ड उसको सर्टिफाई करेगा कि तीन साल का बछड़ा हो गया है और वह कृषि उपयोग के लिए उस बछड़े को अन्य प्रदेश में भेज सकता है। वहां का एसडीओ या तहसीलदार लिखकर देता है। फिर बछड़ा जहां जाता है वहां उतारने के बाद उस तहसील का एसडीओ या तहसीलदार वापस प्रमाणित करके देता है उसी कागज पर कि हां, इतने बछड़े थे, यहां आये और इनको उपयोग के लिए उतार लिया गया। और वापस यहां बात आती है। पशुपालक लेकर जाते हैं जिनके बछड़े होते हैं, जो बैल काम नहीं आते उनको कृषि

(श्री रतन देवासी)

उपयोग में काम में लिया जाता है गुजरात में, काफी जगह उनको लेकर जाते हैं, उनको तकलीफ आ जाती है। और जिनको नहीं ले जाना चाहिए, उनको ले जाने देते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को भी आप थोड़ा अच्छी तरह से कीजिये ताकि उन लोगों को समस्या नहीं हो। अन्यथा तो रोज उठकर हमारा यही काम होता है, तकलीफ होती है, कि फोन उठाकर बात करो या लड़ाई करो। मेरा यही निवेदन है कि इन कलेक्टिव पशुधन रखने वाले लोगों की जो झुंड में पशु रखते हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। काफी समय हो गया है मगर फिर भी आपसे कहूंगा, मेरे कटौती प्रस्ताव में भी कई चीजे दी हैं, कि निष्क्रमण करने वाले भेड़पालकों और ऊंट के बारे में जो मैंने बताया है, आप, मंत्रीजी, उस पर गौर करें। निष्क्रमण करने वाले भेड़पालक या पशुपालक हैं उनको आगे भी आप राहत प्रदान करें। जो आपने पूर्व में बोर्ड बनाया था पशु कल्याण बोर्ड पशुओं के लिए, आपने उसको एडवाइजरी किया है। मुख्य मंत्रीजी ने भी यह बात की है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उनको शक्तियां दीं कि कम से कम पशुपालकों के बारे में एजेण्डा तय कर सकें, बात कर सकें और उनकी समस्याओं को सही जगह उठा सकें। यही मैं आपको बात करते हुए धन्यवाद प्रकट करता हूं।

(: 21.00 बजे)

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आज सदन में कृषि और पशुपालन विषय पर चर्चा हो रही है जिसका सम्बन्ध राजस्थान की 66 प्रतिशत आबादी से है जो ठेठ ढाणियों में और गांवों में रहते हैं। सभापति महोदय, यह सही है कि पशु तो मूक है ही, पर आजादी के 6 दशक गुजर जाने के बाद किसान भी मूक है, किसानों के संगठन की कोई आवाज नहीं। इसके कारण आज जब यह चर्चा चलती है कि खेती अलाभकारी हो गई तो निश्चित तौर पर जो किसान धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कितनी है, यह अपने आप सामने आ जाता है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे समय में इण्टरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च सेंटर ने अभी एक शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसमें यह लिखा है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है और यही रफ्तार जारी रही तो हिन्दुस्तान में जो गेहूं आज हम उत्पादन कर रहे हैं, वर्ष 2050 में उसका 50 फीसदी उत्पादन मात्र रहेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ देश की विकास दर को हम 9 फीसदी तक ले जाने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कृषि की विकास दर निरन्तर गिरती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक समीक्षा की जो पुस्तक आपने हमें दी है, उसमें जब हम हमारे प्रदेश की विकास दर को देखते हैं 2006-2007 में 12.73 और 2009-2010 में 2.5, तो हम देख रहे हैं कि प्रदेश किधर जा रहा है। परन्तु इसके साथ ही जब सकल घरेलू उत्पाद के अन्दर कृषि के योगदान को देखते हैं तो चिंता और बढ़ जाती है। वर्ष 2006-2007 के अन्दर हमारी जी एस डी पी में कृषि का जो सहयोग रहा, कृषि का जो अनुपात रहा वह था, 26.60, और 2009-2010 में जब हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, वैज्ञानिक कृषि की बात करते हैं, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति की बात करते हैं, इजराइल पद्धति की बात करते हैं, उस समय यह घटकर 19.94 रह गया।

माननीय सभापति महोदय, अभी कृषि विभाग ने आकलन किया था, खुद का आकलन है, कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 35.8 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन राजस्थान में कम होगा। मैं उन सारी बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, सदन का मूड देख रहा हूं, पर ऐसे समय में जो हमारी आवश्यकता है, मैं अभी एक समाचार पत्र पढ़ रहा था, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र ने एक अनुसंधान किया कि किस तरह हम कम पानी से फसल को बोएं, कौन-कौनसी ऐसी फसलें बोएं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से अनुसंधान हो रहे हैं कि हम कम पानी से फसलों को कैसे पैदा करें, इसका डिमोंस्ट्रेशन आप फील्ड में, ठेठ गांव में जाकर करें और किसानों को बताएं कि कैसे वे कम पानी में फसलें ले सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने एक बात का जिक्र किया कि हमारे राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने 2008-2009 में 1630 करोड़ रुपए की बात की थी। अभी जो आर्थिक समीक्षा है इसके पृष्ठ 23 पर वार्षिक योजना वर्ष 2009-2010 और संशोधित आउट-ले है, उसको देखकर मुझे लगता है कि यह राजस्थान की हुकूमत कृषि और सम्बन्धित सेवाओं के प्रति कितनी गम्भीर है। यह जो पहले कह रहे हैं कि 1977 करोड़ रुपए का प्रावधान किया पिछले वर्ष में, आर ई के जब आंकड़े आये तो यह कम होकर 889 यानि रिवाइज एस्टीमेट में कृषि से सम्बन्धित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बजट में 60 प्रतिशत की कटौती सरकार ने कर दी। यह अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार कृषि के प्रति कितनी गम्भीर है। मैं उन आंकड़ों की तरफ नहीं जाना चाहता कि जनवरी तक इन्होंने 515 करोड़ रुपए खर्च किये, परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही बात रही तो किसान का वोट जिस दिन लेना होगा उस दिन किसान की दुहाई देंगे, गांव की दुहाई देंगे और किसान के लिए जब बजट में प्रावधान करना होगा तो एक बार सब्जबाग दिखाएंगे और फिर ऐसी कैंची चलाएंगे कि उसके सारे सपने धराशायी हो जाएं। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ी बात हुई। नावां से आने वाले हमारे नौजवान माननीय सदस्य ने कई तरह के कसीदे पढ़ दिये, कई तरह की बधाई और धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी को दे दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पूर्ववर्ती सरकार के घोषणा पत्र का जिक्र किया।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय से जितने भी आये हैं उन सबको कसीदे पढ़ने की आदत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में ग्राम पंचायत को इकाई बनाने की घोषणा की थी। आपने घोषणा की थी कि हम प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा नीति बनाएंगे। मैं उन लोगों की बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी आप घण्टी बजा देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका और इस सदन का ध्यान तारांकित प्रश्न जो मेरा और डाक्टर दिगम्बर सिंहजी का था, और जिसका इन्हीं कृषि मंत्रीजी ने हमें उत्तर दिया, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 17 फरवरी, 2009 को हमने यह सवाल किया कि क्या सरकार फसल बीमा योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु ग्राम पंचायत को इकाई बनाने का विचार रखती है? कृषि मंत्रीजी, आपका उत्तर है, जी हां, फसल बीमा योजना की क्रियान्विति में ग्राम को इकाई मानकर किए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। आपका बहुत-बहुत साधुवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद। फसल बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को लागू करने की समय सीमा 2009-2010 से प्रस्तावित है। यह 2009-2010 आपका निकलता जा रहा है, आपने इस पवित्र सदन में इस प्रश्न के माध्यम से राजस्थान के आम-अवाम से जो इकरार किया, वह खाक हो गया। आपने बात की थी कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम कृषि व्यवसाय नीति बनाएंगे। यह बात इन्होंने सदन में मेरे सवाल के जवाब में कही है, जी हां, कृषि व्यवसाय नीति अभी जारी नहीं की गई। कृषि को उद्योग के रूप में बढ़ावा देने की बात और उन सारे सवालों के उत्तर, वह सब लम्बा-चौड़ा है, मैं आपका ध्यान नहीं दिलाना चाहता, पर, माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन बिन्दुओं की तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का दिलाना चाहता हूं। यहां पर कृषि विपणन मंत्रीजी भी विराज रहे हैं, माननीय मंत्रीजी, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में एक बात चर्चा का विषय बनी थी, अदरक, वही अदरक कभी आपने मसाला मानी और कभी आपने सब्जी मानी। माननीय सभापति महोदय, कई बातें ऐसी आ जाती हैं, मैं कहना नहीं चाहता, पर राजस्थान का आम व्यक्ति जब बात करता है, हमारे माननीय मंत्रीजी ने 2.9.2009 को, मेरे पास वह पत्रावली है, आप कहें तो टेबल कर दूं, उसमें आपने लिखा है, अदरक मसाला है और इसको मसालों की श्रेणी में रखा जाए। गुरमीत सिंहजी दस्तखत हैं, बड़े अच्छे दस्तखत हैं आपके। फिर उसके बाद आप 16.9 को दस्तखत करते हैं कि अदरक सब्जी है। दोनों मेरे पास हैं, दिखा दूं आपको।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): दोनों में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, इसमें फर्क क्या है? अदरक को अगर सब्जी में शामिल करते हैं तो 6 प्रतिशत आढ़त उनके पास जाती है जो कमीशनखोर हैं, कमीशन एजेण्ट हैं। और अदरक यदि मसाला है तो 2 प्रतिशत। माननीय सभापति महोदय, मैं क्या निवेदन करूं, आपके प्रमुख शासन सचिव एस अहमद साहब जो बड़े विद्वान आदमी हैं, वह लिखते हैं अपनी टिप्पणी में, टिप्पणी भी आप कहें तो मैं टेबल कर दूंगा, 12.8.2009 ''I think, it is mentioned in the schedule (annexure) etc. the act itself that ginger is a spice not a vegetable." मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं इसमें एक-एक पत्रावली की बात की जा सकती है कि आपके डाइरेक्टर साहब ने अपनी टिप्पणी लिखी, आपको सी एम ओ से कब लैटर मिला, लेकिन किसके दबाव में आकर, कृषि विपणन मंत्रीजी, आप जैसे दबंग व्यक्ति ने अपनी लिखावट से दो हस्ताक्षर कर दिए? माननीय सभापति महोदय, इसके कारण राजस्थान का वह गरीब किसान जो अपनी धरती में अदरक पैदा करता है, उसको कितनी आढ़त प्रति वर्ष ज्यादा देनी पड़ती है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस बारे में मैं समझता हूं कि जब आप अपनी बात कहें तो निश्चित रूप से कहें।

माननीय सभापति महोदय, एक बिन्दु पर और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी हमारे माननीय सदस्य देवासीजी बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था कि वास्तव में एक पशुपालक का लड़का बोल रहा है। और यह बात सही भी है, राजस्थान में अगर किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे पशुधन का है। इस पशुधन को हम किसान की अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड भी कह सकते हैं। हमारी जी एस डी पी में इसका 13 प्रतिशत योगदान है। हमारा कुल पशुधन उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, परन्तु 1 करोड़ 27 लाख हमारा गौ वंश है। यदि पशुपालन की बात करें, पशु संवर्द्धन की बात करें, कई बार सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग गांव, धर्म, संस्कृति और राम के नाम को लेकर हमारे ऊपर टीका-टिप्पणी करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। और उसमें यह कहा कि राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी अधिनियमों को अपडेट करें और सुझाव भी दिया उन्होंने ''To give grant for maintenance of the Gaushalas recognized by the State Government'' हिन्दुस्तान की सब राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार लिखती है, केन्द्र सरकार की जो मंत्रालयों की कमेटी बनी हुई है वह लिखती है। सभापति महोदय, सरकार के पास यह सारा पत्र आया उसके बाद, सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 19 (9) ए में यह सरकार को अधिकृत करते हैं कि किन-किन कामों के लिए कृषि उपज मण्डी का पैसा खर्च हो जाता है और फिर 20 अगस्त, 2009 को परिपत्र संख्या 1035-1207 डेटेड 20.8.2009 द्वारा आप एक आदेश जारी करते हैं कि प्रदेश की मंडियों के मण्डी शुल्क से प्राप्त आय में से प्रति वर्ष 5 परसेंट राशि राज्य की पंजीकृत गौशालाओं के रखरखाव, पशुधन के चारे और पानी के लिए आरक्षित होगी। बहुत अच्छा, पूरे राजस्थान में स्वागत हुआ, गाय के प्रति आपका प्रेम सब लोगों के सामने आया। पर उसके बाद 2.9.2009 को, सिर्फ 12 दिन बाद ही, आप फिर एक सर्कुलर जारी करते हैं, सर्कुलर संख्या 23547-94, और उसमें लिखते हैं कि पूर्व में जारी परिपत्र में शब्द प्रति वर्ष को विलोपित किया जाता है। यानी आपने उसको सीमित कर दिया कि आप मात्र इस साल आपकी जो आय होगी, उसका 5 फीसदी रजिस्टर्ड गौशालाओं को देंगे। उसके बाद, सभापति महोदय, 2 फरवरी, 2010 पंचायतों के तीसरे चरण के चुनाव हो गये थे उस समय आप फिर एक सर्कुलर जारी करते हैं, सर्कुलर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नम्बर 43952-44126 डेटेड 2.2.2010, इसमें कहते हैं कि गौशालाओं को मण्डी आय से देय अनुदान राशि के आदेश को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। ढाई सौ करोड़ की आपकी प्रति वर्ष की मण्डी की आय है, अगर इसका पांच परसेंट यानी मात्र 12 करोड़ रुपये आप उस गौधन के लिए दे देते? राजस्थान में 990 पंजीकृत गौशालाएं हैं, साढ़े चार लाख गौवंश उसमें रहता है। क्या कारण रहा? किसने आपको कहा था कि आप पहले यह ढिंढोरा पीटो कि आप गाय प्रेमी हो? और क्यों आपने रद्द किया?

सभापति महोदय, आज सरकार कहती है कि छोटे पशु के लिए 10 रुपये प्रति दिन और बड़े पशु के लिए 20 रुपये प्रति दिन सरकार जारी कर रही है। गिरदावरी की रिपोर्ट आपके पास आ गई, गिरदावरी की रिपोर्ट आपके पास जब सितम्बर में आ गई उसके बाद, मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, कि आज तक आपने कितनी गौशालाओं के लिए, कितने कैटल कैम्प के लिए, कितनी जगह पर चारा डिपो खोले? ये सब चीजें बिलकुल नगण्य हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ विषय निश्चित तौर पर ऐसे होने चाहिए जिनमें राजनीतिक चश्मे के तौर पर नहीं देखकर यथार्थ से हमें देखना चाहिए। मैं स्वागत करना चाहूंगा देवासी साहब ने राजस्थान के जहाज ऊंट की बात कही। सभापति महोदय, 1997 में हमारे यहां ऊंटों की संख्या 6 लाख 60 हजार थी, 2003 की जो पशुगणना हुई, उसके बाद लेटेस्ट पशुगणना में ढूंढा तो मुझे मिला नहीं, उसमें घटकर 4 लाख 98 हजार हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने सही कहा था, बहुत बड़ी आवश्यकता है, ऊंट जो एक तरह से लुप्त होता हुआ प्राणी है, लुप्त होता हुआ पशु है उसको बचाने की। जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, या लुप्त होने के कगार पर है, उनको बचाने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, 1997 से 2003 तक अगर पूरी पशुगणना को हम करें, 10.10 फीसदी पशुधन घटा है। मैं समझता हूं, निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए। आज देश के अन्दर 10 फीसदी दूध का उत्पादन राजस्थान करता है, 40 परसेंट ऊन का उत्पादन राजस्थान करता है, 30 परसेंट बकरे के मांस का उत्पादन हमारा राजस्थान करता है पर हमारे यहां ऊंट के ऊन की विक्रय मंडियां बंद पड़ी हैं। हमारे यहां आज कहां किसान अपनी ऊन को बेचे, इसका कोई प्रावधान नहीं है। आज गाय धारपारकर हो, राठी हो, गिर हो, सिरोही हो, हमारी कामधेनु जैसी गायें, ये लुप्त होती जा रही हैं। हमारी खुद की पशुओं की जिस तरह की श्रेणी है, मैं समझता हूं, इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बारे में निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। नागौर के बैल के बारे में कई तरह की टीका-टिप्पणी की गई, हम भी इसके पक्षधर हैं। तीन साल के नागौरी बैल का बछड़ा एक तरह से इस योग्य हो जाता है कि अगर किसान उसको खेत में काम में ले तो खेत में काम में ले सकता है। तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए।

मैं अंत में एक ही निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करूंगा, मंत्री महोदय, वेटरिनरी के जो आपके ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उनका जब तक वेटरिनरी कौंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा, वे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों फाइल पर विराजे हुए हैं आप? कितना काम है, क्या कारण है कि जो नोटिफिकेशन, 9 फरवरी को चुनाव हो गये, 9 फरवरी को जारी होना चाहिए था वह नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ? निश्चित तौर पर इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आज राजस्थान के वेटरिनरी के स्नातक विद्यार्थियों ने यहां प्रदर्शन किया है, लम्बी-चौड़ी घोषणा हम कर जाएं, हम 'डाक्टर आपके द्वार' की बात कर लें, और बात कर लें, पर जब तक चिकित्सकों की यह कमी पूरी नहीं करेंगे, पशु संवर्द्धन की बात बेमानी होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान को बचाना है, राजस्थान के किसान को बचाना है तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के मेरूदण्ड राजस्थान के पशुधन को बचाना पड़ेगा। राजस्थान के किसान की जो हालत बन गई, 50 साल में 40 साल जिसने अकाल को झेला है, अगर इसके साथ ईमानदारी से काम नहीं करेंगे न, तो, कृषि मंत्रीजी, लोग कहते हैं कि राजस्थान का कृषि मंत्री भी किसान है, लोगों के मन से भ्रम टूट जाएगा। आप चुनाव जीते हो अपनी ताकत से, आपने कांग्रेस को पीटा, आपने भारतीय जनता पार्टी को पीटा, मैं समझता हूं, आप जैसे व्यक्ति को ज्यादा मोहपाश में नहीं फंसना चाहिए। जहां आपको दिये गये बजट की इतनी-इतनी कटौती मुख्य मंत्रीजी कर दें, मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री और आपके बीच में विश्वास का रिश्ता दरक गया और जब विश्वास का रिश्ता दरक जाता है तो उनके साथ ज्यादा दिन काम करने की आवश्यकता नहीं। आज रिप्लाई करें उसके साथ साथ, यह भी कह दें कि मैं किसान हूं, मेरी आत्मा जाग्रत हुई है, किसान की दुर्दशा मैं देख नहीं सकता, पशुधन की दुर्दशा देख नहीं सकता और, कह दो, मैं मेरे पद को छोड़ रहा हूं। जब आप इस सदन से बाहर जाएंगे, लोग माला लेकर स्वागत करेंगे। वह माला नोटों की हो या न हो, पर आपका स्वागत करेंगे और आप ऐतिहासिक पुरुष बन जाएंगे। इसलिए मेरी यह सलाह भी मान लेना। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: कुन्नर साहब को सलाह नहीं दे रहे हो आप? (व्यवधान) श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपने भी पहले कई बार किया होगा? (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह नेक काम, अभी आपने जो आत्मा जाग्रत करने वाली कही, आपने भी कई बार किये होंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, जिस किसान को हम लगभग 60 साल से अन्नदाता कहकर उसकी तारीफ करते-करते थक गये, चाहे राज में हम हों या आप हों, लेकिन वास्तव में उसकी स्थिति का अगर ठीक ढंग से विश्लेषण करें तो, मैंने अपने बचपन में यह जरूर सुना था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और सबसे नीचे नौकरी, आज की तारीख में अगर गांव में किसी अनपढ़ को भी पूछ लो तो वह यह कहेगा कि सबसे नम्बर एक पर नौकरी, फिर उसके बाद व्यापार और सबसे गया- बीता धंधा किसान का, आज की तारीख में, खेती। उसका कारण है कि हमने कभी भी खेती को लाभकारी बनाने का सोचा ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया आज दिन तक कि किसान जो खेती करता है, वास्तव में उसको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। आप ने देखा होगा, खेत में जितनी बुवाई की और गेहूं पककर तैयार हुए 20 बोरी, उसको बाजार में ले जाकर जब बेचते हैं तो 20 हजार रुपये आते हैं। सारा खर्चा बिजली, पानी सब निकालने के बाद 16 हजार तो खर्चे में चला जाता है, बचता है 4 हजार। 4 हजार में घर के पांच लोगों ने सौ दिन तक वहां मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसको 4 हजार रुपया मिला, इसका मतलब उसकी दैनिक मजदूरी 8 रुपये से लेकर 16 रुपये के बीच में आती है। यह हिन्दुस्तान के अन्नदाता और राजस्थान के अन्नदाता की स्थिति है। अपन इस मायाजाल में फंसकर अगर चलेंगे, तो हम अपने मन को जरूर प्रसन्न कर लेंगे लेकिन ईमानदारी से आज की तारीख में जो केवल खेती पर निर्भर हैं, मेरी गारंटी है, गांव में किसी छोटे बच्चे को एक गेरू का डिब्बा देकर कलम दे दो कि जहां-जहां टूटा-फूटा मकान मिले वहां लिख आना, यह किसान का है, किसान का है, किसान का है और जो पक्का है तो लिख देना, यह व्यापारी या किसी न किसी नौकरी वाले का है। यह है 60 साल से इस देश के किसान के प्रति हमारी हमदर्दी, हमारे मन का प्यार और हमारा यह कि हमने यह भला किया। वह भला किया। जब तक हम किसान को लाभकारी मूल्य नहीं देंगे, यह हर बार जो कहते हैं न, समर्थन मूल्य, काहे का समर्थन मूल्य, किस बात का? ऐसा हिन्दुस्तान में आज की तारीख में कोई आदमी है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो बिना मुनाफे के कोई धंधा करता है? माचिस बनाता है, मुनाफा जोड़ता है। कलम बनाता है मुनाफा जोड़ता है। जूता बनाता है मुनाफा जोड़ता है। कपड़ा बनाता है मुनाफा जोड़ता है। साबुन बनाता है मुनाफा जोड़ता है। हिन्दुस्तान के इस अन्नदाता को हम राजनीति में रहने वाले लोकतंत्र के प्रहरियों ने आज भी भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। मुनाफे की बात तो छोड़ो, उसको मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता है। नरेगा में जाकर झक मारे न तो भी कम से कम 100 रुपया मिलता है, पर अपने खेत का मालिक होकर, अपने कुए का मालिक होकर उसके बाद भी जो मजदूरी करता है, 10 रुपये से लेकर 20 रुपये की मजदूरी उसको पांती पड़ती है। उसका बच्चा आज भी अच्छा नेकर पहन कर स्कूल नहीं जा सकता अगर खेती पर निर्भर है। अगर उसके साथ और कोई व्यवसाय है या उसके बच्चे की नौकरी है तो उसके घर की जरूर हालत ठीक हो सकती है। यह जो कई बार लोग कहते हैं न कि अगर यह करेंगे तो महंगा हो जाएगा, क्या महंगा हो जाएगा? गेहूं महंगा हो जाएगा? 18 रुपये किलो का भी गेहूं होगा तो भी घर के लोग 18 रुपये में रोटी खा लेंगे और बाजार में जाओगे तो एक कट चाय पांच रुपये की मिलेगी। किसान जो गेहूं पैदा कर रहा है उसका 18 रुपया आपको महंगा लगता है। किसान जिस मेहनत से तैयार करता है उसके बारे में हम सारे के सारे लोग विचार करते हैं, मेरी प्रार्थना है, आज करें, कल करें, 10 साल बाद करें लेकिन जब तक किसान को मुनाफे का मूल्य तय नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान के इस अन्नदाता की दशा को हम कभी भी सुधार नहीं सकते। इसका चाहे कितना ही विरोध कर लो, कितने ही लोग महंगाई के कारण से हमारे खिलाफ हो जाओ, जितनी जीडीपी आज की तारीख में तैयार होती है वह कहां से होती है? खेत से होती है। पैसा कहां से पैदा होता है? या तो खेत से होता है या माइंस से होता है, बाकी कोई ऐसी जगह नहीं जहां नोट पैदा होते हैं। यही एक ऐसा प्राणी है जो नया नोट पैदा करता है। अपनी खेती से पैदा करता है। जब इसकी जेब में 2 हजार रुपये आते हैं तो 2 हजार रुपये यह अकेला नहीं खाता है, सारे बाजार में इसका रुपया घूमता है। बाजार से कपड़ा खरीदता है तो सेठ के पास जाता है, वहां से वह किसी चांदी वाले के यहां जाएगा, वहां से कोई न कोई साबुन खरीदेगा, वहां से और कुछ बर्तन खरीदेगा। तो यह जो पैसा बनता है और जो टैक्स बनता है, वह किसान के कारण से बनता है। लेकिन हम सब लोकतंत्र के प्रहरियों ने कभी भी इस बात को नहीं समझा कि अगर देश को तरक्की देनी है तो किसान के द्वारा जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतना ही देश तरक्की करेगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बाकी हम 10-20 प्रतिशत लोग बड़े ही सफेद कपड़े पहनकर बढ़िया से अच्छे मकान में घूम लें, लेकिन उसका बच्चा तो वही टूटा जूता पहनकर स्कूल जाता हुआ दिखाई देगा। उसका दर्द हम लोगों को महसूस नहीं होता। जो वास्तव में इस पीड़ा को भुगतता है न, उसको महसूस होता है। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हममें से कभी भी कोई भी इस बारे में गहराई से विचार नहीं करते कि आखिर में हम इस किसान को ले कहां जाना चाहते हैं। यह जो आर्थिक समीक्षा 2009-10 की आपने दी है, इसके पेज नम्बर 20 पर है, हमने अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं बना लीं। इन 11 पंचवर्षीय योजनाओं में, पहली से लेकर, टोटल प्लान में से किसान की कृषि पर हम कितना पैसा देते हैं, इसका कभी भी विश्लेषण करने का प्रयास नहीं किया। मैं कुछ आपको नमूने के लिए बता रहा हूं। 1 से 6 छोड़ देता हूं, मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना से लेता हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी 3106 करोड़ की थी और उसमें 203 करोड़ रुपया कृषि पर व्यय था। अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो लगभग 6-7 प्रतिशत बैठता है। इसके बाद आप आ जाओ 8वीं पंचवर्षीय योजना पर जो सारी की सारी 11998 करोड़ की योजना थी, उसमें से कृषि पर आपका 1112 करोड़ था अर्थात् 10 प्रतिशत कृषि पर खर्च था। उसके बाद में फिर नवीं पंचवर्षीय योजना पर आ जाओ जिसमें हमारा खर्चा 19566 करोड़ रुपया था। कृषि पर जो पिछली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1112 करोड़ था जब आपका प्लान 12 हजार करोड़ का था, लेकिन जब आपका प्लान 27650 करोड़ का था नवीं पंचवर्षीय योजना में, पर हम खर्च नहीं कर पाये और 19566 पर आकर अटक गये, तो भी हमारा खर्चा इसमें घटकर 1050 करोड़ रह गया अर्थात 5 प्रतिशत पर आ गये। उसके बाद फिर आप 10वीं पंचवर्षीय योजना पर चलो, 31 हजार करोड़ की बनाई और 33735 पर इसका अंत हुआ, लेकिन इसमें से जो हमारा कृषि पर खर्चा हुआ, वह 1013 हुआ। मतलब पहले 1112, फिर 1050, फिर 1013, एक तरफ हमारी प्लान साइज बढ़ रही है, दूसरी तरफ खेती पर हमारा खर्चा कम होता जा रहा है। यह लगभग 3 प्रतिशत आएगा। इस बार 11वीं पंचवर्षीय योजना आपने 71731 करोड़ की रखी है और इसमें आपने कृषि को दिया है 2269 करोड़। जो साल आपने अभी इस 11वीं पंचवर्षीय योजना का पूरा कर लिया, 2007-08 पूरा कर लिया, इसमें आपने 519 करोड़ रुपया कुल खर्च किया 13794 के प्लान के अगेंस्ट में। उसके बाद 2008-09 में हमारी प्लान साइज 14923 की थी और उसमें हमने खर्च किया 772 करोड़। इस बार हमारी योजना आपने 18634 करोड़ रुपये की रखी, मेरे पास

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फिगर्स जनवरी तक के ही हैं, 12133 करोड़ रुपया खर्च हुआ जिसमें से कृषि पर केवल 115 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसका मतलब निरन्तर, धीरे-धीरे, एक एक स्टैप उतरते-उतरते हमारा एग्रीकल्चर का जो खर्चा है, वह कम होता जा रहा है। कम ही नहीं हुआ, आपको और आश्चर्य होगा। पता नहीं कोई कभी विचार भी करता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे यह लगता है, शायद हम लोगों का सोच है कि इस साल की जो प्लान रखी है, हमने आपको उस समय भी कहा था कि आपने प्लान की साइज घटा दी, जब 18634 करोड़ की प्लान आपने रखी थी, हमारी जो अनुमानित प्लान थी उसमें 889 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर में था 18634 के अगेंस्ट में। आप इसको खर्च नहीं कर पाये। खर्च नहीं कर पाने के कारण आपको वापस इसकी आरई में जाना पड़ा तो आरई में आपने इसको 654 करोड़ का कर दिया और आज की तारीख में खर्च हो रहा है वह 515 है। जो मैंने अभी फिगर बताया था वह जनवरी तक का बताया था, आपने जो आरई की है उसमें आपने 654 किया है। तो हम एग्रीकल्चर में प्लान को छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे और फिर सब्जबाग बहुत दिखाएंगे कि हमको किसान के प्रति बड़ा प्यार है, क्यों? क्योंकि वहां पर वो ही ऐसा है जो वोट देता है। जो आता है वो ही अन्नदाता कहता है, जो आता है वो ही उसकी तारीफ करता आता है, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। मतलब एक तरह से अपने आपको धोखा देने का काम करके हम अपने मन को प्रसन्न करते हैं, बाकी, वास्तव में उस किसान की पीड़ा को अगर घर में अनुभव किया हो तो आपकी और हमारी आत्मा रोती होगी कि इतने वर्षों के परिश्रम के बाद भी- खून-पसीना बहाता है, सारा खालड़ा काला करता है, तावड़े की लौ में तपता है और तपने के बाद भी अपनी मेहनत से दोनों टाइम की रोटी अपने बच्चे को नहीं खिला सकता। हम यहां बैठकर रोज नई-नई योजनाएं बनाते हैं, रोज नया-नया काम करते हैं और अपने मन को प्रसन्न करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है, यद्यपि यह कठोर कदम होगा लेकिन हमें किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य देने के लिए मन बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा तब जाकर होगा। जब तक हम लाभकारी मूल्य नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। अभी हमारे खाद्य मंत्रीजी नहीं बैठे हैं, उन्होंने कहा कि महंगाई, महंगाई होती है तो इस किसान को मिलता है महंगाई के एवज में कुछ? आप और मेरा अनुभव नहीं है कि जब किसान पैदा करता है तब उसका गेहूं 850 रुपया क्विंटल में बिककर चला जाता है और वो जाकर दूसरे लोगों के पास पैक हो जाता है। जब उसी किसान की बच्ची की शादी करनी हो तो वो ही किसान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वापस 1600 रुपये में वही गेहूं खरीदकर लाता है और हम यह कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, 20 रुपये किलो आटे के भाव हो गये। मुझे खुशी होती कि 20 रुपये किलो का आटा फसल पकने के बाद भी 20 रुपया रहता और उस किसान को गेहूं का 18 रुपया मिलता। तो मुझे खुशी होती, इस महंगाई का दु:ख नहीं होता। लेकिन देखिये, दुर्भाग्य इस किसान का फिर चलता है, आपने देखा होगा कि गेहूं का अभी भाव क्या आ रहा है, 1200-1250 रुपये। जब वो गेहूं पकाकर मण्डी में लाएगा और बोरियां जब आनी शुरू हुई हैं तो आपका भाव गिरकर वापस जमीन पर जा रहा है। आप और मैं भाषण में समझाने की कोशिश करते हैं न कि महंगाई बढ़ने से किसान को फायदा होता है, इस देश में महंगाई का फायदा किसान को अब तक तो मिला नहीं। बिचौलियों और बड़े लोगों को कमाई देने के लिए यह एक रास्ता बना रखा है। जब आलू और प्याज किसान ने पैदा किये और निकल गये उस समय आपने और मैंने 18 रुपये, 20 रुपये किलो का आलू और प्याज खाया। और आज आप बाजार में जाओ, अब आलू और प्याज तैयार होकर आ रहा है तो भाव वापस 5 और 6 रुपये पर आकर टिक गये हैं। जब वो पैदा करता है तब उसे दाम नहीं मिलता है और जब उसके घर से मेहनत का माल निकल जाता है तब बिचौलिये गोदामों में पैक करके आराम से उसका भाव बढ़ा देते हैं। चाहे रिलायंस का हो चाहे कोई भी हो, साग-भाजी भी वो ही बेचेगा, कांदे-प्याज भी वो ही बेचेगा, सारे मार्केट से कांदे खरीद कर पैक कर देता है और उसके बाद धीरे-धीरे निकाल कर जनता को लूट कर खाता है। हम किसान को दाम नहीं दिला सकते। हमारी हिम्मत भी नहीं है कि हम इस बारे में विचार करें। आखिर हम उसको मिनिमम तो तय करें कि 18 और 22 रुपये का आलू आज की तारीख में बाजार में 4 और 5 रुपये में क्यों मिलता है। इसका इलाज कौन करेगा? मैं ये सारे के सारे भाव लेकर आया हूं, जब कभी भी वह तेल और तिलहन पैदा करता है, जब उसकी फसल आती है तब वही दाल जो अभी 90 रुपये है, 45 रुपये में बिक जाएगी। तो किसान को कहां भाव मिलता है? यानी हम सब लोग बैठकर यहां किसान के बारे में केवल थोथी-थोथी बातें करते हैं। मुझे वह लगा था, अभी कामरेड ने जो कहा, मैं इस बात को मानता हूं। यानी हम लोगों का मन ठीक नहीं है और जब तक मन ठीक नहीं होगा, आपको और मुझे कितना दु:ख होगा, जिस पानी की बोतल को लेकर करोड़ों रुपया आज की तारीख में कमाया जा रहा है, वह पानी क्या उसके पिताजी ने पैदा किया है?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

धरती माता के पानी का मूल्य और मालिक हम सब लोग हैं। उसके पिताजी ने केवल पैसा दिया होगा, इतना बड़ा पम्प लगाकर घाल दिया और उसके बाद डिब्बे में पैक करके बटन लगा दिया और वह 12 रुपये में बेचता है। और मेरी गाय का दूध जिसको मैं थन खींच-खींचकर लाता हूं, वह आज भी हिन्दुस्तान में 10 रुपये में मिलता है। कौन तय करेगा यह? यह लूटखोरी कौन रोकेगा? अगर जनतंत्र में हम लोग नहीं रोक सकते यहां बैठकर, तो फिर कौन रोकेगा? उस किसान के दर्द को कौन समझेगा? आखिर उसने कुछ भी कमाया, फैक्ट्री भी दूसरे की और उसके बाद 12 रुपये में उसको बेच रहा है। क्या हम उसकी रेट को तय नहीं कर सकते कि किस आधार पर उसने 12 रुपये की कीमत को तय किया? किस आधार पर मेरी गाय का दूध 10 रुपये किलो में जाता है, इसके बारे में कौन फैसला करेगा? आपको और हमको करना पड़ेगा। जब तक हम अपना मन नहीं बनाएंगे तब तक इन समस्याओं का समाधान आसानी से होने वाला नहीं है। मुझे बहुत इस बात का दुःख है।

मैंने आपके सारे फिगर आगे के भी देखे हैं, कोई बहुत अधिक पैदावार कम नहीं हुई है। कई बार ये हमको समझाते हैं कि पैदावार कम हो गई इसलिए भाव बढ़ गया। ये सब बेकार की बातें हैं। आपकी किताब आर्थिक समीक्षा 2009-2010 की है, इसके पेज नम्बर-28 पर आपने दिया है इस अनाज में मैं पिछले पांच साल का रिकार्ड बोलता हूं आपको, 1.57 लाख टन हुआ 2003-2004 में, 1.08 लाख टन हुआ उसके बाद 2004-2005 में, उसके बाद 9,92,000 टन हुआ और उसके बाद 2005-2007 में 1.34 लाख टन हुआ, फिर उसके बाद 2007-2008 में 1.45 लाख टन और उसके बाद में 1.48 लाख टन। इस बार हमारा खाद्यान्न 1.45 से 1.48 लाख टन हुआ है, इस कारण से जो समझाने का तरीका निकालते हैं हम, कि हमारी पैदावार कम हुई, हमारा हैक्टेयर कम हो गया, हमारी बुवाई कम हो गई। हमने या तो ये आंकड़े गलत लिखे हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा, इसी तरह से दलहन में भी हमारा कोई बहुत ज्यादा नहीं। पिछली बार 1.55 लाख था 2007-2008 में और अभी है 1.82 लाख। कहां कम हुआ? किसके कारण से? इसी तरह से आगे तिलहन का ले लीजिये, गन्ने का ले लीजिये, कपास का ले लीजिये, कोई बहुत ज्यादा पैदावार में कमी नहीं आई। लेकिन एक ऐसा ढोंग बनाया जा रहा है कि पैदावार कम हुई, इसके कारण से महंगाई बढ़ गई। पैदावार की कमी के कारण से नहीं, इन बिचौलियों के कारण से जो सारा माल खरीदकर गोदामों में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पैक करके बेचा करते हैं। उनके खिलाफ हम कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। हम शुद्ध के लिए युद्ध जरूर चलाते हैं और छोटे-छोटे टंटूरे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास दो किलो, पांच किलो माल होता है। आप किसी बड़े को मारो जिसके पास हजारों बोरियां गोदाम में पड़ी हैं, उस हत्यारे को पकड़कर अन्दर ठोको। उसके ऊपर मुकदमा चलाओ फास्ट ट्रैक में देकर, सात दिन के अन्दर-अन्दर आजीवन कारावास में ठोककर देखो। कानून बनाने वाले हम, कानून पालने वाले हम, पर हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम वास्तव में किसके बारे में सोचते हैं और किसके बारे में नहीं सोचते हैं। मैंने यह देखा कि कुछ फसलों की पैदावार में कमी हुई है पिछले साल में, जैसे बाजरा में 52 प्रतिशत की कमी रही, मक्का में 37 प्रतिशत की कमी रही, गेहूं में 24 प्रतिशत की कमी रही, जौ में 22 प्रतिशत की, दालों में 83 प्रतिशत की, चना में 17 प्रतिशत, तिलहन नौ प्रतिशत और गन्ना 65 प्रतिशत की राजस्थान में कमी रही। ये जो सारी कमी के आंकड़े हैं, उसके आधार पर, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप प्रदेश को धनाढ्य बनाना चाहते हो तो किसान की जेब में पैसा पैदा करो। किसान की जेब में पैसा आएगा, उतना ही रोटेशन में जाएगा मार्केट में और जितनी बार वह घूमेगा, उतनी बार टैक्स पैदा करेगा और टैक्स पैदा करेगा तो राज का खजाना भरेगा। उसमें से आपको वह निकलेगा, तब जाकर लगेगा।

अब हमारे बारे में कामरेड ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है। हमने कोशिश की है। हमने किसान को लाभ देने का प्रयास किया है। बहुत अधिक समय हो गया, मैं लम्बा नहीं, मैं एक-एक का वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पिछली बार की भी भैरोंसिंह जी सरकार से लेकर हमारी सरकार रही, हमने किसान को हर प्रकार से मदद करने का प्रयास किया। मैं केवल सूची पढ़ रहा हूं आपके ध्यान के लिए कि आपके दिमाग में रहे। ऐसा नहीं है कि हमने उसके बारे में सोचा नहीं होगा। आपने देखा, लगान माफ किया। भैरोंसिंह जी शेखावत ने किया था कि नहीं किया था? किसान की किसी ने एक फूटी कौड़ी भी आज दिन तक कभी माफ की है? एक बार माफ करते हैं अकाल में और दूसरे साल उसको वसूल कर लेते हैं। यह मैं आंकड़े दे रहा हूं, मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे बताएं। मैं आपकी बात को भी कहूंगा यानी केन्द्रीय सरकार ने जो माफ किया, वह भी मैं कहूंगा। मैं कोई आपकी बात और मेरी बात नहीं, मैं तो अपने स्वयं पर भी मान रहा हूं। मैं भी एक राज्य की पार्टी का हिस्सेदार रहा हूं और मुझे इस बात का दुःख है आज भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि किसान के बारे में जैसा हम सोचते हैं, वैसा हम व्यवहार नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, पहले 14 कलम का टैक्स लगता था धनिया-मिर्ची पर। एक व्यापारिक फसलों पर सरचार्ज का टैक्स लगता था। यह सरचार्ज का टैक्स भैरोंसिंहजी की सरकार ने माफ किया कि नहीं किया? उसके बाद नहीं लगा। उस समय आपको पता होगा, लेवियां लगती थीं, गेहूं की लेवियां तौलनी पड़ती थीं, इमरजेंसी में हम लोग जेल में थे। वे लेवियां हमेशा के लिए समाप्त कीं जो आज दिन तक नहीं लगीं। बिजली का मिनिमम चार्ज खतम किया, भैरोंसिंह जी शेखावत के राज में खतम किया। हमने कहा कि हमारे कुए में पानी नहीं, अकाल पड़ गया, हम किससे मोटर चलाएं? लेकिन कनेक्शन को जिंदा रखना है इसलिए कर्जा लेकर भी किसान बर्बाद होता था। हमने कहा, नहीं, जितना जलेगा, उतना पैसा ले लो। मिनिमम चार्ज छोड़ने का काम किया। (व्यवधान) ये वापस आये और इन्होंने मिनिमम चार्ज वापस लागू कर दिया। आपने देखा होगा, उसमें हमारी गवर्नमेंट भी बीच में रही थी, आपकी भी रही, जब आप किसान को बिजली का कनेक्शन देते थे तो 11,000 रुपया खम्भे के हिसाब से गिनती करके करते थे। यानी पांच खम्भे लगेंगे तो 55,000 रुपये, 5,000 दूसरे, 60,000 रुपये का डिमांड नोट बनकर जाता था। उस गरीब को अपनी जिंदगी में 60,000 रुपये अपनी अंगुलि से गिनने का कभी सौभाग्य भी भगवान ने नहीं दिया, उस आदमी को हम डिमांड नोट पकड़ा दें। लेकिन वह कहीं से भी कर्जदार होकर करता था। हमारी पिछली सरकार वसुन्धराजी की थी, उन्होंने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यानी तेरे कुए पर पांच होर्स पावर से भी अगर बिजली जा सकती है तो खम्भा एक लगेगा कि चार लगेगा, यह सरकार की जिम्मेदारी है। हमने 2,500 रुपया हार्स पावर में, 11,000, 14,000 और 15,000 रुपये में उसको बिजली का कनेक्शन दिया। क्या यह हमारी सोच नहीं थी किसान को मदद करने की? इसी तरह से आपने देखा होगा, बैटरमेंट लेवी लगती थी, उस समय की बैटरमेंट लेवी हमारे टाइम में समाप्त हुई। आपने देखा होगा, खालों का जो कुछ पैसा चढ़ा हुआ था, उस समय हमने खालों के जो पैसे चढ़े हुए थे, वे माफ किये थे।

किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी ने दिया हिन्दुस्तान में, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को तो सब लोग कार्ड देते हैं कि तेरी हैसियत पांच करोड़ की है। जब चाहे तब माल लेकर आ बैंक से और बाद में एक दिन दिवालिया का बोर्ड लटकाकर भाग जा, तेरे को कोई पकड़ने वाला नहीं है हिन्दुस्तान में। लेकिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसान को अगर किसी ने अपनी हैसियत दी, प्रमाणित की तो अटल बिहारी जी वाजपेयी ने पहली बार किसान को क्रेडिट कार्ड दिया। कि यह तेरी जमीन की हैसियत है, यह तेरी हैसियत तय है। जब चाहो बैंक में जाओ, जाकर उससे उधार लेकर अपने काम को चलाओ। यही नहीं किया, क्रेडिट कार्ड ही नहीं दिया, ब्याज जो 12 परसेंट, 14 परसेंट और 16 परसेंट लगता था, उसको घटाकर सात प्रतिशत पर किसान को अगर कर्जा उपलब्ध कराने का काम किसी ने किया तो पिछली अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार ने नौ परसेंट किया, हमने राजस्थान में सात परसेंट किया। मैं, कृषि मंत्रीजी, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी से भी, कि अगर किसान को मदद करना चाहते हो तो किसान खेती के काम के लिए जो भी कर्जा ले, वह चार परसेंट पर दो। अगर सम्भव हो सकता है तो इससे भी घटाओ, क्योंकि वह जो कुछ भी कमाएगा, वह अपनी जेब में रखकर नहीं घूमेगा, वह आपको लाकर देगा चाहे भूमि कर के देगा, चाहे किसी भी ढंग से देगा। उसे अपने आधार पर मदद करो। इसी तरह से आपने देखा होगा, हम लोगों के पिछले टाइम में जब आये थे तो कई कनेक्शन पांच साल से कटे हुए थे, कई कनेक्शन सात साल से कटे हुए थे, कई 10 साल के कटे हुए थे। बार-बार मांग आती थी, इन कटे हुए कनेक्शन को वापस जोड़ा। आरएसईबी इसके लिए तैयार नहीं होता था। पिछली बार वसुन्धरा जी की सरकार ने कहा कि नहीं, पांच साल के पुराने जितने भी कनेक्शन कटे हैं, उनको वापस केवल री-कनेक्शन का पैसा लेकर जोड़ दो। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, पांच साल कम पड़ता था, 10 साल करो, हमने 10 साल किया।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही हैं...

श्री सभापति: विराजो आप, विराजो, विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर):...गलत दी जा रही हैं। आप बात सुनिये, इतनी गलत दी जा रही हैं, बिजली के मामले में पूरे राजस्थान में आरएसईबी के दफ्तर में लोग खड़े रहते थे। कहीं पांच हार्स पावर का कनेक्शन लेना है तो लाइये पांच हजार रुपया, 10 हार्स पावर का लगाना चाहें तो लाइये 10,000 रुपया...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। विराजो, विराजो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर):...पूरे राजस्थान और सवाई माधोपुर की मैं कहता हूं कि इस तरह से कनेक्शन होते थे और आज अपन बड़ी-बड़ी बात, इस तरह की बात कह रहे हैं। किसने किया कर्जा माफ? कर्जा माफ हमने किया, किसान को खुशहाल हमने बनाया...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): ...तुमने किसान के साथ क्या किया, यह पूरा जानते हैं। ये तुम्हारे साथ रहे और क्या करवाया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री पेमाराम (धोद): माफ करो, अब माफ करो। किसानों के माफ करो। (व्यवधान) 12 महीने का बिजली का बिल माफ करो न।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): गोलियां चलवाईं...(व्यवधान) सारा सत्यानाश कर दिया...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): और आपने भी कहा कि दुनिया के मजदूरों, एक हो। दुनिया के मजदूरों, एक हो, यह कहकर मुल्क को तुड़वा दिया और 50 हिस्से कर दिये... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): और उनके लिए हमने काम किया है...

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सदस्य, जिस समय मैं बोलकर बैठ जाऊं और आपके द्वारा किये हुए काम नहीं गिनाऊं और उसमें बाकी रह जाए, तब आप खड़े होकर जरूर बोलना। मैं जो बोलता हूं न, केवल बाहरी दिखावटी आवरण के हिसाब से नहीं बोलता हूं। मैं जब बोलता हूं तो अपने मन से बोलता हूं। आपके द्वारा अच्छे किये हुए काम भी मैं लेकर आया हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके काम लेकर नहीं आया हूं। लेकिन केवल .. (व्यवधान) ऐसा है, अगर आप इस जिद्द पर अड़ जाएंगे कि गुलाब चन्द

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कटारिया को टोक कर रोक सको तो न आज रुके हैं, न कल रुके हैं, न परसों रुकेंगे। किसान का जब दस हजार का कर्जा माफ करने का सवाल आया, 89 के अन्दर हमने चुनाव के समय वादा किया था। उस समय आप सब लोगों ने हमारे खिलाफ भाषण दिया था कि यह झूठ बोलता है, यह भैरोंसिंह झूठ बोलता है। उस समय इन शब्दों का प्रयोग होता था। उसके बाद आपने देखा कि सरकार में 90 में हम आये तो राजस्थान में हमने दस हजार तक का कर्जा 17 लाख किसानों का 350 करोड़ रुपया, अगर गलत हो तो रिकार्ड उठवा कर दिखवा लीजिये, हमने माफ किया कि नहीं किया, दस हजार तक का कर्जा।

एक माननीय सदस्य: उठाओ, रिकार्ड उठाओ, देवीलालजी ने किया वह।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): माननीय कटारियाजी, देवीलालजी का योगदान था, आपका उसमें कोई योगदान नहीं था। देवीलालजी ने पूरे हिन्दुस्तान में घूम-घूम कर यह कहा था कि दस हजार तक का कर्जा करेंगे। आपको तो राज में बैठा दिया देवीलालजी ने, नहीं तो उस कुर्सी पर नहीं पहुंचते आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): देवीलालजी ने दिया बाहर, पर राजस्थान के..(व्यवधान)

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): देवीलालजी का योगदान था, आपको कुर्सी दिला दी देवीलालजी ने। नहीं तो उस कुर्सी पर नहीं विराजमान होते आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर आपका मन इसी से खुश होता है कि फलाने ने किया, हमने नहीं किया, और इसमें आपका बड़प्पन बढ़ता हो तो मुझे आपके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन उस समय राजस्थान के खजाने का मालिक भैरोंसिंह शेखावत था, राजस्थान के खजाने से 350 करोड़ रुपये निकाल कर 17 लाख किसानों का अगर कर्जा अक्तूना में किसी ने लिखा तो वह भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है, इसको आप ना नहीं कर सकते हो।

आपने देखा होगा, फसल बीमा योजना, हम पिछली बार यहां सदन में थे, हम संख्या में 34 ही थे, हम रोज मुख्य मंत्री को कहते थे कि दिल्ली ने फसल बीमा योजना लागू कर दी और उसमें पचास-पचास प्रतिशत दोनों का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

शेयर है, आपने पांच साल तक वह फसल बीमा को लागू नहीं किया। आपने बार-बार चिट्ठियां लिखीं कि नहीं, केन्द्र 75 प्रतिशत अगर हमको देगा तो हम फसल बीमा लागू करेंगे। लेकिन हमारी सरकार जब पिछली बार आई, हमने इस बात को स्वीकार किया कि जब बाकी राज्यों ने पचास-पचास प्रतिशत के आधार पर फसल बीमा को स्वीकार किया तो राजस्थान को भी स्वीकार करना पड़ेगा और हमने फसल बीमा उस समय लागू किया। पाला, ओलावृष्टि और जैसे भी पड़ते थे, यह वसुंधराजी की सरकार थी जिसने पहली बार इस बात की शुरूआत की, जब पाला गिरा था, जब ओलावृष्टि हुई थी एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से दो हजार रुपये प्रत्येक किसान को, जो कुछ भी हमसे सम्भव हो सका, हमने दिया। पूरा हर्जाना तो हम नहीं मान सकते। उसकी जितनी फसल नष्ट हुई, उस एक हजार और दो हजार में उसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, पर हमने उसको देने का प्रयास किया, उसकी शुरूआत हमने की। उसकी शुरूआत हमने की।

इसी तरह से आपने देखा होगा, पिछले पांच साल जब मैं यहां विधायक था, इसी जगह था, उस समय पांच साल तक अकाल पडा था, पांच साल के अकाल में किसी भी सरकार ने, जहां आपकी सरकार थी, यह मांग नहीं की कि हमारे किसानों को किसी तरह से मदद हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं चल करके राजस्थान की प्रत्येक पंचायत समिति को दो-दो करोड़ कुल पांच सौ करोड़ रुपया भेजा था और कहा था कि आप अपने किसान को बुलाकर जो भी उसके पांती आए, तीन सौ रुपये, पांच सौ रुपये, सात सौ रुपये, जो जिसके एरिये के हिसाब से आएगा, वह दें और वह पैसा बांटने का काम हम लोगों ने किया।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापतिजी, बिलकुल गलत सूचना है। अकाल पड़ते ही आठ सौ करोड़ रुपये एशियन बैंक से अशोक गहलोत ने उधार लिये किसानों के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप बार-बार क्यों हो रहे हैं, आजाद साहब?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): क्या बात है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप बार-बार बीच में क्यों टोका-टाकी कर रहे हैं? आप कौन से इतने ज्ञानी हो गये?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): हम बता रहे हैं कि गलत सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान) यह गलत सूचना दे रहे हैं, सही इन्फार्मेशन... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): xxx

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): xxx (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो। विराजो। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): xxx

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, अंकित नहीं हो रहा। विराजो, विराजो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा, विराजो। विराज जाइये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): xxx

श्री सभापति: विराजो आप।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): xxx (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): xxx (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। विराजें। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) अब विराज जाओ न आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं मंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि अगर इसमें मैं कोई गलत बात बोल गया हूं तो वह अपना जब भाषण दें, मेरी उस बात को वह नकार दें कि यह काम हमने नहीं किया। मैं इसको स्वीकार कर लूंगा, मुझे कोई एतराज की बात नहीं। पर जो कुछ भी हमने किया, आपने देखा होगा कि गांवों में मुफ्त किताबें देने की प्रक्रिया हमने शुरू की थी पहली से पांचवीं, जब मैं शिक्षा मंत्री बना था, क्योंकि मैं जानता हूं कि गरीब का बच्चा किस तरह से पढ़ता है। जुलाई के महीने में उसके खेती और बीज चाहिए या उसकी किताब चाहिए? उसका बाप उसको किताब मांगता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है तो दो थप्पड़ टिकाता था कि पहले तेरे खेत की बुवाई करूं या पहले तेरी किताब लाऊं। वह हमने शुरू की। ऐसा नहीं है, आपके टाइम पर हुआ है यह। केन्द्र सरकार ने पिछली बार किसान को कर्जा माफ करने और उसका लाभ देने के लिए घोषणा की, उसमें से राजस्थान के कुछ किसानों को भी इसका लाभ पहुंचा जो केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुसार था। लेकिन अब मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि डीजल पर जो इस समय पैसा बढ़ा, क्या यह किसान को फायदा देगा? अभी दस प्रतिशत खाद पर पैसा बढ़ाया, दस प्रतिशत खाद पर, यह किसान को मदद करेगा? अगर आपके पास अपनी सूची में कोई चीज है, मैं तो चाहता हूं कि आप भी करें। हमने किया इसका मतलब यह नहीं कि आप नहीं करें। हमने अगर मान लें एक किया, आप चार करके दिखाओ। किसान की मदद होगी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, उसका भला नहीं होने वाला है। भला तो उसमें होगा अगर हमने एक भला किया, आप चार भला करके चार लाइन पर आगे बढ़ो। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आज फिर बड़े दुःखी मन के साथ कह रहा हूं कि आपने अभी जिस पर कोई वैट नहीं था बिलौना और खल के ऊपर और वह किसान के जानवर के काम आता था, लेकिन आपने सीधा पांच प्रतिशत ठोक दिया और उसके कारण से एक क्विंटल खल कम से कम 65 से 70 रुपये महंगी हो गई। इतने पैसे से क्या आप राजस्थान को लखपति बना दोगे? जो छोटे-छोटे आप टैक्स बढ़ाते हैं, यह टैक्स आता है, ईमानदारी से अगर कहीं करें, तो जितना टैक्स कम होगा उतना टैक्स की वसूली ज्यादा होगी। जितना टैक्स बढ़ाओगे उतना आदमी चोरी करने का मन बनाएगा। वह सोचेगा, सौ रुपये का तो साबुन बेच रहा हूं और इसमें चौदह रुपये अगर टैक्स दे दूंगा तो बिना ही बिल के दे दूं ना, चौदह रुपये अपनी जेब में। कम्पीटीशन है। टैक्स का नियम होता है, जितना टैक्स कम होगा उतना टैक्स की वसूली ज्यादा होगी। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपसे और सभी माननीय सदस्यों से बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे वोट मिलेगा। नहीं, मुझे वोट दें या न दें, मुझे कोई चिंता की बात नहीं, पर मैं मन से इस बात को कह रहा हूं कि अगर वास्तव में इस देश को तरक्की देनी है और किसान को उसका वाजिब मूल्य देने के कारण से महंगाई बढ़ती है तो बढ़ जाने दो, क्योंकि उसको छठा वेतन आयोग नहीं लगता है, उसको पांचवां वेतन आयोग नहीं लगता है। उसको तो अपनी मेहनत का वेतन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आयोग भी नहीं मिलता है। हम राजनेता केवल वोटों के कारण से वेतन आयोग के बारे में तो सब सिफारिश करेंगे, सब पैरवी करने जाएंगे कि कोई पीछे न रह जाए, कोई आगे न रह जाए। और उसके आधार पर उसको करते हैं। लेकिन किसान के छठे और पांचवे वेतन आयोग के बारे में कभी किसी का मन तैयार नहीं होता है कि इसको किस तरह से इसके पैरों पर खड़ा करें। मंत्रीजी, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, कृषि का बजट जिस तरह से कम होता जा रहा है, कभी यह 9 प्रतिशत था, यह घटते-घटते तीन प्रतिशत आ गया प्लान के खर्चे में, इसे फिर से बढ़ाओ और किसान को हर प्रकार से कैसे मदद की जा सकती है, वह मदद करो। गेहूं 1200 रुपये हो गया, 200 रुपये आप अपनी तरफ से मिलाकर उसको 1400 रुपये में खरीद कर अपने गोदाम को भी भरो जिसके कारण से अकाल के समय में हमारी मदद भी होगी और इस पैसे का सदुपयोग होगा और उस किसान को भी फसल पैदा करने का मन बनेगा। नहीं तो धीरे-धीरे स्थिति यह आएगी कि किसान अब खेती नहीं करेगा। नहीं करेगा, भले ही आप सब लोग भूखे मर जाएं। क्योंकि इतनी मेहनत करके केवल आपको खिलाने के लिए अन्नदाता बनकर और फटे कपड़े पहन कर घूमने का अब उसका भी मन नहीं है। वह भी इस बात के लिए तैयार है, पर दुर्भाग्य यह है कि वह संगठित नहीं है, इकट्ठा नहीं है। अगर वह इकट्ठा हो न तो, आप और हम सब को उलटा पिटा कर चलाए, उसकी इतनी ताकत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको संगठित नहीं कर पाये, और इसके कारण उसकी इतने वर्षों की गरीबी को भी हम निकाल नहीं पाये। इन विषयों पर जरूर विचार करके कुछ न कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रदीप कुमार सिंह।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, मेरा माइक हमेशा ही बंद रहता है, यह चलता ही नहीं कभी भी। बड़ी मुश्किल से चालू होता है। आज पहली बार चला है।

सभापति महादेय, मैं मांग संख्या 37 और 39 पर अपनी बात कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। सभापति महोदय, मैं बिना किसी भूमिका के अपने विषय पर आना चाहता हूं। सबसे पहले किसान का जो आधार है बीज, मैं बीज से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन मक्का का बीज तैयार करता है वह 14 से 15 रुपये प्रति किलो में

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

किसानों को उपलब्ध करवाता है, जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसको बाजार में फेल करने के लिए कई प्राइवेट कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनका बीज 120 रुपए से 150 रुपए किलो भावों में बाजार में बेचा जाता है और झूठे वादे करके, उनकी झूठी उपज बताकर किसान को ठगा जाता है बुरी तरह से। सरकार का कोई मूल्यों पर नियंत्रण नहीं है। मेरा निवेदन है कृषि मंत्रीजी से, कि इस तरह का कानून बनाएं कि दूसरी सब चीजों का जिस तरह से मूल्य नियंत्रण किया जाता है उसी तरह से बीज का भी मूल्य नियंत्रण किया जाए। कई बार ऐसे बीजों की जर्मिनेशन नहीं होती है और किसान का खेत खाली रह जाता है। किसान को सालभर तक अपने खेत में फसल लाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। लगभग यही स्थिति पेस्टीसाइड्स और इन्सेक्टिसाइड की है, वहां भी नकली और फर्जी पेस्टीसाइड्स बेच कर किसान को ठगा जाता है। इसके लिए लाइसेंसिंग प्रणाली के नियमों को सख्त किया जाए और सज़ा का प्रावधान किया जाए। सैंपलिंग कराते हैं हम लोग कई बार, सैंपल में फर्जी खाद और फर्जी पेस्टीसाइडस पाए जाते हैं, नकली बीज पाये जाते हैं लेकिन वह मल्टीनेशनल कंपनियां अपने लेवल पर मैनेज करके अपना हाथ निकाल लेती हैं। इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के लिए सरकार ने नेशनल होर्टीकल्चर बोर्ड मिशन के माध्यम से बागवानी को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई हैं लेकिन उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि नेशनल होर्टीकल्चर बोर्ड में दो-दो साल तक प्रोजैक्ट पास नहीं होते और किसान चक्कर लगाते-लगाते थक जाता है। वह अपना इरादा बदल कर या तो बिना सब्सिडी का लोन लेकर अपनी कार्य योजना को प्रेरित करता है या फिर बग़ीचा लगाने का इरादा छोड़ देता है। इसलिए इनका प्रोजैक्ट पास करने की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि किसान ने इतनी तारीख को एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद इतने दिन में उसका प्रोजैक्ट पास हो जाए या रिजैक्ट हो जाए। उसमें किसी तरह का इफ एण्ड बट नहीं लगना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

किसानों को डीज़ल पम्प चलाने के लिए और कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर चलाने के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पर डीज़ल उपलब्ध कराया जाना चाहिए, माननीय सभापति महोदय, यह मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र मांडलगढ़ में जहां से मैं निर्वाचित होकर

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

आता हूं, कभी 60-70-80 फीट पर ओपन वैल में पानी खूब मात्रा में मिलता था। लेकिन जब-जब वर्षा कम हुई, लोगों ने इतने ट्यूबवैल खोदे, इतने ट्यूबवैल खोदे कि किसान कर्जा ले-लेकर बर्बाद हो गया। जो जल स्तर वहां का था उसको पूरा छेद दिया, चट्टानों को छेद दिया, भरपूर बारिश का पानी होने के बाद भी अब 400 फीट से ऊपर पानी नहीं मिलता है। इसलिए इस प्रकार के जो ट्यूबवैल लगाये जाते हैं अनआथोराइज्ड, उनको बंद किया जाना चाहिए। वहां किसानों के अन्दर लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। कोई सक्षम आदमी ट्यूबवैल खोदना चाहता है, सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर उसको रोकते हैं और पुलिस और प्रशासन को ताकत लगानी पड़ती है। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसके पास पानी उपलब्ध है वह दुबारा, तिबारा, चौबारा ट्यूबवैल नहीं लगाए। उसको रोका जाना चाहिए।

सभापति महोदय, कृषि विभाग में जो पद रिक्त हैं भीलवाड़ा जिले में और मेरे विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, भीलवाड़ा में डिप्टी डायरेक्टर का एक पद रिक्त है, कृषि अधिकारी के तीन पद, सहायक अधिकारी के 32 पद रिक्त हैं और कृषि पर्यवेक्षकों के 8 पद रिक्त हैं, इन्हें शीघ्रतिशीघ्र भरा जाना चाहिए।

पशुपालन विभाग के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर इस अकाल की स्थिति में पशुपालकों को पशुओं को बचाने के लिए, पूरी तरह से जो बीमारियों का आउटब्रेक आ रहा है, एपिडेमिक का आउटब्रेक आ रहा है, उसको संभालने वाला स्टाफ नहीं है, डाक्टरों की कमी है। मेरे यहां 6 पद डाक्टर्स के रिक्त हैं, 10 पद कंपाउंडरों के रिक्त हैं, आउटब्रेक आ जाने के बाद वैक्सीन आती है लेकिन पशुओं का इलाज नहीं हो पाता और अच्छे भले जानवरों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। अतः चिकित्सकों और कंपाउंडरों के पद भरकर किसानों को लाभ प्रदान कराया जाए।

मांडलगढ़ में बहुत बड़ी कृषि उपज मण्डी है पर वहां अनाज की खरीद-फरोख्त नहीं होती है, व्यापारी अपने घर में बैठकर किसानों का अनाज औने-पौने दामों पर ख़रीदता है। उस पर रोक लगनी चाहिए। जब कृषि उपज मण्डी का इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारा डवलप है तो वहां पर अनाज की खरीद होनी चाहिए। कृषि उपज मण्डी के जो कर्मचारी हैं वे व्यापारियों से सांठ-गांठ करके किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस चीज को रोका जाना चाहिए। कृषि विपणन बोर्ड की एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो बार-

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

बार सब सदस्यों द्वारा कही जा रही थी, कि कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से जितनी सड़कें बनी हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। सारी सड़कें टूट कर उन पर खड्डे हो गये हैं, वाहन सड़क पर नहीं चल सकता, उनको सड़क के पैरेलल जमीन पर चलना पड़ता है। कृषि उपज मण्डी बोर्ड से हमने जब भी पूछा है, बजट का अभाव बताकर प्रश्नों को टाल दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी मद से, अगर कृषि उपज मण्डी नहीं कर सकती है तो पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से, नाबार्ड से धन ग्रहण करके इन सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाना चाहिए।

विद्युत कनेक्शन के बारे में भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अकाल की स्थिति है, पहले मुख्य मंत्री जब अशोक जी गहलोत थे पूर्ववर्ती सरकार में, तब उन्होंने जिन किसानों के कुए सूख गये थे, उनके कनेक्शनों को स्थगित कर दिया था, उनके बिल की वसूली बंद हो गयी थी। जब जमाना हो गया और कुओं में पानी आ गया तो उन कुओं का वापस कनेक्शन कर दिया गया और वे अपनी मोटर चलाने लगे। इस वर्ष भी वही स्थिति है इसलिए उन कुओं की बिलिंग बंद होनी चाहिए।

किसान के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व में किसान के खलिहान या खेत में जब आग लग जाती थी या कोई नुकसान हो जाता था तो उसको मुआवजा मिलता था। लेकिन अभी किसान की पैरवी जो प्रतिपक्ष के लोग कर रहे थे उनकी सरकार में सन् 2007 में सहायता राशि को बंद कर दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वह राशि पुनः प्रारम्भ की जाए। किसान छह महीने तक अपनी फसल को संजोता है, सहेजता है और छोटी-सी किसी गलती के कारण उसकी फसल जल कर नष्ट हो जाती है, दूसरे दिन उसके बाल-बच्चों के खाने के लिए अनाज नहीं रहता, उसके पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं रहता। सरकार उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। जब-जब भी हमने इस तरह की कोई पैरवी करने की कोशिश की तो कहा गया कि 2007 में यह नियम बन गया है, अब हम कोई सहायता नहीं कर सकते। इसलिए इसे पुनः प्रारम्भ करके किसान की सहायता की जानी चाहिए।

आज बहुत अच्छा लगा कि सदन में प्रतिपक्ष के लोग किसान की पैरवी करते नजर आये। लेकिन, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, जब कभी भी किसान की उपज का दाम बढ़ा- चाहे गेहूं का बढ़ा, चाहे शक्कर का बढ़ा, चाहे मिर्च का बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

लोग सड़कों पर आ गये इसका विरोध करने के लिए कि महंगाई बढ़ गई है। लोहे का दाम बढ़ा तब आंदोलन नहीं हुआ, सीमेंट का दाम बढ़ा तब आंदोलन नहीं हुआ और किसी उद्योगपति ने दाम बढ़ाये तब आंदोलन नहीं हुआ लेकिन हमारे गेहूं का दाम बढ़ा तो सब लोग सड़कों पर आ गये। कलेक्ट्रेट पर, तहसील लेवल पर और एस.डी.ओ. लेवल पर गाड़ियां भर-भर कर लाये, किसको? किसानों को बुलाकर ले आये। ये इतने होशियार लोग हैं कि किसानों को अपनी चीज का विरोध करने के लिए ले आये। जब इनकी मीटिंग खतम हुई, हम मिलने गये और कहा तुम किसका विरोध कर रहे हो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो इन लोगों के कहने से? कि, साहब, यह तो हमको पता ही नहीं, हम तो महंगाई का विरोध करने आये हैं। तो आज जो लोग पैरवी कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम किस चीज का विरोध करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, पूर्ववर्ती सरकार ने जयपुर और आसपास के उद्योगपतियों को, बड़े घरानों को ज़मीनें दे-देकर आसपास के किसानों को बर्बाद कर दिया। बड़े-बड़े शहरों के आसपास के सारे किसान बर्बाद हो गये। उनकी जमीन औने-पौने दामों पर एक्वायर कर ली गई या बड़े घरानों को लाभ देने के लिए खरीद ली गई। आज हम उस किसान की पैरवी करते हैं, इससे पहले हमको सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राज की बात कर रहा हूं मैं।

(: 20.00 बजे)

आज हम डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात करते हैं, मुझे याद है, अटल बिहारी जी की सरकार में एक साल में पांच-पांच बार डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़े। तब हम लोग कहां गये थे? इसलिए, सभापति महोदय, मैं बहुत अधिक लम्बी-चौडी बात नहीं करना चाहता, समय को मद्देनजर रखते हुए, हमारे कहावत है कि ये तो प्याज के छिलके हैं जितने उतारो उतरते जाएंगे। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हरजीराम जी बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज करीब तैंतीस माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया और पशुपालन में और कृषि में 58-58 माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये। माननीय

(श्री हरजीराम बुरड़क)
सदस्यों ने अपने-अपने हिसाब से महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उन सुझावों में यह हो सकता है कि कोई अच्छे सुझाव हों। उनमें शिकायतें भी हो सकती हैं। इन सारे सुझावों का और कटौती प्रस्तावों का परीक्षण करके सरकार की तरफ से प्रयास किया जाएगा, कोई उपयोगी सुझाव हो उसको मानने में सरकार को कोई एतराज नहीं होगा और शिकायतों में अगर कोई तथ्य पाया जाएगा और कोई गलती होगी तो उसको सुधारने में भी सरकार को कोई एतराज नहीं होगा। इसके अलावा आपके जो कटौती प्रस्ताव हैं इनके उत्तर सभी माननीय सदस्यों को कल सुबह भेज दिये जाएंगे।

कृषि और पशुपालन एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए विभाग हैं कि इनको अलग करके किसी प्रकार की कोई समीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों एक ही हैं। अगर कोई खेती नहीं करता हो तो वो पशुपालन भी नहीं कर सकता और खेती के बिना कोई पशुपालन करे तो उसका पशुपालन करना बहुत महंगा हो जाता है। आज इन विभागों से सारा जुड़ा हुआ है। अभी बात यह चल रही है कि 65-70 प्रतिशत लोग कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि शत-प्रतिशत लोग इस विभाग से जुड़े हुए हैं। क्या जो खेती नहीं करता है, उसको अनाज नहीं चाहिए? क्या जो ए.सी. में बैठे हैं उनको दूध नहीं चाहिए? क्या उनको फल नहीं चाहिए? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सत्तर प्रतिशत को अलग करके मत देखो। इससे सारे लोग जुड़े हुए हैं- चाहे उत्पादक के रूप में हो, चाहे उपभोक्ता के रूप में हो। आज जिस स्थिति में खेती पहुंची है, अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आने वाले कुछ दिनों में खेती करने वाला आदमी देश में नहीं मिलेगा। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं और उन पर अभी तक विचार हुआ नहीं। अब उसमें अपने को सबको मिल कर विचार करना है क्योकिं यह सब के हित का मामला है। अगर कोई वोट के हिसाब से देखे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो किसानों का वोट लिये बिना यहां पहुंच जाए। उस हिसाब से ही नहीं है, आज जो खेती की स्थिति है, आज राजस्थान में 75 प्रतिशत खेती वर्षा पर आधारित है, केवल 25 प्रतिशत है जिसमें नहरों और कुओं से सिंचाई है। कुओं की हालत आप देख रहे हैं, जहां दस साल पहले खेती होती थी उस एरिया में आज पीने का पानी बाहर से आता है। यह क्षेत्रफल भी दिनोंदिन घट रहा है और वर्षा पर आधारित क्षेत्रफल बढ़ रहा है। दिनोंदिन, वर्ष प्रतिवर्ष बरसात की जो कमी हो रही है इसके कारण इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर पशुपालन को लें तो

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पशुओं की संख्या भी सूखे क्षेत्र में ज्यादा है बनिस्बत सिंचित क्षेत्र के। सिंचित क्षेत्र के लोगों को तो अगर बरसात कम भी हो तो कुछ न कुछ तो होता है, लेकिन सूखे क्षेत्र में काश्तकारों को, पशुपालकों को ज्यादा खर्चा करने के बाद भी नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए इस बारे में अपने को मिल-बैठ कर सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार खेतों की उर्वरा शक्ति घट रही है, तरह-तरह की खादें देने के कारण उसकी उत्पादन क्षमता कम हो रही है, उसमें भी अपने को सोचना पड़ेगा। दूसरी समस्या यह है, जैसे अभी कटारिया साहब ने आंशिक रूप से कहा, आज किसान की पैदावार, एक छोटा-सा उदाहरण है, वो आज टमाटर बेचने कृषि मण्डी में जाएगा तो उसको दो रुपये किलो का मिलेगा और आधा घंटे बाद कोई कंजूमर उस टमाटर को लेने जाएगा तो उसको दस रुपये से कम में नहीं मिलेगा। कंजूमर और उत्पादक के बीच में जो इतना बड़ा गैप है, बिचौलिये लोग कमा रहे हैं, इससे न तो उत्पादक को फायदा है न उपभोक्ता को है। इस बारे में भी कोई न कोई तरीका सोचना पड़ेगा कि उत्पादक और कंजूमर के बीच में ज्यादा अंतर नहीं रहे। इस सारी स्थिति पर अपन सबको विचार करना है। दूसरा, यहां पर कई तरह के विचार आये, अपने-अपने हिसाब से दिये और देने भी चाहिए। सबका उत्तर मैं यहां पर तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन आपके कटौती प्रस्ताव है उनमें सारी डिटेल से मैं आपको उत्तर भेजूंगा।

जहां तक पशुपालन का सवाल है, पशुपालन में कुछ नयी योजनाएं राज्य सरकार ने ली हैं, जैसे कि नाबार्ड के सहयोग से 17 जिलों में भेड़ और बकरी पालन के लिए एक नयी योजना शुरू कर रहे हैं। उसमें एक लाख से लेकर पच्चीस लाख तक का कर्जा कोई भी भेड़पालक या बकरीपालक ले सकता है, उस कर्जे पर नाबार्ड पचास प्रतिशत कर्जे पर अपनी तरफ से ब्याज देगा, मतलब आधा कर्जा बिना ब्याज के मिलेगा। इस प्रकार की और भी कई अनेक योजनाएं हैं जो आपने यहां देखी भी है। अभी कुछ चर्चा हुई कि ऊन उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है । दूध उत्पादन में दस प्रतिशत है, ऊन उत्पादन में पैंतीस प्रतिशत है और बकरा मांस में तीस प्रतिशत है। राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पाद आय में लगभग दस प्रतिशत योग पशुपालन का है। भेड़ व बकरी के विकास के लिये भेड व बकरी प्रजनन नीति लागू की गई है। 304 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की है। राजीव गांधी पशु कृषि एवं पशु पालन मिशन की स्थापना की है। राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति लागू की है। गाय, भेड़, ऊंट के साथ-साथ भैंस बीमा योजना प्रारम्भ की है।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पशु-प्रजनन एवं स्वास्थ्य कार्ड तैयार कर पशुपालकों को वितरण किये गये हैं। अभी तक 6 लाख कार्ड वितरित किये गये हैं। पशुधन विकास को दृष्टिगत रखते हुए 14 बहु-उपयोगी वाहन वितरित किये गये हैं। 'पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार' योजना में अब तक 32.14 लाख पशुओं की चिकित्सा की गई है। रबी अभियान के अन्तर्गत 9730 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। खरीफ के अन्तर्गत 9730 शिविरों का आयोजन किया गया। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। पशु चिकित्सा जैविक इकाई को आईएसओ-9001 प्राप्ति एवं टिश्यू कल्चर वैक्सीन का निर्माण। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण। सघन टीकाकरण के माध्यम से पशु रोगों का प्रभावी नियंत्रण। जमनापारी नस्ल की बकरियों के विकास हेतु उन्नत नस्ली बकरों के वितरण की योजना कुम्हेर और भरतपुर में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत देशी गौवंश के संरक्षण हेतु थारपारकर, गिर, राठी एवं कांकरेज प्रजनन फार्मों की स्थापना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत पशुओं में बांझपन नियंत्रण कार्यक्रम। (व्यवधान) बहुत कार्यक्रम हैं। आप क्या चाहते हो, नहीं बोलूं? कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। निजी क्षेत्र सहभागिता (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) के अन्तर्गत 300 सघन पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना। (व्यवधान) प्रदेश में बार बार पडने वाले अकाल को दृष्टिगत रखते हुए चारा विकास कार्य योजना प्रक्रियाधीन। 285 उप केन्द्र पशु औषधालयों में क्रमोन्नत। वित्तीय वर्ष 2010-11 में विभागीय सेवाओं से वंचित पंचायतों में बेरोजगार पशु चिकित्सकों अथवा पशु धन सहायकों को 6000 रुपये के उपकरण अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाएंगे ताकि वे इन स्थानों पर अपने पशुधन सेवा केंद्र संचालित कर सकें। गाय एवं भैंस बीमा योजना में दिये जाने वाले राजकीय अनुदान की राशि को 25 प्रतिशत से बढा कर 50 प्रतिशत किया जाएगा। भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर पर संकर भेडों के स्थान पर देशी नस्ल की भेड़ एवं बकरियां संधारित कर प्रदेश की देशी भेड़-बकरियों में संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पशु-रोगी वाहन योजना- अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि चल चिकित्सालय होना चाहिये, यह योजना शुरू की है। प्रत्येक जिले में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का गठन किया जाएगा और वह संचालित की जाएगी। ऊंटों में तिबरसा रोग नियंत्रण की योजना कई वर्षों से बंद थी, इसको वापस चालू किया है।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पशु-पालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ पशु सेवाएं, इस प्रकार से अनेक प्रकार की योजनाएं इस सरकार ने प्रारम्भ की है। मैं विशेष रूप से आप सभी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पशुपालन और कृषि में राजनीति को छोड़कर सबका लाभ हो, इस बात का ध्यान रखें। मौसम आधारित बीमा योजना पूरे राज्य में लागू की गई जिस पर आपने चर्चा भी कर ली। यह सभी जो मैं बता रहा हूं वह राज्य में पहली बार हो रहा है। 9 लाख चारा मिनी किट, लगभग 65 लाख टन हरा चारा उत्पादन रबी 2009 में वितरित, जायद 2010 में 2.80 लाख मिनी किट, लगभग 15 लाख टन हरा चारा वितरण। मिनी किट बांटने का यह राजस्थान में तो पहली बार है ही, लेकिन दूसरे प्रान्तों के लोग भी पूछते हैं कि यह क्या योजना है। अभी भारत सरकार के पशुपालन सैक्रेटरी कल ही आये थे, वह इसी जानकारी के लिये आये थे कि यह योजना क्या है, इसको किस प्रकार आपने संचालित किया है इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इस प्रदेश में अकाल पडने के कारण मिनी किट बांटने से चारा उत्पादन में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जनजाति कृषकों को संकर मक्का बीज, प्रोजैक्ट गोल्डन रेज। खरीफ 2010 में 3 हजार 500 क्विंटल संकर मक्का का अनुसूचित जनजाति (बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ व सिरोही) क्षेत्र में वितरण। खरीफ, 2009 में अनुसूचित जनजाति (उदयपुर व बांसवाड़ा) के 12200 कृषकों को संकर मक्का बीज वितरण किया गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) यह जो मिला है वह केन्द्र का है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): एक मिनट, सुन लो आप। आपका राज था जब केन्द्र से कोई योजना नहीं आती थी क्या? यह क्या नई बात बता रहे हो आप? आप तो अपने हिसाब से ही चलाते हो, केन्द्र से कुछ नहीं लेते? केन्द्र की हो तो क्या, योजना तो कृषि की है। केन्द्र में और यहां एक ही सरकार है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): वहां आपकी सरकार हो और कोई मेहरबानी कर दी हो, तब तो आप बोलें।

इसी के अनुरूप बारां जिले में भी पंचायत समिति किशनगंज शाहबाद में सहरिया जनजाति क्षेत्रों में संकर बाजरा व मक्का का बीज वितरित किया

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जाएगा। वर्ष 2010-11 में दो हजार डिग्गियों का निर्माण। अनुदान के रूप में दो लाख तक देय होगा एक डिग्गी का। (व्यवधान) सभी है, सभी की योजना है।

राज्य में किसान आयोग का गठन। फसल बुवाई पूर्व खरीफ व रबी अभियान शिविरों का पंचायतों पर आयोजन कर 20 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया। इन शिविरों में पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। प्रगतिशील किसानों को प्रथम बार पंचायत समिति, जिला व राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। यह राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में पहली योजना है, किसी भी राज्य ने आज तक शुरू नहीं की है। इसमें पौने पांच सौ करोड़ के आस-पास काश्तकार लाभान्वित होंगे और यह इनाम 28 तारीख को जयपुर में एक बड़ा समारोह करके जयपुर में दिया जाएगा। अकाल सहायता प्रबंधन में कभी भी राज्य सरकार ने अकाल पीड़ित काश्तकारों को इनपुट सब्सिडी के रूप में एक पैसा नहीं दिया, इस सरकार ने पहल करके आपदा प्रबंधन की बैठक में यह प्रस्ताव रखा और भारत सरकार ने स्वीकार किया। पहली किश्त में 800 करोड़ रुपये किसानों को देने के लिए स्वीकृति आई है। ये रुपये कलेक्टर्स को दे दिये, बैंकों में जमा हो गये, कलेक्टरों ने लघु और सीमांत काश्तकारों की लिस्ट बना ली, अब उनको बांटने का काम शुरू है। (व्यवधान) आप जो कह रहे थे वह बीमा का है, यह बीमा का नहीं है। बीमा वाली बात अलग है, यह अलग है। आपने बोला था तब बीमा बोला था, यह बीमा नहीं है। चाहे बीमा हो या नहीं हो, सबको मिलेगा।

राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन लागू जिससे औषधीय पौधे जैसे गुग्गल, शतावरी, मुलहठी, कलिहारी, गिलोय एवं सर्पगंधा आदि फसलों का विकास, भण्डारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन व विपणन हेतु सहायता। 11867 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचों की स्थापना, 150 जल संग्रहण ढांचों का निर्माण, 62 ग्रीन हाउस का निर्माण यह जो साल समाप्त हो रहा है, उसमें हो जाएगा।

फव्वारा ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने वाले कृषकों को प्राथमिकता से थ्री-फेस विद्युत कनेक्शन देय है। वर्ष 2009-10 में माह जनवरी, 2010 तक 62839 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई के 8044 हैक्टेयर क्षेत्र में बूंद-बूंद सिंचाई संयत्र स्थापित किये गये। राज्य में अब तक 8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयत्रों की स्थापना। बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों पर गैर उद्यानिकी फसलों को भी राज्य योजना से 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान। यह जो बिजली का

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कनेक्शन देने की बात है, जो कृषक प्राथमिक आधार पर यह तय कर लें कि मैं ड्रिप सिंचाई या फव्वारा अपनाऊंगा, उन्हें दिया जा रहा है। अब सरकार यह सोच रही है कि नये कनेक्शन जो लेने के लिए एप्लाई करेंगे उनका नम्बर तो बाद में आएगा जब आएगा, लेकिन उसमें भी अगर कोई यह लिखकर दे कि मैं फव्वारा या ड्रिप सिंचाई लगाऊंगा तो उसमें भी सरकार सोच रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या सोच रही है ? यह तो रिप्लाई कर रहे हैं, कम्प्लीट घोषणा करें। सोच रही है सरकार? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): वर्ष 2010-11 में 8200 हैक्टेयर में नये फल बगीचों की स्थापना, 4 हजार मधुमक्खी कालोनी एवं बक्सा वितरण, 250 जल स्रोतों का निर्माण, 20 हजार हैक्टेयर में बूंद-बूंद सिंचाई 75 हजार हैक्टेयर स्प्रिंकलर संयत्रों की स्थापना, यह उद्यानिकी विभाग का है।

माननीय सभापति महोदय, मत्स्य विभाग के बारे में यहां कोई चर्चा नहीं की गई फिर भी एक-दो बातों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में जयपुर शहर में स्थित मछली मण्डी को शहर से बाहर स्थानान्तरित कर रुपये 250 लाख की लागत से नये आधुनिक सुविधायुक्त होल सेल मछली बाजार का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी तथा शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त दुकानों, आइस प्लांट, पार्किग स्पेस, लोडिंग-अनलोडिंग सुविधा, उपयुक्त ड्रेनेज व्यवस्था का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में एक करोड़ रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है। वार्षिक योजना 2010-11 में उक्त प्रयोजनार्थ रुपये 10 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

दूसरा, मत्स्य विभाग में इस बार जलाशयों में पानी की कमी के कारण अधिकतर ठेकेदारों ने राशि जमा नहीं कराई, उसके बाद भी जो सरकारी आय पहले 9 करोड़ से आगे नहीं बढ़ी थी, अभी 20 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। इसके अलावा जिन माननीय सदस्यों ने शिकायत के रूप में कोई बात कही है, उसका मैं अलग से जवाब भेजूंगा।

यह मैंने जो आपको बात कही है, किसान के सामने समस्या सबसे बड़ी यह है कि दिनोंदिन सूखे क्षेत्र का एरिया बढ़ता जा रहा है। इस सम्बन्ध

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में मैंने माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री को सुझाव दिया था। उन्होंने मेरे को बुलाकर बात की और उन्होंने भी इस बात को माना है कि जिस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे बागवानी मिशन हो चाहे और कोई मिशन हो, चाहे खाद्य सुरक्षा मिशन हो, उन सबका लाभ उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा मिल रहा है जहां पर सिंचाई का साधन है। और जहां सूखा क्षेत्र है, वहां पर किसान का खर्चा ज्यादा होता है और नुकसान भी ज्यादा होता है। इस बात को उन्होंने माना और बात करने के बाद 15 दिन के अन्दर-अन्दर यहां विशेषज्ञ भेजे हैं। वे यहां जयपुर से लेकर जोधपुर तक सारा क्षेत्र देखकर गये हैं और अब दुबारा आना चाहते हैं। इस बारे में यह सोच रहे हैं कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई कदम उठाना चाहिए, नहीं तो यहां हालत बड़ी विकट हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त जो भारत-इजरायल समझौता हुआ था, उसे शायद 2-3-4 वर्ष हो गये होंगे। उस समझौते के अनुसार कुछ प्रान्तों में इजरायल ने काम शुरू किया। इस साल वे राजस्थान में काम शुरू करना चाहते हैं। आज से 3-4 महीने पहले वहां के विशेषज्ञ आये थे और उन्होंने कोई सर्वे का काम शुरू किया है। सबसे पहले वे इस काम को लेना चाहते हैं कि राज्य में जो क्षारीय भूमि है, जो नमकीन भूमि है उसको कैसे सुधारा जाए। उस नमकीन भूमि में कौनसी फसल किस प्रकार से हो सकती है, इसके लिये वह काम कर रहे हैं। अभी भी वे वैज्ञानिक आये हुए हैं और इसी काम में लगे हुए हैं।

इसके अलावा राज्य सरकार ने काम सम्भालने के बाद में खेती और पशुपालन में इस तरह के नये-नये काम किये हैं जो आज तक प्रदेश में और कई ऐसे हैं जो पूरे देश में नहीं हुए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से। (व्यवधान) मैं कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: अब तो बोल चुके मंत्रीजी, पहले बोलते आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा सारगर्भित जो घोषणाएं की गयीं और सुझाव दिये गये, उनके लिये तो हम इनके बहुत आभारी हैं लेकिन 2-3 चीजें हमारी समझ में नहीं आयीं, नम्बर एक- गाय भैंस का बीमा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब क्या मतलब है? अब क्या मतलब है? मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दे दिया। पूर्व मंत्रीजी, विराजो आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली): उसमें 25-50 प्रतिशत अनुदान.. (व्यवधान)

श्री सभापति: पूर्व मंत्रीजी, विराजो। पूर्व मंत्रीजी, विराजो।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली): सभापति महोदय, कुछ समझ में तो आए, देश का प्रश्न है, किसान का प्रश्न है।

श्री सभापति: पूर्व मंत्रीजी, विराजो आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली): देखिये, इंडिजिनस वंश, देशी गौ-वंश के बारे में जो प्रोजनिंग टेस्टिंग, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में कहा है, वह हमारी सरकार के समय का है।

श्री सभापति: आपको इसमें बोलना चाहिए था न।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने विभाग से सम्बन्धित अमूल्य सुझाव दिये। अधिकतर माननीय सदस्य किसान वर्ग से आते हैं, किसानों के शुभचिंतक हैं, मैं आशा करता हूं कि किसानों को बेहतर विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार का सहयोग करेंगे। माननीय सभापति महोदय, गत वित्तीय वर्ष में मण्डी समितियों की आय 245 करोड़ रुपये हुई जो कि आज तक की आय में सबसे ज्यादा थी। इस आय का श्रेय मैं हमारे पूर्व माननीय मंत्री सैनी साहब, उस वक्त के अधिकारी साहब और मण्डी समितियों में बैठे हमारे अध्यक्ष हैं मण्डी समितियों के, उनको देना चाहूंगा। सभापति महोदय, चालू वित्त वर्ष में फरवरी, 10 तक मण्डी शुल्क की आय 260 करोड़ रुपये की अर्जित की है। मार्च का महीना अभी बाकी है, 20 करोड़ रुपये मार्च के महीने में हमेशा आते हैं मैं समझता हूं 245 करोड़ के बजाय चालू वर्ष में 280 करोड़ की रुपये मण्डी शुल्क की आय प्राप्त होगी। इस वर्ष मण्डियों में किसानों व व्यापारियों को 1293 भूखण्ड आबंटित किये गये। कृषकों को, महिलाओं को, एसी.सी., एस.टी. को तो पहले आरक्षण था, अब दुकानदारों के लिये जो नि:शक्तजन हैं, उनको भी फुटकर दुकानदारों के लिये 3 प्रतिशत का कोटा निश्चित किया है। आने वाले समय में जब भी कोई अलाटमेंट होंगे, जब भी कोई भूखण्ड आबंटित होंगे, तो हमारे उन भाइयों को भी, जो नि:शक्तजन हैं, फुटकर व्यवसाय करने के लिये 3 प्रतिशत का आरक्षण तय किया है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क सुविधा विस्तार का कार्य है। आज तक विपणन बोर्ड ने लगभग साढ़े 15 हजार

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। निर्माण के बाद 1998-99 तक की 8 हजार किलोमीटर सड़कों का विशेष मरम्मत के माध्यम से नवीनीकरण भी किया। काफी सड़कें आज भी मरम्मत मांग रही हैं, वित्तीय संसाधनों का इंतजाम किया जा रहा है, जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे, उन सड़कों का भी नवीनीकरण किया जाएगा। सड़कों के क्षेत्र में विभाग की प्राथमिकता है कि जो हमारी सड़कें बनी हुई हैं, सबसे पहले उनको लिया जाए, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए, नवीनीकरण किया जाए, तब जाकर कहीं दूसरी तरफ सड़कों को छेड़ा जाएगा।

श्री सभापति: मंत्रीजी, यह सुदृढ़ीकरण कब से शुरू कर देंगे आप?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): कुछ अब पैसे आ रहे हैं, जैसे-जैसे आएंगे, वैसे-वैसे कर देंगे। कुछ कमी पड़ेगी तो कोई इंतजाम करेंगे, सुदृढ़ीकरण तो करेंगे ही।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कोई लोन वगैरह ले लें, साहब।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अब लेंगे। यह सैशन निकलने के बाद चलेंगे।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2010 तक 260 करोड़ के काम कराये गये जिसमें मण्डी यार्ड के अलावा 490 किलोमीटर लम्बाई की नई सड़कें बनाई गयीं और 934 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत कराई गई।

बस्सी से आने वाले माननीय विधायक ने नई का नाथ मन्दिर से बस्सी रोड तक की सड़क के निर्माण में वन विभाग को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा में ध्यान दिलाया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि वन विभाग को दी जाने वाली मुआवजे की राशि 8 लाख 69 हजार रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है, शीघ्र भुगतान करा दिया जाएगा और सड़क का पुनर्निर्माण प्रारम्भ करा दिया जाएगा। चर्चा में सूरजगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने भी सड़कों की स्थिति पर काफी चिन्ता व्यक्त की, इनकी चिन्ता को मैं समझता हूं। छोटी मण्डियों-बी, सी, डी, ग्रेड की मण्डियों में ज्यादा सड़कों की हालत खराब है जैसे ही संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी, इन मण्डियों की सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा।

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

कृषि विपणन विभाग का मुख्य उद्देश्य है किसानों की उपज के बेहतर प्रबन्धन द्वारा उनकी उपज का श्रेष्ठतम मूल्य दिलाना। फसलोत्तर प्रबन्धन जो कि विभाग का प्रमुख कार्य है, अब विभाग की गतिविधियों में फसलोत्तर प्रबन्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। काश्तकार एवं व्यापारियों को अधिक से अधिक विपणन सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से संविदा खेती के माध्यम से किसान अपना माल बेच सकेगा। पहले एक मण्डी में बेचता था, अब संविदा के आधार पर भी अपने माल को किसी व्यापारी के यहां पर बेच सकेगा। बड़े व्यवसाइयों को भी इसमें छूट दी गयी है। उनके केन्द्र पर भी ले जाकर अपना माल बेच सकेगा। एक किसान को तीन-चार प्लेटफार्म माल बेचने के मिलेंगे, निश्चित तौर पर आपसी प्रतिस्पर्धा के हिसाब से उसको बेहतर भाव मिल सकेगा। इसी कड़ी में एकल लाइसेंस प्रणाली भी चालू की गयी है कि प्रदेश का कोई भी बड़ा व्यापारी एक लाइसेंस लेकर कहीं से भी अपना माल खरीद सकता है, किसी भी मण्डी में अपनी दस्तक दे सकता है। उन मंडियों में जहां उसको लगे कि यहां कोई माल सस्ता बिक रहा है, उस माल को खरीदने के लिए इसको छूट है।

माननीय सभापति महोदय, आज कम्प्यूटर का युग और इण्टरनैट के जमाने में मंडियों को भी ई-मार्केट की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी और इसी कड़ी में दो लाइसेंस जारी किये गये हैं जो ई-मार्केट की व्यवस्था करेंगे। वहां अपनी एक लैब स्थापित करेंगे। गोदाम होगा, वेयरहाउस होगा, बैंकिंग की व्यवस्था होगी। कोई भी किसान वहां जाकर अपने माल की ग्रेडिंग करवाएगा, माल की गुणवत्ता के आधार पर अपने माल की बोली वह खुद लगाएगा ई-मार्केटिंग के माध्यम से कि मेरा माल इस क्वालिटी का है, मैं इतने में बेचूंगा। उसका माल वहां बिके तो अच्छी बात, नहीं तो अपने माल को जहां कहीं, माल की क्वालिटी का पता लगने के बाद बेचने को स्वतंत्र होगा। ई-मार्केटिंग प्रणाली से जो नई क्रांति आएगी उसका अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन विभाग उस पर कड़ी नजर रखे हुए है कि न कहीं व्यापारियों का नुकसान हो और न किसान का कहीं अहित हो।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में भारत सरकार के स्पाइस बोर्ड, स्पाइस पार्क की स्थापना की जा रही है। इस स्थापना से राज्य में मसाला प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिलेगा। स्पाइस पार्क की स्थापना से राज्य में मसाला निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा जिसका सीधा फायदा मसाला

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

उत्पादकों को होगा। स्पाइस पार्क जोधपुर में, खुश हो न? संकट की इस घड़ी में राज्य के किसानों को अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु किसान जीवन कल्याण योजना को संशोधित करके राजीव गांधी कृषक साथी योजना, 2009 लागू की है। इसके अन्तर्गत पहले किसान को, कृषक को, खेतिहर मजदूर को जो सहायता राशि मिलती थी, उसको दुगना कर दिया। जैसे-जैसे किन्हीं कारणों से कोई खेतिहर मजदूर की मौत हो जाती तब पचास हजार रुपये का प्रावधान था, अब उसे बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का, अंग-भंग होने की स्थिति में जो राशियां थीं लगभग उनको दुगना कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस महंगाई में मरने वाले बड़े काश्तकार का कभी भी कोई केस नहीं आया, हमेशा मजदूर की मौत होती है और उस मजदूर को एक लाख रुपये की सहायता राशि मिल जाए, उसका भी प्रावधान किया है कि जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी उसको वह राशि मिले। कई बार कोई केस गलत हो जाते हैं तो उसमें लेट होते हैं, नहीं तो हमारी तो कोशिश है ... (व्यवधान) अब अभी यह एक लाख को तो चलने दो, इसको तो देख लें साल भर।

एक माननीय सदस्य: दे देंगे। मांग कर दो।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): काहे की जल्दी है? छोटी-छोटी है, दो-तीन ही हैं।

कृषि उपज मण्डी समितियां जो नई बनी हैं, अमूमन वे मंडियों से दूर हैं। अक्सर देखा गया है कि वहां खाने-पीने की कोई सुविधा नहीं। किसान माल लेकर जाता है तो खाने के लिए कहां जाए? ऐसी स्थिति को देखते हुए 'आपणी रसोई' योजना प्रारम्भ की गयी है। पहले यह विशिष्ट मंडियों में और 'ए' श्रेणी की मंडियों में शुरू की गयी है। इसमें काश्तकार को जहां माल लेकर जाएगा, मात्र आठ रुपये थाली में अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जाएगा, बाकी पैसा जो लगेगा वह विभाग वहन करेगा। उसको उच्च क्वालिटी का अच्छा खाना उस मंडी में मिले, इसी उद्देश्य के साथ यह 'आपणी रसोई' योजना चालू की है।

जहां-जहां कृषि उपज मण्डी समितियां बनी हुई हैं, दुकानें कम, खाली जगह काफी पड़ी है। इसी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो नारा दिया है 'हरित राजस्थान' का, हमने यह काम भी अपने हाथ में लिया है कि

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

खाली जगह पर एक सुव्यवस्थित तरीके से पेड़-पौधे लगाएंगे और मंडियों को हरा-भरा बनाएंगे ताकि दूर से दिखे कि यह मण्डी, यहां इतने पौधे हैं। कृषि उपज मण्डी समिति ऐसी होनी चाहिए, एक ऐसी पहचान बने मंडियों की। राजस्थान की मंडियों की ऐसी पहचान हो इसलिए इस काम को भी अपने हाथ में लिया है। इस काम के लिए बीच में एक बात आती है, पेड़ तो लगते हैं लेकिन पानी कहां से आएगा? वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम हमने अपने हाथ में लिया है कि मंडियों में वर्षा का जितना भी पानी आएगा उसका एक जगह संग्रहण करेंगे, डिग्गियां बनाएंगे, नालियां बनाकर उन डिग्गियों में पानी ले जाएंगे। वह पानी बरसात का खराब नहीं हो, बाहर नहीं बहे, मंडियों में गंदगी नहीं फैलाए, उस पानी को एक जगह इकट्ठा करके पेड़-पौधे जो लगाये जाएंगे, उनको पाला जाएगा। यह पेड़-पौधे जब लग जाएंगे, यह सिस्टम शुरू हो जाएगा तो आने वाला किसान भी देखेगा कि मंडियों में वाटर हारवेस्टिंग के माध्यम से अगर पौधे लग सकते हैं तो मैं मेरे खेत में क्यों नहीं लगाऊं? तो किसान को प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना चालू की जा रही है।

इसी संबंध में जो हमारी बिजली की आम समस्या है उसको हल करने के लिए सोलर लाइटें मंडियों में लगायी जाएंगी। वह भी एक उदाहरण के तौर पर मेरा सोचना है कि सौर ऊर्जा अगर मण्डी में ड्रिप सिस्टम चलाएगी तो किसान निश्चित तौर पर वहां आकर देखेगा तो अपने खेत में भी इसको लगाने की बात करेगा। सौ बार सोचेगा।

राठौड़ साहब का अदरक रह गया। (व्यवधान) दोनों में खिलाएंगे, अदरक तो दोनों में आता है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अदरक का मामला उठाया, अदरक के दो स्वरूप होते हैं। हरा गीला अदरक वह तो सब्जी में गिना जाता है और सूखने पर सौंठ के रूप में जाएगा तो मसाले में आएगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली): अंग्रेजी में बता दो कि क्या होता है?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अंग्रेजी मेरे को नहीं आती। नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता मैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): स्पाइस बोर्ड ने अदरक कहां डिफाइन किया है?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): स्पाइस बोर्ड ने (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप खुद की जो कृषि उपज मण्डी का अधिनियम है उसमें कहां डिफाइन किया है?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): इसी स्थिति को तो स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप गलती कर रहे हैं, मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, आप गलत कर रहे हो और उसको छुपा और रहे हो। मतलब पांच दिन के अन्दर-अन्दर आपके खुद के व्यू बदल गये? आपके सैक्रेटरी के व्यू बदल गये? (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): स्पाइस बोर्ड ने तो हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन इनको भी मसाले में डाल रखा है। उन्होंने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रखी। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही इसकी इतनी एक्सरसाइज हुई थी जिसमें लास्ट में जो सही था, उसको कर लिया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मान लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लूट लेंगे काश्तकार को।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पहली बार इतनी आसानी से माने हो।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): एक तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने गऊ के चारे के लिए, मंडियों की तरफ से टोटल आय का 5 प्रतिशत गाय के चारे के लिए हमने यह राशि निकाली और सरकार को देने के लिए कहा। पांच प्रतिशत उस वक्त हमारी स्थिति थी कि 12 करोड़ रुपये जाएंगे। 12 जाएं, 15 जाएं, आमदनी होगी तो जाएंगे। लेकिन इस अकाल की स्थिति में गांवों की गायों की मदद करने के लिये कोई तो आगे आए। सरकारी विभाग का पैसा है, उसी सिलसिले में जब फाइल चलाई, लेकिन उतने दिनों तक किसी भी मण्डी के पास प्रस्ताव नहीं आये गौ-शालाओं के। फिर इसका संशोधन करना पडा कि हम क्यों सोच रहे हैं कि हर साल पांच परसेंट दें। ईश्वर न करे। अकाल न पड़े, पानी बरसे, हरा चारा हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़े। इसलिये इसमें संशोधन की जरूरत पड़ी कि यह प्रति वर्ष करना पडा। अब प्रस्ताव तो आप पास कराओ। माननीय सदस्यों ने मुझे सुना, सहयोग दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-37 और 39 पास की जाए।

मांग संख्या-37 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग सख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,96,57,66,000/- (दस अरब छियानवे करोड़ सतावन लाख छियासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग सख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,02,70,71,000/- (तीन अरब दो करोड़ सत्तर लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2011 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.53 बजे गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु चयनित स्थल

267. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में केन्द्रीय संस्थाओं यथा आई.आई.टी., आई.आई.एम., वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं ट्रिपल आई.टी. की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रीय संस्थानों के स्थान तय करने के लिए सरकार ने व्यास कमेटी का गठन किया था? यदि हां तो क्या कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हे? यदि हो, तो यह रिपोर्ट कब सौंपी गई तथा किस-किस स्थान पर कौन-कौन से संस्थान की अभिशंषा की गई एवं स्थान चयन करने का आधार क्या रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में कोटा में आई.आई.टी., अजमेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी उदयपुर में आई.आई.एम. एवं बीकानेर में ट्रिपल.आई.एम.आई.टी. खोले जाने की अभिशंषा की गई थी ? यदि हां, तो अभिशंषा बदलने का क्या कारण रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में केन्द्रीय संस्थाओं यथा आई.आई.टी., आई.आई.एम. वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टरशिप मोड में ट्रिपल आई.टी. की स्थापना बाबत् भारत सरकार से क्रमशः दिनांक 16.12.2006 को, 23.6.2009, 16.04.2008 तथा 29.08.2007 को राज्य सरकार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से पत्र प्राप्त हुये । इसी प्रकार ट्रिपल आई.टी. की राजस्थान में स्थापना के संबंध में योजना आयोग में हुई बैठक दिनांक 13.11.2007 में विचार किया गया था।

(2) जी हां। उक्त केन्द्रीय संस्थानों (ट्रिपल आई.टी. को छोड़ कर) के स्थान तय करने के लिए सरकार ने व्यास कमेटी का गठन किया था।

कमेटी द्वारा दिनांक 10.6.2009 को रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

कमेटी द्वारा आई.आई.टी. हेतु जोधपुर, आई.आई.एम. हेतु उदयपुर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हेतु अजमेर तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हेतु बीकानेर की अभिशंषा की गई।

उक्त कमेटी द्वारा विभिन्न जिला/संभागीय मुख्यालयों का दौरा किया गया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों विभिन्न संगठनों एवं प्रबुद्धजनों एवं आमजन से चर्चा की तथा भारत सरकार की मार्गदर्शिका को ध्यान में रखते हुये सभी तथ्यों का संकलन कर चारों संस्थाओं हेतु स्थानों की अभिशंषा तैयार की गई ।

स्थान चयन करने का आधार मुख्यत: निम्न रहा :-

1. इन सस्थाओं के अकादमिक स्टेन्डर्ड की आवश्यकतओं की पूर्ति हेतु योग्य और अनुभवी संकाय सदस्यों (Faculty) की भर्ती एवं ठहराव की स्थितियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । इन संस्थानों की सफलता तथा प्रतिष्ठा इन संस्थानों में पढ़ाने और अनुसंधान कराने वाले अध्यापकगण पर निर्भर करती है।
2. अधिकाशं संकाय सदस्यों की पत्नी/पति (Spouses) भी प्रोफेशनल योगयता रखने वाले होते हैं, अत: उनके रोजगार तथा उनके प्रोफेशनल विकास की स्थितियों को भी ध्यान में रखा गया ।
3. संकाय सदस्यों तथा अन्य स्टाफगण के बच्चों की शिक्षा के लिए नजदीकी क्षेत्र में अच्छे विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की उपलब्धता की स्थिति।
4. संस्थानों की यातायात यथा हवाई, सड़क व रेल, के साधनों की सुलभता (Connectivity), जिससे संकाय सदस्यों, विजिटर्स, विद्यार्थियों, अभिभावकों आदि की संस्थान तक पहुंच सुलभ हो सकें ।
5. उच्च गुणवत्ता की संचार व्यवस्था एवं ब्रोडबेण्ड सम्बद्धता की उपलब्धता ।
6. विद्यार्थियों तथा संकाय सदस्यों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता ।
7. संस्थाओं में प्रवेशित होने वाले विद्यार्थियों के लिए कैम्पस कनेक्टिविटी की पहुंच पर विचार ।
8. समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक वातावरण की उपलब्धता ।
9. विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों तथा अन्य स्टाफ के लिए पर्याप्त आवासीय सुविधा की उपलब्धता।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

10. क्षेत्र में बिजली एवं पानी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होना ।

11. संस्थान हेतु स्थायी भवन निर्माण होने तक अस्थायी भवन की उपलब्धता की स्थिति ।

12. उच्च योग्यताधारी संकायों एवं उसके परिवार के सदस्यों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए तदनुसार विकसित क्षेत्र की उपलब्धता ।

13. इस प्रकार के संस्थानों के आस-पास ऐसे उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाएं तथा संगठन हो जिससे उद्योग तथा व्यवसाय के विषयों का अध्ययन करना आसान हो । क्षेत्रीय उद्योग जहां आई.आई.टी. तथा आई.आई.एम. से प्रायोजित (Sponsored) अनुसंधान तथा आवश्यक परामर्श (Consultancy) की सेवाओं का लाभ ले, वहीं इन संस्थानों के लिए यह इनके वित्तीय स्त्रोतों की अभिवृद्धि का साधन बने ।

14. आई.आई.टी. तथा आई.आई.एम. के स्तर पर होने वाले राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स एवं सम्मेलनों के लिए सम्भागियों के नियमित विजिट को ध्यान में रखते हुये नजदीकी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उपलब्धता ।

(3) यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में कोटा में आई.आई.टी. तथा अजमेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की अभिशंषा की थी ।

राजस्थान में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित किये जाने के संबंध में केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 16 अप्रैल, 2008 को सूचित किया गया था।

पूर्व में जयपुर में आई.आई.एम. खोलने की अभिशंषा अक्टूबर, 2006 व इससे पूर्व की गई थी तथा बाद में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आई.आई.एम. को उदयपुर में स्थापित करने के संबंध में ही अनुशंषा की गई थी।

ट्रिपल आई.टी. खोले जाने की अभिशंषा जयपुर हेतु की गई थी ।

मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2007 को भारत सरकार के सचिव श्री आर.पी. अग्रवाल को एवं तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2008 को मावन संसाधन मंत्री भारत सरकार को कोटा में आई.आई.टी. खोले जाने की अभिशंषा की थी। परन्तु केन्द्रीय मानव संसाधन

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

मंत्री द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2008 एवं दिनांक 30 अप्रेल, 2008 को मुख्यमंत्री राजस्थान को लिखे पत्रों में कोटा शहर के हवाई सेवाओं से जुडे नहीं होने का उल्लेख करते हुये जयपुर या जोधपुर के लिए भी संभावनाएं तलाश करने के लिए लिखा । उक्त सन्दर्भ में उक्त केन्द्रीय संस्थानों के स्थान तय करने के लिए सरकार ने प्रो. वी.एस. व्यास, चेयरमेन गवर्निंग बोर्ड इंस्टीट्यूट आफॅ डवलपमेन्ट स्टेडीज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। व्यास कमेटी ने जोधपुर में आई.आई.टी. व उदयपुर में आई.आई.एम. की स्थापना किये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा इस संबंध में उल्लेखित किया कि-

जोधपुर की आबादी 5 लाख के ऊपर है और यह शहर वायु सेवा, रेल सेवा एवं सड़क मार्ग से बहुत अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है । पानी पर्याप्त उपलब्धता के साथ यहां पर एक विकसित विद्युत ग्रिड भी है । आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ शहर के नजदीक संस्थान हेतु आवश्यक भूमि भी उपलब्ध है । यहां पर AIILMS जैसा प्रतिष्ठित अस्पताल एवं मेडिकल कालेज स्थापित किया जा रहा है एवं आयुर्वेद एवं विधि विश्वविद्यालय पूर्व में स्थापित है और एक शिक्षा का कोरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें कि SCI-ENCE CITY की भी योजना है। विधि, स्वास्थ्य और सभी प्रकार के संस्थानों के एक ही जगह होने से शिक्षामय वातावरण हो गया है। पूर्व से स्थापित एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज में कक्षाएं शुरू करने में मदद मिलेगी । इन कारणों से कमेटी ने आई.आई.टी. हेतु जोधपुर को सबसे उपयुक्त स्थान माना है।

आई.आई.एम. के लिए उदयपुर शहर को चुना गया जिसकी आबादी 5 लाख है। यह दो बड़े-बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। यहां पर काफी समय से एयर पोर्ट संचालित है। यहां पर पर्याप्त मात्रा में विद्युत एवं जल उपलब्ध है। यहां पर तीन विश्वविद्यालय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, कई इंजीनियर कालेज, एवं प्रबन्धन कालेज हैं। यहां पर मेडीकल कालेज एवं निजी चिकित्सालय की सुविधायें उपलब्ध हैं। यह खनिज उद्योग का केन्द्र है। प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ यहां का पर्यावरण भी बहुत अच्छा सांस्कृतिक माहौल है।

इस कमेटी की अभिशंषा को केन्द्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

भारत सरकार ने केन्द्रीय दलों का गठन किया, जिन्होंने विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट ने जोधपुर में आई.आई.टी. तथा उदयपुर में आई.आई.एम. की स्थापना के सम्बन्ध में पत्र जारी किये।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के पत्र दिनांक 29.8.2007 में राज्य सरकार को न्यूनतम 500 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने एवं 2 या 3 वैकल्पिक उपयुक्त स्थानों सम्बन्धी सूचना प्रेषित करने के लिए लिखा गया था। राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले के चाचियावास ग्राम में 1154 बीघा भूमि चिन्हित करने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा एक स्थान चयन समिति को राजस्थान दौरा पर भेजा। चयन समिति ने व्यास समिति द्वारा अभिशंषित बीकानेर तथा चाचियावास एवं बान्दरसिंदरी तीनों स्थानों का निरीक्षण कर अजमेर जिले के बान्दरसिंदरी ग्राम को उपयुक्त मानकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की अभिशंषा केन्द्र सरकार को दी है तथा केन्द्र सरकार ने भी उक्त अभिशंषा के आधार पर पत्र द्वारा अजमेर जिले के बान्दरसिंदरी ग्राम को उपयुक्त मानकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है।

कृषि अनुसंधान केन्द्र सिरोही में लाभान्वित कृषक

268. **श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि अनुसंधान केन्द्र सिरोही में विगत 5 वर्षों में किन-किन जिंसों पर अनुसंधान किया गया और उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किन-किन जिंसों पर अनुसंधान किया जा रहा है एवं उक्त अनुसंधान करते समय क्या कृषकों को अपनी जिंसों की गुणवत्ता बढ़ाने की शिक्षा देने हेतु आमंत्रित किया जाता है? यदि हां, तो आमंत्रित कृषकों की सूची सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में कृषि अनुसंधान केन्द्र नहीं है।

(2) बिन्दु संख्या एक के जवाब के क्रम में सूचना शून्य है।

कामां विधान सभा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास कार्य

269. **श्रीमती जाह्दिा** (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मेवात क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मेवात क्षेत्र में शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष योजना लागू की गई? यदि हां, तो क्या? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कामां में सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या-क्या कार्य प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेवात क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क-I, क-II पर संलग्न है।

(2) जी हां। मेवात क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण व्यवस्था के लिये विशेष योजनाएं लागू की गई हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. **लहर :-** कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों में शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के लिए मेवात क्षेत्र में स्थित मॉडल क्लस्टर स्कूल (एनपीईजीईएल) जिनमें कक्षा 1 व 2 संचालित है, के विद्यार्थियों में गतिविधि आधारित शिक्षण प्रारम्भ किया गया है। इस प्रकार से शिक्षण कार्य कराने में विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए कार्ड तथा कार्य पुस्तिकाएं आबंटित की जाती हैं, जिससे विद्यार्थी आनन्ददायी तरीके से सीखते हैं।

2. **आओ पढ़ें हम**:-मेवात क्षेत्र के माडल क्लस्टर स्कूल जिनमें कक्षा 3, 4 व 5 संचालित है, उन विद्यालयों में कक्षा 3, 4 व 5 के विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के स्तर तक लाने के लिए आओ पढ़ें हम कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर वर्गों में बांटकर सघन शिक्षण कार्य करवाया गया।

(शिक्षा मंत्री)

3. **उपचारात्मक शिक्षण:-** क्वालिटी एश्योरेन्स परीक्षण के आधार पर कक्षा 4, 6, 7 के विद्यार्थियों एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर उपलब्धि स्तर ज्ञात कर कमजोर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण किया गया तथा उनको माह सितम्बर एवं 15 फरवरी से 15 मार्च तक उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया गया, जिससे उनकी कमजोरी दूर हो सके।

4. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय:-** मेवात क्षेत्र की ऐसी बालिकाओं, जो कि प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सकीं, विशेष रूप से अल्प संख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए मेवात क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गये, जिनमें बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले के विकास खण्ड किशनगढ़वास में बी.के. नगर, तिजारा में मुसारी, लक्ष्मणगढ़ में मौजपुर एवं रामगढ़ में चण्डीगढ़ तथा भरतपुर जिले के विकास खण्ड नगर में मानोता कला, डीग में डीग एवं कामां में जुरहरा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले गये हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा हेतु रेडियो प्रसारण, कल्प योजना तथा उर्दू शिक्षा हेतु उर्दू शिक्षाकर्मी, पैराटीचर व अध्यापकों की नियुक्ति आदि के साथ-साथ नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के मानदण्डों में मेवात क्षेत्र के लिए शिथिलता प्रदान की हुई है।

(3) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कामां में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराये गये कार्यों का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका क्षेत्र धौलपुर की रिहायशी कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं

270. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र धौलपुर में 10 वर्षों में कई अवैध कालोनियों का निर्माण हुआ है? यदि हां, तो क्यों और कैसे?

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(2) क्या यह भी सही है कि धौलपुर की उक्त रिहायशी कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका द्वारा रूपान्तरण एवं विकास शुल्क वसूला जा रहा है किन्तु कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गत 10 वर्षो में कृषि भूमि क्षेत्र में खातेदारों द्वारा टुकड़ों में भूमि का बेचान कर अवैध कालोनियां बसाई गई हैं।

(2) जी हां।

(3) नगर पालिका धौलपुर द्वारा दिनांक 17.6.1999 से पूर्व बसी कालोनियों का नियमन कर कनवर्जन एवं डवलपमेन्ट शुल्क वसूल किया जा रहा है तथा मूलभूत सुविधाएं भी इन वैध कालोनियों में उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा इसके बाद बसी कालोनियों का संबंधित कालोनाईजरों द्वारा ही विकास कराया जाना है।

(4) कालोनाईजरों एवं एकल पट्टा धारकों द्वारा शर्तों की पालना नियमानुसार करने पर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर राशि जमा होने पर नियमन कर मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाया जाता है।

जयपुर मानसरोवर के हार्ट अस्पताल का संचालन

271. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मानसरोवर, जयपुर में "हार्ट अस्पताल" भवन बनकर तैयार है? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक चालू करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त अस्पताल के लिए बजट प्रावधान भी रखा गया है? यदि हां, तो कितनी राशि?

(3) क्या सरकार इसे निजी संस्था को अनुबंधित कर संचालन का जिम्मा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस संस्था को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मानसरोवर स्थित मानस आरोग्य सदन भवन बनकर तैयार है जिसमें हृदय रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है जो कि प्रक्रियाधीन है। इसे यथा शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। इस अस्पताल हेतु वर्ष 2009-10 में रुपये 16.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

(3) जी हां। मानस आरोग्य सदन, मानसरोवर, जयपुर को पीपीपी मोड में चलाये जाने हेतु एक्सप्रेशन आफ इन्टरेस्ट हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कर दिया गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2010 रखी गई थी। अंतिम तिथि के पश्चात् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा तकनीकी मानकों के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जाकर उपयुक्त प्राईवेट पार्टनर तय किया जायेगा। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रतापगढ़ एवं अरनोद तहसील में अनुसूचित जाति क्षेत्रों में विशेष राजस्व अभियान के अन्तर्गत भू-आबंटन

272. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि दिनांक 21 जनवरी, 2006 से 28 फरवरी, 2006 तक अनुसूचित जाति क्षेत्रों में विशेष राजस्व अभियान चलाया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त राजस्व अभियान में विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की तहसील अरनोद एवं प्रतापगढ़ में तीन हजार चार सौ उन्यासी आबंटियों को सात सौ सतेत्तर हैक्टेयर के करीब भू-आबंटन किया गया था? यदि हां, तो दिसम्बर, 2009 तक इनमें से कितने आबंटियों को मौका कब्जा व जमाबन्दी के पत्रक अब तक उपलब्ध नहीं करवाये गये? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। दिनांक 21.01.2006 से 28 फरवरी, 2006 तक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विशेष राजस्व अभियान चलाया गया था। उक्त राजस्व अभियान में विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की तहसील क्षेत्र प्रतापगढ़ में 1383 व्यक्तियों को 582.55 हैक्टेयर एवं तहसील क्षेत्र अरनोद में 513 व्यक्तियों को 192.13 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई थी। दोनों तहसीलों में कुल 1896 व्यक्तियों को 774.68 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई थी। उक्त सभी व्यक्तियों को 2009 तक मौके पर कब्जा देकर जमाबंदी के पत्रक उपलब्ध करा दिये गये थे।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में माडा योजनान्तर्गत प्रस्तावित योजनाएं

273. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में माडा योजनान्तर्गत कौन-कौनसी योजनाएं व क्या-क्या कार्य संचालित किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जयपुर में माडा योजनान्तर्गत कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के माडा योजनान्तर्गत कौन-कौन से गांव हैं? सरकार द्वारा उक्त गांवों के विकास के लिए गत तीन वर्षों में कौन-कौन से कार्य एवं योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में किस-किस गांव में कौन-कौन से नए कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में माडा योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं/कार्यक्रम की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला जयपुर में विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़, आमेर, बस्सी, चाकसू एवं बगरू माडा योजनान्तर्गत आते हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट एवं आवश्यकता के अनुसार नये कार्य प्रस्तावित किये जावेंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-274

(स्थगित)

खण्डेला नगरपालिका में रोकड़ बही में अनियमितता की जांच

275. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका खण्डेला की रोकड़ बही में हेराफेरी कर 5-6 लाख रुपये राजकीय राशि के गबन के प्रकरण में जिला कलक्टर, सीकर द्वारा सितम्बर, 2004 में अपर जिला कलक्टर, सीकर से जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो क्या जांच में तत्कालीन अध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी एवं कैशियर को दोषी पाये जाने पर कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को अनुशंषा की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन अध्यक्ष को दिनांक 17.11.04 को निलम्बित कर दिया गया, परन्तु गबन का दोषी पाये जाने पर भी अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों और अब प्रकरण में मुकदमा दर्ज कब तक करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तत्कालीन अध्यक्ष को दिनांक 17.11.2004 को निलम्बित नहीं किया गया था किन्तु उनके प्रकरण में न्यायिक जांच करायी गयी अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जांच रिपोर्ट को राज्य सरकार को प्रस्तुत करने पर तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका खण्डेला के विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाने तथा तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं केशियर को निलम्बित करने एवं उनके विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया तथा तदनुसार कार्यवाही की गई।

भरतपुर जिले में ब्लाक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर सीनियर मेडिकल अधिकारी की नियुक्ति

276. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के प्रत्येक ब्लाक स्तर पर ब्लाक

(श्री बहादुर सिंह)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तैनात किये गये हैं? यदि हां, तो नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर सीनियर मेडीकल आफिसर की ही नियुक्ति की जाती है? यदि हां, तो भरतपुर जिले में ऐसे कौन-कौन से चिकित्सा अधिकारी हैं, जो ब्लाक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात होने की पात्रता नहीं रखते और उनको इस पद पर लगाया गया है? क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ब्लाक चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक कार्य न कर चिकित्सालयों में मरीज देखते हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला भरतपुर में 9 ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं, जिनके नाम एवं कार्यालय के पते सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भुसावर एवं सेवर के पद पर क्रमश: डा. बाबूलाल मीणा एवं डा. मनीष कासिनवार, चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध पदस्थापित है। ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बयाना एवं डीग तथा नदबई के पद पर क्रमश: डा. जी. एल. गुप्ता एवं डा. सत्यवीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी तथा डा. आर.पी. गुप्ता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) अपने कार्य के साथ-साथ ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित कर रहे हैं। जब तक रिक्त पदों पर किसी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन नहीं हो जाता तब तक चिकित्सा सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने हेतु चिकित्सा अधिकारियों को भी ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है, फलस्वरूप इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) राज्य सरकार ने 19 जुलाई, 2008 को आदेश जारी कर निर्देश दिये हैं कि ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ही चिकित्सक के समस्त कार्य 2 से 3 घण्टे कर सकेंगे। उनका चिकित्सक कक्ष एवं कार्यालय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन पर ही रहेगा। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(विवरण/प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बकानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नियम विरुद्ध झालावाड़ में संचालन

277. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आईटीआई कालेज बकानी गत 2 वर्षों से बकानी के स्थान पर झालावाड़ में संचालित हो रहा है तथा बकानी क्षेत्र के छात्रों को झालावाड़ आकर पढ़ाई करनी पड़ती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त कालेज को वापस कस्बा बकानी में संचालित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) बकानी गत दो वर्षों से बकानी के स्थान पर झालावाड़ में संचालित हो रहा है तथा बकानी क्षेत्र के छात्रों को झालावाड़ आकर पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि आई.टी.आई. बकानी का भवन 1996 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया गया था जो दिनांक 11.8.1997 में संस्थान को सुपुर्द किया गया था। हस्तान्तरण के कुछ ही समय पश्चात् भवन में दरारें आने लगीं तथा फर्श बैठने लग गई थी, इस कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने पत्र संख्या 502 दिनांक 22.7.2006 को भवन को असुरक्षित घोषित कर तुरन्त खाली करने के निर्देश दिये थे। असुरक्षित घोषित होने के कुछ ही समय पश्चात् दिनांक 7.8.2006 को भवन क्षतिग्रस्त हो गया। छात्रों का प्रशिक्षण सुचारू रूप से चलाने के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बकानी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झालावाड़ में ही संचालित किया जा रहा है।

(2) जी हां। बकानी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चलाये जाने वाले व्यवसाय अनुसार किराये का भवन मापदण्ड अनुसार उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान स्थिति में संस्थान बकानी में संचालित किये जाने में कठिनाई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त भवन सुरक्षित निर्मित किये जाने पर पुन: स्वयं के संस्थान में संचालित किया जा सकेगा।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में अनियमितता

278. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 2008 व 2009 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किन-किन विद्यालयों में किन-किन निर्माण कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति की गई है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृति के पश्चात् उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने विद्यालय बिना भवन के संचालित हैं तथा कितने विद्यालयों में किचनशेड, चारदीवारी, शौचालय एवं कक्षा कक्षों की कमी है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में आवश्यक निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 से सर्व शिक्षा अभियान में करवाये गये निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन कार्यों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में संचालित कितने विद्यालय जीर्ण-शीर्ण/ क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं? क्या सरकार इनकी मरम्मत/नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा केकड़ी में वर्ष 2008 व 2009 में सर्व शिक्षा अभियान में कराये गये निर्माण कार्य व स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) डाइस 2009 की सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में 8 विद्यालय बिना भवन के संचालित हैं तथा 48 विद्यालयों में किचनशेड, 20 विद्यालयों में चारदीवारी, 6 विद्यालयों में शौचालय की कमी है। किसी भी विद्यालय में कक्षाकक्ष की कमी नहीं है।

जी हां। उक्त विद्यालयों के शेष रहे आवश्यक निर्माण कार्य सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वार्षिक कार्य योजनाओं में सम्मिलित करते हुए भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में सम्पादित किये जा सकेंगे।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) डाईस 2009 की सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कोई भी विद्यालय जीर्ण-शीर्ण/क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कोई भी विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर नगर परिषद् में आहार वीथि की स्थापना

279. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा नगर परिषद् उदयपुर परिसर में आहार वीथि (फूड स्ट्रीट) विकसित करने हेतु स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो किस तिथि को तथा योजना को पूरा करने की समयावधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना की अनुमानित लागत क्या है तथा उक्त योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का कितना-कितना अंशदान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आहार वीथि (फूड स्ट्रीट) योजना को विकसित करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? उक्त योजना को शीघ्र पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है तथा उक्त योजना कब तक पूरी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा पत्र दिनांक 20.1.2009 के द्वारा उदयपुर शहर का फूड स्ट्रीट की योजना हेतु चयन किया गया योजना को पूरा करने की समयावधि गाइड लाइन में निश्चित नहीं की गई है।

(2) उक्त योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 75 प्रतिशत या 5 करोड़ जो भी कम हो की वितीय सहायता दी जावेगी, जो कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनने एवं स्वीकृति होने के पश्चात् दी जावेगी।

(3) आहार वीथि (फूड स्ट्रीट) योजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु टेण्डर दिनांक 6.7.2009 को प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाशित की गई थी लेकिन

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। पुन: दिनांक 4.1.2010 को निविदा प्रकाशित की गई लेकिन कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।

इस हेतु जगह चयन कर साधारण सभा की बैठक में स्वीकृति उपरान्त पुन: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु निविदा जारी की जावेगी।

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में दानदाताओं द्वारा निर्मित चिकित्सालय भवन की मरम्मत पर व्यय राशि

280. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के कस्बा रामगढ़ शेखावाटी में वर्ष 2002 में दानदाताओं द्वारा लगभग सवा करोड़ की लागत से भवन बनवाकर अस्पताल के लिए सरकार को दिया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल भवन की मरम्मत हेतु किसी विभाग, संस्था, एन.जी.ओ. द्वारा मांग की गई थी? यदि हां, तो किसके द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हाल ही में उक्त भवन का मरम्मत कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई? उक्त कार्यों की कार्यकारी एजेंसी कौन थी एवं सुपरविजन किस विभाग ने किया था और इस मरम्मत कार्य की स्वीकृति किस स्तर से दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दानदाता द्वारा निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ सेठान के भवन का अधिग्रहण 6 अप्रैल, 2001 को किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ सेठान के भवन की मरम्मत/परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की इंजीनियरिंग शाखा के द्वारा प्रारम्भ करवाया गया है। संवेदक मैसर्स महेन्द्र कुमार एण्ड सन्स कन्सट्रक्शन कम्पनी को कार्यादेश दिनांक 23.10.2009 को जारी किया गया है। कार्यादेशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

रामगढ़ सेठान की मरम्मत/परिवर्तन/परिवर्धन हेतु कुल रुपये 27.82 लाख का कार्यादेश दिया गया है। कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 02.11.2009 एवं कार्य पूर्ण करने की सम्भावित दिनांक 02.08.2010 है। 10 मार्च, 2010 तक संवेदक कम्पनी को उपरोक्त कार्य पर कोई भुगतान नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश दिनांक 09.06.2009 के द्वारा जारी की गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कर्मचारी/ अधिकारी

420. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर में कई अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से प्रतिनियुक्ति पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नगर निगम में प्रतिनियुक्ति के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्षों से प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों/अधिकारियों को मूल विभाग में भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर लगे कर्मचारी/अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। नियमानुसार प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति पर ऐसे अधिकारी/ कर्मचारियों को अपने पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम सवाई गैटोर की चरागाह भूमि पर अवैध शोरूम एवं आवासों का निर्माण

421. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 36 में मालवीय नगर सैक्टर 6 के सामने से जगतपुरा जाने वाली सड़क के मध्य ग्राम सवाई गैटोर की खसरा नं. 843 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा सिवाय चक एवं खसरा नं. 348 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा चरागाह भूमि है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों खसरा नम्बरों की कुल भूमि की

श्री प्रभुलाल सैनी)

वर्तमान कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये से अधिक है? क्या उक्त बेशकीमती भूमि पर कतिपय भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे, अतिक्रमण कर व्यावसायिक शोरूम एवं आवासों का निर्माण कर लिया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध कब्जे/अतिक्रमण के विरुद्ध कतिपय विधायकों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा समय-समय पर जयपुर विकास प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु लिखा गया है? यदि हां, तो कब-कब व उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त अवैध निर्माण को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब तक हटा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। खसरा नम्बरों की कुल भूमि की वर्तमान कीमत प्रचलित डी.एल.सी. दर से 20 करोड़ से अधिक है। खसरा नम्बर 843 पर पुरानी आबादी बसी हुई है एवं कतिपय लोगों के पुराने कब्जे हैं जिन पर अब व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही है। खसरा नम्बर 848 पर कोई अतिक्रमण नहीं है इस भूमि पर जेडीए की सवाई गैटोर योजना सृजित है।

(3) जी हां। दिनांक 9.2.2010 को इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर मौका देखा गया मौके पर काफी वर्षो पुराने मकान व दुकान बने हुए हैं जिनमें परिवार निवास कर रहे हैं जिसके कारण कार्यवाही नहीं की गई।

(4) मौके पर काफी वर्षो पुराने मकान व दुकान बने हुए हैं, कोई नया अतिक्रमण नहीं है, ऐसे में प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर नीति अनुरूप परीक्षण किया जाकर कार्यवाही की जावेगी।

महेश नगर जयपुर के श्मशान गृह में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

422. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महेश नगर, जयपुर में नगर निगम द्वारा श्मशान गृह बनाया हुआ है?

(श्री राजकुमार रिणवां)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त श्मशान गृह में आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने के कारण वहां के निवासियों को तीन-चार किलोमीटर दूर शव को ले जाना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त श्मशान गृह में अब आवश्यक सुविधायें कब तक उपलब्ध करवा दी जायेंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में महेश नगर में निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं- 1. टीनशेड, 2. बरामदा, 3. दो कमरे।

वर्तमान में श्मशान के अन्य विकास हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल के आबंटित आवासों का उप विभाजन

423. श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल के आबंटीधारी उसे आबंटित मकान के किसी हिस्से/छत को विक्रय कर देता है, तो लीज-डीड शर्तों के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल से लीज-डीड ट्रांसफर करानी होती है? यदि हां, तो संबंधित नियम/शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन आबंटियों ने एकमुश्त लीज राशि जमा करा रखी है, उन्हें भी सब डिविजन कराना आवश्यक है? यदि हां, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मण्डल ऐसे रजिस्ट्रीकृत आबंटियों जिन्होंने एकमुश्त लीज राशि के पश्चात् अपने आवास का कुछ हिस्सा जरिये रजिस्ट्री बेच दिया है, उनका सब डिविजन स्वीकार कर स्थानान्तरण करने का विचार रखता है? यदि हां, तो इस संबंधी आदेश/नियम/शर्तें/परिपत्र आदि की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार ने मकानों के उप विभाजन के संबंध में फरवरी, 2009 में दिशा-निर्देश जारी किये हैं? क्या उक्त दिशा-निर्देश राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आबंटित मकानों पर भी लागू होंगे? यदि नहीं, तो क्यों? इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान आवासन मण्डल में मण्डल का आबंटी यदि उसे आबंटित मकान के किसी हिस्से/छत का विक्रय कर देता है तो लीज डीड शर्तों के अनुसार लीज डीड ट्रांसफर का प्रावधान नहीं है।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल में सब डिविजन के प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल में सब डिविजन के कोई प्रावधान/नियम स्थापित नहीं है। वर्तमान में इस संबंध में मण्डल में कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

(4) इस संबंध में दिनांक 19.02.2010 को जारी परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

धोलाई ग्राम (जयपुर) स्थित विधान सभा नगर योजना का नियमन

424. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धौलाई, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर स्थित विधान सभा नगर योजना की 90-बी की कार्यवाही की जा चुकी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना कुल कितने क्षेत्रफल में विकसित की गई है एवं इस योजना में कुल कितने भूखण्ड हैं?

(3) क्या यह सही है कि हाल ही में प्रशासक सहकारिता विभाग, जयपुर द्वारा इस योजना का संशोधित नक्शा तैयार कर जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर संशोधित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इस योजना की सैक्टर रोड निर्धारित करते हुए भूखण्डधारियों की संशोधित सूची तैयार की गई है? यदि हां, तो योजना के सभी भूखण्डधारियों की पुरानी व संशोधित सूची मय नाम व प्लाट की साइज तथा ब्लाक दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या वर्तमान में इस योजना के भूखण्डधारियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित संशोधित नक्शे के अनुसार ही मकानों का निर्माण किया जाना है अथवा पुराने नक्शे के अनुसार?

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(6) क्या सरकार उक्त योजना का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम धौलाई, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर स्थित विधान सभा नगर योजना की 90बी की कार्यवाही हो चुकी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) योजना कुल क्षेत्रफल 387687.56 व.मी. में विकसित की गई है जिसमें कुल भूखण्ड 1009 है।

(3) जी हां। प्रशासक सहकारिता विभाग, जयपुर द्वारा योजना का संशोधित नक्शा तैयार कर जविप्रा से अनुमोदित कराया गया है। संशोधित नक्शे की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) वर्तमान में इस योजना के भूखण्डधारियों द्वारा जविप्रा से अनुमोदित संशोधित नक्शे के अनुसार ही मकान का निर्माण किया जाना है।

(6) संयुक्त गृ.नि.स. समिति की आवासीय योजना विधान सभा नगर का योजना मानचित्र बीपीसी (एलपी) की 144वीं बैठक दिनांक 07.01.2010 को अनुमोदित किया जा चुका है। योजना के सम्बन्ध में 3 रिट याचिकायें भूखण्डधारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की हुई हैं, जिसमें स्थगन होने के कारण नियमन कैम्प नहीं लग पाया है।

(प्रतियां व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में खेल मैदान एवं स्टेडियम का निर्माण

425. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन-कौनसी योजनायें संचालित हैं तथा इन पर गत दो वर्षों में कितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर खेल मैदान एवं स्टेडियम का निर्माण करवाया गया तथा इनमें गत दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(श्री रामस्वरूप कसाना)

यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक खेल मैदान एवं स्टेडियम का निर्माण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में प्रथम चरण में ब्लाक पंचायत कोटपूतली एवं ग्राम पंचायत बनेठी, दांतिल, राजनौता रामसिंहपुरा, सरूण्ड में खेलों को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) संचालित है।

इस योजना के तहत गत दो वर्षों में खेल मैदानों के विकास हेतु 5.00 लाख रुपये की राशि तथा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 50,000/- रुपये की राशि व्यय हेतु जारी की जा चुकी है।

(2) कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक पंचायत कोटपुतली एवं ग्राम पंचायत बनेठी, दांतिल, राजनौता, रामसिंहपुरा एवं सरूण्ड में खेल मैदानों का विकास करवाया जा रहा है। इस हेतु 5.00 लाख रुपये की राशि जिला परिषद को व्यय हेतु जारी की गई है।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) के अन्तर्गत कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र की शेष पंचायतों को वर्ष 2015-16 तक चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

जयपुर एवं भरतपुर जिले में मोबाइल चोरी एवं फर्जी नाम से सिम जारी करने के दर्ज प्रकरण

426. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर एवं भरतपुर के विभिन्न थानों में मोबाइल चोरी तथा फर्जी नाम से सिम जारी किये जाने के प्रकरण दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों का दोनों जिलों का थानेवार दर्ज प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि फर्जी नाम से सिम जारी किए जाने के प्रकरणों में अश्लील/अभद्र एस.एम.एस. तथा धमकियां दिये जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो थानेवार प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई तथा कितने प्रकरणों

(डा. दिगम्बर सिंह)

में न्यायालय में चालान पेश किए गए? सिम आवेदन पत्र व आई.डी. प्रूफ की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मोबाइल चोरी/फर्जी सिम जारी करने को रोके जाने के संबंध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1. यह सही है कि गत दो वर्षों में जिला जयपुर व भरतपुर के विभिन्न थानों में मोबाइल चोरी के प्रकरण दर्ज हुये हैं दर्ज प्रकरणों की थानेवार विस्तृत सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

2. यह भी सही है कि गत दो वर्षों में फर्जी नाम से सिम जारी करवाने के प्रकरण दर्ज हुए हैं दर्ज प्रकरणों की थानेवार विस्तृत सूचना संलग्न परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(2) यह भी सही है कि गत दो वर्षों में फर्जी नाम से सिम जारी करवाकर अश्लील/अभद्र एस.एम.एस. तथा धमकियां दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दर्ज प्रकरणों की थानेवार सूचना संलग्न परिशिष्ट "स" में अंकित है।

(3) मोबाइल चोरी के वर्ष 2008 में दोनों जिलों में कुल 140 प्रकरण दर्ज हुये हैं जिनमें 5 प्रकरण अदम वकू, 70 अदम पता एवं 65 प्रकरणों में चालान पेश कर 98 लोगों की गिरफ्तारी की गयी एवं 38 मोबाइल बरामद किये गये हैं।

इसी प्रकार वर्ष 2009 मे कुल 205 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें 5 अदम वकू, 112 अदम पता, 4 प्रकरण पेण्डिंग तथा 84 प्रकरणों का चालान न्यायालय में पेश किया गया एवं 149 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 52 मोबाइल बरामद किये गये। पूर्ण सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम 5 से 10 तक अंकित है। सिम आवेदन प्रार्थना पत्र एवं बरामद एक सिम न्यायालय में तथा एफ.एस.एल. में जांच हेतु जमा है।

(4) मोबाइल चोरी, फर्जी सिम से अभद्र/अश्लील फर्जी सिम जारी करवाने के संबंध में जब भी सम्बन्धित थानों में शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीकानेर जिले के थानों में जिप्सम चोरी के दर्ज प्रकरण

427. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री देवीसिंह भाटी)

जिला बीकानेर में वर्ष 2008 से अब तक जिप्सम चोरी के कितने मामले किन-किन धाराओं में दर्ज हुए तथा अलग-अलग मुकदमों में कितने मुकदमों में चालान किया गया व कितने मामले संबंधित थानों में विचाराधीन हैं? विचाराधीन मामलों में आज तक चालान नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बीकानेर में वर्ष 2008 में अब तक जिप्सम चोरी के प्रकरणों का वर्ष वाइज चालान किये गये धारा वाइज एवं लम्बित पुलिस प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	धारा	चालान	विचारधीन (अनुसंधाना-धीन) पुलिस
1.	2008	193	379 भा.द.सं. 3,21,22 एम.एम. एण्ड डी.आर. एक्ट	192	—
2.	2009	181	379 भा.द.सं. 3,21,22 एम.एम. एण्ड डी.आर. एक्ट	180	—
3.	2010 (11 मार्च तक)	07	379 भा.द.सं. 3,21,22 एम.एम. एण्ड डी.आर. एक्ट	4	03
योग		**381**	—	**376**	**03**

वर्ष 2008 में 1 प्रकरण में एवं वर्ष 2009 में भी 1 प्रकरण में नतीजा एफ.आर. में दिया गया है। वर्ष 2010 के जो 3 प्रकरण अनुसंधानाधीन हैं, वे तीनों ही प्रकरण दिनांक 10.3.2010 को पंजिबद्ध हुए हैं, जिसमें अनुसंधान जारी है।

नारलाई ग्राम, पाली जिले की जमाबन्दी की खतौनी में अनियमितताएं

428. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) जिला पाली के ग्राम नारलाई की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 2297, 2298, 2299, 2300, 2305 के खातेदार कौन-कौन हैं तथा इनके नाम का नामान्तरण कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नामान्तरण से पूर्व उक्त खसराओं के खातेदार कौन-कौन थे? और उनके वारिस कौन-कौन हैं?

(3) क्या यह सही है कि नामान्तरण के बाद खातेदार श्री भूराराम का नाम उक्त जमाबन्दी से हटा दिया गया और श्री ओगडराम के वारिसों का नाम ही जमाबन्दी में दर्ज किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त नामान्तरण के फलस्वरूप जमाबन्दी में नाम दर्ज करने में कोई अनियमितता पायी गई है? यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? दोषी का नाम, मय पदनाम तथा दोषी के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त जमाबन्दी में खातेदार श्री भूराराम का पुन: नाम दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम नारलाई की वर्तमान जमाबंदी में ख. न. 2297, 2298, 2299, 2300 व 2305 के खातेदार निम्नानुसार दर्ज हैं :-

खीमा, चमना, भूरा, वेला, देवा पि. माना, जोगा वल्द चेना 1/5 पोकरी पत्नी हका, नेनू कस्तु जीवी रम्बा पुत्रियां हका, मगा पुत्र गमना, सकाराम पुत्र चूना, गोमी बेवा चूना 1/5, नगाराम, भीमाराम पि. ओगड 1/5, मूला, दोला पि. जोधा, नेनू बाई पत्नि वेला, रूपाराम पुत्र वेला 1/5 शोभाराम, बाबूलाल पि. पका, मु. गंगा पत्नि पका, जोधा पुत्र खूमा, रतिया, भेरा, नथिया, पि. कूपा 1/5 खातेदार।

संवत् 2009-2028 की मिसल बंदोबस्त में उक्त भूमि के खातेदार निम्नानुसार थे :—

मना, चेना पि. कला 1/5 गुमना पुत्र केरा 1/5 दुर्गा पुत्र दूदा 1/5 हीरा पुत्र नेमा 1/5 खूमा, कूपा पि. नेमा 1/5 खातेदार।

उक्त खातेदारान के देहावसान होने पर उनके वारिसों के नाम निम्नानुसार जरिये निम्न नामान्तरकरणों के जमाबंदी में दर्ज हुए—

(राजस्व मंत्री)

ना. स./दि.	फौत खातेदार	वारिस
136/2.3.64	गमना पुत्र केरा	हका, मगा, चूना पि. गमना
278/4.5.70	मना पुत्र कला	खीमा, चमना, भूरा, वेला, देवा पि. मना
434/3.5.	कूपा पुत्र नेमा	रतिया, भेरिया, नथिया पि. कूपा
574/18.8.75	चेना पुत्र कला हीरा पुत्र नेमा	जोगाराम पुत्र चेना वेला, जोधा पि. हीरा
795/19.10.77	दुर्गा पुत्र दुदा	भूरा, ओगड पि. दुर्गा
923/19.6.81	ओगड पुत्र दुर्गा	नगाराम, भीमाराम पि. ओगड
1071/16.1.85	जोधा पुत्र हीरा	मूला, दौसा पि. जोधा
295/22.12.95	वेला पुत्र हीरा	नेनूबाई पत्नि वेला रूपाराम पुत्र वेला
499/30.11.98	खूमा पुत्र नेमा पका पुत्र खूमा	शोभाराम, बाबूलाल पि. पका, गंगा पत्नि पका, जोधा पुत्र खूमा
677/10.10.01	चूना पुत्र गमना	सकाराम पुत्र चूना गोमी बेवा चूना
892/20.6.06	हका पुत्र गमना	पोकरी पत्नि हका नेनू, कस्तू, जीवी, रम्भा पुत्रियां हका

नामान्तरकरण संख्या 795 तथा 923 भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान पारित किये गये थे। भू प्रबंध विभाग के द्वारा तैयार की गयी मिसल बंदोबस्त संवत 2040 से 2061 में उक्त नामा. संख्या 795 में स्वीकृत वारिस भूरा पुत्र दुर्गा का नाम दर्ज होना सहवन से छूट गया तथा मृतक दुर्गा के एक ही वारिस ओगड के पुत्रों नगाराम, भीमाराम पि. ओगड का नाम दर्ज किया गया।

इसी प्रकार संवत 2058 से 2061 की जमाबंदी तैयार करते वक्त नगाराम, भीमाराम पि. ओगड 1/5 हि. का इन्द्राज दो बार हो जाने से जरिये शुद्धिपत्र एक इन्द्राज को हटाया गया।

(2) उक्त नामान्तरकरणों से पूर्व खातेदारों व वारिसान का विवरण प्रश्न संख्या 1 में अंकित है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। यह सही है कि नामान्तरकरण संख्या 795 के द्वारा मृतक दुर्गा के वारिस के रूप में भूरा पुत्र दुर्गा तथा ओगड पुत्र दुर्गा एवं नामान्तरकरण संख्या 923 के द्वारा मृतक ओगड के वारिस नगाराम, भीमाराम पिता ओगड के नाम वारिस के रूप में स्वीकृत हुए थे। परन्तु भू प्रबंध विभाग द्वारा मिसल बंदोबस्त तैयार करते वक्त सहवन से भूरा का नाम अंकित करना छूट गया तथा मात्र ओगड के वारिसों के ही नाम दर्ज हुए। भूरा का नाम अंकित करना त्रुटिवश छूट गया।

(4) जी नहीं। प्रश्न के भाग 3 में अंकित गलती भू प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम नारलाई की मिसल बंदोबस्त तैयार करते वक्त हुई है। क्योंकि नामान्तरकरण स्वीकृति के दौरान तहसील देसूरी में भू प्रबंध कार्य जारी था। भू प्रबंध कार्यवाही के पश्चात् की जमाबंदियां भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार की गयी मिसल बंदोबस्त के आधार पर तैयार की जाती हैं। मिसल बंदोबस्त के खाता संख्या 286 में भूराराम का नाम सहवन से छूट गया। उक्त गलती को दुरूस्त कराने एवं अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु श्री भूराराम द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 16/07 भूराराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरहा उपखण्ड अधिकारी देसूरी के न्यायालय में दर्ज करवा रखा है जो विचाराधीन है।

(5) भूराराम का नाम पुन: जमाबंदी में खातेदार के रूप में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 16/07 भूराराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरहा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 उपखण्ड अधिकारी देसूरी न्यायालय में विचाराधीन है जो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

किशनगढ़बास एवं कोटकासिम तहसील में भू-आबंटन एवं नियमन शिविर

429. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की तहसील किशनगढ़बास व कोटकासिम में पिछले पांच वर्षों में कहां-कहां व कब-कब भू-आबंटन एवं नियमन शिविर आयोजित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों से भू-आबंटन एवं नियमन शिविर आयोजित नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त तहसीलों में भू-आबंटन एवं नियमन शिविर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की तहसील किशनगढ़बास में 47 व कोटकासिम में 59 स्थानों पर पिछले पांच वर्षों में भू-आबंटन एवं नियमन शिविर आयोजित किये गये। आयोजित शिविरों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व अभियान शीघ्र चलाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अनूपगढ़ तहसील को जिला स्तरीय दर्जा

430. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार अनूपगढ़ को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जनगणना 2011 का कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण जिलों, तहसीलों, कस्बों तथा ग्रामों के क्षेत्राधिकार/सीमाओं में परिवर्तन को मार्च, 2011 तक प्रतिबन्धित किया हुआ है। अत: मार्च, 2011 तक राज्य सरकार द्वारा कोई भी नवीन जिला बनाने हेतु विचार नहीं किया जा सकता है।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों के रिक्त पद

431. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पटवारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से वर्तमान में कितने पदस्थापित व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में किस-किस पटवारी के पास दोहरा चार्ज कब से है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में पटवारियों के 47 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 33 पदों पर पटवारी पदस्थापित हैं एवं 14 पटवारियों के पद रिक्त हैं।

(2) पटवारियों के दोहरे चार्ज की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्व मण्डल द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरान्त पटवार परीक्षा पास करने के बाद जिला कलक्टर द्वारा इन्हें पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी जायेगी।

परिशिष्ट "अ"

दोहरा चार्ज पटवारियों की सूची तहसील जमवारामगढ़

क्र. सं.	नाम पटवारी मय पटवार मण्डल जिसके पास चार्ज है	पटवार मण्डल जिसका चार्ज है	चार्ज कब से है
1	2	3	4
1.	श्री रामेश्वर खोरवाल/माथासूला	रूपवास	23.10.2009
2.	श्री श्रवण मीणा/भावनी	सानकोटडा	27.06.2009
3.	श्री हनुमान सहाय मीणा/डागरवाडा	महंगी रायसर फूटोलाव	27.06.2009 23.10.2009 04.11.2009
4.	श्री गोपाल सहाय मीणा/राजपुरा पातलवास	बहलोड	08.12.2009
5.	श्री चंद्र सिंह मीणा/पापड	थोलाई	23.10.2009
6.	श्री रामस्वरूप शर्मा/थली	नीमला राम्यावाला	06.10.2009 05.10.2009
7.	श्री कैलाश चंद सैनी/ लालवास	गांवली	24.10.2009

1	2	3	4
8.	श्री हरीसिंह चारण/नायल	खरकडा	17.12.2009
9.	श्री ओम प्रकाश वर्मा/नेवर	चावंडिया	22.10.2009
10.	श्री जगदीश सैनी/मानोता	धर्मपुरा	22.10.2009
11.	श्री राजेन्द्र मीणा/खवा रानीजी	बुज	27.10.2009
12.	श्री सुरेश धेनवाल/गटवाडी	बोबाडी जयचंदपुरा धोला	03.12.2009 12.10.2009 04.10.2008
13.	श्री राजेन्द्र खटीक/ताला	विलोद	27.06.2009

कलक्टर (भू.अ.)

जयपुर)

तारानगर विधान सभा क्षेत्र के आबादी क्षेत्र विस्तार के विचाराधीन प्रकरण

432. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चूरू में कुल कितने प्रस्ताव आबादी क्षेत्र विस्तार के कब से किस-किस स्तर पर लम्बित हैं एवं लम्बित प्रस्तावों का निष्पादन कब तक हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के ग्रामीण क्षेत्र में आबादी क्षेत्र विस्तार के कुल कितने प्रस्ताव जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी, तारानगर को प्राप्त हुए व कितने प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्रेषित किये गये एवं कितने लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में आबादी विस्तार के जिला स्तर पर कुल 11 प्रस्ताव लम्बित हैं। प्रस्ताव अपूर्ण होने पर संबंधित से पुन: सूचना मंगवाई गई है जो प्राप्त होने पर नियमानुसार भूमि आबंटन की कार्यवाही की जायेगी।

(2) तहसील तारानगर के जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक आबादी विस्तार के दो प्रस्ताव (ग्राम राधेडी व ग्राम झाडसर छोटा) प्राप्त हुए हैं, जिनमें भूमि आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।

रोडा एक्ट के अन्तर्गत वसूली से प्राप्त कमीशन के वितरण के नियम

433. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रोडा एक्ट के तहत बैंकों की वसूली उप-खण्ड अधिकारियों द्वारा की जाती है एवं वसूली के एवज में बैंकों से वसूली का कमीशन प्राप्त होता है?

(2) उपखण्ड स्तर पर की गई वसूली से प्राप्त कमीशन राशि के वितरण के क्या नियम बने हुये हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वसूली कमीशन के वितरण के कोई नियम नहीं है? यदि हां, तो इस राशि का वितरण किन नियमों के तहत एवं क्यों किया जा रहा है?

(4) क्या सरकार इसके लिए नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। रोडा एक्ट के अन्तर्गत बैंक ऋणों की वसूली पर प्राप्त होने वाले कमीशन का वितरण राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.11.2001 के अनुसार किया जाता है। आदेश दिनांक 13.11.2001 की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। क्योंकि इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश बिन्दु संख्या 3 अनुसार जारी कर रखे हैं। अत: अलग से नियमों की आवश्यकता नहीं है।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की तहसील सुजानगढ़ में सम्मिलित पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था

434. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में तहसील सुजानगढ़ की कितनी पंचायतों को सम्मिलित किया गया है? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील सुजानगढ़ की ग्राम पंचायतों को रतनगढ़

(श्री राजकुमार रिणवां)

क्षेत्र में सम्मिलित करने के बाद भी उक्त पंचायतों की जनता को प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सार्वजनिक हित के कार्यों एवं व्यवस्थाओं हेतु सुजानगढ़ जाना पड़ता है?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में तहसील सुजानगढ़ की जिन पंचायतों को मिलाया गया है, उनको तहसीलल रतनगढ़ में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रतनगढ़ में सुजानगढ़ तहसील की कुल 14 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं, जिनकी सूची निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत
1.	आबसर	8.	खुडी
2.	रणधीसर	9.	खारिया कनिराम
3.	जोगलिया	10.	मालासी
4.	जैतासर	11.	राजियासर मीठा
5.	ढढेरू भाभूवान	12.	हरासर
6.	चाडवास	13.	भानीसर तेजसिहोतान
7.	गुलरिया	14.	बडाबर

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। जनगणना-2011 का कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण जिलों, तहसीलों, कस्बों, ग्रामों की प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में परिवर्तन को मार्च, 2011 तक प्रतिबन्धित किया हुआ है।

नोखा तहसील में सीमाज्ञान हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण

435. श्री कन्हैया लाल झंवर (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कन्हैया लाल झंवर)

क्या यह सही है कि तहसील नोखा में सीमाज्ञान कराने के लिए प्राप्त आवेदनों-पत्रों के निस्तारण हेतु पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के लिए समय अवधि निर्धारित है? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 25 फरवरी, 2010 तक कुल कितने आवेदन तहसील कार्यालय नोखा में दर्ज कर पटवारियों द्वारा निस्तारित किये गये? यदि नहीं, तो क्या सरकार सीमाज्ञान के आवेदनों को पंजीबद्ध कर निर्धारित अवधि में निस्तारण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। सीमाज्ञान हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के लिये 15 दिवस की अवधि निर्धारित है। तहसील नोखा में 1 जनवरी, 2009 से 25 फरवरी, 2010 तक कुल 187 आवेदन पत्र दर्ज किये गये। 176 आवेदन पत्रों का निस्तारण पटवारियों द्वारा किया जा चुका है। शेष 11 आवेदनों का निस्तारण मौके पर रबी फसल खड़ी होने व आवेदक के उपस्थित न होने के कारण नहीं हो सका है।

माह अप्रैल, 2010 के अन्त तक शेष आवेदनों का निस्तारण करवा दिया जावेगा।

संगरिया विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

436. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र संगरिया के किस-किस चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र संगरिया के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.11.2009 से स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु अरजेन्ट टेमप्रेरी बेसिस पर चिकित्सा अधिकारी के 600 रिक्त पदों को अधिकतम 6 माह के लिये अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने (दोनों में जो भी पहले हो) तक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से हनुमानगढ़ जिले में चिकित्सकों के 15 रिक्त पदों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को वाक-इन-इन्टरव्यू से भरे जाने हेतु अनुमति प्रदान की जा चुकी है जिसमें से अभी तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा 11 चिकित्सकों को नियुक्ति प्रदान की गई है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

फार्मासिस्ट का पद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में सम्मिलित नहीं है, जिसे सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कनिष्ठ लिपिक एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र संगरिया के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगरिया	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्ररोग)	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1

1	2	3
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगरिया	नर्स श्रेणी प्रथम	1
	नर्स श्रेणी द्वितीय	4
	फार्मासिस्ट	1
	कनिष्ठ लिपिक	1
	सफाई कर्मचारी	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टिब्बी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
	नर्स श्रेणी प्रथम	1
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2
	फार्मासिस्ट	1
	सहायक रेडियोग्राफर	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीनगढ़	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरेवाला	सफाई कर्मचारी	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालारामपुरा	सफाई कर्मचारी	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुरा	सफाई कर्मचारी	1

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी शैयाओं की वृद्धि

437. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में रोगी शैया पर्याप्त नहीं है? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में शैया बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगरगढ़ में बजट घोषणा के अनुरूप आगामी वर्ष में शैयाओं में वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नगर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रिक्त पद

438. **श्रीमती अनिता सिंह** (नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर के राजकीय चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर के राजकीय चिकित्सालय में काफी समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है? क्या सरकार उक्त पद पर पदस्थापन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर के केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का 1 पद स्वीकृत है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 से रिक्त है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त उक्त रिक्त पद को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर को एफ.आर.यू. (फस्ट रैफरल यूनिट) के लिए चयनित किया गया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर अस्थाई तौर पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

कामां एवं पहाड़ी तहसील में चिकित्सा विभाग की योजनाओं से लाभान्वित व्यक्ति

439. **श्रीमती जाहिदा** (कामां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में चिकित्सा विभाग की कौन-कौन सी योजनायें हैं व उन योजनाओं में किस-किस जिले में किस-किस योजना में कितनी स्वीकृतियां जारी की गईं?

(श्रीमती जाहिदा)

(2) गत एक वर्ष में तहसील कामां/पहाड़ी में उक्त योजनाओं में क्या-क्या स्वीकृतियां जारी की गयी हैं व कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा विभाग की वर्ष 2009-10 में जारी स्वीकृतियों का योजनावार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) गत वित्तीय वर्ष में तहसील कामां/पहाड़ी में जो स्वीकृतियां जारी की गई हैं एवं उनसे कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बासंवाड़ा जिले में अन्धता निवारण कार्यक्रम में अनियमितताएं

440. श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में जिला अंधता निवारण कार्यक्रम चल रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम में कितने सरकारी/गैर सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं?

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत रिक्त स्वास्थ्य शिक्षक के पद पर श्रीमती हेमलता जैन का किस नियम/ आदेश के तहत चयन किया गया है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चयनित अभ्यर्थी स्वास्थ्य शिक्षक की निर्धारित योग्यता नहीं रखती है? यदि हां, तो निर्धारित मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा श्रीमती जैन को सरकारी कर्मचारी मानकर प्रावधीय निधि विभाग में वेतन से कटौती कराने हेतु खाता नंबर आबंटन बाबत आवेदन पत्र प्रेषित किये हैं? यदि हां, तो उक्त कर्मी के प्रावधायी निधि के खातों के नम्बर क्या हैं? यदि नहीं, तो संबंधी दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह भी सही है कि प्रावधायी निधि विभाग ने श्रीमती जैन को सरकारी कर्मचारी नहीं मानते हुए विभाग के पास जमा राशि लौटाने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो लौटाई गई राशि तथा दिनांक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्यक्रम में वर्तमान में 2 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) श्रीमती हेमलता जैन, मूलत: स्वच्छ परियोजना, उदयपुर की कर्मचारी हैं जिन्हें अतिरिक्त निदेशक, आई.ई.सी. के आदेश क्रमांक 1005 दिनांक 19.05.2007 के द्वारा अंधता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के अधीन स्वास्थ्य शिक्षिका के पद पर स्वच्छ परियोजना में इनका 3 वर्ष तक लियन रखते हुए कार्य सम्पादन हेतु पदस्थापित किया गया था। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

श्रीमती हेमलता जैन, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर में कार्यरत थी। जिन्हें अतिरिक्त निदेशक, आई.ई.सी. के आदेश क्रमांक 1005 दिनांक 19.05.2007 के द्वारा अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के अधीन स्वास्थ्य शिक्षिका के पद पर इनका लियन 3 वर्ष के लिए स्वच्छ परियोजना में रखते हुए कार्य सम्पादन हेतु लगाया गया था। प्रकरण वित्त विभाग को निर्देश हेतु भेजे जाने पर उनकी टिप्पणी अनुसार श्रीमती जैन को विभाग के आदेश संख्या 221 दिनांक 15.02.2010 को मूल पदस्थापन स्थान निदेशक, स्वच्छ परियोजना, बांसवाड़ा के लिए कार्यमुक्त किया गया। विभाग के इन आदेशों को श्रीमती जैन के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ में चुनौती दी गई। विभाग आदेश क्रमांक 221 दिनांक 15.02.2010 के आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। वर्तमान में प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) जी हां। श्रीमती हेमलता जैन का जीपीएफ खाता संख्या 935006 एवं बीमा खाता संख्या आर.आर. नम्बर 25602/आई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) जी हां। राज्य बीमा का भुगतान अधिकार पत्र संख्या 5135 दिनांक 16.10.2008 के द्वारा राशि रुपये 5000/- लौटाई गई है।

जीपीएफ का भुगतान अधिकार पत्र संख्या 5227 दिनांक 16.10.2008 राशि रुपये 10221/- लौटाई गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आदेश प्रति संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

परबतसर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

441. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार परबतसर चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र परबतसर में 108-एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार परबतसर मेगा हाइवे पर बढती दुर्घटनाओं के मद्देनजर राजकीय चिकित्सालय परबतसर में चिकित्सकों के नये पद सृजित करने व अन्य सुविधा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), नर्स श्रेणी प्रथम, वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दन्त टैक्नीशियन एवं बार्डवाय के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 150 प्रतिस्थापित की जाने वाली 108-एम्बुलेन्सों में से परबतसर पर 108-एम्बुलेन्स दिया जाना विचाराधीन है।

(3) जी हां। स्टापिंग पैटर्न के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर में चिकित्सा अधिकारी के पद आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एफआरयू (फस्ट रैफरल यूनिट) के लिए चयनित किया गया है। निश्चेतन विशेषज्ञ की सुविधा संविदा पर अस्थाई तौर पर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त ब्लड स्टोरेज यूनिट हेतु आवश्यक उपकरण सप्लाई किये जा चुके हैं। ब्लड स्टोरेज का लाइसेन्स प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर के भवन में आर्वतन परिवर्तन एवं अन्य निर्माण कार्य करवाये गये हैं तथा उपकरण भी उपलब्ध कराये गये हैं।

पीलीबंगा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतसर शहर का क्रमोन्नयन

442. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतसर शहर में 30 रोगी शैया ही स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार वर्ष 2010-11 में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (चिकित्सालय) को क्रमोन्नत कर 70 शैया करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में दानदाताओं द्वारा उपयुक्त व सुविधाजनक वार्ड पूर्व में ही बना दिया गया है? यदि हां, तो इसके उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है?

(4) अब उक्त चिकित्सालय को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 1995 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर को 30 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई थी।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर में बजट घोषणा के अनुरूप आगामी वर्ष में शैयाओं में वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी हां। वार्डो में भर्ती किये जाने वाले मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाकर उपयोग में लाई जा रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर में बजट घोषणा के अनुरूप आगामी वर्ष में शैयाओं में वृद्धि कर क्रमोन्नत कर दिया जावेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजवाडी का क्रमोन्नयन

443. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील बस्सी (जयपुर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाड़ी के भवन का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो इस हेतु कुल कितना वित्तीय प्रावधान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाड़ी के भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 28 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाड़ी को आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नीतिगत निर्णय अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाडी का भवन 15 मई 2010 तक पूर्ण करने की सम्भावना है।

राजकीय महाराणा भोपाल चिकित्सालय भवन उदयपुर का रखरखाव

444. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय महाराणा भोपाल चिकित्सालय, उदयपुर की सफाई व्यवस्था एवं भवन की मरम्मत का कार्य किस एजेन्सी को दिया गया है? गत पांच वर्षों में उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सज्जन कटारा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय की साफ-सफाई (रंग रोगन) एवं भवन की मरम्मत काफी समय से नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य अब शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर की सफाई व्यवस्था का कार्य विभिन्न एजेन्सियों को दिया गया है सूची परिशिष्ट "अ" पर है तथा मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया।

गत 5 वर्षों में सफाई व्यवस्था एवं मरम्मत पर व्यय की गयी राशि सूची परिशिष्ट "ब" पर है।

(2) जी नहीं। उक्त चिकित्सालय की सफाई नियमित रूप से हो रही है तथा रंग-रोगन एवं भवन की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है। वर्तमान में भी रंग-रोगन एवं भवन मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।

(3) उक्त चिकित्सालय की सफाई नियमित रूप से हो रही है तथा रंग-रोगन एवं भवन की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पीपल्दा के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पद

445. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कितने राजकीय चिकित्सालय हैं और उनमें कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जिनमें स्टाफ के स्वीकृत पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, मलेरिया निरीक्षक एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा चुका है, नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सफाई कर्मचारी का रिक्त पद सीधी भर्ती से भरा जाना है जिसे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

संगणक का रिक्त पद निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा भरा जाना है। जिसे भरवाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के ग्रामों में पदस्थापित शिक्षकों को चयनित वेतनमान

446. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले के किन-किन ग्रामों में राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त ग्रामों के विद्यालय में पदस्थापित अध्यापिकाओं की प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान के पद नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों के विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापिकाओं जिन्होंने 9, 18, 27 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली है, परन्तु जिनको अभी तक चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है? यदि हां, तो उक्त अध्यापिकाओं को चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं करने का क्या कारण है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापिकाओं को चयनित वेतनमान स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के ग्रामों में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त ग्रामों के विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापिकाओं की प्रथम नियुक्ति तिथि वर्तमान पदनाम का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) छठा वेतन आयोग के प्रभाव में आने के पश्चात् (दिनांक 1.9.2006) से अध्यापिकाओं को 9, 18 व 27 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण करने पर देय वेतनमान का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर 1.9.06 से वित्तीय उन्नतिकरण आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (ACP) का लाभ दिये जाने का प्रावधान वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.11(7)वित्त(नियम)/2008 दिनांक 12.9.08 के अनुसार सक्षम अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों का वर्तमान तक निस्तारण किया जा चुका है।

(4) सक्षम अधिकारी को प्रकरण प्राप्त होते ही नियमों के परिपेक्ष में परीक्षण कर निस्तारण कर दिया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलपुर के विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य

447. **श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में गत पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन-कौन से विद्यालयों में कमरों एवं रसोई घरों का निर्माण करवाया गया?

(2) क्या नाबार्ड योजना में भी कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया जाता है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में किन-किन विद्यालयों में क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शालाओं में भौतिक संसाधन जुटाने की दृष्टि से निर्माण कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो इस संबंधी नियम क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में गत पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराये गये कक्षाकक्षों का

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। रसोई घरों का निर्माण सर्व शिक्षा अन्तर्गत नहीं कराया गया है।

(2) जी हां। वर्ष 2007-08 के दौरान नाबार्ड योजना अन्तर्गत सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के रा. मोहता उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ में अतिरिक्त कक्षाकक्ष का निर्माण कार्य कराया गया है।

(3) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कक्षाकक्षों हेतु निम्न प्रावधान है :-

1. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक अध्यापक अथवा प्रत्येक ग्रेड/कक्षा के लिए इनमें से जो भी कम हो एक कमरा और साथ ही यह व्यवस्था कि कम से कम दो अध्यापकों वाले प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में बरामदे सहित दो क्लास रूम होंगे।
2. उच्च प्राथमिक स्कूल/सेक्शन में मुख्याध्यापक के लिए एक कमरा।

इसके अतिरिक्त जिले की वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में पेयजल रहित विद्यालयों हेतु पेयजल सुविधा, शौचालय रहित विद्यालयों हेतु शौचालय, विद्युतीकरण, विशेष मरम्मत व आत्यन्तिक मामलों में जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, वन क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र में चारदीवारी के कार्य भी कराये जाते हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बोरावड़ तहसील मकराना के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य अनियमितता

448. **श्री जाकिर हुसैन गैसावत** (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील मकराना के बोरावड व मकराना में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संवेदकों द्वारा बनवाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों का निर्माण कार्य संतोषजनक है? क्या उक्त कार्यों की किसी अधिकारी द्वारा जांच की गई है? यदि हां, तो कब और जांच परिणाम क्या रहे?

(3) क्या सरकार उक्त संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील मकराना के बोरावड एवं मकराना में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संवेदकों द्वारा बनवाये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भवन बोरावड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, एवं यहां विद्यालय संचालित किया जा रहा है।
2. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भवन मकराना निर्माणाधीन है, इस भवन का फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भवन मकराना एवं बोरावड के निर्माण कार्य संतोषजनक हैं। सर्व शिक्षा अभियान, नागौर के संबंधित अभियंताओं की देखरेख में उक्त भवनों के निर्माण कार्य संवेदकों द्वारा सम्पन्न किये जा रहे हैं।

(3) कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मकराना एवं बोरावड के निर्माण कार्य संतोषजनक होने एवं निर्माणाधीन अवस्था में ही संबंधित संवेदकों से आवश्यक सुधार कराते हुये, कार्यों को पूर्णता तक पहुंचाया गया है, अत: स्व संवेदकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

सीकर जिले में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को भत्ते का भुगतान

449. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में कितने विद्यार्थी मित्र कब से कौन-कौन से विद्यालयों में लगे हुये हैं तथा उनको भत्ते का भुगतान कब-कब किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में अध्यापकों एवं स्कूल व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर विद्यार्थी मित्र लगाने के निर्देश दिये गये? यदि हां, तो निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में कितने विद्यार्थी मित्र कौन-कौन से विद्यालयों में लगे हुये हैं तथा उनको भुगतान का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-ख तथा ग पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय डाबिज (जयपुर) के तत्कालीन प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच

450. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डाबिज (फागी) जिला जयपुर में वर्ष 2005 से 2007 तक कार्यरत प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक स्तर पर करवाई गई थी? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट एवं उसके आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध संयुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा सघन जांच की गई है? यदि हां, तो कब तथा उक्त जांच के आधार बिन्दु क्या रहे एवं जांचकर्ता द्वारा किन-किन लोगों के बयान लिये गये? क्या उक्त जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे एवं उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई? जांचकर्ता द्वारा लिये गये बयानों एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षाकर्मी बोर्ड में कार्यरत रहने के दौरान की गई अनियमितताओं एवं अन्य विद्यालय में पदस्थापन के दौरान फर्जी अध्यापक रखने व एक अन्य अध्यापक के साथ मिलकर विद्यालय विकास कोष की राशि में अनियमितता एवं अभिलेखों में हेराफेरी किये जाने पर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक को विभागीय जांचों में दोषी पाये जाने पर दण्डित किये जाने एवं जांच प्रक्रिया जारी रहने के उपरान्त भी वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डाबिच (फागी) जिला जयपुर में प्रधानाध्यापक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से क्रमश: प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., फागी तथा प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., मौजमाबाद, जयपुर से जांच करवाई गई। प्रधानाचार्य, फागी

(शिक्षा मंत्री)

की जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता एवं प्रधानाध्यापक का आपसी समझौता होने के प्रकरण समाप्त किया गया था। प्रधानाचार्य, मौजमाबाद की जांच रिपोर्ट में कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ, शिकायकर्ता की प्रमुख मांग प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण अन्यत्र करने की थी। फलत: प्रधानाध्यापक को शिविरा-मा/वि.जांच/प्रा.जां/11219/09/07 दि. 19.4.07 द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में बीकानेर किया गया। तदुपरांत प्रधानाध्यापक, रा.मा.वि., डाबिच का स्थानान्तरण आदेश शिविरा/मा/संस्था/ए-3/विजेन्द्र कुमार सुरोलिया, दिनांक 17.5.07 के द्वारा पंवालिया किया जा चुका था।

(2) जी हां। संयुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 20.01.09 को प्रस्तुत की गयी।

शिकायत में जांच के मुख्य बिन्दु प्रधानाध्यापक रा.मा.वि., डाबिच का स्थानान्तरण अन्यत्र करने की मुख्य मांग एवं स्टाफ के तालमेल नहीं होने की थी।

जांचकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायतों का अध्ययन/विश्लेषण के आधार पर ही जांच की गयी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा श्री विजेन्द्र सुरोलिया प्रधानाध्यापक रा.मा.वि., डाबिच का स्थानान्तरण होने से शिकायत पंज करने की अभिशंषा की गई। जांच रिपोर्ट की छाया प्रति का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त प्रधानाध्यापक को राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, जयपुर के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं के कारण सी.सी.ए.-17 के तहत दिनांक 1.3.08 को ज्ञापन/आरोप पत्र दिये गये हैं।

प्रधानाध्यापक, रामावि., श्योपुर के पद के कार्यकाल में प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 23.4.05 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

प्रधानाध्यापक, रामावि., श्योपुर के कार्यकाल में फर्जी अध्यापक की नियुक्ति की जांच में जांच अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर, प्रथम ने पुख्ता साक्ष्य के अभाव में दोषी नहीं माना गया। इसी विद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया को दिनांक 24.4.09 को सी.सी.ए.-16 के तहत ज्ञापन/आरोप पत्र जारी किये गये हैं।

(4) वित्तीय अनियमितताओं की जांच के चलते इन्हें आहरण एवं वितरण का अधिकार नहीं दिये जा सकते। जबकि विद्यालयों के संस्था प्रधानों को उक्त अधिकार प्राप्य होते हैं। इसलिए इन्हें उपनिदेशक (माध्यमिक), जयपुर के अधीन पदस्थापित

(शिक्षा मंत्री)

किया गया है, जहां सभी प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण के अधिकार उपनिदेशक (माध्यमिक), जयपुर में निहित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड़ के विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय

451. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कितने सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य संकाय संचालित नहीं है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नये शिक्षा सत्र में उक्त संकाय संचालित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के जिन राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित नहीं है, के विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) नये शिक्षा सत्र 2010-11 में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने हेतु बजट प्रावधान नहीं होने के कारण उपरोक्त विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोला जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "क"

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय वाले विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	विज्ञान संकाय	वाणिज्य संकाय
1	2	3
01.	राउमावि., बूढवाल	राउमावि., बूढवाल
02.	राउमावि., दहमी	राउमावि., दहमी
03.	राउमावि., गण्डाला	राउमावि., गण्डाला
04.	राउमावि., जैनपुरवास	राउमावि., जैनपुरवास

1	2	3
05.	राउमावि., जखराना	राउमावि., जखराना
06.	राउमावि., खोहरबसई	राउमावि., खोहरबसई
07.	राउमावि., कोहराना	राउमावि., कोहराना
08.	राउमावि., मांचल	राउमावि., मांचल
09.	राउमावि., नांगलखोड़िया	राउमावि., नांगलखोडिया
10.	राउमावि., पहाड़ी	राउमावि., पहाड़ी
11.	राउमावि., रिवाली	राउमावि., रिवाली
12.	राउमावि., तसींग	राउमावि., तसींग
13.	राबाउमावि., बड़ौद	राबाउमावि., बड़ौद
14.	राबाउमावि., गण्डाल	राबाउमावि., गण्डाल
15.	राउमावि., महाराजाबास	राउमावि., महाराजाबास
16.	राउमावि., शेरपुर	राउमावि., शेरपुर
17.	राउमावि., डुगरोली	राउमावि., डुगरोली
18.	राउमावि., कान्हावास	राउमावि., कान्हावास
19.	राउमावि., कायसा	राउमावि., कायसा
20.	राउमावि., कुतीना	राउमावि., कुतीना
21.	राउमावि., मांढन	राउमावि., मांढन
22.	राउमावि., नगलीबलाहीर	राउमावि., नगलीबलाहीर
23.	राउमावि., पीपली	राउमावि., पीपली
24.	राउमावि., रायसराना	राउमावि., रायसराना
25.	राउमावि., खूंदरोठ	राउमावि., खूंदरोठ
26.	राउमावि., काठूवास	राउमावि., काठूवास
27.	राउमावि., दोसोद	राउमावि., दोसोद
28.	राबाउमावि., मांढण	राबाउमावि., मांढण

1	2	3
29.	—	राबाउमावि., बहरोड़
30.	—	राउमावि., परतापुर

झालावाड़ जिले के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

452. **श्री अनिल जैन** (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ के कई स्कूलों में मात्र एक या दो अध्यापक कार्यरत हैं? क्या उक्त कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्तियों की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला झालावाड़ के 149 राजकीय विद्यालयों में एक अध्यापक तथा 213 राजकीय विद्यालयों में दो अध्यापक कार्यरत हैं। जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो, इसके लिये 40 अध्यापकों को विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाया हुआ है। इसके अतिरिक्त जिले में 860 विद्यार्थी मित्र राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था की हुई हैं, तथा विद्यार्थी मित्र भी लगाये हुये हैं।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर अध्यापकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

बिलाड़ा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

453. **श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में 1900 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पंचायत मुख्यालयों पर क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में कौन-कौन से विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल)

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में विषय शिक्षक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में 1900 ग्राम पंचायतों में राउप्रावि को रामावि में (प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक) क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी, तद्नुसार 1216 राउप्रावि को मावि में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। ग्राम पंचायतवार क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की निम्न ग्राम पंचायतों में रा.उ.प्रा.वि. को मा.वि. में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यालयं का नाम
1	चांदेलाव	चांदेलाव
2	रामासनी	रामासनी
3	संभाडिया	संभाडिया

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही विषय अध्यापक लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भीम एवं देवगढ़ तहसील मुख्यालय में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

454. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का क्या मानदण्ड है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालय भीम एवं देवगढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। तहसील मुख्यालय भीम एवं देवगढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का वर्तमान में विचार नहीं है।

तहसील मुख्यालय भीम में प्रेरणा संस्थान द्वारा निजी क्षेत्र में तथा देवगढ़ में राज्य सरकार की पीपीपी योजनान्तर्गत चयनित करणीमानव सेवा संस्थान द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भोपालगढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

455. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचाय रामपुरा व ग्राम दाडमी में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रों के स्वयं के भवन नहीं हैं?

(2) क्या सरकार ग्राम दाडमी में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत रामपुरा के ग्राम दाडमी में दो आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त केन्द्रों में से एक केन्द्र विभागीय भवन में तथा एक केन्द्र किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। ग्राम दाडमी में किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए विभागीय भवन बनाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्य में किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय भवनों में स्थानान्तरित करने की दृष्टि से केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्ष उपलब्ध कराकर स्थानान्तरित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं तथा उपलब्धतानुसार केन्द्र स्थानान्तरित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। इस क्रम में नाबार्ड के वित्त पोषण से राज्य में आगामी वर्षों में 1140 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कराये जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है।

जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को देय सुविधाएं

456. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं के लिये गरम कपड़े, रजाई, गद्दे आदि उपलब्ध कराये जाते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि संचालित छात्रावासों में जनवरी, 2010 तक बालक/बालिकाओं को गरम कपड़े वितरित नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों और देरी के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में गरम कपड़े, रजाई, गद्दे किस संस्था के माध्यम से या खुली निविदा के द्वारा आपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को 2 वर्ष में एक बार स्वेटर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। गद्दे आदि सामग्री हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में निर्धारित आयु पूर्ण होने पर उपलब्ध बजट को दृष्टिगत रखते हुए नवीन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

(2) जी नहीं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित क्षेत्र के सभी आश्रम छात्रावासों में जनजाति के छात्र/छात्राओं को जनवरी, 2010 तक स्वेटर/कार्डिगन उपलब्ध करा दिये गये है। माडा क्षेत्र के बून्दी, पाली, प्रतापगढ़, कोटा, राजसमन्द, झालावाड़ एवं सिरोही जिले में आने वाले आश्रम छात्रावासों में स्वेटर जनवरी, 2010 तक वितरित किये जा चुके हैं। शेष उदयपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा एवं करौली जिले में आने वाले आश्रम छात्रावासों में स्वेटर चुनाव आचार संहिता लागू होने तथा प्रशासनिक कारणों से वितरण में विलम्ब हुआ। सहरिया क्षेत्र में वर्ष 2008-09 में स्वेटर वितरित कर दिये गये। अत: इस वर्ष वितरित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) अनुसूचित क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में गद्दे आदि क्रय करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3(ए)(17) शिक्षा/सीटीएडी/सामग्री/क्रय2007-08/27008-17 दिनांक 20.11.09 से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। जिला स्तरीय कमेटी को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

ए.1 (1) वित्त/सा.वि.ले.नि./2007 दिनांक 7.10.2009 (परिपत्र सं. 18/2009) (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करते हुए सामग्री क्रय करने हेतु निर्देशित किया गया। गद्दे, कम्बल, खेस आदि प्रतिवर्ष नहीं खरीदें जाकर उपयोग हेतु उनकी निर्धारित अवधि तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध बजट के आधार पर क्रय किये जाते हैं। माडा एवं सहरिया क्षेत्र में आने वाले आश्रम छात्रावासों के लिए रजाई (कम्बल), गद्दे, खेस आदि क्रय हेतु बजट प्रावधान नहीं होने से क्रय की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बामनवास में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

457. **श्री नवलकिशोर** (बामनवास) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजनान्तर्गत कौन-कौन से गांव किस-किस तहसील में हैं?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त गांवों में विकास कार्यों हेतु स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कौन-कौन सी तहसीलों में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजनान्तर्गत गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। गत एक वर्ष में स्वीकृत विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर स्थित ब्लड बैंक में रिक्त पद

458. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर की ब्लड बैंक से कितने ब्लड यूनिट मरीजों हेतु दिये गये? वर्ष अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) उक्त ब्लड बैंक में किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी सेवानिवृत्त हुए?

(4) क्या सरकार उक्त ब्लड बैंक में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के ब्लड बैंक से निम्न प्रकार वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में ब्लड यूनिट मरीजों को दिये गये।

क्र. सं.	**विवरण**	**वर्ष**		
		2007	**2008**	**2009**
1.	कुल रक्त आबंटन	72949	78000	81288
2.	कम्पोनन्ट आवंटन			
	1. पैक्ड रेट सैल	47568	60308	63153
	2. प्लाज्मा	1703	2128	2128
	3. प्लेटलेट कान्सन्ट्रेट	6070	8092	8092
	4. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा	5444	7236	7915

(2) ब्लड बैंक में कार्यरत चिकित्सक/चिकित्साकर्मियों के पद से पृथक से स्वीकृत नहीं हैं। ब्लड बैंक में स्टाफ का पदस्थापन अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर व आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलोजी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है। ब्लड बैंक में वर्तमान में निम्नलिखित चिकित्सक एवं स्टाफ कार्यरत है—

1. सह आचार्य-2
2. सहायक आचार्य-1

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

3. चिकित्सा अधिकारी-1
4. रेजीडेंट डाक्टर-10
5. ब्लड बैंक टेक्नीशियन-23
6. लिटरेट अटेण्डेण्ट-1
7. काउन्सलर (आर.एस.ए.सीएस)-1
8. वार्ड ब्वाय (कार्यरत ब्लड बैंक टेक्नीशियन)-3
9. कम्प्यूटर सिक्योरिटि सर्विस (आर.एस.ए.सीएस)-1
10. डाटा कम्प्यूटर आपरेटरर्स (आर.एस.ए.सीएस)-9
11. एल डी सी (आर.एस.ए.सीएस)-2
12. ड्राइवर (आर.एस.ए.सीएस)-1
13. वार्ड ब्वाय-5
14. स्वीपर-1
15. हाउस कीपर (आर.एस.ए.सीएस)-2

(3) गत 2 वर्षों में उक्त ब्लड बैंक में कार्यरत निम्नलिखित चिकित्सक एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये-

1. डा. हरेश सक्सैना, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलोजी एवं प्रभारी ब्लड बैंक (30.06.2008)
2. श्री प्रेम चन्द पाटनी, वरिष्ठ ब्लड बैंक टेक्नीशियन (31.12.2008)
3. श्री सत्यनारायण, स्वीपर (वर्ष 2009)

(4) जी हां। समस्त रिक्त पदों के निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर यथाशीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है।

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा सिरोही जिले में उन्नत खेती योजनाओं हेतु आमंत्रित निविदाएं

459. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सिरोही जिले में किसानों को उन्नत खेती

(श्री ओटाराम देवासी)

योजनाओं में कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा स्थानीय स्तर पर कितनी सीमित निविदायें आमंत्रित की गई हैं? उक्त निविदाओं में दर्शाई सामग्री का स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा वितरण किये गये स्थानों की सूची मय प्राप्ति रसीद की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सिरोही जिले में किसानों को उन्नत खेती योजनाओं में कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्ष 2008-09 में 6 व 2009-10 में 6 सीमित निविदायें आमंत्रित की गई। निविदाओं में प्राप्त सामग्री की स्टाक प्रविष्टि एवं वितरण किए गए स्थानों की सूची परिशिष्ट-एक पर संलग्न है। लाभार्थियों की प्राप्ति रसीद परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2010

जयपुर जिले में पौष्टिक आहार से लाभान्वित कमजोर वर्ग

22. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गरीब, कमजोर महिलाओं, बच्चों को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की जाती है? यदि हां, तो उक्त के लिये क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जयपुर की किन-किन बस्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों, महिलाओं को गत एक वर्ष में पोषाहार कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया? मय नाम पता सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची तथा उनमें वितरित किये जाने वाले सामान की मात्रा एवं लाभार्थियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्तायुक्त पोषाहार वितरित किया जाता है। यह पोषाहार सभी वर्ग के लाभान्वितों को वितरित किया जा रहा है, जिसमें गरीब कमजोर तबके के लाभार्थी भी शामिल हैं। लाभार्थियों को पोषाहार वितरण हेतु जारी दिशा-निर्देश परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक आयु के सभी बच्चे, गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन निर्धारित मात्रा में गुणवत्तायुक्त पोषाहार वितरित किया जाता है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चे तथा गर्भवती, धात्री महिलाएें एवं किशोरी बालिकाएें भी सम्मिलित हैं। सभी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों व महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों से पोषाहार वितरण की कोई प्रथक से योजना नहीं है।

जयपुर जिले में चल रही 17 बाल विकास परियोजना के 3406 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 के दौरान एक वर्ष में कुल 50 हजार 196 क्विंटल 10 किलोग्राम पोषाहार का वितरण किया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन प्रति लाभार्थी वितरित की जाने वाली पोषाहार की मात्रा का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न दिशा-निर्देशों में वर्णित है। इस मध्य जिले में प्रतिदिन औसतन 2 लाख 53 हजार 502 लाभार्थियों को प्रतिदिन पूरक पोषाहार वितरित किया गया।

जयपुर जिले में विगत एक वर्ष में बाल विकास परियोजनावार तथा माह वार सभी लाभान्वितों का विवरण तथा वितरित सामग्री की मात्रा का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जयपुर शहर में संचालित 5 बाल विकास परियोजनाओं यथा जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, जयपुर तृतीय, सांगानेर शहर एवं झोटवाड़ा के कुल 541 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों पर विगत एक वर्ष के दौरान प्रति केन्द्र एक मेडिकल किट तथा एक मेडिकल किट के हिसाब से सामग्री लाभार्थियों के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाई गयी है। जयपुर शहर के 541 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से विगत एक वर्ष के दौरान 6 हजार 778 क्विंटल 94 किलोग्राम पोषाहार सामग्री 42 हजार 575 बच्चों एवं माताओं को वितरित की गई है। जयपुर शहर में संचलित परियोजना जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, जयपुर तृतीय एवं सांगानेर शहर के 438 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों, मातृ समितियों एवं अक्षय पात्र द्वारा गर्भवती, धात्री एवं किशोरी बालिकाओं एवं 3-6 वर्ष के बच्चों को गरम पूरक पोषाहार

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

वितरित किया जाता है। जयपुर शहर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची तथा उनमें वितरित की जाने वाली सामान की मात्रा एवं लाभार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या –262 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

घड़साना, अनूपगढ़, रावला में सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर 2009 में किसान आंदोलन के दौरान तैनात की गई पुलिस फोर्स जाप्ते का विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	कार्य अवधि	पुलिस जाप्ता						
		अति. पु.अ.	उ.अ. पु.	पु. नि.	उ.नि./स.उ.नि.	हैड कानि./कानि.	महिला कानि.	आर.ए.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	23.9.09 अपराह्न से 25.9.09 पूर्वान्हतक	—	2	2	7	51	8	1 कम्पनी
2.	1.10.09 पूर्वान्ह से 1.10.09 पूर्वान्हतक	1	4	6	38	150	15	3 कम्पनी
3.	8.10.09 पूर्वान्ह से 8.10.09 पूर्वान्हतक	1	5	8	42	147	23	3 कम्पनी
4.	12.10.09 पूर्वान्हसे 12.10.09 पूर्वान्हतक	1	7	11	46	221	23	4 कम्पनी
5.	22.10.09 पूर्वान्हसे 22.10.09 पूर्वान्हतक	1	6	8	38	166	11	4 कम्पनी
6.	30.10.09 पूर्वान्हसे 31.10.09 पूर्वान्हतक	2	10	15	69	419	23	7 कम्पनी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	4.11.09 अपराह्न से 5.11.09 पूर्वान्हतक	3	5	10	34	243	10	5 कम्पनी
8.	11.11.09 अपराह्न से 12.11.09 पूर्वान्हतक	1	5	11	62	265	21	5 कम्पनी
9.	18.11.09 अपराह्न से 19.11.09 पूर्वान्हतक	1	3	5	35	90	20	4 कम्पनी
10.	26.11.09 अपराह्न से 27.11.09 पूर्वान्हतक	1	3	7	43	233	43	4 कम्पनी
	कुल योग	**12**	**50**	**83**	**414**	**1985**	**197**	**40 कम्पनी**

(अ) जिला पुलिस जाप्ता-

1. वेतन पर व्यय राशि (औसत वेतन के आधार पर) 21,36,961.00

2. यात्रा भत्ता एवं पी.ओ.एल. पर हुये अतिरिक्त व्यय की राशि 12,08,559.00

(ब) आर.ए.सी. की 40 कम्पनियां-

1. वेतन पर व्यय राशि 47,50,124.00

2. यात्रा भत्ता व पी.ओ.एल. पर हुये अतिरिक्त व्यय की राशि 6,24,116.00

इस प्रकार आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन के वेतन पर कुल 68,87,085 रुपये व्यय हुये, जिसका भुगतान उक्त आंदोलन में न लगाये जाने के बावजूद भी राज्य सरकार को करना होता। उक्त आन्दोलन में प्रशासन की व्यवस्था पर यात्रा भत्ता व पी.ओ.एल. पर 18,32,675 रुपये की राशि व्यय हुई, जो कि उक्त आन्दोलन के कारण हुआ अतिरिक्त व्यय था।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-263 की प्रति)

परिशिष्ट-"अ"

FACTUAL REPORT OF HCV/HIV INFCTION THROUGH BLOOD TRANSFUSION IN THALASSACMIC CHILDREN

A committee was formed by the section of Medical Education Group-1 wide office order no. P. (10) ME\ group -1\10 dated 10-02-10.

The committee members were as follows:-

1. Dr. RND purohit, Director (AIDS) DMHS, Jaipur
2. Dr. Geeta Parihar, Professor Microbiology, SMS Medical College, Jaipur
3. Dr. Arvind Mathur, professor Medicine, Dr. SN Medical College, Jodphur

The committee visited the Ummed Hospital and its Blood Bank on 12-02-10 Following persons were contracted-

Principal, Dr. SN Medical College Jodhpur;

Superintendent, Ummcd Hospital Jodhpur

M.O. I\C Blood Bank, Ummcd hospital, Jodhpur

Head of the department (microbiology), Dr. SN Medical College, Jodhpur

Members of the Marwar Thalasaemeia Society and

Parents with their affected children

A through enquiry was made about the management facilities for thalassaemia available at the Hospital, transfusion history and available record of the concern departments of hospital was inspected.

1. Dr. D. r. Dabi, Superintendent, Umaid Hospital, jodhpur stated that Ummcd Hospital Blood Bank is following all the Guidelines of NACO. At the same time he stated that acquisition of the HIV infection cannot be ruled out by other modes like multiple injection for investigation and treatment, vaccinations etc. (Annexure-I)
2. Dr. Pramod Sharma Associate Profeessor (Paediatrics) and In charge Thalassaemia Clinic informed that a 12 bedded day care unit is located in children word. 10 to 15 children are admitted daily for blood transfusion. (Annexure-II)
3. Dr. Mukesh Gupta, president and Dr.Vipin Gupta, Secreatary, Marwar Thalasseamia Society, Jodhpur informed the society was registered in

2007. Society has been helping the patients to get permanent registration number from hospital. It counsels the parents about the disease and helps them by providing cheaper drugs, vaccinations, screening camps and other issues. They stated "we are satisfied with the facilities of blood bank Ummcd Hospital, jodhpur by means they are having." However they mentioned the need for NAT machine. He stated that "the patients are registered with Hospital for blood transfusion and they always go to hospital at their own levels. This society does not interfere with transfusion and patients do not inform this society." society has submitted copies of previous representations (Annexure-III)

4. Dr. Aruna Solanki, Head, Department of Microbiology, Dr. S N Medical College, Jodhpur stated that that on 12 Jan. 2009 seventy two serum samples brought by Thalassaemia Society were tested for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C in ICTC as per NACO guidelines. On testing five samples were found positive for HIV, 2 for Hepatitis B and 28 for Hepatitis C. (Annexure-IV)

5. Committee members called parents of all the five children with HIV through Marwar Thalassaemic Society out of which four came. Detailed history of illness along with transfusion history was recorded. On enquiry they stated that they had transfusion at Ummcd Hospital, Jodhpur, however two of them admitted to have history of transfusions from outside.

6. Dr. Rajshree Behra, M.O.I\C explained that thalassaemia patients are provided blood units free of cost Blood bank is performing mandatory tests as per "Drug and Cosmetic Act 1940". In reference to these five cases blood given was free from all these infections i.e. HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Makaria ans Syphilis. (Copy enclosed as (Annexure-V) M.O. I\C, Blood bank highlighted the limitations of the screening tests mentioned in the literature of the testing kite. (Annexure-VI)

7. Dr. Yogi Raj Joshi stated that record of thalassaemia affected children is kept at Ummcd Hospital and maintained properly. Examination of these record reflect gap of period for transfusion which may be because of non availability of group or they might had transfusion outside. The register of various tests conducted for the donors of these five children was submitted to the subject specialist i.e. Prof. Geeta Parihar, one of member of the committee. The test results of these blood bags were non reactive for above infection. Copy of the concerned record has been provided. (Annexure-V) He stated that all the blood bags were screened as per norms and there is no negligence.

8. Detailed report of blood bank (Annexure-VII)

Observations :

The infrastructural facilities for management of thalassaemia patients at Umaid Hospital, jodhpur were satisfactory. All thalassaemia patients are provided free of cost blood and day care at the hospital.

Blood bank at the Ummcd Hospital was established as ZBTC in1993. Blood component unit was started in 1999. Platelet pheresis facility is also available from 2007. It is having skilled staff available round the clock.

A registered society titled "Marwan Thalassaemia Society" is working for the thalassaemia children. During a camp organized by society these infections in thalassaemia patients were detected in Dec 2008/Jan2009.

Blood bank and the records including test result reports were inspected. Mandatory tests and procedures are being followed as per NACO guidelines.

Thalassaemia cards of Umaid Hospital of all infected children were evaluated. It was found that they are getting transfusions at short intervals except some gaps of more than 4 weeks.

Committee has arrived at the following conclusions :

According to blood bank record blood units were provided for transfusion after five mandatory tests which were non reactive as per the NACO guidelines.

There are limitations of these screening tests in detecting early HIV\HCV\HBV infections. However to reduce this window period of testing for HIV\HCV newer techniques are available. The feasibility of using them routinely needs to be evaluated.

Dr. Arvind Mathur
Professor Medicine

Dr. Geeta Parihar
Professor Microbiology

Dr. RND Purohit
Director (AIDS)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय मुख्यालय बालेसर व शेरगढ़ में स्थापित करने व इनके अधीनस्थ पंचायत समिति में सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों के पदस्थापन मुख्यालय हेतु नवीनतम पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. आधुनिक खेती फव्वारा, ड्रिप योजना बगीचे एवं फलदार पौधे लगाने के लिये प्रोत्साहन व सब्सिडी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में फसल बीमे का सरलीकरण व खेतों में आगजनी से हो रहे नुकसान के लिये विशेष योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय खुलवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा)

6. गेंहू, दलहन, तिलहन, कपास, जीरा, मैथी, रायड़ा, सरसों, बाजरा, ज्वार का समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत वर्ष अकाल की गिरदावरी रिपोर्ट मिलने के बावजूद किसानों को फसली बीमा का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
8. आर.एस.ए.एम.बी. द्वारा कृषि मण्डी बिलाड़ा व पीपाड़ शहर के अधीन निर्मित डामर सड़कें यथा पड़ासला से खूटांलिया, बालां से होलपुर कलां, भागासनी से खेजड़ला, सम्पर्क सड़क जसपालों एवं अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली) :

9. डी.ए.पी. यूरिया खाद पर बढ़ाई गई कीमतों के संबंध में चर्चा के लिये।

10. मौसम बीमा योजना रबी वर्ष 2009-10 में लाभान्वित व वंचित किसानों के संबंध में चर्चा के लिये।

11. मार्केटिंग बोर्ड की एम.डी.एफ. एवं विशेष कोष से स्वीकृत सड़कों के संबंध में चर्चा के लिये।

12. मण्डी समिति में मनोनीत सदस्यों को अवैधानिक तरीके से हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. मौसम बीमा योजना में सम्पूर्ण प्रिमियम राशि जी.ओ.आर. व जी.ओ.आई. द्वारा भुगतान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

14. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के चरकनी व मुनिया खुटा सड़कें 15 साल से कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई थीं जो खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं सड़कों का पुन: निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में खाद, बीज दवाइयां समय पर किसानों को नहीं दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में कृषि भूमि का परीक्षण कर किसानों को राहत देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

17. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में बीज विधायन केन्द्र खोले जाने में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कृषि पर्यवेक्षकों के वर्षों से पड़े रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

19. सामान्य कृषकों को तीन महीने में कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय पहल पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

20. जोधपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) :

21. बहरोड क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी की सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

22. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सूखे के कारण कृषि बीमा राशि का भुगतान कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

23. मौसमी आधारित फसल बीमा योजना मरू क्षेत्र में चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. जिला जैसलमेर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत डिग्गियों का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

25. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में खाद की किल्लत को शीघ्र दूर कर खाद की व्यवस्था सुचारू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. भरतपुर जिले में मौसम आधारित फसल बीमा योजना (विशेषकर सरसों) के मापदण्डों को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

27. किसानों के लिये डिग्गियों के अनुदान तथा शर्तों में शिथिलता देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

28. विधान सभा क्षेत्र भीम व जिला राजसमन्द में कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत पेंडिंग राशि के भुगतान एवं भीम एवं देवगढ़ की कृषि उपज मण्डियों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

29. चूरू जिले के किसानों को फसल बीमा योजना की देय राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

30. अलवर जिले में कृषि भूमि अवाप्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) :

31. कृषि उपकरणों में सब्सिडी बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

32. कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

33. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के किसानों को रियायती दर पर कृषि उपकरण एवं खाद-बीज उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उन्नत कृषि के प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) :

36. श्रीडूंगरगढ़ में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

37. कमजोर आर्थिक स्थिति वाली कृषि उपज मण्डी समितियों में विकास कार्य करवाने हेतु सरकार द्वारा सहायता/अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कृषि उपज मण्डी समिति की सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. अकाल की भयावह स्थिति के मध्यनजर कृषकों को ऋण माफ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

40. किसानों द्वारा ट्यूबवैल एवं कुओं की खुदाई हेतु अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

41. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में मौसमी बीमा योजना एवं कृषि बीमा योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता सिंह (नगर) :

42. विधान सभा क्षेत्र नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभवहीन किसानों को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतु) :

43. बायतु एवं पाटौदी में किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बिक्री केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. बून्द-बून्द सिंचाई हेतु ग्राम पंचायतों में डिग्गियां निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. कृषि विभाग बायतु के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

46. राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा (शाहपुरा) जयपुर में कृषि संकाय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

47. कृषि योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने एवं कृषि पर अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

48. गत रवि, खरीफ की फसलों से पूर्व राज्य में कृषि जिन्सों के अनुपयोगी बीज वितरण तथा बीज वितरण के दौरान किसानों से की गई अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. अकाल के दौरान राज्य में किसानों को उपलब्ध कराये गये रिंजका, चुरी आदि के अनुपयोगी बीजों पर प्रति पैकेट रुपये 10/- की अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी) :

50. नई का नाथ मंदिर से बस्सी रोड तक कृषि मण्डी से वन विभाग को क्षति पूर्ति राशि दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

51. किसानों को कृषि को बढ़ावा देने के लिये सस्ती दर पर ऋण दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

52. किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्रों के लिये ऋण दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. किसानों के लिये सस्ती दरों पर खाद बीज उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. किसानों को खराबे, ओलावृष्टि व अतिवृष्टि होने पर फसलों का उचित मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. किसानों का किसान कार्ड व अल्प अवधि में लोन को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

56. दलहन संबंधी फसलों के विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) :

57. किसानों को कीटनाशकों के उपयोग के बारे में उचित प्रशिक्षण एवं जानकारी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. किसानों के लिये सस्ती दरों पर खाद-बीज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. किसानों को देय फसल ऋण के सरलीकरण एवं सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देने व फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मलखान सिंह (लूणी) :

61. विधान सभा क्षेत्र लूणी में कृषि मिनी किटस का वितरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

62. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में कृषि महाविद्यालय खोलने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

63. राजस्थान में अकाल की स्थिति पर केन्द्र द्वारा प्रस्तावित कृषि कार्य पर डीजल पर आधी राशि न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

64. अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्यों में किसानों के हितों की अनदेखी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. राजस्थान में प्रोत्साहन मूल्यों में पड़ोसी राज्य पंजाब, एम.पी. एवं हरियाणा की भांति खरीद में बोनस राशि 200/- प्रति क्विंटल न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के किसानों को सब्जी के मूल्यों का लाभ देने हेतु मैड एवं आतेला में सब्जी मण्डी यार्ड न बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

67. ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

68. कृषकों को उत्पादन की सही कीमत दिलाने हेतु फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

69. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में कृषि क्षेत्र में किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

70. मौसम आधारित फसल बीमा व फसल बुवाई अनुदान पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

71. श्री कर्ण नरेन्द्र महाविद्यालय जोबनेर को क्रमोन्नत कर विश्वविद्यालय का दर्जा देने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कृषि मण्डियों द्वारा निर्मित सड़कों की दुर्दशा होने से आवागमन में हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

73. कृषि व्यवसायों को लाभकारी एवं सम्मानजनक व्यवसाय बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. किसान को फसल का उचित मूल्य दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

75. बीज एवं खाद समय पर उपलब्ध नहीं होने एवं गुणवत्ता न्यून होने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. कृषि योजना में व्यय कम होने एवं कृषि से सकल घरेलू उत्पाद कम होने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. किसान को लाभकारी मूल्य दिलाकर जीवन स्तर सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

78. सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को देय अनुदान राशि दो हजार रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रति हैक्टेयर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

79. कृषि कनेक्शनों में विद्युत दर एवं फव्वारा खेती में टैरिफ रुपये 2.10 कर किसानों से वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. मारवाड़ जंक्शन के विठोड़ाखुर्द में सुकड़ी नदी पर कृषि भूमि के हो रहे कटाव के संबंध में चर्चा के लिये।

81. ग्राम पंचायत झुझार्डी के थल ग्राम में कृषि कुएं की खुदाई करते मृत चार मजदूरों को सहायता राशि देने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. राज्य में बीज उत्पादन में हो रही धांधलियों एवं गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

83. बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में कृषि विभाग में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. राजस्थान में एलोविरा की खेती बढ़ाने के लिये नवीन योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. जोधपुर जिले में कृषि भूमि पर हो रहे अतिक्रमण व नाजायज कब्जे को खाली कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. किसानों को नियमित तथा निश्चित समय पर बिजली नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के झालामण्ड चौराहे पर नई सब्जी मण्डी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

88. राज्य में अमेरिका की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा तथा जल संरक्षण के संबंध में प्रति बीघा उत्पादन अनुदान 5,000/- रुपये दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. फसल बीमा में खराब मानसून, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अग्निकांड, प्राकृतिक आपदायें शामिल कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

90. किसानों को समय पर फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. नेशनल होर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा मिशन एवं आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के बजट का सदुपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. भीलवाड़ा जिले के कृषकों को खाद बीज एवं कीटनाशक दवाइयां मांग के अनुसार समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. कृषकों को समय पर खाद एवं के.सी.सी. के तहत समय पर ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

95. सीकर जिले के प्याज उत्पादकों के लिये रसीदपुरा में प्याज मण्डी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. सीकर कृषि उपज मण्डी में किसानों के चने को आड़तियों के पास रखने की अवधि 30 दिवस को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिये बैंक क्रेडिट कार्डों पर देय मुआवाजे के संबंध में चर्चा के लिये।

98. राज्य में कृषि आयोग का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. सीकर कृषि उपज मण्डी में किसानों को अनाज रखने हेतु टिनशैड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

100. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में लघु एवं सीमान्त कृषकों को ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल मीणा)

101. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

102. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कृषि केन्द्रों पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में चल रही कृषि योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

104. सिरोही जिले में अकाल की स्थिति में बिजली के बिलों पर छह महीने के लिये राहत दिलाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

105. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में किसानों को कृषि संबंधी जानकारी हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में गंगानगर शहर में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

107. बीज अधिनियम के वर्तमान प्रावधान प्रभावहीन होने से नये व प्रभावी प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. अजमेर एवं पुष्कर फूल मण्डी यार्ड में दुकानों का आबंटन एवं नियमित संचालन में आ रही समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

109. राजस्थान बीज निगम द्वारा वितरित अमानक बीजों से किसानों को रही हानि के संबंध में चर्चा के लिये।

110. अजमेर शहर में नालों के गन्दे पानी से उगायी जाने वाली सब्जियों के दुष्प्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

111. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) के किसानों को उन्नत काश्तकारी हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण की उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

112. बागवानी खेती एवं फलोद्यानों के विकास में टोंक एवं बून्दी जिले की अधिकतम क्षमता का उपयोग लेने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

113. टोंक जिले में घटती सतही जल की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने में बरती जा रही सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

114. प्रमुख कस्बा घाड़ (टोंक) में गौण मण्डी सुचारू संचालन की आवश्यकता के बावजूद बरती जा रही विभागीय अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) में सहकारी विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गोदामों की कमी को दूर करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

116. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में समय पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

117. कृषि साधनों पर वैट घटाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. राज्य में कृषि के लिये किसानों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. राज्य में कम पानी की फसल के बीज उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. औषधीय पौधों की फसल का अधिक प्रचार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

121. राज्य में रवि व खरीब की फसल के लिये समय पर खाद व बीज उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. सीकर में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. राज्य में 70 प्रतिशत शुष्क खेती के लिये बीज व अन्य सुविधाओं का विस्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. गत पांच वर्षों में बागवानी मिशन में हुये घोटाले की जांच के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

125. राज्य में खरीफ 2009 की फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिलने व किसान के खेत को इकाई नहीं मानने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

126. किसानों को फसल से पूर्व डी.ए.पी. एवं बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. इजरायल के समान बूंद-बूंद पानी से खेती किये जाने को प्रोत्साहित करने एवं कम पानी से पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर में हुई अनियमितताओं की जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर में वर्षा से बारदाने की दुकानें करने वाले व्यापारियों को कूकर खेड़ा अनाज मण्डी में अन्य दुकानकारों के समान रियायती दर पर दुकानें आबंटित करने एवं जयपुर बम ब्लास्ट में मारे गये चांदपोल अनाज मण्डी के व्यापारी के आश्रितों को रियायती दर पर दुकान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों का स्तर घटिया होने एवं बोर्ड द्वारा बनाये जाने वाली सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. से बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघावाल (भोपालगढ़) :

131. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम पंचायत हैड क्वाटर व उप खण्ड पर कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

132. शीतलहर, पाला, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं पर फसल नष्ट होने पर मुआवजा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

133. कोटा जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. फसल बीमा को ग्राम पंचायत स्तर इकाई बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज नायक (रायसिंहनगर) :

135. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में मण्डी समिति परिसर के व्यापारियों की मांगों पर विचार कर दुकानों एवं गोदाम के मालिकाना हक दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. राज्य में नकली पेस्टीसाइड व नकली बीज के विक्रय पर रोक हेतु कठोर व दण्डात्मक कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में डिग्गियां एवं ड्रिप प्रणाली पर प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन जारी कराने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम समेजा कोठी एवं बान्डा में सब-यार्ड विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

140. झालावाड़ जिले के समीपवर्ती राज्य से आने वाली कृषि उपयोगार्थ नकली दवाइयों की रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिये।

141. झालावाड़ जिले में सोयाबीन की फसल पर उपयोगी कीटनाशक दवाइयों पर उचित अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

142. झालावाड़ जिले में 1000 हैक्टेयर कृषि भूमि हेतु स्प्रिंक्लर सिस्टम तथा 500 हैक्टेयर कृषि भूमि हेतु ड्रिप सिस्टम पर अतिरिक्त बजट आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

143. झालावाड़ जिले में संतरे व लहसुन की बम्पर पैदावार को दृष्टिगत रखते हुये संतरा व लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किये जाने तथा इनकी क्वालिटी सुधार हेतु विशेष तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

144. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पवन दुग्गल)

145. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में मण्डी रायसिंहपुर में बने सब-मण्डी यार्ड को पूर्ण-विकसित की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

146. अनूपगढ़ घड़साना में कृषक विश्राम गृहों की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

147. ग्रीन हाउस स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत कोटा व चित्तौड़ जिले के किसानों के लम्बित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में बूंदी जिले को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम बावरली, दुगर, डेरिया, गड़ा, जाटी, भाण्डू, जिनजिनयाला कलां, ठाडिया, उटाम्बर, लोड़ता अचलावता, बिराई में नवीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

2. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत नांद, दूद्राबेरी एवं सांजटा में पशु उप चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा) :

3. घुमक्कड़ भेड़पालकों को पंचायतीराज नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले नि:शुल्क भूखण्ड के साथ भेड़ों के बाड़े का प्रावधान कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. राज्य के बाहर जाने वाले पशुपालकों के हितों की रक्षा, आर्म लाइसेंस, शिक्षा, दुर्घटना, अत्याचार एवं पशु कल्याण बोर्ड को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. ऊंटों की तादाद बढ़ाने, नस्ल सुधारने तथा ऊंट पालकों को प्रोत्साहन देने के संबंध में चर्चा के लिये।
6. निष्क्रमणार्थी भेड़पालकों/पशुपालकों को पलायन करते समय दिया जाने वाला प्रमाण पत्र स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर पर ही जारी कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. "पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार" योजना में निष्क्रमण करने वाले पशुपालक को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

8. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पशु चारा डिपो खोलने एवं पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुन लाल)

9. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली) :

10. दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को स्वतंत्रता प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. आर.सी.डी.एफ. द्वारा पशु आहार में की गई बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

12. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र/पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित करने एवं पशुधन सहायक की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

13. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत नान्दरी, त्योद, कोरसीना में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. कस्बा फुलेरा स्थित पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत, बाउण्ड्रीवाल एवं कस्बा सांभर में पशु चिकित्सालय भवन की बाउण्ड्रीवाल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

15. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में नये पशु चिकित्सालय खोलने एवं नि:शुल्क दवा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

16. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के भवन रहित पशु चिकित्सा उप केन्द्रों के भवन निर्माण एवं मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

19. विधान सभा क्षेत्र सोजत में गौशाला के पास पशु चिकित्सा खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

20. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशुपालन उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

21. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में नवीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने एवं पशु उप केन्द्र में पशुधन सहायक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

22. जैसलमेर जिले में पशु शिविर लगाने, पशु चिकित्सालय खोलने, चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने तथा नये उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

23. भरतपुर जिले के पशु चिकित्सालय में चल रही स्टाफ की कमी को शीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. भरतपुर में विभाग द्वारा आयोजित पशु मेले को नगर परिषद् भरतपुर द्वारा आयोजित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक नये पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

26. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में स्थित पशु चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में स्थित ग्राम अमौरी में संचालित पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

28. विधान सभा क्षेत्र भीम के सभी पशु चिकित्सालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

29. राज्य में पशुधन की चिकित्सा के लिए उचित प्रबन्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) :

30. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में गौशालाओं की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) :

31. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं चारे पर दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

32. राज्य के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

33. नदबई (भरतपुर) के ग्राम बघमरी, रायसीम, अरौंदा, नाम, गादौली, करीली में नये पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. नदबई (भरतपुर) के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मई, बरोलीधार एवं कटारा को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. कस्बा नदबई में संचालित "अ" श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

36. विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में पशु उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

37. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में पशु चिकित्सालय खोलने, पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरने एवं अकाल में हर पंचायत मुख्यालय पर चारा डिपो खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

38. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

40. तहसील शेरगढ़ में पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक सहायक तथा पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उप केन्द्र बस्तवा, भालू राजवा खिरजा खास व सोइन्तरा को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने एवं पशु चिकित्सालय नाथडाऊ, भूंगरा, चामू, खुडियाला को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

42. जिला उदयपुर में निरन्तर पशुधन की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. जिला उदयपुर के पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ एवं दवाइयां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में चारे की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

45. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के पशु चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने एवं नवीन पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

47. अनजी की ढाणी एवं गोदावास में ऊंटों की बीमारी से 12 ऊंटों के मरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

48. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पशु चिकित्सालय के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता सिंह (नगर) :

49. विधान सभा क्षेत्र नगर में नये पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

50. सेवनियाला, सवाऊ पदमसिंह, हीरे की ढाणी एवं गीदा नवातला में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र बायतू के पशु चिकित्सालय तथा केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र बायतू में बायतू, गीड़ा, नौसर, पटौदी, परेऊ में पशुओं की दवाइयां रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

53. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के सदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलने एवं स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

54. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम आकोदा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर) :

55. सायला पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने एवं चिकित्सकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां)

56. पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नये पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. अच्छी एवं उत्तम नस्ल के पशुओं के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. राज्य में पशु मेलों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. राज्य के पशुपालकों को सस्ती दरों पर लोन दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. नावां नागौर के विश्व प्रसिद्ध नागौरी बैल-बछड़े के निर्यात पर 3 वर्ष के बछड़े पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

61. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पशुपालन व्यवसाय के द्वारा रोजगार विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) :

62. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पशुधन बीमा योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पशुओं के लिए सस्ती दरों पर चारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नये पशु चिकित्सालय/पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पशुपालन विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पशुपालकों के लिए पशु खरीदने हेतु ऋण सुविधा के सरलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मलखान सिंह (लूणी) :

67. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम कींच में पशु चिकित्सालय खोलने एवं झवर पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नगराज (धरियावद) :

68. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में पशु चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

69. पशुपालन के तहत तीन साल के बछड़े को बेचने पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

70. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के ग्राम पीपलिया में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

71. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की सभी ग्राम पंचायतों में एक-एक उप पशु चिकित्सालय न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

72. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम नीमली ढाणी गेसकान, जवानपुरा, पालड़ी, आमलोदा में उप पशु केन्द्र न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के मैड, पावटा, आंतेला, रामपुरा, विराटनगर में "ए" श्रेणी के पशु चिकित्सालय न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. पशु बीमा योजना को सरलीकृत करके सभी गांवों में लागू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. राज्य में अकाल की स्थिति से उत्पन्न चारा संकट से पशुपालकों को देय अनुदान में वृद्धि कर राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

76. राज्य में 3 वर्ष से कम उम्र के बछडों को राज्य से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. नागौर जिला मुख्यालय पर एक पोली क्लिनिक स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. नागौर जिला मुख्यालय पर बन्द पड़े सुधार केन्द्र एवं देशी गौवंश सुधार योजना को पुन: शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

79. झालावाड़ जिले की प्रत्येक तहसील, पंचायत समिति, उपखण्ड व नगरपालिका मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

80. किसानों के लिए पशुपालन एवं चिकित्सा हेतु नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

81. विधान सभा क्षेत्र मकराना में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं पशु चिकित्सा कर्मियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

82. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के पशु चिकित्सालय कालाडेरा व गोविन्दगढ़ को

(श्री भगवान सहाय सैनी)

प्रथम श्रेणी के चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम भोजवाला (मोरिजा) में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम सिंगादखुर्द, महारकला व रणजीतपुरा में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

85. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. पशुओं की नस्ल सुधार हेतु प्रत्येक गांव में चिकित्सालयों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. राजस्थान में स्थापित गौशालाओं को गौ रक्षण के लिए अधिक आर्थिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. राजस्थान में पशुधन को बचाने के लिए अकाल के समय चारा डिपो खोलने एवं चारा सब्सिडी को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. पशुपालन को लाभकारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड-जंक्शन) :

90. पाली जिले में पशु शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कृत्रिम गर्भाधान की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. अकाल प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालकों को देय चारे पर अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. पशु चिकित्सालयों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मन्जू देवी (जायल) :

94. विधान सभा क्षेत्र जायल में नये पशु चिकित्सालय खोलने तथा पूर्व के चिकित्सालयों में पड़े रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

95. गौशालाओं के लिए सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों से चारा मंगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर के झालामण्ड क्षेत्र में राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. पशु क्रूरता निवारण समितियों को देय सरकारी अनुदान राशि बढ़ाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. राजस्थान पशु कल्याण बोर्ड की उपलब्धियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. देशी नस्ल को बढ़ावा देने व सांचौर एवं थारपारकर गायों की नस्ल बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

100. हर तहसील में आदर्श गौशाला अच्छे पशुपालक, रूग्ण व कमजोर गौवंश हेतु कम से कम 20 लाख रुपये का अनुदान एवं नरेगा में हर एक पंचायत में पेयजल, चारा, आदि के लिए विशेष व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

101. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने एवं नवीन चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. पशु चिकित्सालय जहाजपुर को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में भवन रहित पशु चिकित्सालयों के लिए भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. पशुधन हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने एवं अनुदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. पशुओं के पशु आहार पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

106. राज्य के पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पुशपालक के घर-घर जाकर टीके लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. सीकर जिले के गुणाठू पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की मरम्मत

(श्री पेमाराम)

व कर्मचारियों का ठहराव सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

108. पशु चिकित्सालयों व उप केन्द्रों पर सभी दवाईयां व औजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. सीकर जिले के पशु चिकित्सालयों के रिक्त पदों को एक माह में भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. पशुपालन को विकसित करने के लिए हर गांव में पशु चिकित्सालय/पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

111. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112. राज्य में पशु चिकित्सा हेतु उपलब्ध बजट प्रावधानों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

113. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

114. सिरोही जिले में अकाल की स्थिति में चारा व पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

115. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के श्रीगंगानगर शहर में बने पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की एवं अन्य स्टॉफ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में पशुधन सहायक के दो वर्ष के प्रशिक्षण पश्चात डेयरी खोलने की स्वीकृति एवं नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में श्रीगंगानगर शहर में पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा संबंधी सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

118. देशी गौवंश को अवैध रूप से राज्य के बाहर परिवहन कर ले जाने पर की गई असंतोषजनक कार्यवाही कर चर्चा के लिए।

119. देशी गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय शहर में स्थित होने से बीमार पशुओं के लाने ले जाने में आ रही परेशानी पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

121. विधान सभा क्षेत्र वैर में नये पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने के सम्बनध में चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र वैर में पशु चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के समबन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

123. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) में पशु संख्या के अनुपात में पशु चिकित्सा केन्द्र नहीं होने से अनवार नगर (अलीगढ़) वं अनय स्थानों पर पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. पशु चिकित्सा विभाग के विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलॉग की पूर्ति किये जाने में हो रहे विलंब पर चर्चा के लिए।

125. विभाग में पशु चिकित्सकों तथा चिकित्साकर्मियों की रिक्तियां होते हुए भी नियुक्तियां की जाने में विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

126. टौंक जिले में पशु चिकित्सालयों में वाहन एवं आवश्यक उपकरणों के अभाव को दूर करने में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

127. पशु रोग नियंत्रण योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) में समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवंत सिंह यादव (बहरोड़) :

128. राज्य में हर पंचायत मुख्यालय पर पशु औषधालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

129. राज्य में पशु औषधालयों में दवाईयां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए

130. पशुओं का जीवन बीमा लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

131. राज्य में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

132. राज्य में दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों में किसानों के हित को सर्वोपरि रखने में राजनैतिक हस्तक्षेप को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133. झुंझूनूं जिले की दुग्ध उत्पादन संघ लि. इकाई झुंझूनूं में साढ़े पांच लाख रुपये का गबन करने वलों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

134. हर ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा केन्द्र सुनिश्चित करने के सम्बनध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं (मढामदमी) श्यामपुरा, राउकीढाणी, बुच्चासी में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

136. राज्य से बछड़ों को बाहर जाने पर लगी रोक से किसानों को हो रही हानि के सम्बनध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

137. जयपुर में वेटेनरी कॉलेज खोलने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. जयपुर में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. राज्य में पशुओं की संख्या में हो रही निरन्तर कमी पर चर्चा के लिए।

140. पशुपालकों को पशुओं को अन्य राज्य में चराई के लिए ले जाने के समय पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. ग्रामीण क्षेत्र के पशु चिकित्सालों का समय एक पारी प्रातः 9 से 4 बजे किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

142. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के विज्ञान नगर में पशु चिकित्सा केन्द्र को शिफ्ट नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143. कोटा पशु चिकित्सा केन्द्र में सोनोग्राफी एवं एक्स-रे मशीन लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

144. पशुपालकों, आजीविका मिशन एवं आत्मा योजना के प्रशिक्षण हेतु कोटा पशुपालन चिकित्सालय में हाल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

145. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी कस्बे में पशु चिकित्सा भवन निर्माण एवं पशु चिकित्सक के पदों की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146. झालावाड़ जिले की झालरापाटन तहसील के नवीनपाद में नवीन पशु चिकित्सालय स्थापित यि जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. झालावाड़ जिले में रिक्त पड़े पशु चिकित्सक एवं कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

148. पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र कोटा में गर्ल्स होस्टल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. पशुधन विकास उप केन्द्र कोटा भवन रहित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।